सप्तम माला, 24 July 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Third-Session

(सातवीं लोक सभा)



लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अंक 35, गुरुवार, 24 जुलाई, 1980/2 श्रावण, 1902 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या	673 से 675, 679, 681, 683 और 684	1—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या	676 से 678, 680, 682, 685 से 690, 692 और 692	19—25
अतारांकित प्रश्न संख्या	5368 से 5469 और 5471 से 5517	25—115
स्थगन प्रस्तावों के बारे में		115—116
सभा पटल पर रखे गये पत्र		116—120
अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		120—137
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में भारतीय विधिज्ञ परिषद् के संकल्प का समाचार		
श्री भोगेन्द्र झा		120—127
श्री पी० शिवशंकर		127—128
प्रो० नारायण चन्द पराशर		128—129
प्रो० मधु दंडवते		129—132
श्री वी० एन० गाडगिल		133—134
श्री एडुआर्डो फैलीरो		135—136
प्रेस आयोग के पुनरीक्षित विचारार्थ विषयों के बारे में वक्तव्य		
श्री वसन्त साठे		137—139
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण		
श्री निरेन घोष		139
समितियों के लिये निर्वाचन		140—142
(एक) प्राक्कलन समिति		140
(दो) लोक लेखा समिति		140

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	141
(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	141
नियम 377 के अधीन मामले	142—146
(एक) कर्नाटक में काली पनबिजली परियोजना और बैडथी परियोजना के बारे में श्री टी० आर० शमन्ना	142—143
(दो) मछुओं के लिए कल्याण निधि श्री बी० के० नायर	143—144
(तीन) विभागीय कैंटीनों के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने की आवश्यकता श्री ई० बालानन्दन	144
(चार) विश्वविद्यालय और कालेज के पुस्तकालयों को पुस्तकें खरीदने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों के बारे में डा० बसन्त कुमार पंडित	144—145
(पांच) गोरखपुर के धानी ब्लाक में हैजा और आंत्रशोध महामारी को रोकने के लिए कदम उठाना श्री अशफाक हुसैन	145—146
(छः) मुसाबल से दिल्ली रेल द्वारा केलों की तुरन्त ढुलाई करने की आवश्यकता श्री वाई० एस० महाजन	146
(सात) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में तेल, हाटी और शगाडा नदियों में बार-बार आने वाली बाढ़ रोकने की आवश्यकता श्री रास बिहारी बहेरा	146
विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1980	146—195
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	146
श्री मूलचन्द डागा	146
श्री भीम सिंह	150—154
श्री कृष्ण कुमार गोयल	154—158
श्री जी० एम० बनातवाला	158—160
श्री ज्योतिर्मय बसु	160—173
श्री रामावतार शास्त्री	173—176

विषय	पृष्ठ
श्री टी० आर० शमन्ना	176—178
श्री अनन्त कुमार शर्मा	178—180
खंड 2 से 4 और ।	
पास करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	181—195
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1980	196—203
श्री आर० वेंकटरामन	196—199
प्रो० अजित कुमार मेहता	200—203

लोक सभा

गुरुवार, 24 जुलाई 1980/2 श्रावण, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वी रेलवे के कियूल-भागलपुर और पटना-गया सैक्शनों पर अराजकता और गुण्डागर्दी

*673. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व रेलवे के कियूल-भागलपुर और पटना-गया सैक्शनों पर बड़े पैमाने पर व्याप्त अराजकता और गुण्डागर्दी की जानकारी है,

(ख) क्या प्रथम श्रेणी के वास्तविक यात्रियों के लिए प्रथम श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करना बहुत ही कठिन है क्योंकि ऐसे डिब्बों में बेटिकट यात्री बैठे रहते हैं,

(ग) क्या यह सच है कि इन सैक्शनों पर रेलगाड़ियों में कड़ी चैकिंग नहीं होती और चैक करने वाले कर्मचारी भी उपद्रवी तत्त्वों और गुण्डागर्दी से डरते हैं, और

(घ) क्या सरकार का विचार इन सैक्शनों पर रेलगाड़ियों में कड़ी चैकिंग करने और इनमें अधिक संख्या में सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारी नियुक्त करने का है ताकि प्रथम श्रेणी के वास्तविक यात्रियों को जगह मिल सके ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट मिली है कि पहले दर्जे के सदाशयी यात्रियों को डिब्बों में अनधिकृत रूप से स्थान घेरने के कारण, विशेषकर दिन के समय, असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है ।

(ग) टिकटों की नियमित रूप से जांच की जाती है । लेकिन, कभी-कभी जांच करने वाले कर्मचारियों को मार-पीट और डराने-धमकाने की घटनाओं का सामना करना पड़ता है ।

(घ) रेलवे दंडाधिकारियों के सहयोग से टिकटों की जांच करने वाले कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा बल, सरकारी रेलवे पुलिस तथा स्थानीय पुलिस कर्मचारियों को बड़ी संख्या में संघटित

करके बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध प्रभावशाली विशेष जांच पहले ही की जाती है। जांच के काम को और तेज किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, सभा-पटल पर रखे गए विवरण में मंत्री जी ने माना है कि कियूल-भागलपुर और पटना-गया सैक्शनों पर बड़े पैमाने पर अराजकता और गुण्डागर्दी व्याप्त है। टिकट वालों को बिना टिकट के चलते यात्रियों से परेशानी होती है और चैकिंग स्टाफ भी कभी-कभी पिटते हैं। इस सम्बन्ध में इस सदन में सवाल पहले भी आए हैं और जब भी इस तरह के सवाल आए तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने वहां पर चैकिंग स्टाफ को रख दिया है, कण्डक्टर्स को रख दिया है और कोच-अटेंडेंट को रख दिया है। इस बात को देखते हुए, देश में जो अराजकता बढ़ रही है व कानून और व्यवस्था को मद्दे नज़र रखते हुए, क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि कण्डक्टर्स को आर्म्ज़ दिए जायें ?

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष जी, कंडक्टर्ज को आर्म्ज़ देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन जितने भी प्रिवेंटिव मेज़र्स ले सकते हैं, लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी हाल ही में पंडित जी ने राज्य सरकारों को भी लिखा है कि जो लॉ-एण्ड-आर्डर की सिचुएशन है, उसमें हमारी सहायता करें और जनरल मैनेजर्स को भी स्पेशल इन्स्ट्रक्शन्स दी गई हैं कि वे स्पेशल स्क्वेड्स रखें, आर० पी० एफ० और जी०आर०पी० व दूसरी चीज़ों की सहायता से चैकिंग करने के लिए पूरे तरीके से यत्न करें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, इस तरह के सवाल जब-जब उठे हैं, तो वर्तमान मंत्री जी और पहले के माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने मुख्यमंत्रियों को लिखा है और हम इसको दूर करना चाहते हैं तथा चैकिंग भी बार-बार करना चाहते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने माना है कि उनका चैकिंग स्टाफ पिटता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय से,—रेलवे की जवाबदेही होती है कि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराए और एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाए—क्या वे इस बात पर विचार करेंगे कि जो यात्री टिकट लेकर चलना चाहते हैं, जो उनको परेशानी होती हैं, ऐसे यात्रियों को कम्पेसेशन दिया जाय ?

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मान्यवर, ये इस सुझाव से जो बीमारी है, उसको बढ़ाना चाहते हैं। मुझे अफसोस है कि सबसे ज्यादा लॉ-एंड-आर्डर सिचुएशन इन्हीं के प्रदेश में खराब है। कियूल-भागलपुर के बीच में जो परिस्थिति पैदा हुई है, हम उसे स्वीकार करते हैं। किसी को आर्म देना तो झगड़े और बढ़ाना है। चैकिंग का सारा इन्तजाम किया है। जी०आर० पी०की स्ट्रैंथ को बढ़ाया है। हमारी प्रदेश की सरकारों ने 50-50 का फार्मूला मन्जूर किया है, वह काम शुरू हो चुका है। श्री आर०पी० यादव जी से मेरी प्रार्थना है, वह बहुत बड़े नेता हैं, अगर बिहार में थोड़ी सी नेतागिरी का परिचय दें, तो गलत आदमियों को रोकने में मदद मिल सकती है···(व्यवधान)···कोई चीज चुभती है, तो लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलता है। स्टूडेंट्स भी यह काम करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं। इनका स्टूडेंट्स पर बड़ा प्रभाव है, इसलिए आप हमारी थोड़ी सी मदद करें, तो इस चीज़ को रोका जा सकता है। आर्म देने से यह मामला रुकने वाला नहीं है।

श्री ई०बालानन्दन : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें दक्षिण को जाने वाली गाड़ियों पर, विशेष रूप से केरल को जाने वाली गाड़ियों पर होने वाले बढ़ते हुए हमलों की

जानकारी है ? सबसे ताजा हमला जयन्ती-जनता एक्सप्रैस में बम्बई शहर में हुआ ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इन हमलों को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का सम्बन्ध मूल प्रश्न से नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे निवारक उपाय कर रहे हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : रेलवे में जो यात्री टिकट लेकर चलते हैं, उनको परेशानी ही नहीं होती है, बल्कि डकैती की घटनायें, असुरक्षा की भावना के साथ-साथ एक नई बीमारी पैदा हो गई है, लोगों ने रेल की छतों पर बैठ कर सफर करना शुरू कर दिया है। यह सारी बीमारियां इस बात को इंगित करती हैं कि रेलवे का जो जी०आर०पी० का स्टाफ है, वह इन-एफेक्टिव है, डरता है, हिम्मत नहीं करता है, एक तरह से वे बिल्कुल डीमोरलाइज़ हो गये हैं। उनके अन्दर अपने दायित्व को निभाने की कमी आ गई है। मैं जानना चाहता हूं—सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, ताकि इन सारी बीमारियों को रोका जा सके ? केवल फोर्स बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा, उनके अन्दर दायित्व निभाने की जो कमी आ गई है, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हिम्मत की गोलियां खिलानी पड़ेंगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी : यह प्रयास किया जा रहा है कि वे दायित्व का निर्वाह करें। जी०आर०पी० को प्रदेश की सरकारों ने जो ताकत दी है, उसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूं। स्क्वेड्स भी बनाये गये हैं, जिनमें आर०पी०एफ० के लोगों को भी रखा गया है, जिनके पास आर्म्ज़ भी होते हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस तरह की बीमारी को रोक सकें।

जो छत पर चलते हैं, वे कानून के खिलाफ काम करते हैं। बार-बार हाथ जोड़ा जाता है, रोका जाता है, बहुत कोशिश की जाती है कि न चलने पायें। वास्तव में जब तक रेलों की संख्या नहीं बढ़ेगी, यह दिक्कत रहेगी। कियूल-भागलपुर सैक्शन को डबल-लाइन में परिवर्तित किया जा रहा है, उसका काम शुरू होने वाला है, इसके लिए बजट में 10 लाख रुपया रखा गया। पैसेन्जर गाड़ियां ज्यादा संख्या में चलाने का इन्तज़ाम कर रहे हैं ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। यही सब हम कर रहे हैं।

बोनस सन्दाय अधिनियम में संशोधन करने के बारे में श्रमिक नेताओं से बातचीत

*** 674. श्री मूल चंद डागा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने विभिन्न श्रमिक संगठनों के नेताओं से बोनस संदाय अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया है; और यदि हां, तो कब; और

(ख) वर्तमान बोनस अधिनियम में किस आधार पर संशोधन किया जा रहा है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) : जी, हां 4 फरवरी 1980 और जून, 1980 के अन्त में विचार-विमर्श किया गया। इन विचार-विमर्शों के दौरान अनेक सुझाव दिए गए। नियोजकों के संगठनों से भी सुझाव प्राप्त हुए हैं। ये सभी सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं और त्यौहारों के मौसम के शुरू होने से पहले इस सम्बन्ध में घोषणा कर दी जाएगी।

श्री मूल चन्द डागा : पंजाब में वैसाखी मनाई जाती है, महाराष्ट्र में गणपति का त्यौहार

मनाया जाता है, कहीं सावन के त्यौहार मनाये जाते हैं—इसको आप देखें कि कब देना है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं—आपने जो प्रोडक्टिविटी के आधार पर बोनस दिया है क्या यह नियम सारे दूसरे उद्योगों पर, उन उद्योगों पर भी जहां 10 आदमी काम करते हैं, 8 आदमी काम करते हैं, उन उद्योगों पर भी लागू होगा ? यदि लागू होगा तो किस आधार पर होगा, प्रोडक्टिविटी की किस आधार पर जांच की जायगी ?

श्री टी० अंजय्या : पिछली मर्तबा रेलवे और डिफेन्स का मामला इस एक्ट के परव्यू में नहीं था, अब उनके साथ प्रोडक्टिविटी-लिंक्ड का एग्रीमेन्ट किया है। लेकिन जैसा आपने सवाल किया है—परमानेन्ट बोनस पालिसी के बारे में सरकार सोच रही है। सरकार यह भी सोच रही है कि जहां कम लोग काम करते हैं उनको भी बोनस मिले—ये सब प्रपोज़ल्स इस वक्त सरकार के सामने हैं।

एक बहुत अनकरीब गवर्नमेंट पर्मानेन्ट बोनस पालिसी पर लाएगी, मुझे उम्मीद है कि···

एक माननीय सदस्य : क्या लाएगी ?

श्री टी० अंजय्या : आप क्या लाए थे। आपसे बैटर लाएगी।

श्री सतीश अग्रवाल : बोनस जो खत्म कर दिया था, वह जनता पार्टी ने देना शुरू किया था।

श्री टी० अंजय्या : मजदूरों का बोनस कभी खत्म नहीं हो सकता है चाहे कानून कुछ भी हो। बोनस हमेशा रहेगा और रहने वाली चीज़ है। तो मैं यह कह रहा था कि गवर्नमेन्ट बोनस के बारे में एक पर्मानेन्ट पालिसी बनाएगी।

श्री मूलचन्द डागा : दूसरी बात मैंने यह जाननी चाही थी कि प्रोडक्टिविटी का आधार क्या होगा, उसके बारे में नहीं बताया। अब मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राइवेट उद्योगों के अन्दर जो चारटर्ड एकाउन्टेन्ट अपनी एनुअल रिपोर्ट दे देता है और जो उससे मुनाफा छिपा देता है, उसको भी चैक करने का क्या आपने कोई तरीका निकाला है जिससे प्राइवेट एन्टरप्रीन्योर अपना सही हिसाब दे सके ? उसकी कैसे जांच हो, इसके बारे में आपने सोचा है ?

श्री टी० अंजय्या : इसके बारे में भी लीडर्स के प्रपोज़ल्स आए हैं। हम यह सोच रहे हैं कि कोई आर्बोट्रेशन बोर्ड बैठाएं ताकि बैलैंसशीट्स की जांच-पड़ताल सही ढंग से की जा सके। इसके बारे में कई प्रपोज़ल्स आए हैं और उन पर हम गौर कर रहे हैं।

श्री निरेन घोष : मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या बोनस के हकदार बनने के लिये अधिकतम सीमा को बढ़ाया जायेगा, क्या न्यूनतम मात्रा में और वृद्धि की जायेगी तथा क्या बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरों को उनका उचित हिस्सा मिले, इसकी वार्षिक समीक्षा की जायेगी और दूसरे, क्या लाभ आदि के संगणन में 'लाट' सूत्र पर, जिसे छोड़ दिया गया है तथा अपनाया नहीं जा रहा है, फिर से विचार किया जायेगा ?

श्री टी० अंजय्या : अभी जो 750 रुपये की सीलिंग है, जो तन्ख्वाह दी जाती है उसकी ओर 1600 रुपये जो मैक्सीमम है, उनको ही बोनस दिया जा रहा है। इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि सीलिंग हटाने की बात भी हम सोच रहे हैं। जब अगली बार बोनस-

बिल या बोनस-फार्मूला आएगा, गवर्नमेंट के सामने आएगा, तो आपसे भी उसके बारे में बात-चीत करेंगे।

श्री जमीलुर्रहमान : मि० स्पीकर, यह बात जो इस सवाल के जरिये पूछी गई है, बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से मुहतरम् वजीर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जो लैंडलैस लेबरर्स हैं, जो खेत में काम करके हम सब लोगों के लिए अनाज पैदा करते हैं, यह जो बोनस-एक्ट गवर्नमेंट आफ इन्डिया बनाने जा रही है, क्या उसमें इसके लिए भी कोई प्रोविज़न होगा कि लैंडलैस लेबरर्स अपनी आर्गेनाइजेशन बना सकें, जिससे उनको एक सेक्यूरिटी मिल सके और वे भी इस बोनस-एक्ट का फायदा उठा सकें ?

श्री टी० अन्जय्या : जो मजदूर एग्रीकल्चरल फार्म्स में जाकर काम करते हैं, वैसे लोगों के बारे में सोचा जा सकता है, मगर जो आम छोटे किसान हैं, उनके यहां जो एग्रीकल्चर-लेबर काम करती है, उनके बारे में मुश्किल है। उन फार्मों के बारे में जहां पर डीज़ल से मशीनें चलाई जाती हैं और ट्रेक्टर वगैरह से काम किया जाता है, वैसे मजदूरों के बारे में बोनस का फार्मूला सोचा जा सकता है, मगर आम आदमी के लिए सोचना मुश्किल है क्योंकि अभी तो उनको मिनिमम वेजेज में भी मुश्किल हो रही है। मिनिमम वेजेज के इम्प्लीमैंटेशन के बारे में स्टेट गवर्नमेंट से हम बार-बार कह रहे हैं। खैर, जो बात इन्होंने कही है, वह बहुत रेवोल्यूशनरी बात है।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं बज़ात-खुद रेवोलूशनरी हूं।

श्री टी. अंजय्या : यह जरूरी है कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए कोई संगठन हो, उनकी कोई यूनियन हो और सरकार की तरफ से कुछ फाइनेन्शियल मदद देकर, वह बने, तो जब यूनियन बनाने की बात आएगी, तब इस मसले पर सोचा जाएगा।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर भी गौर कर रही है कि जो बोनस का कानून बनने वाला है उस बोनस के दायरे में बीड़ी-मज़दूरों, अस्पताल के कर्मचारियों, आल इन्डिया रेडियो और टी० वी० के कर्मचारियों तथा इस प्रकार के अन्य जो कर्मचारी हैं उनको भी लाया जाए और उनको भी बोनस दिया जाए, यह मेरा बहुत पोएन्टेड क्वेश्चन है।

श्री टी० अंजय्या : यह जो वर्कर्स का डेफीनीशन सुप्रीम कोर्ट का आया है, उस पर विचार किया जाएगा। वर्कर्स के डेफीनीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न है उस पर और अन्य तमाम बातों पर विचार किया जाएगा।

श्री चित्त बसु : महोदय, एक प्रश्न पूछा गया था कि किस आधार पर नये बोनस-अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। इसका उत्तर नहीं दिया गया है। क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया है कि बोनस "स्थगित वेतन" है ? क्या सरकार नये बोनस-कानून को बनाते हुए इस मूल सिद्धान्त को ध्यान में रखेगी कि बोनस स्थगित वेतन है ? क्या सरकार ने बोनस-योजना के सम्बन्ध में इस मूल सिद्धान्त को उच्चतम न्यायालय द्वारा परिभाषित रूप में स्वीकार किया है ?

श्री टी० अंजय्या : न हमने एक्सेप्ट किया है, न रिजेक्ट किया है।

श्री चित्त बसु : मैं जानना चाहता था कि क्या आपने मूल सिद्धान्त स्वीकार किया है कि बोनस स्थगित वेतन है ?

श्री टी० अंजय्या : हम इन बातों पर सोच रहे हैं। जो वर्कर्स की डेफीनीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया है उसके और अन्य सभी बातों के बारे में सोच रहे हैं। जब फार्मूला बन रहा है तो इन सब बातों पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न : प्रश्न संख्या 675.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : खड़े हुए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, संसद का सत्र चल रहा हो तो माननीय मंत्री को अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। पिछले सत्र में भी यह हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु आपके हितों की रक्षा की जायेगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, कृपया एक राज्य मंत्री की नियुक्ति की सिफारिश कीजिए।

श्री पी० शिवशंकर : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, स्टेट मिनिस्टर भी नहीं हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वास्तव में प्रधान मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिए।

श्री पी० शिव शंकर : यदि मेरे मित्र प्रतिनियुक्त होते हैं तो मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है।

श्री एम० सत्य नारायण राव : महोदय, श्री वाजपेयी की आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब श्री वाजपेयी विदेश मंत्री थे तो वह हमेशा सभा से अनुपस्थित रहा करते थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे साथ एक राज्य मंत्री थे।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने तो मिनिस्टर आफ स्टेट बना लिया था। ये कहते हैं कि मिनिस्टिर आफ स्टेट बनाया जाए। इनके सुझाव पर जरा गौर करने की बात है।

पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारतीय

*675. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीयों ने पर्यटकों के रूप में गत दो वर्षों के दौरान पाकिस्तान की यात्रा की ;

(ख) क्या यह सच है कि पर्यटकों के रूप में पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को वीसा लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सितम्बर, 1974 में भारत और पाकिस्तान के बीच जिस वीजा-करार पर हस्ताक्षर हुए थे उसमें पर्यटक-वीजा की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए विगत दो वर्षों में इस श्रेणी में किसी भारतीय राष्ट्रीय ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : फरवरी 1980 में अपनी भारत-यात्रा के दौरान, पाकिस्तान की पर्यटन-सलाहकार और पाकिस्तान के राष्ट्रपति की विशेष प्रतिनिधि, बेगम विकारुन्निसा नून ने भारत और पाकिस्तान के बीच पर्यटक-यातायात का प्रस्ताव किया था। हमने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और पाकिस्तान सरकार को यह बता दिया था कि हम इस योजना पर विचार-विमर्श करने और इसे अन्तिम रूप देने के लिए एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद भेजने को तैयार हैं।

श्री अमर सिंह वी० राठवा : पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग आसानी से आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहां के मुसलमान भाई वहां आकस्मिक प्रसंगों के लिए जाना चाहते हैं तो उनको तुरन्त वीज़ा पाकिस्तान एम्बैसी नहीं देती है। क्या सरकार पाकिस्तान को कहेगी कि ऐसे मामलों पर तुरन्त विचार किया जाए ?

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक हमारी सरकार का सवाल है हम इस बात की जरूर कोशिश करेंगे कि ऐसे मामलों में हम कदम उठायें। लेकिन जहां तक टूरिस्ट-वीज़ा का सवाल है जैसा मैंने कहा है कि यह सवाल अभी तक हल नहीं हो सका है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : भारत और पाकिस्तान के बीच पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए एक कदम जो उठाया जा सकता है वह यह है कि जैसी व्यवस्था हमारी नेपाल के साथ है अर्थात् भारत से नेपाल के लिए किसी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, इसी तरह क्या सरकार ने पाकिस्तान से कोई प्रस्ताव किया है कि पर्यटन के प्रयोजन के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा के लिए पासपोर्ट को समाप्त किया जाये ?

श्री पी० शिवशंकर : जैसा कि मैंने कहा है ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु यहां से एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल वहां जा सकता है और उसके बाद एक नयाचार पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।

श्री गुलाम रसूल कोचक : करोड़ों लोग जो पाकिस्तान में व्यापारियों के रूप में बस गये थे वे विभाजन के बाद पाकिस्तानी राष्ट्रिक बन गये हैं। अब हमें एक व्यावहारिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कतिपय मामलों में अमृतसर और दिल्ली तक केवल प्रवेशपत्र दिया जाता है। चूंकि काश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है तो क्या दिल्ली या अमृतसर से काश्मीर जाने के लिए और प्रवेशपत्र की आवश्यकता है ? यह मेरा कानूनी प्रश्न है जिसका उत्तर दिया जाना है।

श्री पी० शिवशंकर : काश्मीर एक नाजुक क्षेत्र है और काश्मीर को जो सांविधानिक दर्जा दिया गया है उसके कारण कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अतः अलग प्रवेशपत्र या पासपोर्ट का प्रश्न तो नहीं उठता किन्तु इस बात पर विचार किया जाता है कि क्या यह रिश्तेदारों की केवल मुलाकात का प्रश्न है या कोई और सम्बद्ध पहलू है ?

श्री जैनुल बशर : ऐसी शिकायतें क्या आपको मिली हैं कि जो भारतीय लोग पाकिस्तान मानवीय आधार पर जाना चाहते हैं, उनकी वीसा लेने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, चार-चार और छः-छः महीने इनक्वायरी के नाम पर उनको वे रोके रहते हैं और इस बीच किसी का रिश्तेदार मर जाता है या कोई शादी में शरीक होना चाहता है तो तब तक शादी हो जाती है या बहुत देर तक शादी रुकी रहती है ? क्या सरकार को यह भी मालूम है कि हिन्दुस्तानी शहरी पाकिस्तान में जाते हैं तो उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको हिरास किया जाता है, दो-चार दिन और ज्यादा कहीं किसी ने मानवीय

आधार पर गुजार दिये तो उनको जेलों में जबर्दस्ती भेज दिया जाता है। इसके लिए मैंने एक कालिंग एटेंशन भी दिया है लेकिन वह अभी तक वह आ नहीं सका है। क्या सरकार ने इस मामले में पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत की है ? जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहां आए थे तब क्या उनके साथ इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई बातचीत की थी ? अगर की थी तो उसका क्या परिणाम निकला ? मैं चाहता हूं कि इसका पूरा ब्यौरा मंत्री महोदय कृपा करके दें।

श्री पी० शिवशंकर : सरकार को उन लोगों की कठिनाइयों के बारे में मालूम है जो जाना चाहते हैं। वास्तव में सरकार ने समय-समय पर विभिन्न कदम उठाये हैं और उन्होंने पाकिस्तान सरकार के साथ भी इस प्रश्न को उठाया है। यहां तक कि खास प्रश्नों को भी उनके ध्यान में लाया गया है ताकि इस कठिनाई से बचा जा सके।

सरकार ने पाकिस्तान सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रिकों के विरुद्ध उनके पाकिस्तान में समय से अधिक रहने पर की गई कतिपय कार्यवाही के बारे में रिपोर्ट देखी हैं। हमारी जानकारी के अनुसार यह कार्यवाही उन भारतीय राष्ट्रिकों के विरुद्ध की गई जो गैरकानूनी तौर पर पाकिस्तान में समय से अधिक रह रहे हैं। किन्तु यदि कुछ विशेष मामले माननीय सदस्य सरकार के ध्यान में लाना चाहें तो सरकार उन्हें पाकिस्तान सरकार के साथ उठाने में नहीं हिचकिचायेगी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्री मोहम्मद असरार···

डा० सरदीश राय·····

श्री राजगोपाल नायडू·····

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति।

राज्य श्रम मंत्रियों को पत्र

* 679. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राज्यों के श्रम मंत्रियों को पत्र भेज कर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि हड़तालों और तालाबंदियों को रोकने के लिए उनका औद्योगिक संबंध तंत्र यथासमय हस्तक्षेप करें ;

(ख) कितनी राज्य सरकारों ने इस सुझाव को मान लिया है ; और

(ग) कितने राज्यों में गत दो वर्षों से श्रमिक विवादों में वृद्धि हुई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों के लगभग सभी श्रम मंत्रियों ने ऐसा करने का आश्वासन दिया। जब वे श्रम मंत्री सम्मेलन में भाग लेने आए।

(ग) वर्ष 1977, 1978 तथा 1979 के संबंध में राज्यवार औद्योगिक विवादों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्यों तथा संघ-शासित क्षेत्रों द्वारा वर्ष 1977,1978 तथा 1979 से सम्बन्धित औद्योगिक विवादों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ-शासित क्षेत्र का नाम	औद्योगिक विवादों की संख्या		
	1977	1978	1979 (अ)
1. आन्ध्र प्रदेश	116	206	351
2. असम	8	18	16
3. बिहार	264	306	296
4. गुजरात	165	181	223
5. हरियाणा	99	107	89
6. हिमाचल प्रदेश	4	11	9
7. जम्मू व काश्मीर	3	4	1
8. कर्नाटक	90	92	67
9. केरल	184	146	136
10. मध्य प्रदेश	168	199	251
11. महाराष्ट्र	553	318	302
12. मणिपुर	1	—	2
13. मेघालय	—	—	—
14. नागालैंड	—	—	—
15. उड़ीसा	85	47	35
16. पंजाब	65	106	117
17. राजस्थान	165	144	100
18. सिक्किम	—	1	1
19. तमिलनाडु	316	394	343
20. त्रिपुरा	3	8	7
21. उत्तर प्रदेश	195	247	175
22. पश्चिम बंगाल	480	549	418
23. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	16	6	11
24. अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
25. चण्डीगढ़	7	6	5
26. दादर और नगरहवेली	2	1	—
27. दिल्ली	52	46	60
28. गोआ, दमन और दीव	47	25	33
29. लक्षद्वीप	2	—	—
30. मिजोरम	—	—	—
31. पाण्डिचेरी	27	19	19
योग	3,117	3,187	3,068

(क) अनतिम

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जाना चाहता हूं कि राज्य सरकारों की अकर्मण्यता को दृष्टि में रख कर बम्बई में प्रीमियर ओटोमोबाइल्स, डब्ल्यू० जी० फोर्ज तथा अन्य प्रमुख उद्योगों में तालेबन्दी और हड़तालों को समाप्त कराने के लिए शीघ्र कदम उठायेंगे क्योंकि यह उद्योग देश के रक्षा-उत्पादन में बहुत ही महत्त्वपूर्ण है ।

श्री टी० अंजय्या : मेम्बर साहब ने जो बताया है, वह सही है । स्टेट गवर्नमेंट्स को जो एक्शन लेना चाहिए, बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स वह नहीं ले रही हैं । जहां तक इल्लीगल लॉकआउट्स, क्लोयर्ज और स्ट्राइक्स का ताल्लुक है, बंगाल में भी लॉक-आउट्स क्लोयर्ज हो रहे हैं और मैंने स्टेट्स के चीफ मिनिस्टरों और लेबर मिनिस्टरों को रिक्वेस्ट की है कि कारखानों में जो भी डिस्प्यूटस हों, वे उन्हें जल्दी से जल्दी ट्रिब्यूनल या आरबिटरेशन बोर्ड्ज़ को रेफ़र कर दें । मैंने कहा है कि वेज-पालिसी और बोनस वगैरह के बारे में बातचीत करने में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद की जरूरत पड़ी, तो हम सहायता देने के लिए तैयार हैं । चन्द गवर्नमेंट्स रेसपांस दे रही हैं । लाक-आउटस, क्लोयर्ज और स्ट्राइक्स के बारे में महाराष्ट्र में जो सिचुएशन है, वह हमें मालूम है । बंगलौर में भी दो-तीन फैक्टरीज़ बंद है, जिससे गवर्नमेंट को एक्साइज़ डयूटी और रेवेन्यु का करोड़ों रुपयों का नुक्सान हो रहा है । उस पर हमको काफी चिन्ता है । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम बारे में जरूर कदम उठायेंगे ।

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि—

(क) क्या सरकार उद्योग-वार सांविधिक मजूरी मंडल स्थापित करने के लिए तैयार है, और

(ख) क्या कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री टी० अंजय्या : वह तो करने की हम सोच रहे हैं । वेज बोर्ड, स्टैचुटरी वेज और मिनिमम वेज, इन सब के बारे में कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन यूनियन्ज़ जो आपस में लड़ रही हैं, उसके बारे में सोचने की जरूरत है । मौजूदा हालत बिगड़ी हुई है । कल जब मैंने इस बारे में कहा, तो शास्त्री जी ने बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कहीं । हमने लेबर मिनिस्टर्ज़ कॉनफरेंस में स्टैचुटरी वेजिज़ के बारे में फैसला लिया है और इस पर चलने के लिए तैयार हैं ।

श्री वी०वी० देसाई : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में जहां तक श्रमिकों और प्रबन्धकों में औद्योगिक सम्बन्धों का सम्बन्ध है, इसमें दो बातें बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं : एक तो यह है कि एक उद्योग में एक यूनियन हो । दूसरी बात यह है कि जहां तक सम्भव हो यूनियन के कर्मचारी ही उनका नेतृत्व करें ।

क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि क्या सरकार इन दो बातों के सम्बन्धों में कोई विधेयक ला रही है ?

श्री टी० अंजय्या : लेबर मिनिस्टर्स कॉनफरेंस में इस बात को डिस्कस किया गया था कि आउटसाइडर्स रहें या न रहें । मगर आउटसाइडर्स बिल्कुल नहीं रह सकते, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं । लेकिन उनका जो परसेंटेज 50 तक था उसकी जगह 25 परसेंट तक रेकमेंडेशन की गई है और जो 'वन यूनियन इन वन इंडस्ट्री' की बात है यह तो एक आइडिया बहुत अच्छा है । लेकिन इसके लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता है । आज ट्रेड यूनियन्स के अन्दर यूनिटी नहीं है । सात आदमी कोई भी यूनियन बना सकते हैं, ऐसी हालत आज है

और ऐसा वातावरण है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इस बारे में उन लोगों की जिम्मेदारी होती है। इंडस्ट्रियल पीस को मेन्टेन करने के लिए और इसके लिए सभी लेबर मिनिस्टर्स ने एश्योरेंस दिया है कि बहुत जल्दी इस मसले को हल करेंगे।

श्री नारायण चौबे : मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इंडस्ट्रीज में इंटर-यूनियन राइवलरीज की वजह से बहुत सारे झगड़े वगैरह होते हैं जिसमें स्ट्राइक, लॉक-आउट वगैरह हो जाते हैं। हम लोगों को यह जानकारी है कि इंटर-यूनियन राइवलरी कराने में मालिकों का बहुत सारा हाथ रहता है·····(व्यवधान)·····हमारा तो रहता ही है थोड़ा-थोड़ा, लेकिन आप लोगों का ज्यादा रहता है। आइ०टी०यू०सी० की तरफ से और लेफ्टिस्ट आर्गनाइजेशंस की तरफ से बार-बार यह मांग की गई कि किस फैक्ट्री में कौन यूनियन चलेगी उसकी बैलट के जरिए से जांच कराई जाय। इस बात को मानने के लिए मिनिस्टर साहब तैयार हैं क्या ?

श्री टी० अंजैय्या : सीक्रेट बैलेट के बारे में आप जानते हैं काफी चर्चा हुई है। बहुत से लोगों ने काफी सजेशंस दिए हैं। चेक आफ सिस्टम के लिए भी हो सकता है। और सीक्रेट बैलेट के बारे में अभी तक लेबर मिनिस्टर्स की कोई एक मुत्तफिक ओपिनियन, यूनानिमिटी नहीं आई है। उसके लिए कोशिश की जा सकती है। मगर इस बारे में ट्रेड यूनियन के अन्दर सीक्रेट बैलेट करने के बारे में अभी कोई फैसला करने का विचार गवर्नमेंट के सामने नहीं है।

श्री के० मलन्ना : विवरण से यह पता चलता है कि औद्योगिक विवादों में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। इस वर्ष 1977 में उनकी संख्या 3117 थी, 1978 में यह संख्या 3187 थी और 1979 में यह 3068 हो गई। यह आंकड़े अस्थायी हैं। इस सन्दर्भ में मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि वह इन विवादों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठा रहे हैं।

श्री टी० अंजय्या : वेज-पालिसी के बारे में ज्यादातर हम सोच रहे हैं क्योंकि जो झगड़े आते हैं वे अधिकतर झगड़े वेजेस के बारे में होते हैं और दूसरे इंडिविजुअल झगड़े बहुत हैं। किसी को सस्पेंड किया गया या कोई रिट्रेन्चमेंट हुआ तो उसके सिलसिले में बहुत ही प्राबलम आती हैं। मैं समझता हूं कि जो नये लेबर, लॉज बनाये जायेंगे उनके अन्दर ये डिस्प्यूट्स कम हो जायेंगे।

श्रमिक संघों को मान्यता देना

* 681. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक संबंध विधेयक की पुनः स्थापना किये जाने तक किसी श्रमिक संघ विशेष के प्रतिनिधिक स्वरूप को गुप्त मतदान द्वारा जानकर उसे मान्यता देने की पद्धति लागू करेगी और यह कार्य रेलवे, रक्षा, डाक-तार आदि जैसे सरकारी विभागों सेआरम्भ किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों और फेडरेशनों के प्रतिनिधियों के साथ इस बारे में कोई प्रारंभिक विचार-विमर्श किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : (क) और (ख) : यूनियनों की मान्यता से संबंधित विभिन्न मामलों जैसे कि चैकआप सिस्टम या गुप्त मतदान द्वारा सत्यापन के माध्यम से सदस्यता को सुनिश्चित करने और मान्यता हेतु मापदण्ड के लिए अपनाई गई

प्रक्रिया के बारे में ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। इन मामलों के बारे में श्रम मंत्रियों की स्थायी समिति में और आगे विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं इस सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों और महासंघों के विचारों के अतिरिक्त क्या सरकार यह अनुभव करती है कि क्या प्रबन्धकों तथा सरकार के विभागों की तथा श्रमिक वर्ग की सौदेबाजी और अधिकार की दृष्टि से यह बेहतर होगा कि सरकार के प्रत्येक विभाग और प्रत्येक उद्योग में एक ही श्रमिक संघ हो—एक उद्योग एक यूनियन होनी चाहिये ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को यह सिद्धान्त स्वीकार्य है ? यदि मुझे इसका उत्तर मिलता है मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।

श्री टी० अंजय्या : एक इण्डस्ट्री में एक यूनियन रहने के सिद्धान्त पर ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स हैं उनका फैसला नहीं हुआ है। परसों हमने लेबर मिनिस्टर कांफ्रेन्स में बातचीत की थी···(व्यवधान)···इसमें गवर्नमेन्ट के करने का सवाल नहीं है; ट्रेड यूनियन लीडर्स का बैठकर आपस में फैसले पर आना अच्छा है। इस सम्बन्ध में फंडामेण्टल राइट्स, कांस्टीट्यूशन—सभी चीजें आती हैं। यूनियन बनाने का अधिकार सबको मिला हुआ है। इसलिए किसी कानून के जरिए से हम इसको नहीं कर सकते हैं। पहले कांस्टीट्यूशन में अमेन्डमेन्ट किया जाए···(व्यवधान)···आपस में मिलकर एक यूनियन बनाने के लिए हम एन्करेज कर रहे हैं लेकिन यह सारी दिक्कतें आपके सामने हैं। ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार लोगों को मिला हुआ है जिसका वे फ़ायदा उठा रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं यह पूछना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर जो माननीय मन्त्री ने दिया है, उसमें एक कमी है। इस सम्बन्ध में वास्तव में तथा स्पष्ट रूप से कुछ सांवैधानिक कठिनाई है किन्तु केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों तथा महासंघों के साथ बातचीत के द्वारा और उनकी सहमति से उसे दूर किया जा सकता है और उनकी सहमति से किसी प्रक्रिया का विकास किया जा सकता है। यदि आपने इन सब से इस विषय पर बातचीत कर ली है तो लगभग सभी केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठन सिद्धान्त रूप से 'एक उद्योग में एक श्रमिक संघ' के लिये बचनबद्ध हैं। किन्तु अन्तर उसके कार्यान्वयन के तरीके में है। अतः 'एक उद्योग में एक श्रमिक संघ' तथा प्रत्येक सरकारी विभाग में (जैसे रेलवे, पी० एण्ड टी० और रक्षा मन्त्रालय) एक श्रमिक संघ का सिद्धांत मौजूद है। अतः इस दृष्टि से उनके साथ की गई बातचीत के पश्चात् क्या प्रगति हुई है ? क्या आप एक उद्योग में एक श्रमिक संघ बनाने के कहीं पास पहुंचे हैं अथवा आप अनेक श्रमिक संघ बनाने की तरफ रहे हैं ? यह मेरा प्रश्न है।

श्री टी० अंजय्या : वह तो आपके जमाने में हुआ है।

प्रो० मधु दण्डवते : चूंकि उन्होंने मेरा उल्लेख किया है अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सूत्र का विकास कर चुके हैं कि "एक विभाग में एक ही यूनियन" हो।

श्री टी. अंजय्या : दण्डवते जी, आप जानते हैं कि रेलवे में कितनी यूनियन बनी हैं, कितनी बनाई जा रही हैं और कितनी सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन बन रही हैं। यह सारी बातें आप जानते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी, लेकिन कांस्टीट्यूशनल अमेन्डमेन्ट करना होगा। अगर कांस्टीट्यूशन में अमेन्डमेन्ट होता है, तभी यह चीज होती है। वैसे तो हर आदमी चाहता है वन इण्डस्ट्री वन यूनियन, हर लीडर यही स्लोगन देता है—दुनिया के मजदूर एक हैं, लेकिन बाद में लड़ते हैं। आपके जो सजेस्चन्स हैं उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और एक न एक दिन वह

समय ज़रूर आयेगा। अभी जो मजदूरों की यूनियन्स हैं वह पोलिटिकली एफ़ीलिएटेड हैं। पोलिटिकल बेसिज़ पर ट्रेड यूनियन चल रही हैं। चाहे आई०एन०टी०यू०सी० हो, चाहे ए०आई० टी०यू०सी० हो, पोलिटिकल पार्टीज़ का इनके ऊपर डोमिनेशन है, इसलिए वन-यूनियन और वन-इन्डस्ट्री को बनाना इस वक्त···

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैंने जो स्पष्ट प्रश्न उठाया है, वह उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा से वही प्रश्न पुनः पूछता हूँ। मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि क्या आपने अपनी चर्चा के दौरान इस प्रकार का प्रभाव छोड़ा कि साधारणतया सभी केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठन 'एक उद्योग में एक श्रमिक संघ' के लिए वचनबद्ध हैं और इसे बैलट के माध्यम से किया जाना होगा ? इस समस्या को सुलझाने में मतभेद हो सकते हैं अथवा इसके पीछे कोई अन्य मंशा हो सकती है किन्तु सिद्धान्त रूप से सहमति हो गई है।

श्री टी० अंजय्या : कमिटमेंट भी है, वायलेशन भी है, दोनों हैं। दो बातें बोलने से तो अच्छा है कि यह कहा जाए कि आइडियोलाजी की बात ठीक है। मगर प्रैक्टिकल जो होता है, वह मैंने आपके सामने रख दिया है।

श्री आर० के० महालगी : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जब गोपनीय मतपत्र से सदस्यता के प्रश्न का पता लगाने के प्रश्न को सरकार के पास भेजा गया है तो निर्णय लेने में क्या कठिनाईयां हैं ? क्या आप इस सम्बन्ध में यूनियनों के साथ बातचीत को लम्बे समय तक जारी रखना चाहते हैं ?

श्री टी. अंजय्या : आन्ध्र प्रदेश में सिक्रेट बैलट सिस्टम चल रहा है। वहां की ट्रेड-यूनियन्स के लोगों ने भी मान लिया है। वहां की ऐसम्बली ने उसको पास किया है, कैबिनेट ने भी पास किया है, लेकिन उसमें दिक्कतें हैं। यहां सैन्ट्रेल ट्रेड यूनियन के बारे में सभी लोग कहते हैं कि सिक्रेट बैलेट होना चाहिए, मगर किसी का सजैशन नहीं आया है। वैस्ट बंगाल सरकार या केरल सरकार या और किसी सरकार की तरफ से जो प्रपोज़ल आती हैं, उनमें कई डिफ़ी-कल्टीज हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पोलिटिकल बेसिस पर ट्रेड यूनियन्स चल रही हैं। हम बहुत सी दिक्कतों को महसूस कर रहे हैं और जहां तक हो सके इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि इनको एक प्लेटफ़ॉर्म पर लाया जाए। जहां तक हो सकेगा ट्रेडयूनियन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट लाने की पूरी कोशिश की जाएगी।

श्री आर०के० महालगी : स्टेंडिंग कमेटी ऑफ दी लेबर मिनिस्ट्री क्या करने वाली है ?

श्री टी० अंजय्या : स्टेंडिंग कमेटी क्या करने वाली है, वह कोई जबरदस्ती बुलाकर शादी करने वाली नहीं है। यदि आप लोग एक कमरे में घुस जायें, तो वह तो होने वाला नहीं है। जैसा मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि यह तमाम पोलिटिकल बेसिस यूनियन्स हैं, इससे हम इन्कार नहीं कर सकते हैं।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री श्री रवीन्द्र वर्मा के नेतृत्व में भूतपूर्व सरकार द्वारा लाये गये औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक का क्या हुआ ? उस विधेयक की स्थिति क्या है ?

श्री टी० अंजय्या : वह तो लंका-दहन हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आपात काल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कुछ यूनियनों की मान्यता समाप्त कर दी गई थी। गोपनीय मतपत्र से यूनियनों के निर्माण सम्बन्धी सरकार के निर्णय के होते हुए मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार सरकारी क्षेत्र

के उपक्रमों की प्रमुख यूनियनों को मान्यता प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार सरकारी उपक्रमों को उचित निर्देश भी जारी करेगी कि आपातकाल में राजनीतिक सम्बन्धों के कारण जिन यूनियनों की मान्यता समाप्त कर दी गई थी, उन्हें पुनः मान्यता दी जाये ?

श्री टी० अंजय्या : इमर्जेंसी की बातें जो आपने कही हैं, मैं समझता हूँ कि जनता पार्टी के काल्यूजन से जो यूनियन डी-रिकागनाइज हो गया है, आप मुझे बतला दें। अगर किसी मालिक या गवर्नमेंट की तरफ से डी-रिकागनाइज हो गया है, जो अनकांस्टीचूशनल है, तो उसको रिकग-नाइज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे।

औषधियों के ब्रांड और जातीय नामों के बारे में विवाद

*683 **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों के ब्रांड और जातीय नामों के बारे में विवाद बढ़ता जा रहा है और सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए नियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है कि औषध-लेबलों पर ब्रांड नामों की अपेक्षा जातीय नामों को अधिक स्पष्ट ढंग से छापा जाय;

(ख) क्या इंडियन ड्रग्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सरकार के प्रस्ताव पर बड़ी नाराजगी व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार का औषधि एवं प्रसाधन सामग्री संबंधी नियमों को संशोधित करने का विचार है ताकि दवा का वास्तविक नाम उसके व्यापारिक नाम यदि कोई हो, की अपेक्षा अधिक स्पष्ट ढंग से छापा या लिखा जा सके और यह व्यापारिक नाम वास्तविक नाम के फौरन बाद अथवा नीचे लिखा जाएगा। यह प्रस्ताव औषधि एवं फार्मास्यूटिकल उद्योग संबंधी समिति (हाथी समिति) की सिफारिशों के अनुसरण में किया गया है जिसने दवाओं के ब्राण्ड नामों के स्थान पर उनके मूल नामों को लिखने के बारे में गहराई से जांच की थी। समिति ने यह सिफारिश की थी कि ब्रांड नामों को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह उपभोक्ताओं के हित में तथा राष्ट्र के आम हित में, चिकित्सा की युक्तिसंगम प्रैक्टिस के लिए एक सही दिशा में कदम होगा।

भारतीय औषध निर्माता संघ ने प्रस्तावित संशोधन का विराध किया है क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनके प्रतिष्ठित उन व्यापारिक नामों का महत्त्व कम हो जाएगा जिनसे ये उद्योग लाभ उठा रहे हैं।

श्री चिन्तामणि जेना : हाथी समिति का प्रतिवेदन और इसकी सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् भारतीय औषध उत्पादन संघ की ओर से सिफारिशों को क्रियान्वित करने के संबंध में काफी रोष प्रकट किया गया। सरकार को जनता तथा उपभोक्ताओं के हितों को देखना है। इन सिफारिशों के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : इस उद्देश्य के लिए औषध तथा प्रसाधन नियमों के खण्ड 1, नियम 96 में संशोधन करने के लिए विधि मंत्रालय के परामर्श से एक प्रारूप तैयार किया गया है और उसे औषध सलाहकार समिति के समक्ष उसकी अगली बैठक में रखा जाएगा। अतः यह सब विचाराधीन है।

श्री चिन्तामणि जेना : क्या सरकार हाथी समिति के प्रतिवेदन को लागू करने जा रही है या नहीं ? मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए।

श्री निहार रंजन लास्कर : सिद्धान्त रूप में हम हाथी समिति की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार करते हैं परन्तु जैसा मैंने कहा है ये अभी विचाराधीन हैं।

श्री के० मालन्ना : हाथी समिति ने ब्रांड नामों को जातीय नामों में बदलने तथा धीरे-धीरे ब्रांड नामों को समाप्त करने की सिफारिश की है। सरकार ने इस सिफारिश के सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए हैं और उपभोक्ता इससे किस प्रकार लाभान्वित हुए हैं ?

श्री निहार रंजन लास्कर : मैंने जैसा कहा है संशोधन-प्रारूप बना लिया गया है और परिचालित कर दिया गया है। यह विचाराधीन है। इस संशोधन का उद्देश्य उचित जातीय नामों को व्यापारिक नामों, जो कि ब्रांड नाम होते हैं, की तुलना में अधिक महत्त्व देना है। औषध उद्योग में ब्रांड नामों के बल पर बिक्री अत्यधिक बढ़ाई जा रही है, परिणामस्वरूप ऐसी औषध-फर्मों का, जिनके पास अपेक्षाकृत अधिक स्रोत हैं बाज़ार में प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है।

श्री के० मालन्ना : सरकार ने हाथी समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ? इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैंने बताया है कि यह अभी विचाराधीन है।

डा० वसन्त कुमार पंडित : ब्रांड नाम भी प्रत्येक जातीय औषध के विभिन्न निर्माणों से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए 'ब्रो-वैलकम' द्वारा निर्मित स्ट्रेप्टोमाइसिन किसी अन्य कम्पनी द्वारा निर्मित स्ट्रेप्टोमाइसिन से भिन्न है। इन निर्माणों में कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो प्रतिक्रिया या आक्षोभ को नियन्त्रित करते हैं, अतः जैसा कि आपने कहा है ब्रांड नाम केवल विपणन नाम नहीं होते और इससे उनकी बिक्री कम हो सकती है। इसका औषधं-उद्योग क्या विरोध कर रहा है ? आपने तो केवल अपनी राय दी है कि उससे उनकी बिक्री कम हो सकती है।

श्री निहार रंजन लास्कर : हमें उनसे आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और हम उनकी जांच कर रहे हैं। हमने अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिया है।

श्री निरेन घोष : क्या यह सच है कि बहु-राष्ट्रिक औषध-कम्पनियाँ अन्य कम्पनियों द्वारा अपने उत्पादों का निर्माण करा कर अपने ब्रांडों के नाम से उन्हें बेच देती हैं, उदाहरण के लिए 'ड्यूमेक्स एण्ड बेयर्स' ऐसा ही करती है तथा इन्हें ऊँची कीमतों पर बेचती है ? क्या सरकार इस कदाचार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : जैसा कि मैंने कहा है, इन सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

पैदल चलने वाले (बेयर फुट) स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा चिकित्सकों की नियुक्ति की योजना

* 684 **श्री नवीन रवाणी :**

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री द्वारा गांव-गांव में पैदल चलने वाले स्वास्थ्य-कार्यकर्ताओं तथा चिकित्सकों की नियुक्ति की जो योजना चलाई गई थी वह इस समय किस स्थिति में है;

(ख) उस योजना तथा अन्य दूसरी योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों की स्वास्थ्य की देख रेख के लिए गांवों में कितने चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भेजा गया है; और

(ग) ग्रामीण जनता में प्रत्येक एक हजार व्यक्तियों के लिए कितने चिकित्सक हैं और छठी योजना में इसका क्या लक्ष्य रखा गया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क), (ख) और (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) "बेयरफुट" स्वास्थ्य-कार्यकर्ताओं की कोई योजना नहीं है। सम्भवतया इसका आशय 'जन स्वास्थ्य रक्षक योजना' से है जो इस समय देश के 2,421 प्राथमिक केन्द्रों में चलाई जा रही है।

(ख) जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अधीन इस योजना के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 869 अतिरिक्त डाक्टरों को नियुक्त किया गया है (यह संख्या प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पहले से पदासीन दो डाक्टरों के अतिरिक्त है); दूसरे, 1,45,139 जन-स्वास्थ्य रक्षक भी, जो विधिवत प्रशिक्षित हैं, गांव में काम कर रहे हैं। इनके साथ-साथ, लगभग 86,000 स्वास्थ्य-कार्यकर्ता (पुरुष) और लगभग 49,000 स्वास्थ्य-कार्यकर्ता (महिला) भी ग्रामीण क्षेत्रों में वहां की आबादी को स्वास्थ्य-परिचर्या की सेवायें प्रदान करने के लिये काम कर रहे हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 3,632 जनसंख्या के पीछे औसतन एक एलोपैथिक डाक्टर है। इनके अतिरिक्त, देश में विभिन्न भारतीय चिकित्सा-पद्धतियों और होम्योपैथीक के लगभग 3,70,000 रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं। इस समय जनसंख्या के आधार पर डाक्टरों की नियुक्ति के लिये छठी योजना में कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है।

श्री नवीन रवाणी : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि 'जन स्वास्थ्य रक्षक योजना' ग्रामीण लोगों के लिए किस प्रकार लाभपूर्ण रही है तथा क्या इस योजना को भविष्य में भी चलाया जाएगा ? वर्ष 1977 से 1980 तक राज्यवार प्रति वर्ष कितना व्यय किया गया है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : यदि माननीय सदस्य यह सब विवरण चाहते हैं तो मैं इसे सभा-पटल पर रख सकता हूँ।

श्री नवीन रवाणी : मेरा विशेष प्रश्न यह है, क्या इस योजना को भविष्य में भी जारी रखा जाएगा तथा क्या यह योजना ग्रामीणों के लिए लाभकारी है या नहीं ?

श्री निहार रंजन लास्कर : यह एक राय है। यदि हम इसे ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने का यह एक तरीका है।

श्री नवीन रवाणी : क्या इस योजना को भविष्य में चलाया जाएगा ? यह भी एक प्रश्न है। 1000 की आबादी वाले ग्रामों में निर्धन लोगों तक इसे ले जाने हेतु प्रशिक्षित चिकित्सा-सेवा हेतु क्या योजनाएँ और कार्यक्रम है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : जैसा कि प्रमुख उत्तर में कहा गया है कि 'बेयरफुट

डाक्टर' नाम की कोई योजना नहीं है, इस प्रकार का कुछ नहीं है। 'जन स्वास्थ्य रक्षक योजना' है। संभवतया मेरे मित्र का अर्थ उसी से है परन्तु उन्हें इसे गलती से 'बेयरफुट डाक्टर' की योजना नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार का कुछ नहीं है, इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। अब योजना में इस प्रकार संशोधन कर दिया गया है कि यह अब राज्य और केन्द्र के बीच 50 : 50 अनुपात में चल रही है। पहले यह शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना थी। वर्ष 1978-79 से राज्यों को 50 प्रतिशत खर्च वहन करना पड़ रहा है। परन्तु कुछ राज्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। हरियाणा, राजस्थान और बिहार जैसे कुछ राज्य हैं, जो सहमत नहीं हो रहे हैं। पंजाब ने इसे समाप्त कर दिया है। कर्नाटक धीरे चल रहा है। तमिलनाडु, जम्मू और काश्मीर, केरल, अरुणाचल प्रदेश के पास अपनी वैकल्पिक योजनाएं हैं। अत: प्रत्येक राज्य अपनी ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की जांच कर रहा है ताकि यह आम ग्रामीण लोगों तक पहुँच सके।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या माननीय मंत्री हमें कृपया बताएंगे कि क्या उन्हें जानकारी है कि चीन में 'बेयरफुट डाक्टरों' ने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है ?···(व्यवधान) वे कितने प्रसन्न हैं !

(व्यवधान) मुझे प्रसन्नता है कि वे खुश हैं। क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि परा-चिकित्सीय स्टाफ को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है और उसमें से अब तक कितने का उपयोग हो चुका है तथा देश में पशु-चिकित्सीय प्रशिक्षण प्रदान करने वाली कितनी संस्थाएं हैं जो 'बेयरफुट डाक्टर' बनाएंगी ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य को चीन की ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के कार्यचालन का अपेक्षाकृत अच्छा ज्ञान है। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी हाँ, श्रीमान्, मुझे है।

श्री बी० शंकरानन्द : चीन के 'बेयरफुट डाक्टर' भारत में नहीं हैं और हमारे अपने 'बेयरफुट डाक्टर' नहीं हैं। जैसा मैंने पहले कहा है, हमारे यहां जन स्वास्थ्य रक्षक योजना है और इसके कार्यचालन पर निगाह रखी जा रही है और संतोषजनक पाए जाने पर, हम इसे चलाए रखना पसन्द करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और उसमें से कितनी राशि का उपयोग कर लिया गया है तथा परा-चिकित्सीय स्टाफ को कितनी संस्थाएं शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं ? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : वह नया प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : मुझे नोटिस चाहिए। हमें एक पृथक नोटिस चाहिए। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हें नोटिस क्यों चाहिए ? क्या आप अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करेंगे ? करापि नहीं। अत: इस सत्र में मैं प्रश्न नहीं दे सकता। अत: यह 'बेयरफुट डाक्टर' नहीं हैं। मंत्री महोदय, तैयारी करके नहीं आए। अत: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : 'बेयरफुट डाक्टर' की हमारी कोई योजना नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने परा-चिकित्सीय स्टाफ तथा धन के आबंटन के विषय में पूछा है। कितना खर्च किया जा चुका है तथा कितनी संस्थाएं कार्य कर रही हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : इसकी स्थापना के प्रथम दो वर्षों 1977-78 और 1978-79 में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना केन्द्रीय योजना थी तथा इस पर हुआ शत-प्रतिशत खर्च भारत सरकार द्वारा राज्यों को दिया जाता था। फिर, वर्ष 1979-80 में यह निर्णय लिया गया कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं की भांति जन-स्वास्थ्य रक्षक योजना भी केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त योजना हो जाएगी। इसके अनुसार जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के कार्यान्वयन पर खर्च की गई 50 प्रतिशत राशि का भार राज्य सरकारें उठाएंगी तथा भारत सरकार केवल 50 प्रतिशत राशि उन्हें देगी। यद्यपि भारत सरकार ने 2 अक्तूबर, 1979 से 1275 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना लागू करने की स्वीकृति दी परन्तु हरियाणा, राजस्थान और बिहार वित्तीय कठिनाइयों की वजह से इस योजना को अन्य क्षेत्रों में लागू करने के लिए सहमत नहीं हुए। इन्हीं कारणों से पंजाब ने यह योजना समाप्त कर दी है तथा कर्नाटक ने भी धीरे चलने का निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप यद्यपि 1275 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में योजना लागू करने की स्वीकृति मिली थी, परन्तु इसे केवल 688 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लागू किया जा सका। अतः जन स्वास्थ्य रक्षक योजना केवल 2386 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चल रही है जो कि देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का लगभग 44 प्रतिशत है। इस सबके अतिरिक्त तमिलनाडु, केरल, जम्मू और काश्मीर वैकल्पिक योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश भी वैकल्पिक योजना कार्यान्वित कर रहा है। जहां तक वितीय व्यवस्था तथा 1977-78 में व्यय.....।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब उत्तर में रुचि नहीं रखते; वे उत्तर सुनने के लिए गम्भीर प्रतीत नहीं होते।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्ष महोदय, क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि जब इस स्कीम को लागू किया गया था उस समय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में एक अर्द्धसैनिक संस्था के कार्यकर्त्ताओं, को जिन्हें स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, भारी संख्या में इस स्कीम के तहत नौकरियों में लिया गया और इस तरह से इस स्कीम को सेबोटेज किया गया ? इस तरह से इस स्कीम के तहत कोई मकसद पूरा नहीं हुआ। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बी० शंकरानन्द : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अगर इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री बी० शंकरानन्द : सरकार उन मामलों में उचित कार्यवाही करेगी।

डा० कर्ण सिंह : प्रश्न में उल्लिखित योजना दरअसल वही है जिसे मैंने बनाया था, यह उसी का उल्लेख किया गया है। माननीय मंत्री ने जनरक्षकों के संबंध में उत्तर दिया है। एम.बी.बी.एस. तथा ग्रामीण जनता के बीच जिन परा-चिकित्सीय रक्षकों की परिकल्पना की गई थी वे जन स्वास्थ्य रक्षक और स्वास्थ्य सहायक थे, जिनके लिए अठारह महीने का विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया गया था ताकि वे जनस्वास्थ्य रक्षकों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एम.बी.बी.एस. डाक्टरों के बीच रहें। क्या माननीय मंत्री महोदय सभा को बताएंगे कि एम.बी.बी.एस. डाक्टरों तथा जन स्वास्थ्य रक्षकों के बीच की दूसरी कड़ी के संबंध में क्या हुआ क्योंकि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के लिए यह तीन कड़ियों में एक थी ?

श्री बी० शंकरानन्द : जनता शासन के दौरान यह तीन कड़ी वाली योजना बिल्कुल कृत्रिम आधार पर बनाई गई थी। इसमें मूल स्वास्थ्य अवस्था पर कार्य करने वाले सबसे छोटे कार्यकर्त्ता के लिए योग्यता केवल छठी क्लास निर्धारित की गई थी। क्या सभा के विचार में एक व्यक्ति, जिसने केवल छटी कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की है, स्वास्थ्य योजना को गरीब लोगों तक ले जा सकता है ? पूरी योजना उचित ढंग से तैयार नहीं की गई थी और सरकार इस योजना का पुनरीक्षण करेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बरेली और मुरादाबाद के बीच दोहरी लाइन

*676. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बरेली और मुरादाबाद के बीच दोहरी लाइन बिछाने की किसी योजना पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : प्रत्याशित यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाइन-क्षमता की जरूरतों का अनुमान लगाने के उद्देश्य से इस खंड पर दोहरी लाइन बिछाने के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण करवाने का निश्चय किया गया है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने, परियोजना रिपोर्ट की जांच कर लिए जाने और रेल मंत्रालय द्वारा उसका मूल्यांकन कर लिए जाने के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा।

दिल्ली में कुत्तों के काटने से होने वाले रोग के टीकों की कमी

*677. **डा. सरदीश राय** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली के अस्पतालों में कुत्तों के काटे हुए अनेक रोगी जाते हैं और वहां इस रोग के अपने देश में बने टीकों की कमी होने के कारण बहुतों को परेशानी तथा तरह-तरह की आशंका होती है; और

(ख) इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सरकार को दिल्ली में कुत्तों के काटे हुए अनेक रोगियों के बारे में मिल रही रिपोर्ट की जानकारी है। परन्तु चालू वर्ष के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में अलर्क-रोधी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है।

(ख) इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :—

(1) पालतू कुत्तों को अलर्क-रोधी वैक्सीन का टीका लगाना,

(2) आवारा कुत्तों को मार डालना, और

(3) पागल अथवा पागल होने की आशंका वाले कुत्तों के काटे हुए व्यक्तियों का उपचार करना।

हैदराबाद-महानगर क्षेत्र में रेल यातायात की सुविधा

*678. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद-महानगर क्षेत्र में रेल यातायात की सुविधा उपलब्ध करने के लिए वहां कोई यातायात एवं इंजिनियरी सर्वेक्षण किया गया था,

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण-मध्य रेल-प्राधिकारियों ने उसे सरकार को भेजा था, और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि संसाधनों की कमी को देखते हुए रिपोर्ट में शामिल प्रस्तावों के लिए अब इस अवस्था में किसी प्रकार की निश्चित वचन-बद्धता करना सम्भव नहीं है।

प्रयुक्त हो रहे 1955 से पहले के भाप के इंजन

*680. **श्री के० प्रधानी** : क्या **रेल मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन भाप के इंजनों का प्रयोग वर्ष 1955 से पहिले आरम्भ किया गया था और जो अभी भी प्रयोग में हैं, उनका ब्यौरा क्या है, और

(ख) इन इंजनों में क्या परिवर्तन किए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 3403 भाप रेल इंजन (2006 बड़ी लाइन, 1118 मीटर लाइन और 279 छोटी लाइन) के भाप रेल इंजन, जिन्हें 1955 से पूर्व लाइन पर चलाया गया था, अभी तक भारतीय रेलों पर काम कर रहे हैं।

(ख) विशिष्ट परिचालनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनमें से कुछ रेल-इंजनों में ढांचे तथा अभिकल्प संबंधी परिवर्तन किये गये हैं। इसके अलावा, आवधिक निवारक अनुसूचियों के समय उन सभी पुर्जों को बदल दिया जाता है जो अपना उपयोगी समय समाप्त कर चुके होते हैं।

दिल्ली में नये अस्पतालों का खोला जाना

*682. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए सरकार का विचार निकट भविष्य में दिल्ली में नये अस्पताल खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित दो नये अस्पतालों के निर्माण का काम चल रहा है :—

(1) एक 500 पलंगों वाला अस्पताल शाहदरा में;

(2) एक 500 पलंगों वाला अस्पताल हरी नगर में ।

इनके अलावा, दिल्ली प्रशासन का भी विचार है कि ग्रामीण क्षेत्रों और पुनर्वास बस्तियों में सौ-सौ पलंगों वाले सात अस्पताल खोले जायें ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

मारमुगाओ पत्तन की गाद निकालना

*685. **श्रीमती संयोगिता राणे :**

श्री मनफूलसिंह चौधरी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारपुगाओ पत्तन की गाद निकालने की फिलहाल क्या व्यवस्था है,

(ख) पिछली बार इसकी सफाई कब की गयी थी और क्या यह पूरी तरह इस योग्य है कि वहां बड़े समुद्री जहाज आ सकें,

(ग) क्या पत्तन में निर्बाध और कुशल घाट व्यवस्था के लिए एवं जहाजों के आने के लिए और अधिक ड्रेजर खरीदने का विचार है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) इस समय इस पत्तन के पास तीन ड्रेजर—एस० डी० 'माण्डवी II, एस०डी० 'जुआरी' और जी०डी० 'साल' है । माण्डवी II का चालन भारतीय निकर्षण निगम के अधिकारियों और मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट के कर्मीदल द्वारा किया जा रहा है और यह दिन-रात काम में लगा हुआ है । एस०डी० 'जुआरी' का चालन सिर्फ मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट के कर्मीदल द्वारा किया जा रहा है और यह एक दिन में सिर्फ बारह घंटे काम कर रहा है । जी० डी० साल का सिर्फ मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों द्वारा उपयोग हो रहा है और यह एक दिन में सिर्फ बारह घंटे काम कर रहा है ।

(ख) समुद्र-तल का निकर्षण कर उसकी गहराई को बनाये रखने का काम लगातार होने वाली प्रक्रिया है और समुद्र-तल को पर्याप्त गहरा रखना पड़ता है जिससे कि महासागर में चलने वाले विशाल जहाज यहां आ सकें ।

(ग) अतिरिक्त ड्रेजर प्राप्त करने के बारे में अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) लागू नहीं होता ।

देश में कुष्ठ रोगी

*686. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1980 को देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या अनुमानतः कितनी थी ;

(ख) कुष्ठ रोगियों की पिछली गणना कब की गई थी ;

(ग) देश में कितने कुष्ठ रोगीघर और सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं जहां कुष्ठ रोगियों का उपचार किया जाता है ;

(घ) क्या सरकार का ध्यान जर्मन कुष्ठ रोगी सहायता संगठन द्वारा हाल ही में किये गए सर्वेक्षण और उसके निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है; और

(ङ) सरकार अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान देश में बढ़ती हुई कुष्ठ रोग समस्या पर क्या विशेष ध्यान देगी ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 31 मई, 1980 को देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी थी, इसकी सही-सही जानकारी नहीं है। 1971 की जनगणना तथा उस समय उपलब्ध महामारी रोग विज्ञान सम्बन्धी सूचना के अनुसार कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या 32 लाख थी।

(ख) देश में अब तक कुष्ठ रोगियों की कोई जनगणना नहीं की गई।

(ग) देश में काम कर रहे कुष्ठ ग्रहों की सही-सही संख्या ज्ञात नहीं है। सामान्यतया ये कुष्ठ ग्रह उपचार-केन्द्र नहीं होते बल्कि ये बस्तियां होती हैं जहां कुष्ठ रोगी तथा उनके परिवार रहते हैं। देश में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं की कुल संख्या 60 है और उनके द्वारा उपचार किये गये कुष्ठ रोगियों की कुल संख्या लगभग 2 लाख है।

(घ) 1977 में जर्मन लेप्रोसी रिलीफ एसोसियेशन ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पलामनूर तालुक का एक सामूहिक सर्वेक्षण किया था और 1979 में इस तालुक का दोबारा सर्वेक्षण किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि कुष्ठ रोग के फैलने की दर एक पंचायत से दूसरी में भिन्न-भिन्न थी जो 2·6 प्रति हजार से लेकर 68·9 प्रति हजार तक थी। तथापि दो गांवों में इस रोग की 140 प्रति हजार की ऊंची दर पाई गई।

(ङ) कुष्ठ रोगियों की कुरूपताओं का शल्य क्रिया द्वारा ठीक करने और ऐसे कुरूप रोगियों को जिनकी बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया हो, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए 1981 के दौरान देश में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 पुनर्वास यूनिट खोलने का विचार है ताकि ये अपने सामाजिक परिवेश में अपने-आप को फिर से बसाने के योग्य बन सकें।

इसके अतिरिक्त कुष्ठ रोगियों का प्रारम्भ में पता लगाने तथा उनका उपचार करने के कार्य को तेज किया किया जा रहा है और जहां कहीं आवश्यक होगा वहां निवार्य कुरूपताओं को रोकने के लिये बहु-औषध पद्धति अपनाई जायेगी।

मजदूर संघों के नेताओं के साथ बैठक

*687. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्री छोटू भाई गामित : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 30 जून, 1980 को विभिन्न मजदूर संघों के नेताओं के साथ बैठक की थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में चर्चित मामलों की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) बैठक में किन मामलों पर सहमति हुई ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : (क) : जी हां।

(ख) और (ग) : कोई विशिष्ट कार्यसूची नहीं थी। यह बैठक प्रबन्ध में श्रमिकों के सहभाजन, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, श्रम कानूनों में परिवर्तन और नियोजन तथा

प्रशिक्षण (विशेषकर महिला श्रमिक तथा विकलांग के) सहित श्रम-प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्न मामलों पर श्रमिक संघ नेताओं के विचार जानने के लिए आयोजित की गई थी। एक विवरण सदन की मेज पर रखा गया है जिसमें बैठक में व्यक्त किए गये विचारों का सार दिया गया है।

विवरण

30 जून, 1980 को श्रम मंत्री के साथ हुई बैठक में श्रमिक संघ नेताओं द्वारा व्यक्त किए गये विचारों का सार।

श्रमिक संघों के साथ परामर्श :

कुछ श्रमिक संघ नेता चाहते थे कि विचार-विमर्श केवल उन्हीं केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों तक सीमित रखा जाए जिनकी न्यूनतम सदस्यता 5,00,000 हो तथा जो चार राज्यों और चार उद्योगों में फैली हुई हो। अन्य चाहते थे कि विचार-विमर्श व्यापक आधार पर होने चाहियें और इनमें सभी केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठन शामिल होने चाहियें। कुछ चाहते थे कि रेलवे, डाक और तार, पत्तन और गोदियों, तथा बैंकिंग एवं बीमा उद्योगों के संघों के प्रतिनिधियों से भी परामर्श किया जाना चाहिए।

श्रमिकों के विशिष्ट पहलुओं संबंधी त्रिपक्षीय कार्यकारी दल

कई नेताओं ने महसूस किया कि कार्यकारी दल बनाने आवश्यक नहीं हैं और सरकार द्वारा सरकार के पास पहले से उपलब्ध सिफारिशों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। तथापि, यह सुझाव दिया गया था कि महिलाओं के नियोजन, विकलांगों के नियोजन तथा विभिन्न सुरक्षा तथा स्वास्थ्य उपायों का कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए स्थायी समितियां गठित की जानी चाहियें।

मजदूरी

श्रमिक संघ नेताओं ने आग्रह किया कि वास्तविक मजदूरी का अवश्य ही संरक्षण करना चाहिए तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्वाह-लागत में वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी को नियमित अन्तरालों पर संशोधित किया जाना चाहिए।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सम्बन्धी रथ समिति की सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई थी; यह बताया गया था कि संसद के सत्र के अन्त से पहले निर्णय लिया जाएगा।

श्रम कानूनों का संशोधन

नेतागण औद्योगिक सम्बन्ध, बोनस तथा सामाजिक सुरक्षा से सम्बंधित कानूनों में परिवर्तनों पर शीघ्र कार्यवाही चाहते थे।

भविष्य निधि आदि की देय राशियां

कुछ प्रतिनिधियों ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि कई नियोजक भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा अंशदानों के सम्बन्ध में दोषी हैं। एक नेता ने विचार व्यक्त किया कि कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा तथा श्रमिक शिक्षा का प्रशासन श्रमिक संघों को सौंप दिया जाना चाहिए।

बोनस

बोनस के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय किए जाने की मांग की गई ताकि इसका भुगतान त्यौहार के मौसम से पहले किया जा सके। यह बताया गया कि त्यौहार के मौसम के शुरू होने से पहले निर्णय लिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सिफारिश की गई रेल लाइनें

*688. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने के लिए कितनी रेल लाइनों की सिफारिश की है, और

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में छठी योजना के दौरान तो नई रेल लाइनें बन जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बारह। इनमें से कल्याणी-कल्याणी टाउनशिप, जिसका निर्माण 1978-79 में शुरू किया गया था, पूरा कर दिया गया है और उसे 17-4-1979 को बड़ी लाइन के यातायात के लिए खोल दिया गया है।

(ख) अब निर्माणाधीन हवड़ा-आम्ता-चम्पाडांगा और डानकुनि (हवड़ा)--शियाखला बड़ी लाइन रेल सम्पर्क को 6ठी योजना के दौरान पूरा कर लिये जाने की आशा है।

बजबज-नामखाना रेल सम्पर्क के लिए अंतिम मार्ग-निधारण सर्वेक्षण पूरा करा लिया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट सितम्बर, 1980 तक तैयार हो जायेगी। 1979-80 के बजट में शामिल खड़गपुर-दीघा बड़ी लाइन रेल सम्पर्क के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात-सर्वेक्षण की अच्छी प्रगति हो रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के पूरा हो जाने तथा उसकी गहराई से जांच कर लिए जाने के बाद ही इन दो रेल सम्पर्कों के बारे में आगे विचार किया जायेगा।

एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन

*689. **श्री एम०एम० लारेन्स :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मार्ग पर कई स्थानों पर गाड़ियों के क्रास करने के कारण यात्रियों को हो रही असाधारण देरी को रोकने के लिये एर्नाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक एक दूसरी बड़ी रेल-लाइन (ब्राड गेज) का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी भाषाओं के भाषान्तरकार

*690. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी भाषाओं के भाषान्तरकारों का एक संवर्ग बनाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ नवम्बर, 1978 में किये गये परामर्श का क्या परिणाम निकला; और

(ख) किये गये निर्णय की क्रियान्विति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव : (क) भारत सरकार कुछ वर्षों से स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड के अनुसार प्रवीणता रखने वाले दुभाषियों की अधिकाधिक आवश्यकता अनुभव कर रही थी। दुभाषियों का संवर्ग बनाने के प्रस्ताव पर 1977 में मंजूरी दे दी गई थी और जून, 1978 में भर्ती-नियम लागू हो गए थे।

नवम्बर, 1978 में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की अध्यक्षता में गठित एक चयन समिति ने मंत्रालय में काम कर रहे दुभाषियों की गोपनीय रिपोर्टों की जांच की तथा यह सिफारिश की कि उन लोगों को नये संवर्ग में उनके विद्यमान वेतन-मान से निचले वेतन-मान में शामिल कर लिया जाए।

लेकिन मंत्रालय का विचार था कि उन दुभाषियों की क्षमता की जांच एक लिखित तथा मौखिक भाषा-निपुणता परीक्षा द्वारा की जानी चाहिए जिससे कि संवर्ग के प्रारम्भ में ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस क्षेत्र में उच्च स्तर स्थापित किया गया है।

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने इस मामले में पूरी सावधानी बरती है कि संवर्ग के शुरू से ही अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की योग्यता वाले दुभाषियों को संवर्ग में शामिल किया जाय। इसके लिए विदेशी विशेषज्ञों के साथ पत्र-व्यवहार तथा सरकार के अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना पड़ा। संघ लोक सेवा आयोग को अब लन्दन से अपेक्षित योग्यता वाले विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त हो गयी हैं। आशा है कि विस्तृत जांच तथा अन्तिम रूप से चयन के लिए ये विशेषज्ञ अक्तूबर, 1980 में भारत आयेंगे।

किराया और भाड़ा ढांचा

*692. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस समय एक ऐसा सूत्र बनाने में लगी है जिसके अनुसार भारतीय रेलों के किराया तथा भाड़ा ढांचे में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जा रहे महंगाई भत्ते की तरह कमी अथवा बढ़ोत्री की जा सके,

(ख) यदि हां, तो सरकार को किन कारणों से उक्त अध्ययन करना पड़ रहा है, और

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव से देश में इतने वर्षों से अपनाई जा रही मान्य बजट-प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी अथवा नहीं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) : जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय की स्थापना

*693. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयला खान कर्मचारी संघ की ओर से आसनसोल में एक केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय स्थापित करने के लिए कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न की जांच की जा रही है। तथापि, मामलों के शीघ्र निपटान हेतु यह निर्णय किया गया है कि मामले आसनसोल से धनबाद के न्यायाधिकरणों को भेजे जाएं तो अगली बैठकें आसनसोल में कर सकते हैं।

अंबरनाथ में ऊपरि पुल

5368. **श्री आर०के० महालगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बरनाथ और शाहद (जिला थाणे-महाराष्ट्र) में रेलवे ऊपरि पुलों के निर्माण की अनुमति और स्वीकृति दी गई है,

(ख) यदि हां, तो कब,

(ग) प्रत्येक ऊपरि पुल की अनुमानित लागत क्या है,

(घ) उक्त ऊपरि पुलों के निर्माण के लिए अब तक कितनी धन-राशि दी गई है,

(ङ) उक्त पुलों को पूरा करने का चरणबद्ध कार्यक्रम, निर्धारित समय और आबंटित धनराशि क्या-क्या हैं, और

(च) ये परियोजनायें इस समय प्रगति की किस अवस्था में हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) अम्बरनाथ में ऊपरी सड़क पुल के लिए विस्तृत अनुमान अप्रैल 1979 में स्वीकृत किया गया था । जहां तक शाहद का सम्बन्ध है, मूल अनुमान सितम्बर 1972 में और संशोधित अनुमान जुलाई 1979 में स्वीकृत किया गया था ।

(ग) अम्बरनाथ और शाहद में ऊपरी सड़क पुल की अनुमानित लागत में रेलवे का हिस्सा क्रमश: 19·39 लाख रुपये और 43·23 लाख रुपये था, जबकि राज्य सरकार का हिस्सा क्रमश: 17·62 लाख रुपये और 48·39 लाख रुपया है ।

(घ) अम्बरनाथ और शाहद में ऊपरी सड़क पुल के लिए धन का प्रस्तावित आबंटन क्रमश: 9·50 लाख रुपये और 17·99 लाख रुपये है ।

(ङ) और (च) : रेलवे राज्य सरकार द्वारा निर्मित किये जाने वाले पहुँच-मार्गों के कार्य के साथ-साथ इस पुल विशेष का निर्माण-कार्य प्रारम्भ कर देगी । राज्य सरकार ने अभी तक पहुंच-मार्गों का निर्माण-कार्य प्रारम्भ नहीं किया है क्योंकि उन्हें भूमि का अधिग्रहण करने में कठिनाई आ रही है । वे इन पुलों के अभिकल्प और सामान्य आरेखणों में परिवर्तन करने पर भी विचार कर रहे हैं । इन बातों को देखते हुए इन परियोजनाओं को पूरा करने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है ।

जगाधरी शहर में बुकिंग कार्यालय

5369. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में 'जगाधरी टाउन आउट एजेंसी' में नगर से दूर मुख्य रेल पर्यन्त स्थल होने के कारण, जहाँ औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां संकेन्द्रित हैं, बहुत यातायात क्षमता और भारी माल भाड़ा आय है और जगाधरी टाउन लाइट रेलवे के बन्द होने के बाद सम्पूर्ण माल आउट एजेंसी द्वारा निपटाया जाता है, और

(ख) यदि हां, तो जगाधरी शहर में पार्सल और माल यातायात दोनों के लिये रेलवे प्रशासन के मार्ग में अपना बुकिंग कार्यालय खोलने और 'आउट एजेंसी' की वर्तमान पद्धति की बजाय सीधे यातायात का निपटान करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जगाधरी टाउन आउट एजेंसी औसतन 65·5 मीटरिक टन यातायात को संभालती है, जिससे लगभग 1·5 लाख रुपया प्रति माह आमदनी होती है ।

(ख) पार्सल और माल यातायात को सम्हालने के लिए जगाधरी टाउन में रेलवे बुकिंग कार्यालय खोलना वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं होगा ।

मिजोरम को वस्तुओं की ढुलाई

5370. **श्री आर० रोथुआमा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1980 तक मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को उनके आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के कोटे को ले जाने के लिये प्रति माह कितने माल-डब्बे नियत किये गये,

(ख) मिजोरम को आवश्यक वस्तुओं को ले जाने के लिए नियत किये गये माल डिब्बों में से जनवरी से जून, 1980 तक वास्तव में कितने डिब्बे प्रति माह उपयोग किये गये हैं, और

(ग) उत्तर पूर्वी राज्यों को इस प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में सुधार करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) माल डिब्बों का आवंटन मांग-पत्रों की प्राथमिकता तथा वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। अनिवार्य पण्यों के संचलन को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) मिजोरम के लिए प्राप्त आवश्यक पण्यों, अर्थात् खाद्यान्न, नमक, चीनी, सीमेंट, खाद्य तेल और दालों को ढोने वाले माल डिब्बों की संख्या इस प्रकार थी :—

मास		
1980		
जनवरी	—	214
फरवरी	—	258
मार्च	—	283
अप्रैल	—	407
मई	—	324
जून	—	195

(ग) उत्तर-पूर्वी राज्यों को भेजे जाने वाले अनिवार्य पण्यों पर क्षेत्रीय रेलों और मंत्रालय दोनों स्तरों पर नजर रखी जाती है।

यूनानी चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत इलाहाबाद और दिल्ली के लिए के०स०स्वा०यो० औषधालय की मंजूरी

5371. **श्री निहाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिये यूनानी औषधालय के साथ-साथ इलाहाबाद के लिए भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत एक यूनानी दवाखाना मंजूर किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो औषधालय अब तक न खोले जाने के क्या कारण हैं और यह औषधालय कब तक खोले जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)

(क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

टीटुलमारी कोयला खान में मरे श्रमिकों की संख्या

5372 **श्री ए०के० राय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान माइन्स रेस्क्यू स्टेशन्स के एक अधिकारी की लापरवाही के कारण 21 अप्रैल, 1980 को टीटुलमारी कोयला खान में तीन श्रमिकों की मृत्यु की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने, दोनों अधिकारियों को दण्ड देने, शोकग्रस्त परिवारों को हुई हानि का मुआवज़ा देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) सम्भवतः आशय 21.4.1979 को टेटुलमाड़ी खदान (बी० सी० सी० एल०) में हुई दुर्घटना से है जिसमें तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा की जांच के अनुसार दुर्घटना का कारण गोकू क्षेत्र से निकली जहरीली गैस के परिणामस्वरूप एसफिक्सियेशन था।

(ग) : दुर्घटना 21.4.79 को 5 बजे शाम को हुई थी। क्योंकि दूरभाष काम नहीं कर रहा था इसलिए प्रबन्ध-तन्त्र-बचाव स्टेशन से केवल 6·15 अपराह्न को सम्पर्क स्थापित कर सका। बचाव-स्टेशन से बचाव-टीम के प्रस्थान करने में भी कुछ देरी हुई थी। केन्द्रीय कोयला खान बचाव स्टेशन समिति के प्रधान से सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा गया है।

प्रबन्ध-तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, मृतक व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों को निम्नलिखित मुआवज़ा दिया गया है :—

मुआवजे की राशि	परिवार
30,000/-रुपये	श्री बी० के० दत्ता का परिवार
30,000/-रुपये	श्री एस० एन० सिंह का परिवार
21,600/-रुपये	श्री आर० मेहतो का परिवार

प्रत्येक परिवार को 500/- रुपये की अनुग्रह पूर्वक अदायगी तथा अन्त्येष्टि खर्चे के लिए 200/- रुपये भी दिए गए थे।

इसके अतिरिक्त, मृतक व्यक्ति के परिवार से एक आश्रित को रोज़गार दिया गया है।

सियालदह और बोगांव सेक्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों की नौ बोगियों वाली दस गाड़ियां

*5373. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सियालदह डिवीजन में ई०एम०यू० सवारी डिब्बों की कमी को पूरा करने की दृष्टि से विशेषकर सियालदह-बोगांव सेक्शन और दक्षिण सेक्शन की भीड़-भाड़ कम करने के लिए विभिन्न श्रेणियों की नौ बोगियों वाली 10 रेलगाड़ियां चलाने की मांग पर विचार करेगी,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : सियालदह मंडल पर चलने वाले 46 बिजली गाड़ी रेकों में से 10 रेक 9 सवारी डिब्बों के साथ पहले से ही चल रहे हैं, शेष बिजली गाड़ी रेकों को 9 सवारी डिब्बों सहित चलाये जाने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जब इस प्रकार के बिजली गाड़ी के अतिरिक्त रेक उपलब्ध हो जायेंगे ।

कल्याणी और कल्याणी शिमन्टा के बीच रेलगाड़ी सेवाएं

5374. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कल्याणी और कल्याणी शिमन्टा रेल लाइन पर प्रात: 7 बजे से 11 बजे, दोपहर में 1·30 बजे से 5 बजे तक और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक कोई गाड़ी नहीं है,

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस असामान्य अन्तर के कारण शहर के जीवन में शून्यता आ गई है जिसका प्रभाव प्रतिदिन यात्रा करने वाले एक लाख व्यक्तियों पर पड़ता है, और

(ग) यदि हां, तो इस असामान्य अन्तर को दूर करने के लिए अधिक गाड़ियां चलाने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : जी हां । परन्तु कल्याणी और कल्याणी सिमन्ता स्टेशनों के बीच लगभग 18·00 बजे से 21·00 बजे के बीच प्रत्येक दिशा में तीन गाड़ियां हैं । 1-4-80 से 2 जोड़ी गाड़ियों (अर्थात् के-143/144 और के-147/148) को कल्याणी सिमन्ता से/तक बढ़ा दिया गया है । इससे कल्याणी और कल्याणी सिमन्ता के बीच संध्याकालीन सेवाओं की मांगें पूरी हो गई हैं (के-144 डाउन प्रस्थान कल्याणी सिमन्ता 18·16 बजे और के-147 अप प्रस्थान कल्याणी 20·38 बजे) । फालतू बिजली गाड़ी रेकों की अनुपलब्धता के कारण कल्याणी और कल्याणी सिमन्ता के बीच इस समय एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

दानापुर मंडल में श्रेणी-1 तथा 2 के अधिकारी

*5375. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल में श्रेणी 1 तथा 2 के कितने अधिकारी हैं तथा श्रेणी 3 तथा 4 के कितने कर्मचारी हैं,

(ख) क्या यह सच है कि आवासीय सुविधा सभी कर्मचारियों को नहीं दी गई है,

(ग) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है जिन्हें अब तक रहने के लिए आवास नहीं दिए गये हैं,

(घ) क्या सरकार ने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)

(क) प्रथम श्रेणी : 38
द्वितीय श्रेणी : 33
तृतीय श्रेणी : 6054
चतुर्थ श्रेणी : 9530

(ख) जी हां।

(ग) प्रथम श्रेणी : 1
द्वितीय श्रेणी : 3
तृतीय श्रेणी : 3140
चतुर्थ श्रेणी : 5804

(घ) अधिकांशतः अनिवार्य कोटियों के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण का कार्यक्रम हर वर्ष धन-राशि की उपलब्धता के आधार पर बनाया जाता है

(ङ) दानापुर मंडल में आजकल टाइप III के 7 यूनिट, टाइप II के 29 यूनिट और टाइप I के 17 यूनिट क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है।

कोंकण रेलवे

*5376. **श्री बापू साहिब पस्लेकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण रेलवे नाम से प्रसिद्ध पश्चिमी तट रेलवे की प्रगति क्या है,

(ख) अपाटे रोहा रेल लाइन का निर्माण कब पूरा किया जायेगा,

(ग) आगामी पांच वर्षों में इस रेल लाइन के निर्माण की क्या योजना है, और

(घ) इस लाइन का निर्माण रत्नागिरि जिले तक कब तक पहुंचाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : 31-5-80 को आप्ता-रोहा रेल सम्पर्क के निर्माण की वास्तविक प्रगति लगभग 31 प्रतिशत थी। इसके 1981 के अन्त तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य बनाया गया है।

(ग) और (घ) : इस लाइन को रोहा से दसगांव तक बढ़ाये जाने के बारे में योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है.

चित्तौड़गढ़ और रतलाम के बीच रेल फाटक

5377. **श्री बी० आर० नहाटा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के चित्तौड़गढ़ और रतलाम मीटर गेज सेक्शन के बीच कितने रेल-फाटक हैं और उनमें से कितने फाटकों पर चौकीदार हैं और कितने फाटक बिना चौकीदार वाले हैं,

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने सार्वजनिक असुविधा को दूर करने के विचार से इन फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वहां पर यह व्यवस्था शीघ्र ही की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) : पश्चिम रेलवे के चित्तौड़गढ़ और रतलाम के बीच के मीटर लाइन खंड में कुल 98 समपार हैं। इनमें से 26 चौकीदार वाले हैं और 72 बिना चौकीदार वाले।

(ख) और (ग) : समपारों पर चौकीदार की तैनाती रेल व सड़क यातायात की मात्रा, दृश्यता, दुर्घटना की सम्भावना और ऐसे ही अन्य पहलुओं के आधार पर की जाती है। इस प्रकार की समीक्षा के आधार पर, 1980-81 के वर्ष में 10 समपारों पर चौकीदार तैनात करने का प्रस्ताव है।

सियालदह डिवीजन में रेलगाड़ी सेवायें

5378. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि काम करने वालों की संख्या अपर्याप्त होने, अव्यवहारिक योजना बनाने, घटिया किस्म के सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल करने और परिचालन-प्रणाली के विभिन्न विंगों में समन्वय का अभाव होने के कारण पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में रेलगाड़ी-सेवाओं में कमी हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त डिवीजन में रेलगाड़ी सेवाओं में सुधार के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : सियालदह मंडल में चल रही उपनगरीय गाड़ी सेवाएं प्रारंभिक रूप से शरारती व्यक्तियों की गतिविधियों, चोरियों तथा फालतू डिब्बों आदि की सीमित उपलब्धता के कारण प्रभावित हुई है। रेलें अपनी ओर से विभिन्न विभागों की कार्य-प्रणाली में सही योजना तथा प्रभावी समन्वय रखती हैं ताकि यात्रियों को संतोषजनक सेवाएं प्रदान कर सकें। सियालदह मंडल के यात्रियों की सुविधा के लिए, रेलों ने 46 बिजली गाड़ी रेकों में से 9 सवारी डिब्बों के संयोजन से 10 रेकों को चालू किया है जोकि मंडल में कार्यरत हैं। जब कभी बिजली गाड़ी डिब्बे उपलब्ध हो जायेंगे, और अधिक राहत देने के लिए, आठ सवारी डिब्बों वाले रेकों की बजाय 9 सवारी डिब्बों के साथ चलाया जायेगा।

चीन की जेलों में बंद भारतीय

5379. **श्री आर०एल० भाटिया :**

कुमारी कमला कुमारी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन की जेलों में इस समय लगभग कितने भारतीय बंदी हैं;

(ख) क्या विदेश सचिव ने हाल ही में पीकिंग में चीन सरकार के साथ किए गए विचार विमर्श के दौरान यह मामला उठाया था; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस मामले पर चीन सरकार के साथ कब बातचीत करने का विचार है ताकि जो भारतीय व्यक्ति चीन की जेलों में काफी समय से बंदी हैं वे शीघ्र स्वदेश लौट सकें ?

विदेश मंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव : (क) : चीन की जेलों में इस समय किसी भारतीय के बंदी होने के बारे में सरकार के पास कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) : यद्यपि इस मामले को विदेश मंत्रालय के सचिव, श्री एरिक गोन्साल्वेज की पीकिंग में चीनी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में तो विशेष रूप से नहीं उठाया गया था लेकिन इस यात्रा से पहले और बाद में इस मामले को नई दिल्ली स्थित चीनी राजदूतावास के साथ उठाया गया था। चीन की सरकार का कहना यही था कि चीन में कोई भारतीय बन्दी नहीं है। भारत सरकार ने हाल ही में चीनी सरकार से पुनः अनुरोध किया है कि चीन में भारतीय राष्ट्रिकों की उपस्थिति के बारे में और आगे छानबीन करे।

सुरक्षित ब्रेक प्रणाली के संबंध में अनुसंधान

5380. **श्री के०ए० राजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के लिए एक सुरक्षित तथा त्रुटिहीन ब्रेक प्रणाली निकालने के लिए, कितने इंजीनियर अनुसंधान-कार्य में लगे हुए हैं, और

(ख) यदि कोई अनुसंधान-कार्य किया गया है तो क्या सरकार का विचार उसका एक विवरण तथा उससे निकले परिणामों का ब्यौरा सभा-पटल पर रखने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) : कुछ तकनीकी कर्मचारियों द्वारा सहायता-प्राप्त आठ इंजीनियर लखनऊ स्थित अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन में ब्रेक प्रणाली के अभिकल्प के विकास, जांच, परीक्षण और अनुसंधान के काम तथा चल-स्टाक के नये अभिकल्पों में विशिष्ट रूप से ब्रेक प्रणाली लगाये जाने के काम में लगे हैं।

(ख) जी नहीं।

श्रद्धानन्द बाजार में परिवहन कम्पनियों द्वारा सड़कों को गोदामों के रूप में प्रयोग किया जाना।

*5381. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परिवहन कम्पनियां श्रद्धानन्द बाजार दिल्ली में सड़कों को अपने गोदामों के रूप में प्रयोग कर रही हैं जिनके फलस्वरूप यातायात के चलने में कई घण्टों की रुकावट हो जाती है,

(ख) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा उनके लिए एक ट्रान्सपोर्ट नगर बनाया गया था,

(ग) यदि हां, तो सरकार का इन कम्पनियों को कब तक वहां भेज देने का विचार है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार श्रद्धानन्द बाजार और दिल्ली के घनी आबादी वाले अन्य इलाकों में सार्वजनिक सड़कों/भूमि पर गैर अधिकृत रीति से जगह को अपने कब्जे में करने के बारे में आम शिकायत है।

(ख) इस बात की पुष्टि की गई है कि ट्रकों को खड़ी करने की जगह और अन्य कार्य-कलापों जैसे माल को बुक करने और आगे भेजने वाली एजेंसियों के कार्यालयों, बैंकों और पोस्ट-आफिसों आदि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण आजादपुर, रोहतक रोड और चन्द्रावल नामक स्थानों पर तीन परिवहन केन्द्र बना रहा है।

(ग) और (घ) : श्रद्धानन्द बाजार और दिल्ली शहर के ट्रांसपोर्टर नये ट्रांसपोर्ट नगरों में उनके चालू होते ही ले जाये जायंगे। इन स्थलों के विकास में लगभग 3-4 वर्ष लगने की संभावना है।

गुन्टूर-मचरेला लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

5382. **श्री जी०एस० रेड्डी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुन्टूर-मचरेला छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलने का कार्य आरंभ हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : यह एक मिश्रित परियोजना है जिसमें बीबीनगर-नडिकुडे नयी लाइन और गुंटूर-माचेरला खंड का बड़ी लाइन

में आमान परिवर्तन शामिल है। इस लाइन के आमान-परिवर्तन का काम नयी लाइन के पूरा हो जाने के बाद शुरू किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में आवश्यक वस्तुओं का लाना और ले जाया जाना

5383. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल को आवश्यक वस्तुओं को ले जाने के लिए प्रयुक्त माल डिब्बों की माह-वार संख्या कितनी थी, और

(ख) पश्चिम बंगाल की माल डिब्बों की प्रति माह आवश्यकता कितनी है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : रेलें रेलवे-वार आंकड़े रखती हैं, राज्यवार नहीं। फिर भी, उत्तर रेलवे के स्टेशनों से पश्चिम बंगाल को भेजे जाने वाले प्रायोजित खाद्यान्न के संचलन के संबंध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गयी है :—

(हजार मीटरिक टन में)

मास		1977-78	1978-79	1979-80
अप्रैल	:	107	71	140
मई	:	115	84	123
जून	:	108	82	98
जुलाई	:	149	71	170
अगस्त	:	149	62	173
सितम्बर	:	162	83	180
अक्टूबर	:	135	116	182
नवम्बर	:	165	191	161
दिसम्बर	:	105	117	196
जनवरी	:	87	68	168
फरवरी	:	87	156	159
मार्च	:	81	114	217

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर चालान किए गए व्यक्ति

5384. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 और जनवरी से जून, 1980 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर कुल कितने व्यक्तियों का चालान किया गया, और

(ख) उनसे कुल कितना जुर्माना वसूल किया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : बगैर टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ मोबाइल कोर्टों द्वारा चालान किया जाता है। इसके अलावा इस तरह के मुसाफिरों की जांच दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा भी की जाती है और इन मुसाफिरों से भारी जुर्माना वसूल किया जाता है। मोबाइल कोर्टों द्वारा चालान किए गये या चेकिंग करने वाले अधिकारियों द्वारा पकड़े गये ऐसे मुसाफिरों की संख्या और इन मुसाफिरों से वसूल किये गये जुर्माने या भारी जुर्माने का ब्यौरा इस प्रकार है :—

अवधि	मोबाइल कोर्टों द्वारा जुर्माना किए गये बगैर टिकट यात्रा करने वाले मुसाफिरों की संख्या	वसूल किये गये जुर्माने की राशि	चेकिंग करने वाले अधिकारियों द्वारा पकड़े गए मुसाफिरों की संख्या	वसूल भारी जुर्माने की राशि
जनवरी, 1979 से दिसम्बर' 79	14,925	72,964 रु०	1,22,303	6,10,619 रु०
जनवरी, 1980 से जून, 1980	7511	42,098 रु०	98,735	4,92,933 रु०

हैदराबाद से तिरुपति तक तेज रेलगाड़ी

*5385. **श्री पसाला पेंचालैया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आंध्र-प्रदेश में हैदराबाद से विजयवाड़ा और गुडूर होकर तिरुपति तक दिन में चलने वाली एक तेज रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जी नहीं ।

निकम्मे ठहराये गये रेल-इंजनों का उपयोग

5386. **श्री सुबोध सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेल प्राधिकारी विशेषकर, लालजोला-रानाघाट, जौडी-रानाघाट तथा बोनगांव-रानाघाट सैक्शन में ऐसे रेल इंजनों का उपयोग कर रहे हैं, जो निकम्मे ठहराये गये हैं,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार का विचार प्रमुख स्टेशनों का विद्युतीकरण करने और ब्रांच सैक्शनों के हाल्ट स्टेशनों में सुधार करने का है जिनका कि भाग (क) में उल्लेख किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो कब, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेलों पर कहीं भी नाकारा रेल इंजन उपयोग में नहीं हैं । इन खण्डों पर उपयोग में लाये जाने वाले रेल इंजन अल्पायु हैं जो अपने 40 वर्ष के निर्धारित जीवन तक नहीं पहुंचे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) इन खंडों पर महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर पहले से ही बिजली लगी हुई है ।

जहां तक हाल्ट स्टेशनों में सुधार का संबंध है, सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

डीजल रेल कार सेवा

5387. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शांतिपुर-कृष्णनगर-नावाद्वीप घाट सेक्शन में डीजल रेल कार सेवा आरम्भ करने का है,

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : शांतिपुर-कृष्णनगर-नाबाद्वीप घाट सेक्शन में डीजल रेल कार सेवा आरम्भ करना तकनीकी कारणों से व्यावहारिक नहीं पाया गया । फिर भी, समीक्षा की जा रही है और यथा-व्यावहारिक कार्रवाई की जायेगी ।

रेलवे प्लेटफार्मों पर शेड डालने के सिद्धांत

5388. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में मीटर गेज में अजमेर और खंडवा और ब्राडगेज में कोटा और नगदा के बीच रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर किन सिद्धांतों के आधार पर शेड डाले गये हैं,

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने पश्चिम रेलवे में मीटर गेज में अजमेर और खंडवा और ब्राडगेज में कोटा तथा नगदा के बीच प्लेटफार्मों पर शेड डालने के सिद्धांत अपनाये हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या लोगों की कठिनाईयां दूर करने के लिए मंदसौर और श्यामगढ़ रेलवे स्टेशनों के पूरे प्लेटफार्मों पर शेड डालने के लिए कदम उठाये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, सामान्यत: किसी एक सयय पर सम्हाले जाने वाले अधिकतम यात्रियों की संख्या से आधे के लिए 6 वर्ग फुट प्रति यात्री की दर से प्लेटफार्म पर छत की व्यवस्था की जाती है । ऐसे स्टेशनों पर, जहां मानदण्डों के अनुसार अधिक छतदार स्थान की व्यवस्था की जानी होती है, रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति के परामर्श से योजनाबद्ध आधार पर उसकी व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई की जाती है ।

(ग) मन्दसौर स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक शेड पहले से मौजूद है और मानदण्डों के अनुसार, इस स्टेशन पर होने वाले यातायात को सम्हालने के लिए वह पर्याप्त है । शामगढ़ स्टेशन पर, 280 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की एक प्लेटफार्म शेड का निर्माण करने का प्रस्ताव है और इस काम के अगले वर्ष के अन्त तक पूरे हो जाने की सम्भावना है ।

सियालदह डिवीजन के रेलवे स्टेशनों को टिकटों की सप्लाई

5389. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सियालदह डिवीजन के बहुत से रेलवे स्टेशनों को 30 जून, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कई महीनों से दैनिक टिकटों की कोई सप्लाई नहीं की गई है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें दैनिक टिकटों की सप्लाई नहीं की गई थी और स्टेशनवार कितनी समयावधि से उन्हें टिकट नहीं मिल रहे हैं,

(ग) टिकटों की सप्लाई नियमित रूप से करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं, और

(घ) दैनिक टिकटों की सप्लाई न करने के कारण प्रत्येक स्टेशन को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : 30 जून, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान एक से तीन महीने तक की अवधि के लिए पूर्व रेलवे के सियालदह मण्डल के निम्नलिखित स्टेशनों पर मुद्रित कार्ड टिकट उपलब्ध नहीं थे :—

मथुरापुर रोड, बाली गंज, दम-दम छावनी, बिराटी, मछलंदपुर, बारासात, बनगांव,

हसनाबाद, देवग्राम, पलासी, बेलडांगा, मुर्शिदाबाद, शामनगर, मोदपुर, नैहाटी, मदनपुर और बीर नगर ।

(ग) टिकटों की नियमित सप्लाई के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) रेल मुद्रणालय में उत्पादन बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त पारी शुरू करना ; और

(2) टिकट छापने के लिए अन्य क्षेत्रीय रेलों के मुद्रणालयों को आंशिक कार्य-भार का हस्तान्तरण ।

(घ) मुद्रित कार्ड टिकटों के बदले यात्रियों को ब्लैंक पेपर टिकट और अधिक किराया टिकटों की व्यवस्था की गयी थी । इसलिए रेलवे को कोई हानि नहीं हुई है ।

दक्षिण रेलवे में यात्रा एजेन्ट

5390. **श्री एन० डेनिस :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के अधिकारी आरक्षण के मामले में यात्रा एजेंटों को कुछ कोटा देते हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री एजेन्टों को पंजीकरण किस आधार पर दिया जाता है, और

(घ) ऐसे यात्रा ऐजेन्ट फर्मों तथा व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा अब तक मान्यता दी जा चुकी है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं । परन्तु, ट्रेवल एजेंट टिकट जारी कर सकते हैं और आरक्षण कार्यालय से फोन पर केवल ऊंचे दर्जे के लिए आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते स्थान उपलब्ध हो और एजेंट से उसी दिन आरक्षण कार्यालय में लिखित मांग-पत्र पहुँच जाये ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ट्रेवल एजेंसी पर्यटन विभाग द्वारा उचित मान्यता प्राप्त पंजीकृत फर्म होनी चाहिए और उसके पास कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान भी होना चाहिए । एजेंसी के कर्मचारियों की बुकिंग प्रक्रिया और रेल टिकटों का हिसाब-किताब रखने की जानकारी होनी चाहिए । एजेंसी को अपने प्रतिनिधि के संबंध में जो करारनामे पर हस्ताक्षर करेगा, निदेशक मंडल के संकल्प की एक फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए और एक महीने के औसत लेन-देन के बराबर राशि जो कम से कम 10,000 रु० होगी, निक्षेप के तौर पर जमा करनी चाहिए और उसके पास विदेशी मुद्रा के लेन-देन के लिए रिजर्व बैंक से मुद्रा विनिमयकर्त्ता का लाइसेंस होना चाहिए ।

(घ) दक्षिण रेलवे पर निम्नलिखित मान्यता प्राप्त ट्रेवल एजेंट हैं :—

(1) मेसर्स भारत ट्रेवल सर्विस (प्रा०) लि०,

(2) मेसर्स राम मोहन एण्ड कं०, लि०,

(3) मेसर्स ट्रेड विंग्स लि०,

(4) मेसर्स थामस कुक (इंडिया) लि०,

(5) मेसर्स ट्रेवल कारपोरेशन (इंडिया) प्रा० लि०,

(6) मेसर्स मर्करी ट्रेवल्स (इंडिया) लि० ।

कोशी पर रेल पुल

5391. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोशी नदी पर एक पुल का निर्माण करके पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के अन्तर्गत निर्मली आवसियाही रेल लाइन को पुनः जोड़ने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर को वित्तीय सहायता दिया जाना

5392. **आचार्य भगवान देव :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर, गुजरात को वित्तीय सहायता देती है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी सहायता दी गई ;

(ग) इस विश्वविद्यालय में कितने मेडिकल और गैर-मेडिकल कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने इस विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्य का मूल्यांकन किया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केन्द्र सरकार केवल गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यायय, जामनगर के स्तानकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान को ही वित्तीय सहायता देती है ।

(घ) इस संस्थान को पिछले तीन वर्षों में जो सहायता दी गई, वह इस प्रकार है :—

	नान-प्लान	प्लान (रुपये लाखों में)
1977-78	22·85	—
1978-79	26·38	4·55
1979-80	29·00	—

(ग) यह एक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है । इस संस्थान में इस समय कार्यरत कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

चिकित्सा	30
परा-चिकित्सा	82
गैर-चिकित्सा	85
योग	197

(घ) इस संस्थान में अनुसंधान कार्य का मूल्यांकन गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के अधीन स्थापित वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है ।

कलकत्ता पत्तन से वैगनों का गायब होना

5393. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्हीं दिनों कलकत्ता पत्तन के यार्ड से कई रेल वैगन रहस्यमय ढंग से गायब हो गए हैं,

(ख) यदि हां, तो कितने वैगन गायब हुए हैं,

(ग) उन्हें ढूंढने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और कितने वैगन अभी तक लापता हैं, और

(घ) इस संबंध में की गयी जांच के अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं होता ।

विवेकानन्द पुरी के निकट चौराहे को चौड़ा किया जाना

5394. **श्री लहना सिंह तुर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवेकानन्द पुरी के निकट कालीदास मार्ग और रासबिहारी मार्ग को जोड़ने वाली सड़क बहुत खतरनाक है तथा इस पर पिछले लगभग छः महीनों में अनेक दुर्घटनाएँ हुई हैं और इनमें से कुछ घातक सिद्ध हुई हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विवेकानन्द पुरी के निकट चौराहे को चौड़ा करने का है जो कि दुर्घटनाएँ न होने देने के लिए बहुत आवश्यक है तथा यह कार्य कब तक आरम्भ करके पूरा किया जायेगा, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और इस मामले में क्या अन्य कार्यवाही करने का विचार है ताकि उस पर सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

(ग) नगर निगम ने पहले ही सड़क चौड़ी कर 22 फीट से 30 फीट कर दी है और दोनों ओर पैदल यात्रियों के लिए पगडंडी बना दी गयी है । नगर निगम ने सड़क पर यातायात को पर्याप्त रूप से सुरक्षित करने के लिए साइन बोर्डों के अलावा ऐसे स्थानों पर जहां यह सड़क दूसरी सड़कों से मिलती है, वहां स्पीड ब्रेकरों की भी व्यवस्था कर दी है ।

जयपुर और अधिकांश राज्यों की राजधानियों के बीच तेज रेलगाड़ियां चलाना

5395. **श्री भीखा भाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जयपुर और राजस्थान के विभिन्न डिवीजनल मुख्यालयों के बीच तेज रेलगाड़ियां चलाने की व्यवहार्यता का पता लगाया है,

(ग) क्या ऐसी रेलगाड़ियां अधिकांश राज्यों की राजधानियों से चलाई गई हैं,

(ग) यदि हां, तो ऐसी रेलगाड़ियां कब से चलाई जायेंगी, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) : विभिन्न शहरों/स्थानों के के बीच, जिनमें राजस्थान राज्य भी शामिल है, यात्री गाड़ियां यातायात के स्वरूप और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चलायी जाती हैं न कि मंडल/जिला मुख्यालयों के आधार पर। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, मारवाड़, श्रीगंगानगर जैसे राजस्थान के महत्वपूर्ण शहरों से पहले ही तेज गाड़ियां जयपुर तक आती-जाती हैं।

कटवा-अहमदपुर लाइन पर नैमित्तिक श्रमिक

5396. **श्री गदाधर साहा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे की कटवा-अहमदपुर नैरोगेज लाइन पर दस वर्षों और उससे अधिक समय से नैमित्तिक श्रमिक लगे हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है,

(ग) उनको क्या सुविधाएं दी जा रही हैं,

(घ) क्या उन्हें स्थायी कर्मचारियों के रूप में खपाने के लिए कोई प्रस्ताव विचारधीन है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : लगभग 128 नैमित्तिक श्रमिक ऐसे हैं जिनकी सेवा 12 वर्ष से कम है।

(ग) उन्हें अस्थायी कर दिया गया है और परिणामस्वरूप उन्हें वर्तमान नियमों के अनुसार पास/पी०टी०ओ० डाक्टरी सुविधा, छुट्टी आदि की सुविधाएं दे दी गयी हैं।

(घ) संबंधित यूनिट में रिक्तियां होने पर उन्हें समाहित कर लिया जायेगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कुशल कर्मचारी (ट्रेन लाइटिंग) यूनिट का दर्जा बढ़ाना

5397. **श्री जी०एम० बनातवाला** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के बम्बई (बी०सी०टी०) डिवीजन में कुल कर्मचारी (ट्रेन लाइटिंग) यूनिट का हाल ही में दर्जा बढ़ाया गया था,

(ख) क्या इसका दर्जा बढ़ाये जाने पर वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ भेदभाव हुआ था,

(ग) क्या इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई जांच की गई है तो उसका ब्योरा क्या है और वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ न्याय कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) सतर्कता जांच की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है और विभागीय जांच-पड़ताल की जा रही है। आगे की कार्रवाई जांच के परिणाम पर निर्भर करेगी।

बीड़ी श्रमिकों को समान मजूरी

5398. **श्री विजयकुमार यादव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में महिला बीड़ी श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों की तुलना में कम मजूरी दी जाती है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार समान कार्य के लिए समान मजूरी की सरकारी नीति के आधार पर महिला बीड़ी श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों के समान मजूरी का भुगतान करने के लिए कोई प्रभावी विधान बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन विभिन्न राज्यों में बीड़ी श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी संबंधित राज्य-सरकारों द्वारा समुचित सरकार के रूप में उजरती दर के आधार पर अर्थात् 1000 बीड़ी की गड्डी के आधार पर निर्धारित की जाती है। मजदूरी की दरों को निर्धारित करने में पुरुष और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं रखा गया है।

(ख) और (ग) : समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पहले से ही समान कार्य या उसी प्रकार के कार्य करने के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक देने की व्यवस्था है।

जम्मू तथा कश्मीर में सड़कों का विकास

*5399. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा जम्मू तथा कश्मीर राज्य की सड़कों का विकास करने के लिए अभी तक पर्याप्त धनराशि आबंटित नहीं की गई है,

(ख) यदि हां; तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सड़कों के विकास को अधिक प्राथमिकता देने का है क्योंकि हर वर्ष सारे भारत से और विदेशों से भी अनेक पर्यटक जम्मू तथा कश्मीर राज्य के दौरे पर आते हैं और इससे उन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में सड़कों का कहां तक विकास किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन धनराशि का नियतन अनेक बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है जैसे सड़कों की लम्बाई, कार्य निष्पादित करने वाली एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत आवश्यकतायें, इन योजनाओं का स्वीकार किया जा सकना और धनराशि का उपलब्ध होना। वर्ष 1980-81 में उक्त कसौटी के आधार पर सड़क पक्ष के नियंत्रण में सड़कों के विकास के लिए अस्थायी रूप से 300 लाख रुपये और सीमा सड़क विकास मण्डल के नियंत्रण में जम्मू और कश्मीर राज्य स्थित सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए 1088·28 लाख रुपये नियत किये गये हैं। इस धनराशि से जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों सहित बाईपासों और राज्य के अन्य अनेक राजमार्गों पर जिनके लिए केन्द्र से सहायता मिलती है, चालू निर्माण कार्यों की और आगे प्रगति में सहायता मिलेगी। इसके अलावा सड़कों

और पुलों के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 1070 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

रेलवे द्वारा खाद्यान्न की ढुलाई

5400. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को देखते हुए कि खाद्यान्न और अनाज का व्यापार कुल व्यापार का 80 प्रतिशत बैठता है सरकार ने अनाज, तिलहन तथा जनरल मर्चेन्ट एसोसिएशनों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए भारतीय खाद्य निगम की तरह कोई विशेष सुविधायें दी हैं ताकि खाद्यान्न आदि को मंडियों में सप्लाई किया जा सके,

(ख) यदि नहीं, तो क्या रेलवे का विचार खाद्यान्नों की ढुलाई सड़क-मार्ग से अधिक लागत पर किये जाने की बजाय, उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने का है,

(ग) क्या सरकार का विचार रेलवे और खाद्य संगठनों के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाने का है, और

(घ) क्या सरकार आवश्यक वस्तुओं पर से अधिभार हटाकर किसानों को वास्तविक लाभ प्रदान करेगी ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : भारतीय रेलों पर ढोये गये कुल खाद्यान्न का लगभग 45 प्रतिशत खाद्यान्न व्यापार लेखे पर ढोया जाता है।

रेलें खाद्यान्नों, अर्थात् गेहूं, चावल और उनके उत्पादों के संचलन को उच्चतर प्राथमिकता देती हैं चाहे वह व्यापार लेखे का ही हो। व्यापार लेखे में प्राथमिकता "ङ" पर ढोयी जाने वाली अन्य सामान्य वस्तुओं की तुलना में ये वस्तुयें उच्चतर प्राथमिकता "घ" पर ढोयी जाती हैं।

(ग) व्यापार से समन्वय रखने वाला तन्त्र पहले से ही मौजूद है। रेलों में विभिन्न स्तरों पर परामर्श समितियां हैं जैसे राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति, क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति, मंडल रेल उपयोगकर्त्ता समिति और स्टेशन परामर्श समितियां। इसके अलावा, व्यापार-संगठन रेल-अधिकारियों के साथ मंडल और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर बार-बार मिलते रहते हैं।

(घ) खाद्यान्न, दालें, चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्य और जमाया हुआ तेल, रासायनिक खादें, गन्ना, प्याज और आलू, दूध, दवाई, चारा (हरी अथवा सूखी घास), दियासलाई, जलाने की लकड़ी आदि जैसी अनिवार्य वस्तुओं को पहले से ही अतिरिक्त पूरक प्रभारों से मुक्त किया गया है।

कोरापुट रेलवे स्टेशन

5401. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोरापुट रेलवे स्टेशन और रेलवे कालोनी को, पेय जल की दी गई सुविधा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है,

(ख) यदि हां, तो यदि सम्बन्धित अधिकारी ने कोलाब नदी से पेय जल की सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव दिया है तो वह क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो योजनाओं को तैयार करके रेलवे कालोनी को पर्याप्त मात्रा में पेय

जल की सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा प्राधिकारी का कोरापुट, उड़ीसा की रेलवे कालोनी में पेय जल की सुविधा देने के लिए क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : उड़ीसा जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त किए जाने वाले पीने के पानी की सप्लाई सामान्यतः पर्याप्त होती है। लेकिन, इस वर्ष भारी सूखे की स्थिति के कारण, चूंकि उड़ीसा जन स्वास्थ्य विभाग ने पानी की सप्लाई में कटौती कर दी थी, गर्मियों के मौसम में किसी सीमा तक पानी की कमी का सामना करना पड़ा। सप्लाई बढ़ाने के लिए रेलवे ने एक खुला कुआ खुदवाया। कोलाब नदी से पानी का एक स्वतन्त्र स्रोत बनाने के प्रस्ताव की भी जांच की गई, लेकिन आन्ध्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ की गई जांच-पड़ताल से यह पता चला है कि गहरा नलकूप सफल रहेगा। अतएव, रेलवे खुले कुंए में बोरिंग करके उससे अधिक जल प्राप्त करने के प्रस्ताव की जांच कर रही है।

बम्बई के गोदामों से जीवन रक्षक औषधियों की चोरी

5402. **श्री के० पी० सिंह देव :**

श्री गदाधर साहा :

श्री जनार्दन पुजारी : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में गोदामों से जीवन रक्षक औषधियों की 44 लाख रुपये मूल्य की एक बहुत बड़ी चोरी का पता लगाया गया है,

(ख) इस चोरी तथा उपभोग करने वालों, आयात करने वालों और साथ ही बीमा-कम्पनियों को हानि का ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि हां, तो क्या मामले की जांच कर ली गई है, और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) : सन् 1979 में 20 टन टेट्रासाइक्लोन हायड्रोकलोराइड का एक पार्सल जिसकी कीमत 49·20 लाख रु० बताई गई थी, समुद्र में खड़े बजरे पर से चोरी चला गया था। इस माल में से कुछ माल मिल गया है। इस माल का बीमा बल्गेरियन फारेन इंश्योरेंश एण्ड रीइंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड (बल्स्ट्राड) ने किया था। इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में की गई थी। इसमें चार आदमी पकड़े गये और उन पर मुकदमा चलाया गया है। यह मुकदमा अभी चल रहा है।

इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कारगर तरीके से माल की निगरानी और जहां तक हो सके कंटेनरों में दवाइयों का आयात करना आदि अनेक उपाय किए गये हैं।

स्कूटर और टैक्सी ड्राइवरों द्वारा मनमाना किराया लेना

5403. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन, अन्तर्राज्यीय बस अड्डा और अन्य पर्यटक स्थलों पर स्कूटर और टैक्सी ड्राइवर यात्रियों से मनमाना किराया ले रहे हैं,

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि दिल्ली में स्कूटर और टैक्सी-ड्राइवर अस्पतालों से रोगियों को थोड़ी दूर तक के स्थानों में ले जाने के लिए तैयार नहीं होते है, और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उसे टैक्सी/आटो रिक्शा ड्राइवरों द्वारा मुसाफिरों से दर से अधिक भाड़ा वसूल करने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं।

(ख) पिछली बार जब 10 जून, 1980 को टैक्सी और आटो रिक्शा के किराये की दरें संशोधित की गई थीं तब से ऐसी शिकायतें नहीं प्राप्त हुई हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन के परिवहन विभाग और दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा किये गये/किये जा रहे उपाय इस प्रकार हैं।

दिल्ली प्रशासन के परिवहन विभाग द्वारा उपाय

(1) टैक्सी/आटो रिक्शा ड्राइवरों द्वारा सवारियों को मना करने/उनके साथ दुर्व्यवहार करने/सवारियों से दर से अधिक भाड़ा वसूल करने की शिकायतों को दूर करने के लिए दिल्ली राज्य परिवहन प्राधिकरण ने परिवहन निदेशालय के कुछ अधिकारियों को यह अधिकार दिया है कि वे ऐसे मामलों में तुरन्त जांच कर 30 दिनों तक के लिए परमिट रद्द कर सकते हैं।

(2) दोषी ड्राइवरों के लाइसेंस को एक से छह महीने तक के लिए रद्द करने के बारे में कार्रवाई भी की जाती है।

दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा किये गये उपाय

(1) रेलवे स्टेशनों और अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल पर स्थित यातायात पुलिस सहायता केन्द्रों पर यातायात पुलिस कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है जिससे कि ये केन्द्र दिन-रात अपना काम कर सकें।

(2) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टैक्सियों/आटो रिक्शाओं को खड़ी करने की जगह को अलग-अलग निश्चित करने के लिए रेलवे अधिकारियों से रेलिंग की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है जिससे टैक्सियां/आटो रिक्शा लाइन बनाकर खड़े हो सकें और सवारियों को आसानी से टैक्सी/आटो रिक्शा मिल सके।

(3) संशोधित भाड़े की दरों को छपवा दिया गया है और सर्वसाधारण की सूचना के लिए जनता में वितरित कर दिया गया है। शिकायतों के फार्म भी छपवा दिये गये हैं और विभिन्न केन्द्रों पर जनता के उपयोग के लिए रख दिये गये हैं।

(4) जनता की सूचना के लिए समाचारपत्रों और दृष्य-श्रव्य साधनों द्वारा इस बात का व्यापक प्रचार कर दिया गया है कि इस तरह की शिकायतें यातायात पुलिस को सूचित की जायें।

(5) सवारियों को मना करने/सवारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के मामलों में गाड़ी/ड्राइवर के पिछले रिकार्ड के आधार पर परमिट रद्द करने के बारे में कहा जाता है।

(6) सवारियों को मना करने/सवारियों से दर से अधिक भाड़ा वसूल करने पर यातायात पुलिस भी आटो रिक्शा/टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई करती है।

विदेश मंत्रालय में गतिरोध तथा अधिलंघन

5404. **श्री पियूष तिरकी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये

अनुभाग अधिकारियों सहित इस वर्ग में 15 से 20 वर्ष तक की सेवावधि वाले अधिकारी एक ही पद पर हैं और अधिलंघन के मामले हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे वरिष्ठ अनुभाग अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनका विगत चार वर्षों में अवर सचिव के पद के लिए चुनाव हेतु अधिलंघन हुआ है और इन अधिकारियों ने कितने वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी और उनकी भर्ती किस माध्यम से हुई थी तथा एक अधिकारी का अधिलंघन कितनी बार किया गया ;

(ग) क्या इस अधिलंघन का कारण सूची में निचले स्तर पर आये विशेष अधिकारियों को लाभ पहुँचाने के लिए एक पैनल से अगले पैनल में योग्यता के मानदंडों में परिवर्तन किया जाना है ; और

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा जारी किए गये पिछले चार पैनलों में वास्तव में किन मानदंडों का पालन किया गया ?

विदेश मंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव : (क) अनुभाग अधिकारी से अवर सचिव के रूप में पदोन्नतियां केवल संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श और स्वीकृति से ही की जा सकती हैं। कुछ ऐसे अनुभाग अधिकारी हैं जिनकी वरीयता 15 वर्ष या उससे अधिक है, जिनमें सीधी भर्ती के भी तीन अनुभाग-अधिकारी शामिल हैं, जो अभी भी अनुभाग-अधिकारी के पद पर ही कार्य कर रहे हैं। कुछ मामलों में अधिक्रमण भी हुए हैं जिसका कारण स्तर से नीचा होना है।

(ख) पिछले चार पैनलों में अनुभाग-अधिकारियों के इस प्रकार के अधिक्रमण का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :—

पैनल का वर्ष	उन अधिकारियों की संख्या जिनका अधिक्रमण हुआ है
1975	12
1976	15
1978	19
1979	10

एक विवरण संलग्न है जिसमें यह बताया गया है कि उन अधिकारियों की सेवावधि कितनी है, भर्ती का आधार क्या है और कितनी बार अधिक्रमण हुआ है।

(ग) जी नहीं। संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक विभागीय पदोन्नति समिति अधिकारियों के सेवा-अभिलेखों के तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर अवर सचिव के पद पर पदोन्नति की सिफारिश करती है और उम्मीदवार की उपयुक्तता के निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए अपना तरीका और प्रक्रिया निर्धारित करती है। किसी विशेष अधिकारी को ध्यान में रखते हुए न तो इस तरीके में परिवर्तन किया जाता है और न प्रक्रिया में।

(घ) विगत चार विभागीय पदोन्नति समितियों ने योग्यता पर बल देते हुए योग्यता एवं वरीयता के आधार पर सिफारिशें की थीं।

विवरण

पैनल का वर्ष	15-20 वर्ष तक की सेवावधि के उन अनुभाग अधिकारियों की संख्या जिनका अधिक्रमण किया गया	सेवावधि								भर्ती का माध्यम	जितनी बार अधिक्रमण किया गया				
		15	16	17	18	19	20	21	22		एक बार	दो बार	तीन बार	चार बार	पांच बार
1975	12	3	5	1	1	2	—	—	—	विभागीय पदोन्नति	8	2	2	—	—
1976	15	7	2	2	1	1	2	—	—	विभागीय पदोन्नति	7	4	2	2	—
1978	19	5	4	5	1	1	1	—	2	18 विभागीय पदोन्नतियां	9	5	2	1	2
1979	10	3	2	4	—	—	—	1	—	7 विभागीय पदोन्नतियां 3 सीधी भर्ती	3	6	—	—	1

एक्स०डी० ई० एन०/उत्तर सीमान्त रेलवे के विकल्प न देने वाले कर्मचारी

5405. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० ई० एन० कार्यालय के समाप्त होने के कारण एक्स/डी० ई० एन०/उत्तर सीमांत रेलवे, सिलीगुड़ी के विकल्प न देने वाले सभी कर्मचारियों को प्रशासनिक आधार पर सिलीगुड़ी/नई जलपाईगुड़ी में रख लिया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन सभी कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित की गई है,

(ग) क्या जी०एम० (पी०), उत्तर सीमान्त रेलवे के निर्णय के अनुसार एसिस्टेन्ट कंट्रोलर आफ स्टोर्स/डीजल/सिलीगुड़ी के अधीन रखे गये कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता और उचित पदोन्नति दी गई है, और

(घ) यदि हाँ, तो सम्बन्धित कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) : भूतपूर्व मंडल इंजीनियर, सिलीगुड़ी के 60 कर्मचारियों में से जो सिलीगुड़ी से बाहर स्थानान्तरण में नहीं जाना चाहते थे, दो कर्मचारी सहायक भण्डार नियंत्रक, (डीजल), सिलीगुड़ी के कार्यालय में रिक्तियों के स्थान पर तैनात कर दिये गये हैं। लेकिन भंडार विभाग के कर्मचारियों ने इन व्यक्तियों को निर्धारित की गयी वरिष्ठता के विरुद्ध याचिका दायर कर दी है। इन कर्मचारियों को भंडार विभाग में वरिष्ठता न दिये जाने से सम्बन्धित उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए इन व्यक्तियों का पुनः स्थानान्तरण किया जा रहा है।

रेल विभाग में पदों के नए पदनाम दिया जाना

5406. **श्री नारायणचन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष सहित वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान रेल विभाग में जनरल और डिवीजनल स्तरों पर कुछ पदों को नए पदनाम दिए गए हैं,

(ख) यदि हाँ, तो क्या पदों को नए पदनाम दिए जाने से सम्बन्धित व्यक्तियों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और सरकारी राजकोष पर पड़ने वाले वित्तीय भार में भी वृद्धि हुई है, और

(ग) यदि हाँ, तो इन पदों के नाम क्या हैं और उन्हें किन-किन तारीखों को नए पदनाम दिए गए हैं तथा कार्यभार में कितनी वृद्धि हुई है और राज्य पर वित्तीय भार कितना बढ़ गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ, 1979-80 और 1980-81 में।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जहाजों को रोक रखने के लिए अदा किया गया विलम्ब शुल्क :

5407 **श्री अर्जुन सेठी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिनमें सरकार को कुछ पत्तनों पर भीड़भाड़ के कारण

जहाजों को उनके निर्धारित समय से अधिक समय तक रोक रखने के लिए बहुत विलम्ब शुल्क अदा करना पड़ा, और

(ख) यदि हाँ, तो वे पत्तन कौन-कौन से हैं और सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विलम्ब शुल्क के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया और पोतों से माल समय पर उतारने में हुए विलम्ब के क्या कारण थे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कुछ मामलों में सरकार की ओर से चार्टर किए जहाजों को देर तक रोके रहने के कारण भारी मात्रा में विलम्ब शुल्क देना पड़ा था।

(ख) जहाजों को देर तक रोके रहने के कारण सरकार द्वारा दिए गए विलम्ब शुल्क के बारे में पूरी सूचना एक जगह पर नहीं रखी जाती है। नौवहन और परिवहन मंत्रालय के चार्टरिंग पक्ष ने जितने माल के लिए जहाजों की व्यवस्था की, उनके सम्बन्ध में कुछ बड़े पत्तनों पर दिए गए विलम्ब शुल्क का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

पत्तन	1977	1978	1979
		(लाख रुपये)	
बम्बई	6·09	325·23	307·59
कोचीन	0·06	172·96	44·29
मद्रास	—	4·41	178·35
परादीप	—	39·02	—
कलकत्ता	0·78	239·83	67·08

जहाजों को देर तक रोके जाने के कारण अनेक थे जिनमें कुछ ये है :—

बर्थ और रेलवे वैगनों का न मिल सकना, मजदूरों की समस्या, खराब मौसम आदि।

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

5408. **श्री अमर सिंह बी० राठी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिए कितनी राशि निर्धारित की गयी है, और

(ख) उन राष्ट्रीय राजपथों के नाम क्या हैं जिनका विकास किया जाना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : छठी पंचवर्षीय योजना, 1980--85, अभी योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप से तैयार नहीं की गयी है। इसलिए अभी बताना संभव नहीं है कि गुजरात राज्य में राष्ट्रीय मार्गों के लिए कितनी धनराशि रखी जायगी। वर्ष 1978--83 की योजना के मसौदे में गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, 8ए, 8बी, 8सी और 15 के विकास के लिए नये निर्माण-कार्यों के लिए मौजूदा और संभावित यातायात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 22·26 करोड़ रुपये रखे गए थे। इन निर्माण-कार्यों को शुरू करना नियत धनराशि में से प्रति वर्ष उपलब्ध होने वाली धनराशि पर और इस बात पर निर्भर है कि सारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए जाने वाले निर्माण-कार्यों में से कौन सा निर्माण-कार्य पहले किया जाना चाहिए।

सभी राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ने के लिए रेलगाड़ियां चलाया जाना

5409. **श्री वी०एस० विजय राघवन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ने के लिए रेलगाड़ियां चलाने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलवे लाइनों पर स्थित सभी राज्यों की राजधानियां यातायात के स्वरूप के आधार पर पहले से ही सीधी गाड़ियों द्वारा अन्य शहरों के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्हें सीधी तेज गाड़ियों द्वारा अथवा बड़ी लाइन/मीटर-लाइन/छोटी लाइन की मेल लेने वाली गाड़ियों द्वारा दिल्ली के साथ भी मिला दिया गया है। यातायात का औचित्य सिद्ध होने पर और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन राजधानियों तक आने-जाने वाली अतिरिक्त गाड़ियां चलायी जायेंगी।

अम्बागुडि-लाँसीगढ़ लाइन

5410 **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अम्बागुडि-लाँसीगढ़ रोड के बीच एक रेल लाइन बनाने की बहुत अधिक माँग है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : प्रधान मंत्री को भेजे गये माननीय सदस्य के पत्र का एक उद्धरण मई, 1980 में प्राप्त हुआ है। इस लाइन के लिए एक नया सर्वेक्षण शुरू किये जाने के प्रश्न पर रेल प्रशासन के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों में आरक्षण

5411. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए सभी रोजगार-आरक्षण के मामलों को निगरानी करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए श्रम मंत्रालय के अधीन एक सैल स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों आदि में विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों—विभागों सहित सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से आरक्षण-आदेशों को मानीटर करने तथा विहित प्रपत्र में तिमाही विवरणी भेजने के सम्बन्ध में सम्पर्क अधिकारी के रूप में उपसचिव के रैंक के एक अधिकारी को नामित करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। श्रम मंत्रालय में सर्जित किए जा रहे विशेष सैल में इन तिमाही विवरणियों को समेकित किया जाएगा तथा इन्हें मानीटर किया जाएगा।

बिहार में शिक्षित बेरोजगार

5412. **श्री हरि नाथ मिश्र :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में कुछ पिछले वर्षों के दौरान शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) रोजगार कार्यालयों के अनुसार इस समय शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि सभी शिक्षित बेरोजगारों ने, अपना पंजीयन नहीं करवाया है; यदि हां, तो राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की वास्तविक संख्या का अनुमानित निर्धारण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(घ) शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसरों का पता लगाने तथा साथ ही उनको रोजगार देने तक कुछ सहायता देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी हां ।

(ख) बिहार राज्य के रोजगार कार्यालयों के रजिस्टर पर पंजीकृत शिक्षित (मैट्रिकुलेट और इससे अधिक शिक्षा प्राप्त) नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों (जिनमें सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से बेरोजगार नहीं हैं) की संख्या 31-12-1979 को 9·70 लाख थी ।

(ग) चूंकि रोजगार कार्यालयों के साथ पंजीकरण स्वैच्छिक है, अतः यह तथ्य है कि सभी शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति अपना नाम रोजगार कोर्यालयों में पंजीकृत नहीं करवाते हैं । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित किए गए रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण (32वां दौर, जुलाई, 1977, जून, 1978) में सामान्य एवं तकनीकी शिक्षा और कार्यकलाप स्थिति द्वारा व्यक्तियों का विस्तार देने वाली सारणियां सृजित करने की व्यवस्था की गई है ।

(घ) 1980--85 की योजना निरूपण-अवस्था में है । नई योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है रोज़गार के अवसर सृजित करना । सरकार की चेष्टा अधिक लाभदायक रोजगार देने की व्यवस्था करना है और इस संदर्भ में बेरोज़गारी-भत्ता या कोई अन्य राहत देने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

कोयला खान मजदूर संघ से ज्ञापन

5413. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयला खान मजदूर संघ से ता० 15 मई, 1980 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें उठाए गए मुख्य मुद्दे क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां ।

(ख) छुट्टियों के प्रयोजनार्थ ईस्टर्न कोल-फील्ड्स लिमिटेड की प्रैस और कार्यालय-कर्मचारियों के बीच अनुरूपता लाने की आवश्यकता सम्बन्धी विवाद को न्याय-निर्णयन के लिए भेजने से इन्कार करने सम्बन्धी निर्णय की पुनरीक्षा करना ।

(ग) यूनियन ने न्याय-निर्णयन से इन्कार करने सम्बन्धी सरकारी आदेशों को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में मई, 1979 में रिट याचिका दायर की । यह मामला न्यायाधीन है और निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में खराब हार्ट वाल्व को बदलने के लिए हृदय रोगियों से ली जाने वाली राशि

5414. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खराब वाल्व को बदलने के लिए प्रत्येक हृदय रोगी से दस हजार रुपये की राशि लेता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गरीब रोगियों को राहत देने के लिये कोई प्रावधान है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी नहीं। हृदय रोगी के उपचार पर कितना खर्च आता है यह रोग की किस्म पर निर्भर करता है और उपचार की लागत 5,000 रुपये से 15,000/- रुपये के बीच बैठती है।

(ख) और (ग) : जहां तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का सम्बन्ध है, जनरल वार्ड में भर्ती हुए रोगियों के निःशुल्क आपरेशन किए जाते हैं और उनसे 5/- रुपये प्रति-दिन प्रति रोगी की दर से लिए जाते हैं जिसमें आहार और सभी दवाइयों की लागत शामिल होती है। निर्धन रोगियों के मामले में इन शुल्कों को भी माफ कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की अस्पताल कल्याण सोसाइटी द्वारा एक पुअर फण्ड की व्यवस्था की गई है जो गरीब रोगियों को 500/- रुपये तक की सहायता प्रदान करती है।

जयपुर, कोटा, झालावाड़, भोपाल को जोड़ने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना

5415. **श्री चतुर्भुज :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार राजस्थान में परिवहन विकास को देखते हुए वर्ष 1972 से यह मांग कर रही है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को जोड़ने वाली जयपुर, कोटा, झालावाड़, भोपाल सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये,

(ख) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय ने योजना आयोग से सिफारिश की थी कि उपरोक्त सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये,

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य सड़क विकास निदेशक ने समय-समय पर यही विचार व्यक्त किये हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस उचित मांग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसको राष्ट्रीय राजमार्ग कब घोषित किया जायेगा तथा कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) : राजस्थान सरकार निश्चय ही इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग करती रही है। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश का ब्यौरा-भोपाल खण्ड पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 का एक भाग है, इसलिए राजस्थान सरकार के सुझाव का आशय असल में यह हो जाता है कि जयपुर-ब्यौरा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाय। इस मंत्रालय ने कुछ राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का जो प्रस्ताव बनाया है ; उनमें उक्त मार्ग

भी है। लेकिन सरकार इस समय वित्तीय कठिनाइयों और अन्य प्राथमिकताओं के कारण अभी नई सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं कर सक रही है।

रेलवे श्रमिक न्यायाधिकरण, 1969 का पंचाट

5416. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन में प्रीपेरटर और पूरक कार्यों में अतिरिक्त कार्य दर्शाने के बारे में रेलवे श्रमिक न्यायाधिकरण, 1969 का पंचाट रेलवे में लागू किया गया है, और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल श्रम अधिकरण, 1969 ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मणिपुर तक रेल लाइन बिछाना

5417. **श्री नगनगोम मोहेन्द्रा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपाक रेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मणिपुर तक रेल लाइन बिछाने की कोई योजना बनाई है,

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना कब अपनाई गई थी, और

(ग) योजना को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : मणिपुर राज्य में रेल-संचार की सुविधाएं देने के दृष्टिकोण से, छठी पंचवर्षीय योजना में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बनाई जाने वाली 5 नई लाइनों के साथ-साथ सिलचर-जिरीबाम रेल लाइन (मी० ला० 50·36 कि० मी०) के निर्माण को अनुमोदित कर दिया गया था। अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण की अच्छी प्रगति हो रही है। जहाँ अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, वहाँ भूखंडों के लिए भूमि-अधिग्रहण के कागजात तैयार किये जा रहे हैं। कैम्प कार्यालय, सीमेंट के लिए गोदाम आदि के निर्माण जैसे अन्य प्रारम्भिक कार्य भी प्रगति में हैं। यह लाइन 1983 के अन्त तक पूरी कर लिये जाने की आशा है।

औद्योगिक शान्ति के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

5418. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक विवादों का तेजी से निपटारा करने तथा श्रम-कानूनों में समानता सुनिश्चित करने की दृष्टि से औद्योगिक शान्ति का वातावरण बनाने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो जिस उद्देश्य का विचार किया गया है उसकी प्राप्ति के लिए उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा मजदूर संघ अधिनियम में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०अंजैया) : (क) से (ग) : देश में सामान्य औद्योगिक सम्बन्ध स्थिति तथा—औद्योगिक विवादों और श्रमिक संघों से सम्बन्धित कानूनों में विधायी संशोधनों के बारे में 19-20 जुलाई 1980 को हुए श्रम मंत्री सम्मेलन में विचार-विमर्श किया

गया था । राज्य सरकारें औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र को सरल तथा सुदृढ़ बनाने के लिए सहमत थी ताकि श्रम समस्याओं का पूर्वानुमान लगाया जा सके और कालबन्दी को रोकने के लिए उपचारी कार्यवाही की जा सके तथा औद्योगिक सामंजस्य और उत्पादन बढ़ाया जा सके । सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्र जहां विधायी संशोधनों की आवश्यकता है, का पता लगाया जा रहा है ।

रेल कर्मचारियों के लिए दवाओं की खरीद

5419. **श्री नारायण चौबे :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल विभाग के लिए दवाओं की खरीद हेतु 1979-80 के लिए कितनी राशि मंजूर की गई थी और 1980-81 के लिए कितनी राशि रकम मंजूर की गई है,

(ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे के सम्बन्ध में 1979-80 और 1980-81 के लिए इसी प्रयोजन हेतु कितनी राशि मंजूर की गई है,

(ग) खड़गपुर डिवीजन के सम्बन्ध में वर्ष 1979-80 और 1980-81 के लिए इसी प्रयोजन हेतु कितनी राशि मंजूर की गई है, और

(घ) क्या दवाओं की खरीद के लिए धन की मंजूरी के बारे में कोई सीमा-रेखा है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1979-80 6·53 करोड़ रु०
1980-81 8·11 करोड़ रु०

(ख) 1979-80 के बजट में 71·30 लाख रु० और 1980-81 के बजट में 98·21 लाख रु० की धनराशि की व्यवस्था की गई है ।

(ग) वर्ष 1979-80 में, खड़गपुर मंडल के लिए 12·72 लाख रु० की स्वीकृति दी गयी थी । हाल ही में संसद द्वारा पारित 1980-81 के मुख्य बजट के आधार पर इस वर्ष के लिए आंबटन, शीघ्र ही किया जाएगा । अन्तरिम बजट के अन्तर्गत, जुलाई, 1980 तक की अवधि के लिए, इस मंडल को 5·02 लाख रु० की स्वीकृति दी गयी थी ।

(घ) इस प्रकार का कोई मापदंड नहीं है । पिछले रुख और खर्चे तथा वर्ष के लिए प्रत्याशित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए धनराशि की व्यवस्था की जाती है ।

रेलवे की खाली भूमि का आंबंटन

5420. **श्री एस०बी० पाटिल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ (पूना-ब्रांच) रेल अधिकारियों से अनुरोध करता रहा है कि शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन (पुणे) के निकट रेलवे की खाली भूमि रेल कर्मचारियों के लिए सहकारिता के आधार पर मकान बनाने के लिए आबंटित की जाये, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ ।

(ख) जिस भूमि की मांग की गयी है, वह रेलवे द्वारा निजी उपयोग के लिए भावी विकास के उद्देश्यों के लिए चाहिए । इसके अलावा, निर्धारित नीति के अनुसार मकानों के निर्माण के लिए भूमि नहीं दी जा सकती । इसलिए, संघ के अनुरोध को नहीं माना गया है ।

रेल वैगनों का प्राप्ति लक्ष्य

5421. **श्री निरेन घोष :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के लिए रेल वैगनों का प्राप्ति-लक्ष्य कितना है, और

(ख) इसी अवधि में वैगन निर्माताओं को कौटा-वार कितने वैगन के आर्डर दिये गये/दिये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विभिन्न वर्गों के लिए माल डिब्बों की खरीद का लक्ष्य निम्न प्रकार है :—

वर्ष	लक्ष्य (चौपहियों के हिसाब से माल डिब्बे)
1980-81	13,000
1981-82	18,000 (अनन्तिम)
1982-83	संशोधित छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1980--85) के लिए योजना आयोग द्वारा रेलों पर गठित कार्यदल की रिपोर्ट मिलने पर इस पर विचार किया जाएगा ।

(ख) 1-4-1980 को, उद्योग के माल डिब्बा उत्पादन यूनिटों के पास चौपहिए के हिसाब से 28,128 माल डिब्बों के निर्माण का काम बकाया था जो उनके लिए लगभग दो वर्षों के लिए पर्याप्त है, जैसा कि नीचे की तालिका में दिया गया है। रेलवे कारखानों में चौपहिए के हिसाब से तदनुरूपी भार 6252 माल डिब्बे था। लगभग 15000 माल डिब्बों (चौपहिए के हिसाब से) का निर्माण करने के लिए और आर्डर दिये जाने के बारे में कार्रवाई की जा रही है जिसमें से लगभग 14000 का आर्डर माल डिब्बा निर्माण उद्योगों को दिया जायेगा। और शेष का आर्डर रेलवे कारखानों को दिया जाएगा विभिन्न यूनिटों के बीच इसका वितरण उन पर बकाया भार, उनकी क्षमता और उनके पिछले निष्पादन को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

क्रम. सं०	यूनिटों का नाम	1-4-1980 को बकाया भार
1.	उद्योग	
1.	मैसर्स भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कम्पनी, लि०/मुजफ्फरपुर	1572
2.	मैसर्स भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग लि० कम्पनी, मोकामा	1345
3.	मैसर्स ब्रैथ वैट, कलकत्ता	4157 *
4.	मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड, हवड़ा	4795
5.	मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड, बर्नपुर	3950·5
6.	मैसर्स सिमको, भरतपुर	5116
7.	मैसर्स हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज, नांगलोई	1235
8.	मैसर्स मार्डन इंडस्ट्रीज, साहिबाबाद	1387·5

9. मैसर्स टैक्समेको, कलकत्ता	4570
कुल जोड़	28,128
10. रेलवे कारखाने	6252

* ब्रैथवैट के आर्डर में चौपहियों के हिसाब से 232 माल डिब्बे बाद में कम कर दिये गये हैं और इनका आर्डर दूसरी यूनिट अर्थात् मैसर्स जैसप, कलकत्ता को दिया गया है।

पश्चिम रेलवे में हरिजनों के लिए आरक्षित पद

5422. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिए श्रेणीवार कितने पदों का आरक्षण किया गया है,

(ख) उनमें से कितने पद रिक्त पड़े हैं,

(ग) उसके क्या कारण हैं, और

(घ) रेलवे विभाग इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गर्भ की समाप्ति

5423. **श्री तारिक अनवर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानून के अन्तर्गत, 20 सप्ताह से अधिक पुराने भ्रूण का आपरेशन करना वर्जित है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गर्भ-समाप्ति को पूरी तरह गुप्त रखा जाता है,

(ग) क्या सरकार का ध्यान 23 जून, 1980 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एक अविवाहित युवती का 26 सप्ताह पुराना गर्भ समाप्त किया गया था और गर्भस्थ शिशु तुरन्त मर गया था ; और

(घ) यदि हाँ, तो समाचारपत्रों को इसका पता कैसे लगा और वहां गुप्तता बनाए रखने के नियमों का उल्लंघन किसने किया ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अधीन केवल 20 सप्ताह तक के गर्भ को ही समाप्त किया जा सकता है।

(ख) गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गर्भ की समाप्ति के लिए कुछेक शर्तें निर्दिष्ट की गई हैं। उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भारत सरकार ने विनियम जारी किये हैं जिनका नाम "गर्भ का चिकित्सकीय समापन विनियम, 1975" है। गर्भ के चिकित्सकीय समापन अधिनियम की धारा 7(ग) के साथ पठित विनियम के अनुसार इस विनियम में यथानिर्दिष्ट व्यक्तियों और प्रयोजनों के सिवाए सूचना को प्रकट करने की मनाही है।

(ग) जी, हां। सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है।

(घ) ऐसा लगता है कि गुप्तता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इस समाचार की रिपोर्ट का स्रोत ज्ञात नहीं है।

गरहवा होते हुए रांची और पटना के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाया जाना

5424. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरहवा होते हुए रांची और पटना के बीच एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का है जिससे बिहार के अनेक जिलों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके और उनको राज्य की राजधानी से जोड़ा जा सके ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : गढ़वा रोड के रास्ते पटना और रांची के बीच कोई गाड़ी चलाना न तो मार्गवर्ती खंडों में लाइन की क्षमता की तंगी के कारण परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक ही है और न वांछनीय ही, क्योंकि यह चक्करदार मार्ग होगा, जिसमें अधिक लम्बी यात्रा और ऊंचा किराये अन्तर्विष्ट है।

श्रीनगर में नदी परिवहन

5425. **डा० फारुक अब्दुल्ला :**

श्री रसूल गुलाम कोचक : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर में बहुत बड़ी संख्या में लोग नदी परिवहन से होने वाली कमाई से निर्वाह करते हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन शिकाराओं के आधुनिकीकरण के संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि अच्छी आय अर्जित करने में उनकी मदद हो सके,

(ग) यदि हां, तो उनके लिए कौन सी योजनाएं तैयार करने की संभावना है,

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने भी राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश दिए हैं कि वे इन नाविकों को सहायता दें और रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करायें, और

(ङ) इन शिकाराओं के आधुनिकीकरण में सहायता देने के लिए सरकार किन अन्य उपायों के बारे में विचार कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) अन्तर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में मशीनयुक्त नये-नये जलयान खरीदने और मौजूदा अन्तर्देशीय जलयानों को मशीनयुक्त करने के लिए उद्योगकर्त्ताओं को ऋण पर ब्याज अदा करने के लिए आर्थिक सहायता देने की एक स्कीम जून, 1980 से मंजूर की गयी है। राज्य सरकारों से इस स्कीम का अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए कहा गया है। इस स्कीम के तहत अन्तर्देशीय जल परिवहन उद्योगकर्त्ताओं को राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा 5-1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ऋण-सहायता दी जायगी। समय पर ऋण के अदा करने पर उन्हें ब्याज की इस दर में 1/4 प्रतिशत की छूट भी दी जायगी। इस दर में और बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा उक्त प्रकार के ऋण पर ऋणकर्त्ताओं से सामान्यतः वसूल किए जाने वाले ब्याज की दर में जो अन्तर होगा उसे सरकार पूरा करेगी। यह स्कीम जहां छोटे-छोटे

उद्योगकर्त्ताओं के लाभ के लिए बनाई गयी है वहां इस स्कीम का उद्देश्य अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के विकास को प्रोत्साहन देना भी है। इस स्कीम से समाज के वे लोग भी जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

पुरुलिया-कोटशिला लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

5426. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरुलिया-कोटशिला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो कब तक, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : पुरुलिया-कोटशिला छोटी लाइन के खंड को बड़ी लाइन में बदलने से पहले के यातायात सर्वेक्षण को अद्यतन करने के प्रश्न पर रेल मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

कोचीन पत्तन में हड़ताल

5427. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन पत्तन में हड़ताल है,

(ख) यदि हां, तो क्या हड़ताल से प्रभावित कोचीन पत्तन में सभी गतिविधियां पूरी तरह से रुक गई हैं,

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) स्थिति को पुन: सामान्य बनाने और अर्थव्यवस्था को और बिगड़ने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) : कोचीन पोर्ट के पोर्टेज सेक्शन के लगभग 200 इक्जीक्यूटिव कर्मचारियों ने सप्ताह में छह दिन लगातार काम करने से एक दिन की छुट्टी देने की प्रणाली को खत्म करने और स्थायी रूप से रविवार को छुट्टी का दिन घोषित करने की मांग मनवाने के लिए 15 जून 1980 से हड़ताल कर दी। इस हड़ताल से जनरल कारगो वाले जहाजों पर माल चढ़ाने-उतारने के काम में रुकावट आई और इसके परिणामस्वरूप चाय, काजू आदि को निर्यात के लिए जहाज पर चढ़ाने का काम रुक गया। बल्क कारगो वाले जहाजों पर माल चढ़ाने-उतराने का काम नहीं रुका। पेट्रोल, तेल और लुब्रीकेंट माल वाले जहाजों का आना-जाना भी होता रहा।

(घ) नौवहन और परिवहन मंत्री की अपील पर यह हड़ताल 13 जुलाई 1980 को वापस ले ली गई।

हजारी बाग शहर के लिये रेलवे सेवा

5428. **श्री बिन्देश्वरी दुबे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हजारीबाग शहर के लिये, जो उत्तर छोटा नागपुर डिवीजन का डिवीजनल मुख्यालय है, सीधी रेलवे अभी तक उपलब्ध नहीं है,

(ख) क्या यह भी सच है कि गत 10-12 वर्षों के दौरान विभिन्न संगठनों और वहां के

लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा हजारीबाग शहर को एक रेलवे लाइन द्वारा जोड़ने के लिए, समय-समय पर बहुत से अभ्यावेदन भेजे गये थे,

(ग) क्या यह भी सच है कि बिहार में पलामू, राँची, हजारीबाग और गिरीडीह के एक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र को एक रेलवे लाइन द्वारा जोड़ने का प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है, और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : जी हाँ।

(ग) और (घ) : नया सर्वेक्षण, जिसके लिए आदेश 1977-78 में दिये गये थे और जो आजकल हो रहा है, रांची रोड से हजारीबाग टाउन और कोडरमा के रास्ते गिरीडीह तक एक बड़ी लाइन के लिए है। सर्वेक्षण-रिपोर्ट पूरी हो जाने और वित्तीय क्षमता सहित सभी पहलुओं से उसकी जांच कर लिये जाने के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा।

इलाहाबाद और दिल्ली के बीच कानपुर और टुंडला होकर चलने वाली मेल/एक्सप्रेस/पेसेंजर रेलगाड़ियां

5429. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद और दिल्ली तथा नई दिल्ली के बीच कानपुर और टुंडला होकर चलने वाली मेल या एक्सप्रेस और पैसेंजर रेलगाड़ियों की प्रति सप्ताह संख्या क्या है,

(ख) इलाहाबाद और दिल्ली के बीच लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद और हापुड़ होकर चलने वाली रेलगाड़ियों की प्रति सप्ताह संख्या क्या है,

(ग) सरकार द्वारा इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद और हापुड़ से दिल्ली तथा नई दिल्ली तक कोई नई रेलगाड़ी-सेवा आरम्भ न किये जाने के कारण क्या हैं और आधार क्या हैं,

(घ) क्या सरकार का विचार वहां कोई एक्सप्रेस या मेल रेलगाड़ी चलाने का है,

(ङ) इलाहाबाद से लखनऊ, बरेली, तथा मुरादाबाद होकर सहारनपुर तक चलने वाली एक्सप्रेस/मेल और पैसेंजर रेलगाड़ियों की संख्या क्या है, और

(च) क्या सरकार का विचार इस लाइन पर इलाहाबाद से मुरादाबाद होकर सहारनपुर तक कोई एक्सप्रेस/मेल रेलगाड़ी चलाने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दोनों दिशाओं में 68 गाड़ियां।

(ख) कोई नहीं।

(ग) और (घ) : लखनऊ और मुरादाबाद के रास्ते दिल्ली और इलाहाबाद के बीच कोई गाड़ी चलाना लाइन-क्षमता की तंगी के कारण न तो परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक है और न वांछनीय ही, क्योंकि यह एक अधिक लम्बा मार्ग है, इसलिए अधिक यात्रा-समय के अलावा किराया भी अधिक लगेगा।

(ङ) एक जोड़ी।

(च) जी नहीं।

श्री जे० वर्की को यू० के० से बाहर निकालना

5430. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय दम्पती श्री वर्गिज बर्की और उनकी पत्नी को, उनके यू०के० में आठ वर्ष तक रहने के बाद वहां से निकल जाने के आदेश दिये गये थे;

(ख) क्या ब्रिटिश संसद के 100 से भी अधिक सदस्यों द्वारा देश से बाहर निकाले जाने के आदेश के विरुद्ध अपील की गयी थी तथा उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) देश के बाहर निकाले जाने के आदेश को बापस लेने के बारे में यू०के० अधिकारियों को राजी करने के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) जी हाँ। श्री वर्गीज़ वर्की और उनकी पत्नी को अगस्त, 1972 में यूनाइटेड किंगडम में यात्रियों के रूप में प्रवेश मिला था। उन्होंने वहाँ ठहरने की समयावधि में वृद्धि करने के लिए कई बार आवेदन किया लेकिन कई बार उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। दिसम्बर, 1979 में ब्रिटेन के गृह मंत्री ने एक उद्वासन आदेश जारी किया और बर्की दम्पती के यहाँ उसकी तामील कराई गई। अप्रैल, 1980 में उन्होंने न्यायालय में न्यायिक पुनरीक्षण की अपील की जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। अन्ततः 27 जून, 1980 को श्रीमती बर्की और बाद में, 30 जून 1980 को, श्री वर्की यूनाइटेड किंगडम से चल दिये।

(ख) जी हाँ। 5 जून, 1980 को ब्रिटेन के एक संसद सदस्य ने सौ से अधिक अन्य संसद सदस्यों के समर्थन से हाऊस आफ कामन्स में एक यथाशीघ्र प्रस्ताव रखकर गृह मंत्री से यह अपील की कि वह अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करें और वर्गीज दम्पती को यूनाइटेड किंगडम से निकालने के प्रस्ताव को वापस ले लें। इसके उत्तर में यह बताया गया कि ब्रिटिश गृह मंत्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उद्वासन होना ही चाहिए। अभ्यावेदनों पर और आगे विचार करने के लिए गृह राज्य मंत्री ने कुछ संसद सदस्यों के साथ दो बार मुलाकात की। लेकिन मई, 1980 में वे भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस निर्णय को बदलने का कोई आधार नहीं है।

(ग) भारतीय हाई कमीशन को इस मामले के बारे में मई, 1980 में पता चला जबकि गृह मंत्री उद्वासन आदेश जारी कर चुके थे और गृह राज्य मंत्री इस आदेश के रद्द करने के लिए कुछ संसद सदस्यों का अनुरोध ठुकरा चुके थे। फिर भी, भारतीय हाई कमीशन ने 9 जून को अनौपचारिक रूप से ब्रिटिश गृह कार्यालय से बातचीत की, लेकिन उसे सूचित किया गया कि इस पर पुनर्विचार करने की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि पहले ही मंत्री स्तर पर निर्णय लिया जा चुका है।

जून, 1980 में, प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने दिल्ली स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ इस मामले को उठाया लेकिन ब्रिटिश सरकार इस उद्वासन आदेश को बदल नहीं सकी।

महेश खूंट स्टेशन पर प्रयाग पैसेंजर ट्रेन में डकैती

5431. **श्री डूमर लाल बैठा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 जून, 1980 को उत्तर पूर्वी रेलवे के महेश खूंट स्टेशन (इलाहाबाद-जोगबानी) पर प्रयाग पैसेंजर ट्रेन के एक डिब्बे में हथियारबन्द डकैतों ने घुस कर एक लाख रु० की सम्पत्ति लूट ली,

(ख) क्या यह भी सच है कि डकैतों ने पाइपगनों और चाकुओं का खुलकर प्रयोग किया जिसके फलस्वरूप एक महिला सहित छः यात्री घायल हो गये,

(ग) सरकार ने डकैतों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाये हैं और भविष्य में रेल-यात्रियों की डाकाजनी से रक्षा करने के लिए क्या प्रबन्ध किए हैं, और

(घ) क्या सरकार का विचार घायल व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की अदायगी करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। यात्रियों से 10,215 रुपये (एक लाख रुपये नहीं) की सम्पत्ति लूटी गयी थी।

(ख) डकैत देशी पिस्तौलों और चाकूओं से लेस थे और इस घटना में केवल एक यात्री को चाकू से मामूली चोटें आयीं।

(ग) सात संदिग्ध अपराधी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। ऐसी घटनाओं से रेलयात्रियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(i) गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के लिए सभी महत्त्व-पूर्ण और बदनाम गाड़ियों में पुलिस मार्गरक्षियों की व्यवस्था की गयी है।

(ii) रेलें सभी स्तरों पर राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखती हैं और यथा-अपेक्षित आवश्यक सहायता प्रदान करती रहती हैं।

(iii) अपराधियों पर नजर रखने और सवारी गाड़ियों में कार्यशील अपराधियों के सम्बन्ध में अपराध आसूचना एकत्र करने के लिए सादे कपड़ों में राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारी तैनात किए जाते हैं।

(iv) अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा जिला पुलिस के साथ समन्वय करके अभियान चलाये जाते हैं।

(v) चलती गाड़ियों में तैनात सशस्त्र राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल में दक्षता और सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए गाड़ियों में राजकीय रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों द्वारा अचानक जांच की जाती है।

इनके अतिरिक्त, रेलें अपनी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई करती हैं :—

1. 22·00 बजे से 06·00 बजे के बीच डिब्बों के गलियारे पार दरवाजे बन्द कर दिए जाते हैं।

2. आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए चल टिकट-परीक्षकों/परिचरों/कंडक्टरों को सतर्क रहने के अनुदेश दिये गये हैं।

3. जब कभी किसी क्षेत्र विशेष में अपराध तेज हो जाते हैं तो यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है और यथा-अपेक्षित आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।

4. अतिरिक्त उपाय के रूप में अपराधियों को पकड़ने तथा यात्रियों में विश्वास पैदा करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के लगभग 2000 कर्मचारी सवारी गाड़ियों में मार्गरक्षी के रूप में तैनात किए गये हैं।

5. गाड़ियों में अपराधों की समस्या का समाधान करने के लिए रेलवे की ओर से उपाय

सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड में उप महानिरीक्षक/मुख्य सुरक्षा अधिकारी (डकैती-निरोधी) के एक पद का सृजन किया गया है।

(घ) ऐसे अपराध के शिकार व्यक्तियों को रेलों द्वारा किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाता।

शाहगंज-मान रेल लाइन को ब्राड गेज में बदला जाना

5432. **श्री झारखंडे राय :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बाराबंकी-समस्तीपुर और वाराणसी-भटनी मीटर गेज लाइन की ब्राड गेज लाइन में बदलने के लिए योजना की स्वीकृति देने के बाद सरकार का विचार शाहगंज-मान और वाराणसी-छपरा मीटर गेज लाइन और गोंडा-गोरखपुर लूप लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने का काम आरम्भ करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : माऊ-शाहगंज और वाराणसी-बलिया-छपरा मीटर लाइन खंडों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। गोरखपुर-सहजनवा-गोंडा खंड को, बाराबंकी-समस्तीपुर, आमान-परिवर्तन योजना के एक भाग के रूप में, बड़ी लाइन में बदला जायेगा, परन्तु गैन्सरी के रास्ते गोंडा-गोरखपुर लूप लाइन का आमान-परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिहार तक का वैकल्पिक मीटर लाइन मार्ग अलग-थलग पड़ जायेगा।

औद्योगिक यूनिटों के प्रबंध में कर्मचारियों को शामिल किया जाना

5433. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :**

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक ऐसा आदेशात्मक उपबंध बनाने का है जिसके अंतर्गत औद्योगिक यूनिटों के लिए यह अनिवार्य हो जायेगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रबंध से लेकर उत्पादन तक सभी स्तरों पर कर्मचारियों को शामिल किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने यूनिटों के कार्यों में मजदूरों को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया) : (क) से (ग) : श्रम मंत्री सम्मेलन, जिसने प्रबंध और इक्विटी में श्रमिकों की सहभागिता संबंधी 21 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, के 31वें अधिवेशन में श्रमिकों की सहभागिता संबंधी योजना को कानूनी समर्थन देने के सिद्धान्त पर सर्वसम्मति थी। इस संबंध में आगे कार्यवाही सरकार द्वारा की जाएगी।

इस बीच सरकार ने 1975 और 1977 की योजनाओं, जिनमें शाप फ्लोर/यूनिट तथा प्लांट/डिवीजन, आदि स्तरों पर श्रमिकों की सहभागिता की व्यवस्था है, के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में सभी संबन्धित पक्षों पर जोर डाला है।

भारत-बल्गारिया संयुक्त आयोग की बैठक

5434. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-बल्गारिया संयुक्त आयोग की 21 जून, 1980 को एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई ;

(ग) क्या निर्णय लिये गये; और

(घ) क्या अधिक वित्तीय सहायता के लिए किसी करार पर हस्ताक्षर किए गये ?

विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : इस संबंध में 1-7-1980 को जारी किए गए प्रैस नोट की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें दूसरी बातों के अलावा भारत-बल्गारिया संयुक्त आयोग के पांचवें अधिवेशन में चर्चित विषयों और निर्णयों का ब्यौरा बताया गया है । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 1158/80)

(घ) जी नहीं ।

पश्चिम रेलवे कर्मचारी यूनियन की कलोल शाखा की ओर से ज्ञापन

5435. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम रेलवे कर्मचारी यूनियन की कलोल शाखा की ओर से मुख्य कार्मिक अधिकारी, पश्चिम रेलवे को सम्बोधित दिनांक 10 जून, 1980 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था,

(ख) उसमें क्या मांगें निहित हैं, और

(ग) उन मांगों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : 455-700 रु. (सं०वे०) में तदर्थ आधार पर पदोन्नत मुख्य संचलन निरीक्षकों को नियमित किये जाने के लिए वेस्टर्न रेलवे एम्पलाइज यूनियन की कलोल शाखा से एक पत्र पश्चिम रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी को मिला है । उनका नियमितीकरण, वरिष्ठता निर्धारण और उच्चतर ग्रेडों में परिणामी पदोन्नयन यथा समय, पदों आदि के उपलब्ध होने पर, कर दिया जायेगा ।

पटना जंक्शन पर आरक्षण के मामले में कथित कुप्रबन्ध

5436. **श्री आर० पी० यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आरक्षण के मामले में कोई उचित पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है और वहां कुप्रबन्ध है, भ्रष्टाचार है और कर्मचारियों द्वारा लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और

(ख) क्या विक्रमशिला एक्सप्रेस में पटना से दिल्ली तक के लिए प्रथम श्रेणी में 10 दिन पहले किये गये आरक्षणों को चार्ट में ठीक से दर्ज नहीं किया जाता है और लापरवाह कर्मचारियों द्वारा चार्ट में प्रविष्ट न किये जाने के कारण उन यात्रियों, जिन्होंने आरक्षण कराया था, रास्ते में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : 15 मई, 1980 तक के पिछले 5 माह के दौरान पूर्व रेलवे प्रशासन को पटना जंक्शन के कर्मचारियों के विरुद्ध कुप्रबन्ध, कदाचार और दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

पटना जंक्शन के आरक्षण कार्यालय में लगे 30 बुकिंग एवं आरक्षण क्लर्कों और 3 मुख्य पूछताछ एवं आरक्षण क्लर्कों के काम का पर्यवेक्षण एक मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक करता है

जिसकी सहायता के लिए दो आरक्षण पर्यवेक्षक है। विक्रमशिला एक्सप्रेस सहित सभी गाड़ियों और सभी दर्जो के चार्ट, जिसमें पहला दर्जा भी शामिल है, सही ढंग से तैयार किये जाते हैं। तैयार किये गये अंतिम आरक्षण चार्टों की जाँच के लिए कर्मचारियों को विशेष रूप से तैनात किया जाता है ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण कार्यालयों का काम सुचारु रूप से चलता है, मुख्यालय और मंडल कार्यालयों से प्रशासनिक ओहदे के वाणिज्यिक अधिकारियों द्वारा सादे लिबास में नियमित जांच की जाती है। वाणिज्यिक पर्यवेक्षक के एक पद को अभी हाल में सहायक वाणिज्यिक अधिकारी के पद में अपग्रेड किया गया है ताकि कदाचार, यदि कोई हो, को रोकने के लिए आरक्षण कार्यालय की कार्य-प्रणाली पर कड़ी निगाह रखी जा सके और यात्री जनता की कठिनाइयों की जांच की जा सके।

गुनुपुर-नौपाडा रेल लाइन

5437. **श्री गिरधर गोमांगो :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजनावधि में दक्षिण पूर्व रेलवे में गुनुपुर-नौपाडा नैरोगेज रेल लाइन में सुधार करने के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है और शुरू किया गया और पूरा किया गया और निर्माण कार्य किया है,

(ख) पंचवर्षीय योजना, 1980-85 की वार्षिक योजनाओं में इस रेल लाइन में और सुरक्षा लाने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रम क्या है,

(ग) क्या रेलगाड़ी को समय पर चलाने के लिए पुराने इंजन के स्थान पर नये इंजन लगाने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) रेलगाड़ी को समय पर चलाने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा अब तक किये गये प्रस्ताव क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल-पथ और पुलों के सुधार के लिए लगभग 9 लाख रुपये खर्च किये गये थे। जिन कार्यों को आरम्भ और समाप्त किया गया था वे हैं : कुछ खंडों पर स्लीपरों का नवीकरण, पुराने और कमजोर पुलों का पुनःस्थापन और मिट्टी गद्दियों का सुधार करना। इससे पूर्व, कुछ खंडों की पटरियों का नवीकरण समाप्त किया जा चुका था।

(ख) इसके बाद रेल-पथ/और पुलों के सुधार/नवीकरण के यथा-अपेक्षित अतिरिक्त काम छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में वार्षिक निर्माण-कार्यक्रमों के आधार पर प्रारम्भ किये जायेंगे।

(ग) और (घ) इस खंड पर गाड़ियों का समय-पालन संतोषजनक है (90 प्रतिशत से अधिक है) और इस समय रेल इंजनों को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

खड़गपुर और खुर्द मंडलों में पैसेंजर हाल्ट

5438. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण-पूर्वी रेलवे के खड़गपुर और खुर्द मंडलों में ऐसे कितने पैसेंजर हाल्ट हैं जिन्हें स्थायी स्टेशन नहीं माना जाता है, उन्हें स्थायी स्टेशनों का दर्जा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर और खोरधा रोड मंडलों में ठेकेदारों द्वारा चलाये जाने वाले 28 यात्री हाल्ट हैं। हाल्ट स्टेशनों का विभागीय रूप से चलाये जाने वाले फलैग स्टेशनों में ग्रेड उन्नयन कर दिया जाता है बशर्ते कि पर्याप्त यातायात हो और ऐसे उन्नयन का वित्तीय दृष्टिकोण से औचित्य हो। इन तीन हाल्ट-स्टेशनों के फलैग स्टेशनों में ग्रेड उन्नयन करने के लिए प्रस्तावों की जांच की गई थी परन्तु वित्तीय दृष्टि से इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

श्रम मंत्रालय के पास विचाराधीन पड़े पूर्व रेलवे के औद्योगिक विवाद

5439. **श्री ए० के० राय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम मंत्रालय के पास पूर्व रेलवे के कितने औद्योगिक विवाद समझौता न हो सकने कारण विचाराधीन पड़े हुए हैं ;

(ख) ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं तथा ये विवाद कब से विचाराधीन पड़े हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इन मामलों को न्याय-निर्णय के लिए सौंपे जाने में असामान्य विलम्ब किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) : पूर्वी रेलवे के धनबाद प्रभाग में नियोजित श्रमिकों की सेवाओं को समाप्त करने के बारे में दो विवादों से सम्बंधित संराधन विफलता रिपोर्ट इस वर्ष प्राप्त हुई है और ये रेल मंत्रालय को टिप्पणियों के लिए भेजी गई हैं।

हबीबपुर और फुलिया स्टेशनों पर क्रासिंग की व्यवस्था

5440. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राणाघाट-शान्तिपुर सेक्शन के हबीबपुर और फुलिया स्टेशनों पर क्रासिंग की सुविधा प्रदान करने और इन स्टेशनों को नया रूप देने/उनमें सुधार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुगल लाइन्स का लाभ-हानि लेखा

5441. **श्री बापूसाहिब परुलेकार** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगल लाइन्स लाभ में चल रहा हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उसे हुए लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या कोंकण लाइन के रूप में भली-भांति जानी जाने वाली बम्बई-गोआ लाइन जहां मुगल लाइन के जहाज चलते हैं, लाभ में चल रही है अथवा घाटे में, और गत तीन वर्षों के दौरान उसे हुए लाभ अथवा हानि का ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या मुगल लाइन बम्बई-गोआ लाइन पर चलाए जा रहे जहाज बहुत पुराने हो चुके हैं और क्या उस लाइन पर नए जहाज लाये जा रहे हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मुगल लाइन लिमिटेड को पिछले तीन वर्षों में नीचे लिखा घाटा हुआ :—

1977-78	9·79 करोड़ रु०
1978-79	7·40 करोड़ रु०
1979-80	1·01 करौड़ रु० (अनुमानित)

(ख) बम्बई-गोआ लाइन अर्थात् कोंकण पैसेंजर सर्विस जो मुगल लाइन लिमिटेड चलाती है, घाटे पर चल रही है । पिछले तीन वर्षों के घाटे के आंकड़े नीचे दिये गए हैं :—

1977-78	56·57 लाख रु०
1978-79	59·93 लाख रु०
1979-80	70·00 लाख रु० (अनुमानित)।

(ग) बम्बई-गोआ लाइन पर मुगल लाइन लिमिटेड के चल रहे जहाज बहुत पुराने नहीं हो गये हैं और इनसे चार-पांच साल और आगे भी काम लिया जा सकता है । इस लाइन पर कोई नया जहाज नहीं शुरू किया जा रहा है क्योंकि

(1) मौजूदा जहाज अभी भी काम लायक हैं, और

(2) इस सर्विस को 31 मई, 1981 के आगे भी चालू रखने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

स्वयंसेवी बुकिंग क्लर्क

5442. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में प्रत्येक ज़ोन में कितने-कितने स्वयंसेवी बुकिंग क्लर्क लगाये गये हैं,

(ख) उनके वेतनमान और कार्य की अन्य शर्तें क्या हैं,

(ग) क्या स्वयंसेवी क्लर्कों को उनकी सेवा के अनुभव के आधार नियमित संवर्ग में खपाने की रेलवे की कोई योजना है,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पूर्वोत्तर सीमा, दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलों को छोड़कर जहां यह योजना प्रारम्भ नहीं की गई है, प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर स्वयंसेवी चल बुकिंग क्लर्कों की संख्या नीचे दी गयी है :—

रेलवे	तैनात किये गये चल बुकिंग क्लर्कों की संख्या
मध्य	62
पूर्व	333

रेलवे	तैनात किये गये चल बुकिंग क्लर्कों की संख्या
उत्तर	104
पूर्वोत्तर	9
दक्षिण पूर्व	2
पश्चिम	153

(ख) स्वयंसेवी बुकिंग क्लर्कों को कोई वेतनमान नहीं दिया गया है और उन्हें 1/- रु० से लेकर 2/- रुपये तक की दर उनके द्वारा की गयी ड्यूटी के वास्तविक घंटों के लिए मानदेय दिया जाता है। इन चल बुकिंग क्लर्कों की सेवाएं स्वयंसेवी किस्म की हैं। वे नियमित रेल-कर्मचारी नहीं हैं और इसलिए वे रेल कर्मचारियों को स्वीकार्य रेलवे ग्रेड, वेतनमान और सुविधाओं के पात्र नहीं हैं।

(ग) से (ङ) स्वयंसेवी क्लर्कों को रेलवे संवर्ग में समाहित करने की कोई योजना नहीं है। भारी भीड़-भाड़ की अवधि में इन स्वयंसेवी व्यक्तियों की सेवाओं का अंशकालिक आधार पर उपयोग किया जाता है।

दिल्ली मुख्य स्टेशन और शाहदरा के बीच दुर्घटना के बाद की घटनाएं

5443. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 जून, 1980 को दिल्ली मुख्य स्टेशन और शाहदरा के बीच हुई दुर्घटना के बाद कुछ नागरिकों ने बचाव-कार्य में मदद की और बहुतों ने यात्रियों के सामान लूटने की कोशिश की, और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं न होने देने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस घटना के पश्चात्, कुछ व्यक्तियों ने बचाव-कार्य में सहायता की थी।

जनता द्वारा लूट के किसी मामले की रिपोर्ट पुलिस में नहीं की गई। बहरहाल, दिल्ली रेलवे पुलिस ने सम्बन्धित सवारी डिब्बे से यात्रियों की सम्पत्ति के 26 लावारिस नग हिफाजत के लिए अपने कब्जे में ले लिए थे और उनमें से 7 नग उनके मालिकों को यथोचित जांच-पड़ताल के बाद वापस भी किये जा चुके हैं।

(ख) रेल दुर्घटना होने पर यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :—

(1) प्रभावित क्षेत्र की घेराबन्दी करना,

(2) जिम्मेदार अधिकारी के पर्यवेक्षण में सशस्त्र पहरेदार तैनात करना,

(3) दुर्घटना स्थल पर बिखरी पड़ी लावारिस वस्तुओं की सूची बनाना,

(4) यथोचित जांच के बाद उन वस्तुओं को उनके मालिकों को वापस करना,

(5) कानूनी प्रक्रिया के अनुसार लावारिस वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना।

बावीनगर-नाडीकुडी रेलवे लाइन

5444. **श्री जी०एस० रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बावीनगर-नाडीकुडी रेल लाइन कब पूरी होनी है,

(ख) क्या इसे निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इस लाइन के 1982-83 तक पूरे हो जाने की संभावना है, बशर्ते कि पर्याप्त निधि उपलब्ध हो। तथापि, बीबीनगर से नलगोंडा तक की लाइन को 1981 के शुरू में खोल दिया जायेगा।

औद्योगिक श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी

5445. **श्री आनन्द पाठक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी में वृद्धि करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में उनकी वर्तमान न्यूनतम मजूरी तथा पुनरीक्षित मजूरी का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) (क) और (ख) : राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार अपने तत्सम्बन्धी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित रोजगारों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करती है।

अधिकांश रोजगार, जिनमें औद्योगिक श्रमिक लगे हुए हैं, राज्य क्षेत्राधिकार में आते हैं और तत्सम्बन्धी राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में मजदूरी निर्धारण/संशोधन के लिए समुचित सरकारें हैं। राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में निर्धारित की गई मजदूरी के दरें उनके राजपत्रों में समय-समय पर अधिसूचित करती हैं।

जहां तक ऐसे रोजगारों का सम्बन्ध हैं जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार हैं, न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान दरें तथा प्रस्तावित दरें संलग्न विवरण में दर्शायी गई हैं।

विवरण							
		प्रतिदिन मजदूरी दर			प्रस्तावित संशोधित अधिसूचित प्रतिदिन मजदूरी दर		
क्रमांक रोजगार का नाम	निर्धारण या अंतिम संशोधन की तारीख	सबसे कम मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रमिक (रुपये)	अर्ध कुशल (रुपये)	कुशल (रुपये)	अकुशल (रुपये)	अर्ध कुशल (रुपये)	कुशल लिपिकीय (रुपये)
1 2	3	4	5	6	7	8	9
1. जिप्सम खानों में रोजगार	12.6.76	5·80	7·25	8·70	6·65	8·35	10·00
2. वेराइटिस खानों में रोजगार	12.6.76	5·80	7·25	8·70	6·65	8·35	10·00
3. बाक्साइट खानों में रोजगार	19.6.76	5·80	7·25	8·70	6·65	8·35	10·00
4. मैंगनीज खानों में रोजगार	12.6.76	5·80 भूमि से ऊपर 6·96 भूमि से नीचे	7·25 भूमि से ऊपर 8·70 भूमि से नीचे	8·70 भूमि से ऊपर 10·44 भूमि से नीचे	6·65	8·35	10·00
5. चीनी मिट्टी खानों में रोजगार	12.6.76	5·80	7·25	8·70	6·65	8·35	10·00
6. कायनाइट खानों में रोजगार	9.10.76	5·80	7·25	8·70	6·65	8·35	10·00
7. तांबा खानों में रोजगार	12.6.76	5·80	7·25	8·70	6·65	8·35	10·00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	चिकनी मिट्टी खानों में रोजगार	12.6.76	5·80	7·25	8·70	6·65	8·35	10·00
9.	पत्थर खानों में रोजगार	9.10.76	5·80	7·25	8·70	6·65	8·35	10·00
10.	सफेद मिट्टी खानों में रोजगार	12.6.76	5·80	7·25	8·70	6·65	8·35	10·00
11.	अग्नि मिट्टी खानों में रोजगार	9.10.76	5·80	7·25	8·70	6·65	8·35	10·00
12.	गेहरूखानों में रोजगार	9.10.76	5·80	7·25	8·70	6·65	8·35	10·00
13.	स्टियआइट (सोप स्टोन और टैल्क सहित) खानों में रोजगार	9.10.76	5·80	7·25	8·70	6·65	8·35	10·00
14.	ऐस्बेस्टास खानों में रोजगार	9.10.76	5·80	7·25	8·70	6·65	8·35	10·00
15.	क्रोमाइट खानों में रोजगार	19.6.76	5·80	7·25	8·70	6·65	8·35	10·00
16.	क्वार्टाइज खानों में रोजगार	19.2.77	5·80	7·25	8·70	6·65	8·35	10·00
17.	कांचमणि खानों में रोजगार	19.2.77	5·80	7·25	8·70	6·65	8·35	10.00
18.	सिलिका खानों में रोजगार	19.2.77	5·80	7·25	8·70	6·65	8·35	10·00
19.	अभ्रक खानों में रोजगार	19.6.77	6·96	8·70	10·44	6.65	8·35	10·00
			भूमि के नीचे 5·80 भूमि के ऊपर	भूमि के नीचे 7.25 भूमि के ऊपर	भूमि के ऊपर 8.70 भूमि के ऊपर			
20.	मैंगनेसाइट खानों में रोजगार	24.2.79	5·80	7·25	8·70	6·65	8·35	10·00
21.	ग्रेफाइट खानों में रोजगार	4.11.78	5·80	7·25	8·70	6·65	8·35	10·00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	सड़कों का निर्माण या अनुरक्षण या भवन निर्माण के कार्यों में रोजगार	16.12.78	4·45 से 6·50	5·56 से 8·12	7·12 से 10·40			
23.	पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने में रोजगार	16·12.78	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त			
24.	भवनों के अनुरक्षण में रोजगार	16·12·78	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त			
25.	रनवेज़ के निर्माण एवं अनुरक्षण में रोजगार	16·12·78	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त			
26.	कृषि में रोजगार	18·9·76	4·45 से 6·50	5·56 से 8·12	7·12 से 10·40	5·10 से 7·50	6·40 से 9·35	8·20 से 11·95

नोट : अनुसूची में बढ़ाए गए नए रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने, क्रमांक 22 से 25 तक दिए रोजगारों के बारे में मजदूरी संशोधन करने और खानों में भूमिगत कर्मकारों के भत्ते का प्रश्न विचाराधीन है ।

नीलाचल एक्सप्रेस के चलने के समय में परिवर्तन

5446. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के लोगों ने पुरी से नीलाचल एक्सप्रेस के चलने के समय में परिवर्तन करके इस समय के प्रात: 11·00 बजे के बजाय प्रात: 8·00 बजे से पहले करने की कोई मांग की है,

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग पर सरकार का क्या निर्णय है, और

(ग) यह परिवर्तन कब तक कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : सप्ताह में तीन बार चलने वाली 173/174 नीलाचल एक्सप्रेस की अनुसूची पूर्व रेलवे के व्यस्त ग्राण्ड कार्ड खंड, मार्गवर्ती स्टेशनों आदि के साथ-साथ टर्मिनलों पर प्लेटफार्म सुविधाओं सहित मार्गवर्ती रेलपथ की उपलब्धता जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी। उनकी वर्तमान अनुसूची में यथावांछित परिवर्तन करना परिचालनिक दृष्टि से वांछनीय नहीं है।

डी०जी०एम०एस० अराजपत्रित कर्मचारी संघ की मांगे

5447. **श्री ए०के० राय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी०जी०एम०एस० अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने 30 जून, 1980 को प्रबंधकों के साथ निर्धारित की गई विभागीय परिषद की बैठक को दिखावा मात्र समझते हुए इसका बहिष्कार करने के लिए निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों, विशेष रूप से वर्ष 1976 की पिछली बैठक में विचार-विमर्श किए गये गतिरोध के मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों के लिये कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए विभागीय परिषद की बैठक उपयोगी बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) संघ ने श्रम मंत्रालय की विभागीय परिषद में जो कि बैठक 10-7-1980 को हुई, इस कारण भाग नहीं लिया क्योंकि उनके द्वारा पहले प्रस्तुत कार्यसूची पर कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया।

(ख) 1977 से विभागीय परिषद की 6 बैठकें हुई हैं। संघ द्वारा उठाई गई मुख्य शिकायतें स्टैगनेशन (निश्चलता) से संबंधित हैं और इन बैठकों में किया गया विचार-विमर्श अनुबन्ध में संलग्न है।

(ग) जे०सी० एम० योजना के अनुसार स्टाफ द्वारा विभागीय परिषद में उठाए गये प्वाइन्टों पर विचार-विमर्श करके इन्हें निपटाने के बारे में प्रत्येक कोशिश की गई है।

अनुत्तरांकित प्रश्न संख्या 5447 दिनांक 24-7-1980 के भाग (ख) में निर्दिष्ट अनुबन्ध.

1. खान सुरक्षा महानिदेशालय में पदोन्नति के अवसरों में कमी होना।
2. गैर-राजपत्रित पदों में सीधी भर्ती रोकना।

3. जूनियर गेस्टेटनर आपरेटर की अपग्रेडेशन ।

4. वर्ग "ग" और "घ" के सभी कर्मचारियों को सरकारी आवास की व्यवस्था ।

5. कोयला खान कल्याण संगठन द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशालय भुलाई टाउनशिप में रहने वाले कर्मचारियों के साथ भेद-भाव का व्यवहार ।

6. उच्च मूल्य सूचकांक के कारण कोयला क्षेत्र में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को कोल फील्ड्स भत्ते को पुनः देना ।

7. खान सुरक्षा महानिदेशालय के नये ढांचे के कार्यान्वयन से खान सुरक्षा महानिदेशालय में पदोन्नति अवसरों में आनुपतिक अवसरों की बढ़ौतरी जिसमें केवल अधिकारी ही लाभान्वित हुए हैं ।

8. आशुलिपिक ग्रेड II के पदों में सैलेक्शन ग्रेड पदों के सृजन सम्बन्धी सरकारी आदेशों का कार्यान्वयन और आशुलिपिक ग्रेड II को आशुलिपिक ग्रेड I में परिवर्तित करना।

9. अवर श्रेणी लिपिक के 50 पदों को अपर श्रेणी लिपिकों में परिवर्त्तित करना ।

10. अपर श्रेणी लिपिक के कम से कम 25 प्रतिशत पदों को वरिष्ठ सहायक (तकनीकी) पदों में परिवर्त्तित करना ।

11. सर्वेक्षक, ड्राफ्टमैन सर्वेक्षक, सैम्पलर और चेयरमैन को जोखिम भत्ते की मंजूरी ।

12. सर्वेक्षक, चेयरमैन के वेतन मानों का संशोधन ।

13. अपर श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जैसे सरकारी विभागों के स्तर पर लाना ।

'हाल्टों' को स्टेशनों में बदलना

5448. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में टेकधार, मुरैशा, कोराहिया, ललित लक्ष्मीपुर और उगेरा हाल्टों के कार्यकरण पर आय तथा व्यय का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या उक्त हाल्टों को स्टेशनों में बदलने का प्रस्ताव है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं !

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले वित्तीय वर्ष 1979-80 में ललित लक्ष्मीपुर और उगना हाल्ट स्टेशनों से क्रमशः 13,126 रुपये और 10,264 रुपये की हानि हुई और टेकटार, मुरैठा, और कौडहिया स्टेशनों से क्रमशः 8,332 रुपये, 5,309 रुपये और 2,210 रुपये का लाभ हुआ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) पर्याप्त यातायात और वित्तीय दृष्टि से परिवर्तन का औचित्य सिद्ध होने पर हाल्ट स्टेशनों को विभागीय प्रबन्ध के अन्तर्गत फ्लैग स्टेशन के रूप में अपग्रेड कर दिया जाता है। टेकटार हाल्ट को अपग्रेड करने के प्रस्ताव की जांच की गई थी लेकिन उसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया । इस समय अन्य हाल्ट स्टेशनों के लिए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कलोल और अहमदाबाद के बीच गाड़ियों का देरी से चलना

5449. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो माह के दौरान कलोल और अहमदाबाद के बीच अधिकांश रेलगाड़ियां देर से चलती रही है और उसके फलस्वरूप उस लाइन पर चलने वाले मजदूर यात्रियों की अपनी मजदूरी का नुकसान उठाना पड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि वहां गाड़ियां समय परच लें ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : कलोल और अहमदाबाद के बीच चलने वाली गाड़ियों का समय-पालन मई और जून में क्रमशः 84 प्रतिशत और 81 प्रतिशत था। दैनिक यात्रियों के लिए चलने वाली गाड़ियों के समय-पालन पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर निगाह रखी जा रही है और गाड़ी के परिहार्य रूप से रुके रहने के सभी मामलों में कार्रवाई की जाती है।

रेल कर्मचारियों के लिये नियम बनाना

5450. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय रेल कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में नियम सम्पूर्ण भारतीय रेलवे के लिए बनाता है अथवा रेल ज़ोनों/प्रभागों के लिए अलग-अलग बनाता है,

(ख) यदि सम्पूर्ण भारतीय रेलवे के लिए बनाये जाते हैं तो यह एक ज़ोन से दूसरे ज़ोन में और एक प्रभाग से दूसरे प्रभाग में अलग-अलग क्यों हैं, जैसा कि स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए पदोन्नति अवसरों के मामले में देखा जाता है, और

(ग) स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की सेवा शर्तों तथा पदोन्नति अवसरों को राष्ट्रीय आधार पर एक समान बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : पदोन्नति के अवसरों का निर्णय रेल प्रशासनों द्वारा अपनी-अपनी प्रणाली पर विद्यमान स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। इनका निर्णय आमतौर पर विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के परामर्श से किया जाता है। बहरहाल ऐतिहासिक कारणों से अलग-अलग रेलों की स्थानीय परिस्थितियां अलग-अलग हैं क्योंकि रेलों के प्रादुर्भाव के बाद 125 वर्षों की अवधि में रेलों का जाल समूचे देश में फैल गया, भूतपूर्व कम्पनी और भूतपूर्व रियासती रेलें जो कि सरकार के प्रबंध के अधीन नहीं थी, सरकार द्वारा अपने हाथ में ले ली गई, और बाद में इनका एकीकरण किया गया और इन्हें 9 क्षेत्रों में बांटा गया।

2. हाल ही की ग्रेड बढ़ाने की योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि 9 क्षेत्रीय रेलों के स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति की सम्भावनाएं एक जैसी रहें और इसके लिए सभी क्षेत्रीय रेलों पर पदों का ग्रेडवार प्रतिशत वितरण किया गया है। निर्धारित प्रतिशत इस प्रकार है :—

कोटि	वेतनमान (संशोधित वे० मा०)	प्रतिशत
सहायक स्टेशन मास्टर	330-560	55%
	425-640	37·5%

कोटि	वेतनमान (संशोधित वे० मा०)	प्रतिशत
स्टेशन मास्टर	455-700	7·5%
	425-640	45·0%
	455-700	37·5%
	550-750	15·00%
	700-900	2·5%

3. पदोन्नति के अवसरों के संबन्ध में यदि किसी यूनिट में कोई सुस्पष्ट विसंगति है और यदि उसे सरकार के ध्यान में लाया जाता है, तो सरकार सहर्ष इसकी जांच करेगी। इसके अलावा, कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि भी समुचित स्तर पर इस मामले को उठा सकते हैं।

4. जहां तक रेल कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के सामान्य प्रश्न का संबन्ध है, यह उल्लेख किया जाता है कि हालांकि कर्मचारियों की सेवा की शर्तें एक जैसी रखने का लक्ष्य रखा जाता है और वे लगभग समान होती भी हैं, फिर भी वे सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसी नहीं हो सकतीं क्योंकि रेलों में कर्मचारियों की 700 से अधिक कोटियां हैं। उन कर्मचारियों की ड्यूटी अलग-अलग किस्म की है। उदाहरण के तौर पर कर्मचारियों की कुछ कोटियां फैक्ट्री अधिनियम, कार्य घंटा विनियम, रनिंग भत्ता नियम आदि द्वारा की शामिल होती है क्योंकि उन्हें विशेष किस्म की ड्यूटी करनी होती है। स्वाभाविक हैं कि उनकी सेवा की शर्तें अन्य कर्मचारियों के समान नहीं हो सकतीं।

तमिलनाडु के माचिस कारखानों में बाल श्रमिक

5451. **श्री एन० डेनिस :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि तमिलनाडु के माचिस कारखानों में बालिकाओं और बालकों को काम पर रखा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनको ऐसे रोजगार में रखे जाने से रोकने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने तामिलनाडु में बच्चों को विभिन्न व्यवसायों पर रोजगार दिये जाने के बारे में कोई जांच की है और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी हां।

(ख) तमिलनाडु राज्य सरकार के अनुसार, ऐसे कारखानों में बालकों के नियोजन से सम्बद्ध कानूनों के प्रवर्तन के तंत्र को मजबूत बनाने के अतिरिक्त, उनके शोषण को रोकने के लिए अन्य विभिन्न कल्याण उपाय किये जा रहे हैं।

(ग) श्रम ब्यूरो ने पिछले वर्ष तमिलनाडु तथा कुछ अन्य राज्यों में बाल श्रमिकों के संबन्ध में एक सर्वेक्षण आयोजित किया। इस सर्वेक्षण से संबन्धित रिपोर्ट इस समय तैयार की जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का संशोधन

5452. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि लाखों कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लाभों से वंचित हैं, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा (3) (ए), (3) (बी) का बहुचर्चित संशोधन गत कई वर्षों से नहीं किया गया है ;

(ख) श्रमिकों की सहायता के लिए उपयुक्त विधायी उपाय कब तक किए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या सरकार 3 और 5 वर्षों की बात अवधि की शर्तों को जो अधिनियम के अन्तर्गत पुरानी हो गई है, समाप्त करने का विचार कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) : कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के क्षेत्र को बढ़ाने संबंधी कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । आवश्यक संशोधन कानून लाने के लिए यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ग) नाल अवधि में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव है ।

रांची रेलवे स्टेशन

5453. **श्री आर० पी० यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रांची रेलवे स्टेशन पर पानी की भारी कमी है जिसके परिणामस्वरूप प्रतीक्षालयों, आरामकक्षों आदि में नल सूखे पड़े रहते हैं,

(ख) क्या रेलवे स्टेशन के परिसर में यातायात का प्रबंध सबसे ज्यादा खराब है और रांची स्टेशन के प्रांगण में कोई यातायात नियंत्रण नहीं है,

(ग) क्या उक्त रेलवे स्टेशन के आराम-कक्षों में स्थान अपर्याप्त है, और

(घ) क्या सरकार का विचार चहुँमुखी विकास लागू करने के द्रुत कार्यक्रम चलाने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बिहार जन-स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग द्वारा कभी-कभी सप्लाई रोकने के कारण हुई अस्तव्यस्तता को छोड़कर पानी की कोई कमी नहीं है ।

(ख) जी नहीं । वाहन खड़े करने की पर्याप्त सुविधाओं सहित स्टेशन के सामने बहुत सा खुला स्थान उपलब्ध है । यातायात नियंत्रण का दायित्व राज्य सरकार की यातायात-पुलिस का है ।

(ग) इस स्टेशन पर विश्राम-कक्ष की पर्याप्त सुविधायें मौजूद हैं ।

(घ) चूंकि रांची सभी आवश्यक सुविधाओं सहित एक भली प्रकार का विकसित स्टेशन है इसलिए उसके समग्र विकास के लिए तुरंत कार्यक्रम का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जमा राशि से सम्बद्ध बीमा योजना

5454. **श्री आर० पी० यादव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अगस्त, 1976 से कर्मचारी जमाराशि सम्बद्ध बीमा योजना आरम्भ की गई है ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भविष्य निधि आयुक्तों के कार्यालयों में

कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है क्योंकि जिसके परिणामस्वरूप वहां के कर्मचारियों की कार्यक्षमता में कमी आ रही है और आम कर्मचारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) जमाराशि सम्बद्ध बीमा योजना आरम्भ किये जाने से लेकर अब तक इसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष महीने-वार कितने दावे किये गये हैं और प्रतिवर्ष महीने-वार कितने दावे निपटाये गये हैं और 31 मार्च, 1980 को कुल कितने मामले बकाया थे ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी हां।

(ख) कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के बारे में निचले स्तरों पर स्टाफ की कोई कमी सूचित नहीं की गई है। तथापि, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त से सहायक भविष्य-निधि आयुक्तों तथा लेखा अधिकारियों के कुछ पदों के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं के लिये सहायता

5455. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्रोतों और संस्थाओं से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं के लिए सहायता ली गई थी और इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस सहायता का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है और इसका किस प्रकार उपयोग किया गया था और क्या इस प्रयोजन के लिए कोई समिति गठित की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं कि इस सहायता का लाभ बिना किसी भेदभाव के देश के सभी राज्यों को मिले ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पाटन स्टेशन पर स्लीपरों का आरक्षण कोटा

5456. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाटन स्टेशन तथा अहमदाबाद के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं और उनमें स्लीपरों तथा स्थानों के आरक्षण का कोटा कितना है,

(ख) वहां से औसत कितने यात्री बम्बई अथवा अहमदाबाद के लिए यात्रा करते हैं और क्या यात्रियों की संख्या की तुलना में निर्धारित कोटा पर्याप्त नहीं है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त कोटे में वृद्धि करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पाटन से अहमदाबाद तक चलने वाली यात्री गाड़ियां इस प्रकार हैं :

(1) 115 अप पाटन—अहमदाबाद तेज सवारी।

(2) 117 अप पाटन—अहमदाबाद तेज सवारी।

(3) 119 अप पाटन—अहमदाबाद सवारी।

ये दिन के समय चलने वाली गाड़ियां हैं तथा पाटन स्टेशन से प्रारम्भ होती हैं और इस प्रकार इन गाड़ियों में कोटा आबंटित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) पाटन से अहमदाबाद तक यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत दैनिक संख्या 350 है और बम्बई तक यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत दैनिक संख्या 15 है। इन पन्द्रह यात्रियों में से केवल 9 यात्री पाटन स्टेशन पर अहमदाबाद से बम्बई के लिए आरक्षण की मांग करते हैं। पाटन से बम्बई तक के यात्रियों के लिए अहमदाबाद में 6 अप सौराष्ट्र मेल में दूसरे दर्जे की 2 शायिकाओं और 8 अप अहमदाबाद-बम्बई सेन्ट्रल जनता एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे की 4 शायिकाओं का कोटा आबंटित किया गया है। 1-8-80 से 6 अप सौराष्ट्र मेल में 2 शायिकाओं के कोटे को बढ़ाकर 4 शायिका करने का प्रस्ताव है। समय-समय पर इन कोटों की समीक्षा की जाती है और यातायात की मांग की दृष्टि से यदि औचित्यपूर्ण पाया जाता है तो इनको बढ़ा दिया जाता है।

विदेश भेजे गये शिक्षाविदों, कलाकारों तथा पत्रकारों की संख्या

5457. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों का विकास करने के उद्देश्य से गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक देश में कितने शिक्षाविद, कलाकार और पत्रकार भेजे; और

(ख) उन पर कुल वार्षिक व्यय कितना हुआ और जिस प्रयोजन से उन्हें विदेश भेजा गया था क्या वह पूरा हो गया ?

विदेश मंत्र श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

सियालदह और हवड़ा डिवीजनों में चोरी

5458. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सियालदह और हावड़ा डिवीजन में चोरी के मामलों में वृद्धि हो रही है,

(ख) यदि हां, तो गत छः माह के दौरान चोरी के कितने मामले हुए,

(ग) कितने मूल्य की सम्पत्ति की चोरी हुई, और

(घ) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : हवड़ा मंडल में बुक किए गए परेषणों/रेलवे के सामान और फिटिंग की चोरी और उठाईगीरी की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है लेकिन सियालदह मंडल पर ऐसी घटनाओं में कमी का रुख दिखाई दिया है।

(ख) और (ग) : जनवरी से जून, 1980 तक की अवधि के दौरान हवड़ा मंडल में माल के परेषणों/रेलवे के सामान और फिटिंग की चोरी और उठाईगीरी के 4272 मामलों की रिपोर्ट मिली थी जिनमें लगभग 29,44,169 रुपए मूल्य की सम्पत्ति की हानि होने की सूचना दी गई थी। इसी अवधि के दौरान सियालदह मण्डल में ऐसे 3121 मामलों की रिपोर्ट मिली थी जिनमें लगभग 6,10,589 रुपए की सम्पत्ति की हानि हुई थी।

(घ) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निवारक उपाय किए जा रहे हैं :

(1) जहां तक व्यावहारिक होता है, खाद्यान्न, लोहा और इस्पात और चाय जैसे थोक भार में ढोये जाने वाले बहुमूल्य परेषण ले जाने वाली सभी मालगाड़ियों के साथ रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष दल के कर्मचारी मार्ग रक्षा के लिए भेजे जाते हैं।

(2) भेद्य खंडों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा रेलवे लाइनों पर गश्त लगाई जाती है।

(3) चोरी की सम्पत्ति बरामद करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से अपराधियों के अड्डों और चोरी का माल खरीदने वालों की दुकानों एवं गोदामों पर सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के साथ मिलकर रेलवे सुरक्षा दल और अपराध आसूचना कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से छापे मारे जाते हैं।

(4) बड़े यार्डों और भेद्य खंडों में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा हलका एवं सेक्टर गश्त लगाई जाती है।

(5) माल लादने और उतारने के महत्वपूर्ण स्थानों पर चोरी तथा उठाईगीरी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा दल/वाणिज्यिक कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जाती है।

दिल्ली में मेटाडोर/टेम्पो सेवा आरम्भ करने के लिए आवेदनपत्र

5459. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में कुछ रूटों पर मेटाडोर अथवा टेम्पो सेवा चालू करने के के लिए आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए हैं,

(ख) यदि हां, तो आवेदन प्राप्त करने के लिए अन्तिम तिथि क्या निर्धारित की गई है,

(ग) कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, और

(घ) कितने वाहन चलाये जाने की अनुमति दी जायगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हाँ। 15 व 7 सवारियों वाली मैटाडोर मोटर वैन और 6 व 4 सवारी वाले विक्रम आटो रिक्शा चलाने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा आवेदन-पत्र मँगाये गये हैं।

(ख) मैटाडोर मोटर वैनों के लिए 1700 आवेदन-पत्र और विक्रम आटोरिक्शा चलाने के लिए 147 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ग) शुरू-शुरू में यह प्रस्ताव है कि 15 व 7 सवारियों वाली मैटाडोर वैनों और 6 व 4 सवारियों वाले विक्रम आटो रिक्शाओं में से हर एक के लिए 50-50 परमिट दिए जाएँ।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों की संख्या

5460. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे भारतीयों (भारतीय राष्ट्रिकों तथा भारत मूल के स्थायी निवासियों) की संख्या कितनी है; और

(ख) भारत सरकार से उनको समय-समय पर क्या सहायता दी गई ?

विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों का

विवरण संलग्न है (जिनमें वे भारतीय भी शामिल हैं जिन्होंने विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली है)।

(ख) विदेश स्थित भारतीय मिशन, सामान्य कोंसली सेवाओं के अतिरिक्त, विदेश में रहने वाले भारतीयों को, परिस्थितियों के अनुरूप सभी सम्भव सहायता देते रहते हैं।

विवरण

विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों का विवरण

15-7-80 तक प्राप्त

क्रम संख्या	देशों का नाम	विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की संख्या	विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	अफगानिस्तान	30,000	25,000	
2.	अल्जीरिया	1,500	40	
3.	एन्टीगुआ	20*	—	*परिवार
4.	अर्जेन्तीना	89	10	
5.	आस्ट्रेलिया	18,599	15,985	
6.	आस्ट्रिया	80	23	
7.	बहामास	100	—	
8.	बहरीन	40,000	200	
9.	बंगलादेश	450	—	
10.	बारबेडोस	75*	—	*परिवार
11.	बेल्जियम	400	5	
12.	बेनिन	250	—	
13.	भूटान	40,000	20	
14.	बोलिविया	4	—	
15.	बोट्सवाना	820	500	
16.	ब्राज़ील	2,000	8	
17.	बल्गारिया	30	—	
18.	बर्मा	3-4 लाख	7,200	
19.	बुरंडी	120	—	
20.	केमरून	150	—	
21.	कनाडा	1,75,000	95,000	
22.	केपवर्डी द्वीप	—	—	
23.	मध्य अफ्रीकी साम्राज्य	40	—	
24.	चाड	6	—	
25.	चिली	45	—	
26.	चीन	8	—	

1	2	3	4	5
27.	कोलम्बिया	25	1	
28.	कोमोरेस	200	—	
29.	कांगो	25	—	
30.	कोस्टारिका	7	3	
31.	क्यूबा	20	16	
32.	साइप्रस	6	—	
33.	चेकोस्लोवाकिया	11	11	
34.	डेनमार्क	637	65	
35.	डोमीनिका	20*	—	*परिवार
36.	इक्वेडोर	13	—	
37.	मिस्र	600	1	
38.	इक्वेटोरियल गिनी	10	—	
39.	इथोपिया	2,350	450	
40.	फिजी	3,00,697	3,00,650	
41.	फिनलैंड	100	20	
42.	फ्रांस	500	6	
43.	गेबोन	20	15	
44.	गेम्बिया	78	10	
45.	ग्वाटेमाला	13	—	
46.	जर्मनी (संघीय जर्मन गणराज्य)	13,082	1,521	
47.	जर्मनवादी गणराज्य	100	—	
48.	घना	1,250	44	
49.	ग्रीस	300	—	
50.	ग्रेनेडा	3,900	3,700	
51.	गिनी	?	—	
52.	गिनी बिसाउ	—	—	
53.	गुयाना	4,24,400	4,24,100	
54.	हांग कांग	12,600	4,000	
55.	हंगरी	2	—	
56.	आइसलैंड	6	6	
57.	इंडोनेशिया	20,000	5,000	
58.	ईरान	20,800	920	
59.	इराक	20,250	10,000	
60.	आयरलैंड	6	6	
61.	इटली	900	—	
62.	आइवरी कोस्ट	15	—	
63.	जमैका	50,318	50,000	

1	2	3	4	5
64.	जापान	1,858	110	
65.	जोर्डन	3,515	—	
66.	कीनिया	79,000	72,500	
67.	कोरिया (डी०पी०आर०)	—	—	
68.	कोरिया (गणराज्य)	104	18	
69.	कुवैत	65,000	100	
70.	लाओस	60	—	
71.	लबनान	600	7	
72.	लीसोथो	1,020	800	
73.	लाइबेरिया	1,000	—	
74.	लीबिया	10,000	—	
75.	लक्सबर्ग	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
76.	मालागासी	20,000	15,500	
77.	मलावी	4,900	3,640	
78.	मलेशिया	12,08,500	10,09,500	
79.	मालदीव	112	10	
80.	माल्टा	150	150	
81.	माली	10	—	
82.	मारीशस	6,23,500	6,12,527	
83.	मारुतानिया	—	—	
84.	मेक्सिको	92	26	
85.	मंगोलिया	—	—	
86.	मांत्सेरत	15	—	परिवार
87.	मोरोक्को	500	125	
88.	मोज़ाम्बिक	22,043	21,792	
89.	नेपाल	38,00,000	23,87,973	
90.	नीदरलैंड	1,01,500	1,00,000	
91.	न्यूज़ीलैंड	10,000	9,200	
92.	निकारगुआ	2	—	
93.	नाइजीरिया	15,000	3	
94.	नाइज़र	उपलब्ध नहीं	—	
95.	नार्वे	1,450	75	
96.	ओमान	60,000	5	
97.	पाकिस्तान	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
98.	पनामा	1,500	250	
99.	पेराग्वे	7	—	
100.	पीरू	65	19	
101.	फिलीपाइन्स	3,000	500	

1	2	3	4	5
102.	पोलैंड	49	—	
103.	पुर्तगाल	6,000	5,939	
104.	कातार	30,000	125	
105.	रूमानिया	—	—	
106.	खान्दा	58	—	
107.	सऊदी अरब	1,20,000	2,000	
108.	सेनेगल	80	50	
109.	सेशेल्स	500	350	
110.	सियरा लिओन	612	12	
111.	सिंगापुर	1,59,500	1,22,000	भारत के परिधीय प्रदेशों के राष्ट्रिक भी शामिल हैं।
112.	सोमालिया	1,072	172	
113.	स्पेन	4,000	37	
114.	श्रीलंका	13,50,000	4,32,986	
115.	सेंट विन्सेंट	10	—	
116.	सेंट-लूसिया	15	—	
117.	सूडान	1,800	98	
118.	सूरीनाम	1,24,900	1,24,750	
119.	स्वीटज़रलैंड	41	12	
120.	स्वीडन	1,899	1,172	
121.	स्विटज़रलैंड	2,434	449	
122.	सीरियाई अरब गणराज्य	286	—	
123.	तंजानिया	59,000	55,000	
124.	थाइलैंड	20,000	10,000	
125.	टोगो	75	—	
126.	त्रिनिडाड एवं टोबेगो	4,21,000	4,20,000	
127.	तूनीसिया	25	—	
128.	तुर्की	10	—	
129.	उगांडा	430	300	
130.	संयुक्त अरब अमीरात	1,52,000	2,000	
131.	यूनाइटेड किंगडम	5,00,000	2,50,000	
132.	संयुक्त राज्य अमरीका	3,00,000	35,000	
133.	सोवियतसंघ समाजवादी गणराज्य	750	2	
134.	अप्पर वोल्टा	15	—	
135.	उरुग्वे	2	—	

1	2	3	4	5
136.	वेनेजुएला	231	16	
137.	वियतनाम	200	उपलब्ध नहीं	
138.	यमन अरब गणराज्य	3,500	300	
139.	यमन (पी०डी०आर०)	1,00,000	99,500	
140.	यूगोस्लाविया	50	—	
141.	ज़ाइर	700	200	
142.	ज़ाम्बिया	22,600	9,000	

नलगोंडा मित्यालागुड़ा रेल लाइन

5461. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नलगोंडा से मित्यालागुडा तक की रेल लाइन को सरकार ने मंजूरी दे दी है, और

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ करने का अनुरोध किया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नलगोंडा-मित्यालागुडा लाइन बीबीनगर-नडिकुडि नयी बड़ी लाइन का एक भाग है, जो एक अनुमोदित परियोजना है।

(ख) जी हां।

आंध्र प्रदेश में दोतरफा वाहन मार्ग

5462. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में सड़कों की पूरी लंबाई को देखते हुए सबमें दोतरफा वाहन मार्ग नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस राज्य में शेष सड़कों पर दोतरफा वाहन मार्ग के निर्माण की स्वीकृति देगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रश्न आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को दो लेनों में चौड़ा करने के बारे में है। इस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई (नगरपालिका की सीमाओं में शहर को जोड़ने वाली सड़कों को छोड़कर) 2273 किलोमीटर है। इसमें से 1899 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पहले से ही दो लेनों के हैं। पंचवर्षीय योजना (1978-83) में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों में 154 किलोमीटर तक एक लेन वाली सड़कों को दो लेनों में चौड़ा करने की व्यवस्था की गई है। राजमार्गों के एक लेन वाले बाकी भाग को दो लेनों में चौड़ा करना साधनों के उपलब्ध होने और इस बात पर निर्भर है किसा रे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए जाने वाले निर्माण कार्यों में से कौन सा निर्माण कार्य पहले किया जाना चाहिए।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य

5463. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वर्ष 1980-81 के दौरान प्रशिक्षण दिया जायेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो उनको प्रशिक्षण दिये जाने का क्या उद्देश्य है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां।

(ख) महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को प्रसूति, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य, पोषण, प्रतिरक्षण और परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करती हैं। जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्य के लिए वे जिन-जिन घरों में जाती हैं, उनके परिवारों को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की सेवाएं भी प्रदान करती हैं। स्वास्थ्य योजना के अनुसार पांच-पांच हजार की आबादी के पीछे एक-एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगाये जाने की व्यवस्था है। इस मान-दण्ड के अनुसार अपेक्षित संख्या में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की व्यवस्था करने के लिये अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

श्रम मंत्रियों की बैठक

5464. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री गुलाम रसूल कोचक :

डा० फारूक अब्दुल्ला : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने जुलाई, 1980 में श्रम मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो बैठक के कब बुलाये जाने की संभावना है तथा उसमें किन विषयों पर विचार किया जायेगा ;

(ग) यदि बैठक हो चुकी है तो बैठक में किन विषयों पर विचार किया गया है और उसमें क्या निर्णय लिये गये हैं; और

(घ) दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली तालाबन्दियों तथा हड़तालों के सम्बन्ध में राज्यों के श्रम मंत्रियों ने क्या विचार व्यक्त किये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 31वें अधिवेशन में, जो 19 और 20 जुलाई, 1980 को हुआ, अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें सम्पूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध, औद्योगिक प्रशासन और श्रमिकों का कल्याण शामिल है। सम्मेलन में यह सर्वसम्मति थी कि औद्योगिक सामंजस्य, कल्याण और उत्पादन एवं उत्पादिता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें एक-साथ प्रोन्नति की जाती होगी।

सम्मेलन ने स्वीकार किया कि औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र को श्रमिकों की समस्याओं का पूर्वानुमान करने तथा कामबन्दी को रोकने के लिए तात्कालिक उपचारी कार्यवाही करने के लिए सरल तथा सुदृढ़ बनाया जाए, और यह कि औद्योगिक सम्बन्धों तथा ट्रेड यूनियनों से सम्बन्धी कानूनों में उपयुक्त रूप से संशोधन किए जाएं।

सम्मेलन ने यह स्वीकार किया कि कार्यान्वयन तंत्र को सुदृढ़ बनाने की शीघ्र आवश्यकता है, ताकि वे न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, बन्धित श्रमिकों को मुक्त कराने और उन्हें पुनर्वसित करने, ठेका प्रणाली और नैमित्तिक श्रमिकों के नियोजन में अनुचित श्रम-पद्धतियों का उन्मूलन करने के लिए अधिक मौलिक कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य कर सकें। सम्मेलन में यह इच्छा व्यक्त की गई कि तंत्र को इस प्रकार सुदृढ़ करने तथा विशिष्ट कार्यक्रमों के लिये छठी योजना में समुचित व्यवस्था की जाए।

यह निर्णय किया गया कि निर्माण श्रमिकों की कार्यदशाओं और मजदूरी को नियमित करने के लिए एक केन्द्रीय कानून लागू किया जाए।

सम्मेलन में स्थायी समिति स्थापित करने का निर्णय लिया गया ताकि निर्णयों का प्रभावी अनुपालन किया जा सके। इस समिति में सभी मंत्री शामिल होंगे।

श्री रामावतार शास्त्री के ध्यानाकर्षण नोटिस के उत्तर में सम्मेलन की मुख्य सिफारिशों को 23 जुलाई, 1980 को सदन की मेज पर रख दिया गया।

विदेश मंत्रालय में अधिलंघित अनुभाग अधिकारियों की संख्या

5465. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सम्बद्ध बहुत से निजी सचिव पदोन्नति के लिए सूची में सबसे नीचे होने पर भी "कंसीडरेशन ज़ोन" में आते ही अवर सचिवों के पद पर पदोन्नत हो जाते हैं क्योंकि अनुभाग अधिकारी के रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी होने का नियम उन पर लागू नहीं होता ;

(ख) गत चार पैनलों में से प्रत्येक पैनल में कितने निजी सचिवों की पदोन्नति पर विचार किया गया और कितनों को पदोन्नत किया गया ;

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने विदेशों में स्थित मिशनों में तीसरे सचिवों के रूप में तथा मुख्यालयों में अटैचियों के रूप में ऊँची स्थिति में कार्य किया है तथा जिनका पिछले चार पैनलों में अधिलंघन हुआ है ; और

(घ) अवर सचिवों के पद पर चयन के लिए विद्यमान प्रणाली को सुधारने के लिए मंत्री महोदय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) नियमानुसार अनुभाग अधिकारी और निजी सचिवों के सभी ऐसे अधिकारियों की एक सम्मिलित वरीयता सूची उनकी सेवावधि के हिसाब से बनाई जाती है जिनके नामों पर अवर सचिव के वर्ग में पदोन्नति के लिए विचार किया जाना हो। इस सम्मिलित सूची से अवर सचिव के वर्ग में तब तक पदोन्नति नहीं की जा सकती जब तक कि इस सिलसिले में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके उसकी सहमति न ले ली जाये और आयोग का ही कोई एक सदस्य उस विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता करता है जो इनका चयन करती है।

विभागीय पदोन्नति समिति उम्मीदवारों के सेवा अभिलेखों के तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर अवर सचिवों के वर्ग में अधिकारियों की पदोन्नति की सिफारिश करती है। उनकी यह सिफारिश निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित होती है। कुछ निजी सचिवों के मामलों में विभागीय पदोन्नति समिति ने निष्पक्ष मूल्यांकन के आधार पर अवर सचिव के वर्ग में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया था और परिस्थितियों की आवश्यकता को देखते हुए दो वर्ष के लिए अनुभाग अधिकारी के रूप में काम करने के नियमों में छूट दी गई थी क्योंकि नियमों के अधीन प्राधिकारी को इसका अधिकार प्राप्त है।

(ख) पिछली चार सूचियों में जितने निजी सचिवों के नामों पर विचार करके पदोन्नत

किया गया था उनकी संख्या नीचे लिखे अनुसार है :—

सूची प्रकाशन का वर्ष	जितने निजी सचिवों के मामलों पर विचार किया गया उनकी संख्या	पदोन्नत किए जाने वाले निजी सचिवों की संख्या
1975	42	11
1976	25	9
1978	25	6
1979	17	6

(ग) जिन अनुभाग अधिकारियों ने विदेश स्थित मिशनों में तृतीय सचिव के रूप में और मुख्यालय में सहचारी के रूप में काम किया है और जो पिछली चार सूचियों में अधिक्रमिक हुए हैं उनकी संख्या नीचे लिखे अनुसार है :—

सूची का वर्ष	तृतीय सचिव/सहचारी के रूप में काम करने वाले और अधिक्रमक होने वाले अधिकारियों की संख्या
1975	4
1976	7
1978	12
1979	3

(घ) परिस्थितियों की मांग को देखते हुए यह छूट नियमों की परिधि के अन्तर्गत ही दी जाती है; अवर सचिव के पद पर चयन की पद्धति में सुधार करने का प्रश्न ही उठता।

ऐसे देश जहां भारतीय नागरिकों को वीसा की आवश्यकता नहीं है

5466. **श्री नवीन रवाणी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमंडल के भीतर तथा बाहर के ऐसे कौन से देश हैं जहां पर्यटकों अथवा आप्रवासियों के रूप में प्रवेश के लिए भारतीय नागरिकों को वीसा की आवश्यकता नहीं है;

(ख) कितने भारतीयों ने पिछले दो वर्षों में, वर्षवार इन देशों की यात्रा की और उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की; और

(ग) यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में भारतीय नागरिकों की यात्रा को अधिक सुगम तथा गैर-जातीय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) उन देशों के नाम जहां भारतीयों को प्रवेश के लिए वीसा की जरूरत नहीं होती तथा इन देशों में बिना वीसा प्रवेश के लागू शर्तों के बारे में एक विवरण सदन की मेज पर रखा गया है

(ख) भारत सरकार द्वारा विदेशों की यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों का देश-वार रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(ग) जिन मामलों में किसी देश में प्रवेश/निकासी की अपेक्षायें पूरी कर दिये जाने के बाद भी भारतीय राष्ट्रिकों को विदेशों में, जैसे यूनाइटेड किंगडम में, कठिनाइयां पेश आती हैं, उन मामलों में सरकार ऐसी कठिनाइयां दूर करने के लिए सम्बन्धित देशों के साथ उन मामलों को उठाती है।

विवरण

1. बोत्स्वाना	भारतीय नागरिक 90 दिन तक ठहरने के लिए बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं।
2. कनाडा	भारतीयों को कनाडा में प्रवेश के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है और अगर उन्हें वास्तविक यात्री समझा जाए तो इसी रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।
3. फीजी	फीजी में जाने के लिए भारतीयों को वीज़ा की जरूरत नहीं है।
4. गुयाना	भारतीय नागिरिकों पर गुयाना की यात्रा के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है सिवाय उनके जिनका उद्देश्य वहाँ रोजगार पाना हो।
5. जमाइका	इस देश में प्रवेश के लिए किसी भारतीय को वीज़ा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यत: हवाई अड्डे पर 10 दिन या 2 सप्ताह तक रुकने के लिए पासपोर्ट को मुद्रांकित इस शर्त पर किया जाता है कि वे किसी प्रकार का लाभप्रद व्यवसाय स्वीकार नहीं करेंगे।
6. मलेशिया	जहाज द्वारा मलेशिया जाने वाले व्यक्तियों को जिनके पास वापसी/आगे की यात्रा के लिए टिकट हैं, 2 सप्ताह की अवधि तक बिना किसी वीज़ा के प्रवेश की अनुमति दी जाती है। स्थल मार्ग द्वारा जाने वाले व्यक्तियों को यह प्रमाण करने पर कि उनके पास मलेशिया में/द्वारा यात्रा के लिए तथावापसी/आगे की यात्रा के लिए पर्याप्त धन है, प्रवेश की अनुमति दी जाती है।
7. नैरोबी	कीनिया में प्रवेश के लिए भारतीयों को किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। कीनिया पहुँचने पर भारतीय यात्रियों की 10 दिन के लिए यात्री-पास जारी किए जाते हैं।
8. मारीशस	भारतीयों को तीन महीने तक की अवधि के लिए बिना वीज़ा के रहने की अनुमति है।
9. मलावी	वैध पासपोर्ट और वापसी टिकट उपलब्ध होने पर 90 दिन के लिए रुकने की अनुमति है।
10. लेसोथो	पर्यटन के लिए किसी वीज़ा की जरूरत नहीं है।
11. न्यूजीलैंड	न्यूजीलैंड की यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिक को किसी वीज़ा की आवश्यकता तो नहीं है। परन्तु न्यूजीलैंड में प्रवेश से पहले उन्हें न्यूजीलैंड के राजनीतिक मिशन से अधिकार-पत्र या अनुमति-प्रवेशपत्र प्राप्त करना होता है।
12. सेशेल्स	अल्पकाल की यात्रा के लिए भारतीय पासपोर्ट-धारकों को वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। वहां पहुँचने पर यात्रियों को अधिक से अधिक एक महीने की अवधि के लिए वैध यात्री-पास दिए जाते हैं जिसे बिना किसी शुल्क के 3 महीने की अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
13. सिंगापुर	सिंगापुर में प्रवेश के लिए भारतीयों को 2 सप्ताह की अवधि के लिए बिना किसी वीज़ा के अनुमति दी जाती है जिसकी अवधि सामान्यत: 3 महीने तक के लिए बढ़ाई जा सकती है।

14. त्रिनिडाड	त्रिनिडाड के हवाई अड्डे पर आप्रवासी अधिकारियों द्वारा प्रवेश और वहां रुकने की इजाजत प्रारम्भ में एक महीने के लिए दी जाती है, बशर्ते उनके पास वापसी टिकट और पर्याप्त धन उपलब्ध हो। यह अवधि 6 महीने तक के लिए बढ़ाई जा सकती है।
15. तंजानिया	अल्पकाल के तंजानिया जाने वाले भारतीय यात्रियों को, जिनके पास वापसी का हवाई टिकट तथा पर्याप्त विदेशी मुद्रा हो, वीज़ा की आवश्यकता नहीं है।
16. ज़ाम्बिया	अगर 90 दिन से अधिक न रहना हो तो भारतीय नागरिकों को ज़ाम्बिया में प्रवेश के लिए वीज़ा जरूरी नहीं है।
17. बल्गारिया	कोई भी भारतीय 90 दिन तक बल्गारिया में रह सकता है बशर्ते कि उसका पड़ाव 90 दिन से अधिक न हो और उसके पास अपने गुजारे के लिए पर्याप्त धन हो।
18. डेनमार्क	1-7-69 (वीज़ा की समाप्ति हुए पर करार के पश्चात्) से भारतीय 90 दिन की अवधि के लिए बिना किसी वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं तथा रुक सकते हैं बशर्ते कि उनका वहां व्यापार या रोज़गार करने का उद्देश्य न हो।
19. ज़िम्बाब्वे	राष्ट्रमंडल में होने के कारण, उन भारतीयों को जिनके पास यात्रा-पत्र हैं, प्रवेश करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है।
20. हेलसिंकी (फिनलैंड)	भारत ने पर्यटकों के यातायात को बढ़ावा देने के लिए फिनलैंड के साथ जून, 1969 में एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। इस करार के अनुसार भारतीय पर्यटक बिना वीज़ा के फिनलैंड की यात्रा कर सकते हैं बशर्ते कि वे पिछले 6 महीनों में वहां 90 दिन से अधिक न ठहरे हों।
21. आइसलैंड	पर्यटन के लिए आइसलैंड में प्रवेश करने वाले भारतीयों को किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है।
22. नार्वे	दोनों सरकारों के बीच वीज़ा समाप्ति करार सम्पन्न हो जाने की वजह से, नार्वे में प्रवेश के लिए भारतीयों को 90 दिन तक की अवधि के लिए किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है।
23. स्वीडन	भारत और स्वीडन का वीज़ा समाप्ति पर एक करार हुआ है जिसके अन्तर्गत वहां नौकरी न करने वाले भारतीय 90 दिन तक बिना किसी वीज़ा के रह सकते हैं।
24. यूगोस्लाविया	भारतीयों को वीज़ा समाप्ति करार के अनुसार 90 दिन के लिए वीज़ा की जरूरत नहीं है।
25. चिली	विदेशी, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, चिली में बिना वीज़ा के प्रवेश पा सकते हैं जबकि उनकी यात्रा एक पर्यटक के तौर पर हो और कोई भी लाभप्रद व्यवसाय की कार्यवाही उससे सम्बद्ध न हो।
26. आयरलैंड	पासपोर्ट-धारी भारतीयों को आयरलैंड घूमने के लिए किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है बशर्ते उनकी वहां रुकने की अवधि 90 दिन से अधिक न हो।

27. मालद्वीव मालद्वीव गणराज्य में वैध यात्रा-पत्र-धारी भारतीय स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं तथा ठहर सकते हैं और स्वास्थ्य नियमों के अलावा वहां कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

मध्य रेलवे के होलिडे होम क्वार्टर

5467. **डा० बसन्त कुमार पण्डित :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे ने कर्मचारियों के लिए महाबलेश्वर के "झील" क्षेत्र की तरफ होलिडे होम क्वार्टर बनाने की योजना बनाई है,

(ख) क्या यह सच है कि महाबलेश्वर नगर परिषद और महाराष्ट्र सरकार ने भी अनुमति देने से मना कर दिया था और क्वार्टरों का निर्माण रोक दिया था,

(ग) क्या यह सच है कि महाबलेश्वर के रोटरी क्लब, स्थानीय निवासियों और महाबलेश्वर के कई प्रमुख दर्शनार्थियों ने इन क्वार्टरों के निर्माण पर आपत्ति की है क्योंकि इनसे जल-प्रदूषण और स्वास्थ्य को हानि पहुँचने का खतरा है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से इस मामले में क्या कदम उठाया है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) : महाबलेश्वर में अवकाश-गृह झील के क्षेत्र से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर बनाये गये हैं। केवल एक अवसर पर महाबलेश्वर नगरपालिका परिषद ने इसका विरोध किया था और निर्माण-कार्य रुकवा दिया था क्योंकि उन्हें चिन्ता थी कि प्रस्तावित अवकाश-गृह से निकलने वाले मल से वेन्ना झील के संदूषित हो जाने की सम्भावना है।

नगरपालिका परिषद की इच्छानुसार, मलवाही व्यवस्था की योजना की स्वीकृति के लिए यह मामला मुख्य इन्जीनियर और संयुक्त सचिव, महाराष्ट्र सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया था। कार्यकारी इंजीनियर, पर्यावरण इंजीनियर, निर्माण मंडल, सतारा और रेलवे इंजीनियरों द्वारा 18-9-78 को इस स्थल का संयुक्त निरीक्षण करने के बाद, मल-निपटान और गंदे पानी की नालियों की योजना में संशोधन कर दिया गया और परिषद ने अवकाश-गृहों का निर्माण प्रारम्भ करने की अनुमति दे दी। राज्य सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार गंदे पानी की नालियों और मल-निपटान की व्यवस्था की गयी है और अप्रैल 1980 से अवकाश-गृहों का उपयोग होने लगा है।

अहमदाबाद और कोचीन के बीच सीधी गाड़ी सेवा

5468. **श्री एम० एम० लारेंस :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अहमदाबाद और कोचीन के बीच सीधी गाड़ी सेवा आरम्भ करने के लिए लोगों से कोई अभ्यावेदन मिला है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अहमदाबाद और तिरुवनन्तपुरम के बीच रास्ते में अतिरिक्त लाइन-क्षमता की कमी और अहमदाबाद में पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण फिलहाल एक सीधी गाड़ी चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। बहरहाल, कोच्चिन की ओर यात्रा करने के लिए अरकोनम में 41 मद्रास कोच्चिन एक्सप्रेस में अहमदाबाद के यात्रियों के लिए

दूसरे दर्जे की 50 पक्की शायिकाओं का कोटा एक नामित डिब्बे में निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, 20-6-80 से 19 मद्रास-तिरुवनन्तपुरम मेल में दूसरे दर्जे की 10 शायिकाओं का कोटा निर्धारित किया गया है।

केरल में पहाड़ी राजमार्ग

5469. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केरल के घाट क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले एक पहाड़ी राजमार्ग के निर्माण में सहायता देने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबन्ध में केन्द्रीय सरकार ने सहायता दी है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह): (क) से (ग) : केरल सरकार ने हिल हाइवे (एलाकोड से मैसूर तक) को 1978-83 की योजना के दौरान अन्तर्राज्य या आर्थिक महत्त्व की सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण-सहायता के लिए भेजे गए अपने प्रस्तावों में शामिल किया था। चूंकि उक्त योजना में अन्ततः किसी नई स्कीम पर विचार करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए हिल हाईवे का विकास करने के इस प्रस्ताव पर केन्द्र से वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार नहीं किया जा सका।

लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों को सरकारी आवास का आबंटन

5471. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों को सरकारी आवास पुनः आवंटन के बारे में 12 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 592 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना पारी के सरकारी आवास के आवंटन संबन्धित शर्तों का ब्यौरा क्या है और अस्पताल में वे कौन-कौन से विभाग हैं जो उस परिभाषा में आते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने कर्मचारियों को बिना पारी के रिहायशी आवास का आबंटन किया गया है;

(ग) बिना पारी के आवास आवंटन के समय वे किन विभागों/सेवाओं में तैनात थे;

(घ) क्या रिहायशी आवास के लिए बीमारी और डाक्टरी सलाह को बिना पारी के आवास आबंटन हेतु कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और जिन लोगों ने मैडिकल आधार पर अपने आवेदन दिए हैं उनको बिना पारी आबंटन कब तक किया जाएगा ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राजमंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) बीमारी के कारण अथवा डाक्टरी सलाह पर कालेज कैम्पस में बिना पारी के आवास आवंटन करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

आयुर्वेदिक दवाइयों में सुधार करने के लिए कार्यवाही

5472. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार आयुर्वेदिक दवाइयों में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ख) क्या सरकार का आयुर्वेदिक दवाइयों में सुधार करने के लिये पालघाट या केरल में किसी अन्य स्थान पर अनुसंधान आरम्भ करने का कोई इरादा है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) आयुर्वेद की दवाइयों के विकासार्थ सरकार ने जो-जो कदम उठाये हैं उनके बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) इस समय पालघाट में अनुसंधान संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । वैसे, केरल में राजपुरा के स्थान पर आयुर्वेद के उच्च अध्ययन और अनुसंधान कार्य के लिए एक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

आयुर्वेद की दवाइयों को सुधारने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. एक स्वायत्त निकाय, जिसका नाम आयुर्वेद और सिद्धकी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् है, का गठन अन्य बातों के साथ-साथ आयुर्वेद की दवाइयों के भिन्न-भिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करने, मार्गदर्शन करने, विकास करने और इस कार्य में तालमेल बिठाने के लिए किया गया है । यह परिषद् भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा और वनस्पति का सर्वेक्षण कर रही है, जिससे देश में कितनी और कौन-कौन सी जड़ी-बूटियां उपलब्ध हैं, इसका चित्र सामने आ सके । कच्ची दवाइयों को, उनके बनाने की प्रक्रिया को तथा भारत सरकार की आयुर्वेदिक फार्मुलरी के भाग-1 में समाविष्ट नुस्खों की तैयार दवाइयों को मानकीकृत करने के लिए कदम उठाये गये हैं ।

2. भारत सरकार ने भारत की आयुर्वेदिक फार्मुलरी के प्रथम भाग को तैयार/प्रकाशित कर दिया है जिसमें 444 योग हैं और जिनका वैद्य लोग तथा देश की भिन्न-भिन्न फार्मेसियों द्वारा आम इस्तेमाल किया जाता है । इस फार्मुलरी के अन्य भागों के बारे में भी काम चल रहा है ।

3. फार्मेसियों के आधुनिकीकरण के जरिए उत्पादन को बढ़ाने और दवाइयों के शुद्ध कच्चे घटकों को तैयार/प्राप्त करके आयुर्वेद की दवाइयों की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए भारत सरकार एक केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन चिकित्सा पद्धति की फार्मेसियों, जड़ी-बूटी उद्यानों और औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं का विकास करने के लिए राज्य सरकारों की फार्मेसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

4. राज्य सरकार के पूरे स्वामित्व वाली एक कम्पनी, जिसका नाम फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन (इंडियन मेडिसिन) केरल लिमिटेड है, रजिस्टर्ड करा ली गई है और वह केरल राज्य में त्रिचुर नामक स्थान पर कार्य कर रही है । इस कार्पोरेशन द्वारा तैयार किये गये सारे माल का रासायनिक, जीव रासायनिक और सूक्ष्म जीव रासायनिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है ताकि आयुर्वेद की दवाइयों की क्वालिटी पर नियंत्रण रखने का काम शुरू किया जा सके ।

5. केन्द्र के कृषि मंत्रालय ने औषधीय पौधों और औषधों के लिये एक विकास समिति का गठन किया है जिसके कार्य इस प्रकार हैं :

(क) वह वर्तमान उद्योगों को दिये जाने वाले कच्चे माल की स्थिति पर विचार करेगी, उन्हें निरन्तर माल सप्लाई किए जाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता लगायेगी और उपयुक्त उपायों की सिफारिश करेगी।

(ख) वह वर्तमान यूनिटों के विस्तार के लिये अथवा नये यूनिटों की स्थापना के लिये कच्चे माल की सप्लाई के बारे में प्रस्तावों पर विचार करेगी।

(ग) वहकच्चे माल की वर्तमान और भावी आवश्यकता के आधार पर बागान लगाने के लिये कार्यक्रमों की सिफारिश करेगी।

(घ) वह उन पौधों और औषधों के बारे में विकास/अनुसंधान के कार्यक्रमों की सिफारिश करेगी जो उपयोगी तो लगते हैं परन्तु जिनका सम्यक् रूप से उपयोग नहीं किया जाता है।

शोरनूर जंक्शन पर त्रिभुजाकार प्लेटफार्म

5473. **श्री वी०एस० विजयराघवन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास शोरनूर जंक्शन पर—जो एक ऐसा जंक्शन है जहां तीन रेल लाइनें अर्थात् अर्नाकुलम-शोरनूर, मंगलौर शोरनूर और शोरनूर पालघाट-मद्रास लाइनें एक साथ मिलती हैं—एक त्रिभुजाकार प्लेटफार्म बनाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में विद्युतचालित रेलगाड़ियां आरम्भ करना

5474. **श्री वी०एस० विजयराघवन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विद्युतचालित रेलगाड़ियां आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब तक किया जायगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रायगढ़ और खरिआर रोड के बीच रेलवे स्टेशन

5474. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के रायगढ़ और खरिआर रोड के बीच बहुत से रेलवे स्टेशन बहुत पुराने हैं और बिना समुचित सुविधाओं के हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो इन स्टेशनों की स्थिति में सुधार करने के लिये किये गये प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : इस खण्ड के स्टेशनों पर, जिनका निर्माण 1930 के आस-पास किया गया था, सभी मौलिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष आवश्यकताओं और धन-राशि की उपलब्धता को देखते हुए वर्तमान सुविधाओं में सुधार/वृद्धि करने का काम निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर किया जा रहा है। तदनुसार, सिंगपुरम रोड स्टेशन पर ऊँचे दर्जे के प्रतीक्षालय की व्यवस्था करने और कोसिंगा

स्टेशन पर एक चाय का स्टाल बनाने के कामों को अनुमोदित कर दिया गया है और इन्हें 1980-81 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

पूर्व रेलवे में टी०टी०ई० (पोर्टर) के पद

5476. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में टी० टी० ई० (पोर्टर) का पद काफी अर्से से अस्तित्व में है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे समाप्त करने का है,

(ग) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में टी० टी० ई० (पोर्टर) के पद के अतिरिक्त टी० सी० (पोर्टर) का भी पद है, और

(घ) यदि हां, तो पूर्व रेलवे में टी०टी०ई० (पोर्टर) के पद को समाप्त करने का औचित्य और कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, दूसरी ओर, इन पदों को स्थायी रूप से बनाये रखने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक के लिए उपरि पुल

5477. **श्री के० मालन्ना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक के लिये उपरि पुलों की मंजूरी हेतु संघ सरकार को लिखा है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है, और

(ग) इस समय कितने उपरि पुल निर्माणाधीन हैं और उन पर अब तक कितनी राशि खर्च हुई है तथा इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक कोई भी धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है क्योंकि कर्नाटक सरकार द्वारा दिये गये प्रस्तावों की रेलवे और राज्य सरकार के विचार-विमर्श से अभी जांच की जा रही है। जो प्रस्ताव सभी प्रकार से पूर्ण हैं उन्हें धनराशि के उपलब्ध होने पर 1981-82 के रेलवे निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए विचार किया जायेगा।

(क) कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित दो ऊपरी सड़क पुल, जिनकी पहले स्वीकृति दी जा चुकी है, निर्माणाधीन है :—

क्रम संख्या	स्थान	31-3-80 तक खर्च की गयी राशि	प्रगति
1.	लोंडा	7·08 लाख रु०	75%
2.	सेड़म	कुछ नहीं	निर्माण-कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

विभिन्न पत्तनों में यातायात संचालन क्षमता

5478. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न पत्तनों में यातायात संचालन की पत्तन-वार क्षमता क्या है, और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पत्तन-वार और वर्ष-वार प्रत्येक पत्तन का कार्य-निष्पादन कैसा रहा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) विभिन्न प्रकार के माल के बारे में प्रत्येक पत्तन की क्षमता संलग्न विवरण 1 में दी गयी है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक पत्तन पर विभिन्न प्रकार के माल के यातायात की वर्ष-वार मात्रा संलग्न विवरण 2 में दी गयी है।

विवरण 1

विभिन्न प्रकार के माल का यातायात करने की पत्तनों की क्षमता

(मिलियन टन)

पत्तन	माल के अनुसार क्षमता (31 मार्च, 1980 को)		
	पेट्रोलियम तेल लुब्रीकेट	कच्चा लोहा	अन्य प्रकार का माल
बम्बई	10·50	शून्य	6·00
कलकत्ता, इसमें हल्दिया शामिल है	4·00	4·00	7·46
कोचीन	3·50	शून्य	1 95
कांडला	11·00*	शून्य	2·05
मद्रास	4·00	8·00	3·00
मार्मुगाओ	1·50	14·00	0·35
न्यू मंगलौर	1·00	शून्य	0·55
परादीप	शून्य	3·00	0·35
टूटीकोरिन	1·00	शून्य	1·70
विशाखापत्तनम्	2·00	8·00	2·40

विवरण 2

पिछले तीन वर्षों में विभिन्न पत्तनों पर विभिन्न प्रकार के माल का यातायात

(यातायात मिलियन टन में)

पत्तन/ वर्ष	माल के अनुसार यातायात		
	पेट्रोलियम तेल, लुब्रीक्रेट	कच्चा लोहा	अन्य माल
बम्बई			
1979-80	7·84	शून्य	8·73
1978-79	7·83	शून्य	7·77
1977-78	9·86	शून्य	7·04

पत्तन/ वर्ष	माल के अनुसार यातायात		
	पेट्रोलियम तेल, लुब्रीकेट	कच्चा लोहा	अन्य माल
कलकत्ता इसमें हल्दिया शामिल है			
1979-80	4·59	0·09	3·88
1978-79	3·92	0·10	3·96
1977-78	3·41	0·13	4·01
कोचीन			
1979-80	3·87	शून्य	1·58
1978-79	3·84	शून्य	1·63
1977-78	3·81	शून्य	1·36
कांडला			
1979-80	5·80	शून्य	1·47
1978-79	4·37	शून्य	1·50
1977-78	2·75	शून्य	1·09
मद्रास*			
1979-80	4·10	2·86	3·41
1978-79	3·63	2·95	2·99
1977-78	3·47	2·32	2·28
मार्मुगाओ			
1979-80	0·73	12·82	0·95
1978-79	0·64	9·36	0·80
1977-78	0·62	10·21	0·45
न्यू मंगलौर			
1979-80	0·21	शून्य	0·69
1978-79	0·19	0·02	0·66
1977-78	0·20	0·01	0·17
परादीप			
1979-80	शून्य	1·65	0·66
1978-79	शून्य	1·73	0·44
1977-78	शून्य	2·20	0·54
टूटीकोरिन*			
1979-80	0·44	शून्य	1·97
1978-79	0·32	शून्य	1·37
1977-78	0·35	शून्य	1·14
विशाखापत्तनम			
1979-80	1·94	5·43	2·86
1978-79	1·94	5·96	2·15
1977-78	1·74	6·06	1·89

*मद्रास और विशाखापत्तनम : इसमें एक जहाज से दूसरे जहाज पर उतारा-चढ़ाया गया माल शामिल नहीं है।

*टूटीकोरिन : इसमें लघु पत्तन पर का यातायात शामिल है।

*कांडला : इसमें अन्य तरल माल और वाडीनार पत्तन का यातायात शामिल है।

वर्ष 1979-80 के आंकड़े अनन्तिम है।

पश्चिम एशिया में महिलाओं द्वारा रोजगार प्राप्त करने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी रोक का कपटपूर्ण उल्लंघन करने के लिए श्रीलंका की रोजगार एजेंसियों द्वारा अरब नियोजकों की सहायता

5479. **श्री आर० एल० भाटिया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका की रोजगार एजेंसियां पश्चिम एशिया में रोजगार प्राप्त करने वाली महिलाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी रोक का कपटपूर्ण उल्लंघन करने के लिए अरब नियोजकों की सहायता कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) सरकार को इस प्रकार की खबरें मिली हैं कि खाड़ी के देशों के कुछ नियोजक श्रीलंका की एजेंसियों से अपनी जन-शक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सम्पर्क कर रहे हैं। इसके बाद ये एजेंसिया भारत में और भारतीय राष्ट्रिकों के साथ सम्पर्क स्थापित कर उन्हें पर्यटक वीज़ा पर श्रीलंका जाने के लिए कहती हैं और वहां से वह खाड़ी के देशों में चले जाते हैं।

(ख) भारतीय उत्प्रवासन प्रक्रियाओं में धोखाधड़ी को रोकने के उपायों पर सरकार विचार कर रही है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम

5480. **श्री आर० एल० भाटिया :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम ने केन्द्र से आग्रह किया है कि मत्स्यपोत (ट्रालर) उद्योग के लिए घोषित 30 प्रतिशत राज सहायता को बरकरार रखा जाय, ताकि शिपयार्ड की प्रत्याशित क्रयादेश सम्बन्धी संकटपूर्ण स्थिति का सामना किया जा सके,

(ख) अभी कितने पोत बनाने का आर्डर यार्ड के पास है और उनकी डिलीवरी कब तक दिए जाने की संभावना है,

(ग) क्या यह सच है कि यार्ड में एक पोत की निर्माण लागत विदेशी यार्डों में बने पोतों की निर्माण लागत के मुकाबले अधिक बैठती है और उसका एक मुख्य कारण यह है कि इस पर जो कानूनी कर आदि लगे हुए हैं वे ही पोत की लागत के 33 प्रतिशत से भी अधिक बैठते हैं, और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस यार्ड को लाभ अर्जित करने वाला प्रतिष्ठान बनाने और इसे अपने संकट के दौर से उबरने में समर्थ बनाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस शिपयार्ड को इस समय 5 जहाजों के लिए आर्डर मिला हुआ है। इनकी डिलीवरी की अनुमानित तारीखें जुलाई, अक्तूबर, 1980 और जनवरी, जून और अक्तूबर 1981 हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार शिपयार्ड को नये आर्डर प्राप्त करने में सहायता दे रही है जिससे उत्पादन में कोई अन्तर न आने पाये। सरकार देश में बने जहाजों की कीमत तय करने के लिए एक संशोधित नीति पर भी विचार कर रही है।

रेलवे सुरक्षा बल को बोनस

5481. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यूनियन ने मांग की है कि अन्य रेल कर्मचारियों के समान रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाना चाहिए, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों को उत्पादकता सम्बद्ध बोनस दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद में अस्थाई कर्मचारी

5482. **श्री ए० के० राय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद के कर्मचारियों को 17 वर्ष की सेवा हो जाने पर भी अस्थाई रखा गया है और प्रचार-विंग के कर्मचारियों को कोई पदोन्नति नहीं दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैय्या) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, के अधीन पंजीकृत सोसाइटी है जिसमें विलोपन सम्बन्धी उपबन्ध अन्तर्निहित है। हालांकि परिषद के कर्मचारियों को स्थायी घोषित नहीं किया गया है तथापि उनको स्थायित्व सम्बन्धी अंशदायी भविष्यनिधि और उपदान जैसे सभी लाभ दिए गए हैं। परिषद से पदों को स्थायी बनाने के प्रश्न की जांच करने और ऐसे पदों में पात्र व्यक्तियों को स्थायी करने के लिए कहा जा रहा है।

इस समय राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद के प्रचार-विंग में कोई प्रोन्नति पद रिक्त नहीं है।

खान श्रमिकों के लिये जल सप्लाई योजना

5483. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वैटराने घाटी के खान श्रमिकों के लिए जल की सप्लाई के लिये समेकित जल सप्लाई योजना की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है और इसमें केन्द्र का हिस्सा कितना है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार अपने हिस्से की 104,10 लाख रुपये की राशि कब रिलीज कर रही है जिसके लिये वह 16-5-1980 को हुई बैठक में सहमत हो गई थी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना की सम्भावित लागत 2,08,21,000/-रुपए है जिसमें से 1,04,10,000/-रुपए लोहा अयस्क तथा मैंगेनीज अयस्क खान कल्याण विधि से लगाया जायगा।

(ग) विधि परियोजना की औपचारिक मंजूरी के बाद परियोजना प्राधिकारियों द्वारा कार्य के बारे में दिए गए कार्यक्रम के अनुसार किश्तों में दी जाएगी।

आर० डी० एस० ओ० कर्मचारी संघ, लखनऊ से प्राप्त ज्ञापन

5484. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आर० डी० एस० ओ० कर्मचारी संघ, लखनऊ के दिनांक 30-4-1980, 1-5-1980, 10-5-1980 तथा 12-5-1980 का ज्ञापन प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आर०डी०एस०ओ० कर्मचारी संघ के चार ज्ञापनों में उठाये गये मुख्य मुद्दों और उन पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मुख्य मुद्दे	की गई कार्रवाई
(1) अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन में शिल्पी कामगरों के लिए रेल कामगार वर्गीकरण अधिकरण पंचाट 1979 को कार्यान्वित करना।	अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन के शिल्पी कर्मचारियों से सम्बन्धित रेल कामगार वर्गीकरण अधिकरण पंचाट की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित पदों को स्वीकृत करने और उन्हें भरने के प्रश्न पर किया जा रहा है।
(2) कनिष्ठ अनुसंधान सहायकों के संवर्ग में रुद्धता।	इस मामले पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया था और यह पाया गया था कि कनिष्ठ अनुसंधान सहायकों के 70 पद वरिष्ठ अनुसंधान सहायकों और मुख्य अनुसंधान सहायकों के अगले दो उच्च ग्रेडों में पदोन्नति के लिए उपलब्ध हैं, इस प्रकार इस कोटि में कोई रुद्धता नहीं है।
(3) अल्पकालिक/दीर्घकालिक रिक्तियों के लिए स्थानापन्न तदर्थ पदान्नतियों में अनियमितताएं।	तदार्थ पदोन्नतियां प्रशासनिक/तकनीकी यूनिटों में अल्पकालिक रिक्तियों को भरने के लिए वरिष्ठतम उम्मीदवारों की पदोन्नति/की जाती है, जो उनकी उपयुक्तता और कार्यभार पर आधारित हैं। दीर्घकालीन रिक्तियां निदेशालय में कर्मचारियों की समग्र वरिष्ठता के आधार पर भरी जाती हैं बशर्ते कि वे उपयुक्त हों।
(4) विशेष समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों का कार्यान्वयन।	विशेष समिति द्वारा की गयी सिफारिशें मुख्यतः तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के संवर्गों की समीक्षा करने तथा अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन में पदों के ग्रेड-उन्नयन से सम्बन्धित थीं। इन पर तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया

मुख्य मुद्दे	की गई कार्रवाही
	है लेकिन इन्हें स्वीकार करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया है।
(5) वेतनमानों में सुधार करना तथा प्रयोगशाला सहायकों के लिए पदोन्नति सम्भावनाओं को पुनः स्थापित करना।	इस मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
(6) अनुसंधान अभिकन्य मानक संगठन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को फालतू परिचर गृह आबंटित करना।	परिचर गृह यथासम्भव चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पहले ही आबंटित किये जा चुके हैं।

बिहार में साक्ची और जसीडिह में
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्थानीय कार्यालयों की स्थापना

5485. **श्री समर मुखर्जी :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी संघ, बिहार का दिनांक 1 अप्रैल, 1980 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग की गई है कि उन स्थानों के स्कीम के अधीन बीमाकृत व्यक्तियों के हितों में साक्ची और जसीडिह में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्थानीय कार्यालय खोले जायें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ध्यान में अभ्यावेदन लाया गया था और उन्होंने यह बताया कि जसीडिह और साक्ची में बीमाकृत श्रमिकों की कुल संख्या बहुत ही कम है जिससे कि स्वतंत्र स्थानीय कार्यालयों को स्थापित करना न्यायसंगत नहीं है। चूंकि जसीडिह समीपतम स्थानीय कार्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, एक छोटा स्थानीय कार्यालय इस जगह के लिए स्वीकृत किया जा चुका है। साक्ची आदित्यपुर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है जहां एक स्थानीय कार्यालय पहले से ही विद्यमान है। अतः इस समय साक्ची में अलग स्थानीय कार्यालय का होना आवश्यक नहीं समझा गया है।

ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम सम्बन्धी
मार्गदर्शी सिद्धान्तों की क्रियान्विति

5486. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों के बारे में उनके मंत्रालय के मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा अनुदेशों की क्रियान्विति के बारे में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 1979-80 में कितनी प्रगति की गयी है;

(ख) क्या कार्यक्रमों की क्रियान्विति में राज्यों की सहायता करने के लिये उनके मंत्रालय ने कार्यक्रमों का पुनरीक्षण किया;

(ग) राज्यों तथा उनके मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये 1979-80 तथा 1980-81 में राज्यवार कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी; और

(घ) राज्यों को कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्विति हेतु क्या मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लाकर) : (क) विभिन्न ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने जो प्रगति की है उसका विवरण अनुबंध एक से छः में दिया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित तीन ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों अर्थात् जन स्वास्थ्य रक्षक योजना और बहूद्देश्यीय कार्यकर्ता योजना तथा दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम में से पहली दो योजनाएं केन्द्र सहायता प्राप्त योजनाएं हैं जिनके लिए केन्द्र और राज्य 50 : 50 के आधार पर धन जुटा रहे हैं और तीसरी योजना शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका सारा खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है, 1979-80 और 1980-81 के दौरान उपर्युक्त तीनों योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए धन का राज्यवार विवरण अनुबंध सात से नौ में दिया गया है ।

(घ) जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्त अनुबंध-10 में दिए गए हैं । इस योजना को 1982-83 तक पूर्ण रूप से लागू करने का विचार है । बहूद्देश्यीय कार्यकर्ता योजना और दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिन्हें क्रमशः 1981-82 और 1982-83 तक पूर्ण रूप से लागू करने का विचार है, के बारे में राज्य सरकारों को समय-समय पर विस्तृत रूप से उपयुक्त हिदायतें जारी की गई हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1159/80]

कम दर पर समयोपरि भत्ता

5487. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे श्रमिक न्यायाधिकरण पंचाट, 1969 की दोषपूर्ण क्रियान्विति के परिणामस्वरूप कम घंटे काम करने वाले दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक घंटे काम करने वाले रोस्टर में दर्ज कर्मचारी को अर्थात् ड्यूटी रोस्टर में दर्ज कर्मचारी को जिसके संबंध में प्रारम्भिक और पूरक घंटे दिये हुए हैं, उसी वर्गीकरण में अन्य व्यक्ति जिसके बारे में प्रारम्भिक और पूरक घंटे नहीं दिये गये हैं की अपेक्षा कम दर पर समयोपरि भत्ता दिये जाने की असंगति को ठीक नहीं किया गया है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : रेल श्रम अधिकरण, 1969 की सिफारिशों के अनुसार, रेल कर्मचारियों के समयोपरि की दर भिन्न-भिन्न है जो इस बात पर निर्भर करती है कि क्या किसी औसत की अवधि में, ड्यूटी के रोस्टर घंटों में प्रारम्भिक और/या पूरक काम में लगा समय, शामिल है अथवा नहीं । इस प्रकार, उस अधिकरण में न तो कोई विसंगति है और न ही दोषपूर्ण कार्यान्वयन है । इसलिए, उसे सही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारियों को सिली-सिलाई वर्दियों की सप्लाई

5488. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन रेल मन्त्री ने 1978 के दौरान आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसियेशन को आश्वासन दिया था कि यदि उनके द्वारा घोषित वर्दियां सप्लाई करने की प्रणाली

में सुधार करने का एक वर्ष का प्रयोग असफल हो जाता है तो सिली-सिलाई वर्दियां सप्लाई करने के वर्तमान ढंग के बजाय कर्मचारियों को कपड़ा और सिलाई-खर्च दिया जायेगा,

(ख) क्या वर्दियां सप्लाई करने की प्रयोगात्मक प्रणाली असफल हो गई है और यदि है, तो कपड़ा और सिलाई-खर्च क्यों नहीं दिया जाता है,

(ग) वर्दियों की सिलाई और सप्लाई पर रेलवे का कितना व्यय होता है,

(घ) क्या आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसियेशन ने रेलवे द्वारा किये जा रहे सिलाई-खर्च से कम खर्च स्वीकार करने की पेशकश की है, और

(ङ) यदि हां, तो इसी दर पर अलग-अलग कर्मचारियों को सीधे सिलाई का काम देने में क्या कठिनाई है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क), (ख), (घ) और (ङ) : ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। लेकिन, रेल कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों को वर्दियां जारी करने के लिए वर्तमान वर्दी विनियमों की समीक्षा करने के उद्देश्य से रेल मन्त्रालय ने एक वर्दी समिति गठित की थी। इस समिति का एक विचारार्थ विषय रेल कर्मचारियों को कपड़ा और सिलाई प्रभार देने के संबंध में है। इस समिति ने 21-7-80 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और सरकार उस पर विचार कर रही है।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेल कर्मचारियों द्वारा निःशुल्क यात्रा

5489. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी रेल कर्मचारियों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वे वर्ष में एक से अधिक बार अपने परिवार सहित, देश में किसी भी गंतव्य तक के लिये निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल कर्मचारियों को किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक के लिए स्वयं तथा आश्रित सम्बन्धियों सहित परिवार के लिए पास-नियमों में यथा-परिभाषित निम्नलिखित वेतनमान के अनुसार सुविधा-पास और सुविधा-टिकट आदेश जारी किये जाते हैं :—

कर्मचारियों की कोटि	अर्हता सेवा के वर्षों की संख्या	प्रतिवर्ष अनुमत सेटों की संख्या	
		पास	सु० टि० आ०
राजपत्रित अधिकारी	सेवा में लगने की तारीख से	6	6
अराजपत्रित तथा	(1) 5 वर्ष तक	1	6
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	(2) 5 वर्ष के बाद	3	6

: अधिकृत काश्मीर में उद्योगों की स्थापना के लिए पाकिस्तान-चीन समझौता

5490. **श्री बापूसाहिब परूलेकर** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काराकोरम राजमार्ग का निर्माण करने के बाद पाकिस्तान

अधिकृत काश्मीर में और विशेष रूप से गिलगित क्षेत्र में खनिजों का खोज-कार्य बहुत आसान हो गया है और चीन सरकार ने इस क्षेत्र में औद्योगिक एकक स्थापित किये हैं तथा वह और अधिक एककों की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि चीन और पाकिस्तान के बीच कोई समझौता हुआ है जिसके अन्तर्गत गिलगित और अन्य पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर क्षेत्र में तेल और गैस की संभावनाओं का पता लगाने के लिए चीन को अनुमति दी गई है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) : पाकिस्तानी समाचारपत्रों की खबरों के अनुसार काराकोरम का क्षेत्र खनिज पदार्थों की दृष्टि से समृद्ध है। काराकोरम राजमार्ग के निर्माण से इन खनिजों की खोज का काम आसान हो जाएगा क्योंकि इस क्षेत्र में पहुंचना सुगम हो गया है। प्राप्त खबरों के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में मीरपुर के निकट मांगला में चीन लोक गणराज्य की सरकार की सहायता से स्थापित कपड़े के कारखाने में हाल ही में प्रयोग के तौर पर उत्पादन शुरू हो गया है। इस परियोजना का उद्घाटन 27 नवम्बर 1978 को किया गया था। गिलगित क्षेत्र में चीनियों द्वारा और अधिक औद्योगिक यूनिटें स्थापित किये जाने के बारे में सार्वजनिक तौर पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) गिलगित अथवा पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के अन्य क्षेत्रों में तेल तथा गैस की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच किसी करार के बारे में कोई सरकारी घोषणा नहीं की गई है।

उदयपुर मेडिकल कालेज के लिये एक कोबाल्ट थेरापी यूनिट का प्रस्ताव

5491. **श्री भीखाभाई** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने उदयपुर मेडिकल कालेज के लिए एक कोबाल्ट थेरापी यूनिट के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या कालेज के प्रधानाचार्य ने यह सूचित किया है कि भवन निर्माण के लिए दान एकत्रित कर लिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में प्राथमिकता के आधार पर एक कोबाल्ट थेरापी यूनिट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) राजस्थान सरकार को एम० जी० अस्पताल, जोधपुर में एक कोबाल्ट थेरापी यूनिट लगाने के लिए 1978-79 में पहले ही 10·00 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है। उदयपुर में दूसरा कोबाल्ट थेरापी यूनिट लगाने के लिए सहायता देने सम्बन्धी राज्य सरकार के प्रस्ताव पर 1980-81 में विचार करते समय भारत सरकार की इस नीति को ध्यान में रखा जाएगा कि उन्हीं राज्यों को सहायता दी जाए जिन्हें कोबाल्ट थेरापी यूनिट की स्थापना के लिए अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है।

खंछोवाड़ा स्टेशन को "फ्लैग स्टेशन" में बदलना

5492. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर जिले में उदयपुर-अहमदाबाद लाइन पर खंछीवाड़ा स्टेशन को एक फ्लैग स्टेशन में बदलने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कब तक कोई निर्णय लिये जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) यदि बिछीवाड़ा, जो एक 'बी' श्रेणी स्टेशन है, को फ्लैग स्टेशन में बदल दिया जाय तो इस खंड पर चलने वाली गाड़ियों के परिचालन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) और (घ) : जी हां । यथा-स्थिति बनाये रखने के लिये इस स्टेशन को 'बी' श्रेणी स्टेशन के रूप में जारी रखा जा रहा है ।

रेल विभाग द्वारा अदा की गई क्षतिपूर्ति

5493. **श्री निरेन घोष** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल-विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान, चोरी, क्षति पहुंचाने और माल में कमी के कारण वर्षवार कुल कितनी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : रेलों द्वारा बुक किये गये माल की हानि, चोरी, क्षति आदि के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की कुल रकम इस प्रकार है :

वर्ष	दी गयी रकम (लाख रु० में)
1977-78	1423·84
1978-79	1224·90
1979-80	1149·90

राजस्थान टेक्सटाइल मिल, भिवानी की और भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बकाया राशियां

5494. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान टेक्सटाइल मिल, भिवानी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कितनी राशि जमा कराई गई और इन मदों में कितनी राशि बकाया है; और

(ख) क्या उक्त मिल ने कर्मचारी राज्य बीमा तथा भविष्य निधि की जमा राशियों को जमा कराने से बचने की दृष्टि से अपने कर्मचारियों को स्थायी नहीं बनाया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) राजस्थान टैक्सटाइल मिल, भिवानी मण्डी, राजस्थान द्वारा देय राशियों के भुगतान सम्बन्धी स्थिति, जैसी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सूचित की गई है, निम्न प्रकार है :—

कर्मचारी राज्य बीमा को देय राशि

19,00,195,02 रुपये की राशि जमा करा दी गई है और 16,950.76 रुपये की राशि बाकी है ।

कर्मचारी भविष्य निधि की देय राशि

36,89,644·55 रुपये की राशि जमा करा दी गई है और 26,294·20 रुपये की राशि बाकी है।

(ख) कर्मचारियों को अस्थायी या स्थायी आधार पर नियुक्त करने से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्धन अधिनियम, 1952 दोनों के सीमा क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि दोनों अधिनियम अस्थायी कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण नौवहन कम्पनियों को आर्थिक सहायता

5495. **श्री निहाल सिंह :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण नौवहन कम्पनियों को आर्थिक सहायता दी है,

(ख) यदि हां, तो कम्पनी-वार कितनी धनराशि दी गई है, और

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने सहायता मांगी थी लेकिन उन्हें सहायता नहीं दी गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सरकारी क्षेत्र का कोई भी सरकारी उपक्रम रुग्ण नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं होता।

देहरी-आन-सोन और बरवाडीह के बीच शटल गाड़ी

5496. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देहरी-आन-सोन और बरवाडीह के बीच शटल गाड़ी चलाने का है ताकि पलामू के लोग सुबह अपने जिला मुख्यालय जा सकें तथा शाम को वापस आ सकें, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : बरवाडीह और डेहरी-आन-सोन के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना मार्ग में लाइन-क्षमता की तंगी और अपर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण फिलहाल परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कलकत्ता के समक्ष बागान कर्मचारियों द्वारा दावे पेश किया जाना

5497. **श्री सुबोध सेन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार बागान कर्मचारियों के सम्बन्ध में मृत्यु, अथवा सेवा-निवृत्ति के कारण क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कलकत्ता, के समक्ष कितने दावे पेश किए गये; और

(ख) कितने मामले निपटाये गए हैं और भुगतान कर दिया गया है तथा कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं और उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : (क) तथा (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

'एशियन' राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक

5498. **श्री बी० बी० देसाई :**

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियन राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों ने उनके संघ के साथ वार्ता में भाग लेने में भारतीय विदेश मंत्री की असमर्थता पर निराशा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई थी;

(ग) कुआलालम्पुर में 27 जून, 1980 को हुए सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया; और

(घ) उक्त सम्मेलन का मुख्य प्रयोजन क्या था ?

विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : 'एसियन' की मंत्रिस्तरीय बैठक, जिसमें मलयेशिया, इंडोनेशिया, फ़िलिपीन्स, सिंगापुर और थाइलैंड शामिल हैं, 25-26 जून, 1980 को कुआलालम्पुर में हुई थी। इसके बाद 27 जून को 'एसियन' और पांच ग़ैर-'एसियन' देशों की बैठकें हुईं जिसमें 'एसियन' और ग़ैर-'एसियन' देशों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। ये ग़ैर-'एसियन' देश थे: आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और जापान। इस तरह, 'एसियन' के पांच देशों को मिलाकर, कुल 10 देशों ने इन बैठकों में हिस्सा लिया। ऐसा समझा जाता है कि इन बैठकों में जिन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था उनमें, दूसरे विषयों के अलावा, 'एसियन' देशों के विदेश मंत्रियों की रुचि की अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय घटनाओं पर तथा आर्थिक और औद्योगिक सहयोग के लिए ग़ैर-एसियन देशों के साथ 'एसियन' देशों की बातचीत की प्रगति की समीक्षा भी शामिल है।

उत्पादन बढ़ाने और मूल्यवृद्धि को नियमित करने में मजदूर नेताओं का सहयोग

5499. **श्री एस० एम० कृष्ण : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम उत्पादन और ऊंची कीमतों के जाल से देश को बाहर निकालने के लिए मजदूर नेताओं से सहयोग मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : (क) और (ख) : प्रधान मंत्री जी ने श्रमिकों के प्रमुख प्रतिनिधियों से पहली जुलाई, 1980 को बातचीत की। उनके भाषण का मूल पाठ विवरण में संलग्न है।

श्रमिक संघ नेताओं ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। अनेक रचनात्मक सुझाव दिए गए थे, विशेषकर श्रमिक प्रबन्धक सम्बन्धों के बारे में। एक सुझाव यह दिया गया था कि विशिष्ट उद्योगों में त्रिपक्षीय कृत्तिक बल स्थापित किया जाय जो उत्पादन और उत्पादिता में बाधा डालने वाले घटकों की जांच करेगा। अन्य सुझाव राष्ट्रीय योजना बनाने में लगातार आधार पर श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने, त्रिपक्षीय सलाहकार तंत्र को फिर से चालू करने

और श्रम कानूनों में परिवर्तन करने के मामलों से सम्बन्धित थे। इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

विवरण

यह बैठक इसलिए बुलाई गई है कि सरकार और केन्द्रीय संघ तथा उनके नेता आर्थिक स्थिति, जो कि गंभीर चिन्ता का विषय है, पर विचारों का आदान-प्रदान कर सके। मैं उस पृष्ठभूमि की रूपरेखा को बताना चाहूंगी जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं तथा हमारे समक्ष मुख्य मामले क्या हैं।

हमें अवश्य ही देश को "कम उत्पादन—ऊँची कीमतों" के जाल से यथाशीघ्र मुक्त करना चाहिए। यह कोई आसान काम नहीं है और इसको समाज के विभिन्न अंगों की सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता है। श्रमिकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वे उत्पादन-प्रक्रिया के मूल घटक हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि कुल मिलाकर भारतीय श्रमिक अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक हैं और अनेक संकटों (जिनमें से कुछ उनके द्वारा उत्पन्न नहीं किए गए हैं) के बावजूद अर्थव्यवस्था को गतिशील रखा है।

परन्तु यह स्पष्ट है कि अब तक किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। मैं कुछ तथ्यों का उल्लेख करना चाहूंगी, हालांकि वे सर्वविदित हैं, जिनसे आप स्थिति की गंभीरता का मूल्यांकन कर सकेंगे तथा हमारे वास्तविक संभाव्य साधनों का भी जिन्हें पूर्णतया चरितार्थ करने में हम असफल रहे हैं। मैं यह तथ्य कोई राजनीतिक लाभ उठाने के लिए नहीं बता रही हूं बल्कि आपको यह याद दिलाने के लिए बता रही हूं कि देश और इसकी समस्याएं हमारी आपसी चिन्ता का विषय हैं। ऐसी स्थिति में जहां सभी लोगों को कठिनाई होती है, हमें अब तक किए गए कार्य से बहुत बेहतर कार्य करना चाहिए, चाहे पहले की शिथिलता के कोई भी कारण हों तथा हम कैसी भी कठिनाइयों का अब सामना क्यों न कर रहे हों।

अर्थव्यवस्था के कुछ मूल क्षेत्रों को ही लीजिए। तीन वर्षों तक कोयले का उत्पादन 100 मिलियन टन से कुछ ही ऊपर तक स्थिर रहा। 1974 और 1977 के बीच उत्पादन 28·1 प्रतिशत बढ़ा जबकि यह 1976-77 और 1979-80 के बीच केवल 1·4 प्रतिशत बढ़ा। अर्थव्यवस्था के एक अन्य साधन इस्पात में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति रही। इसके उत्पादन में 1974-77 में 65·8 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं 1977-80 के बीच वृद्धि की दर घट कर 18 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि के दौरान उर्वरकों, जो कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अत्यावश्यक हैं, के उत्पादन की दर 73 प्रतिशत से कम होकर 25 प्रतिशत हो गई।

हम रेलवे, बिजली, जहाजरानी आदि की तरह के अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चरल क्षेत्रों में कार्यकलापों को धीमा करने से ही अवगत हैं। यह ढाढस की बात है कि हमारे पत्तनों, कोयला खानों आदि में पुनरुद्दीपन के कुछ चिह्न नजर आ रहे हैं, परन्तु यदि औद्योगिक उत्पादन में स्पष्ट वृद्धि की दर रजिस्टर करनी है तो रेलवे की तरह के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में तय की जाने वाली दूरी अत्यधिक है। 1976-77 में रेलवे में उद्भावक राजस्व आय सम्बन्धी ट्रेफिक 212·6 मिलियन टन था जो 1979-80 में 8·7 प्रतिशत कम होकर 194 मिलियन टन हो गया। यह वास्तव में दुखद है क्योंकि रेलवे हमारे परिवहन तथा वाणिज्य का केन्द्र है। उन्हें चाहिये था कि वे खाद्य पदार्थों, पैट्रोलियम उत्पादों, कोयला तथा अन्य महत्त्वपूर्ण औद्योगिक वस्तुओं के परिवहन में सर्जित कार्यकलाप में बहुत उच्च स्तरीय योगदान देते।

इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि निष्पादन एवं उत्पादिता में ऐसी कमी से औद्योगिक सम्बन्ध स्थिति में अवनति हुई। हड़तालों तथा तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए श्रम-दिनों की संख्या 1976 में 12·75 मिलियन और 1977 में 25·32 मिलियन से बढ़कर 1979 में 43·9 मिलियन हो गई।

यदि यह स्थिति जारी रहती है, हम केवल गहरी दलदल में डूब जायेंगे। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे मौन और परिश्रमी कार्य और प्रबन्धकीय बल, तथा हमारी तकनीकी और वैज्ञानिक योग्यता इस खाई को भर देगी। वे और मेहनती ग्रामीण श्रमिक बल हमारी अर्थव्यवस्था को बनाये रखने में और रचनात्मक मार्गदर्शन चाहते हैं। यह श्रमिकों और उद्योग के नेताओं का कर्तव्य है कि वे श्रमिकों और नियोजकों को राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत करायें और उन्हें उत्पादन और दक्षता के स्तर को बढ़ाने के लिए इकट्ठे काम करने की प्रेरणा दें।

हम आज यह विचार-विमर्श करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि उत्पादिता और औद्योगिक सामंजस्य के उच्च स्तरों को अच्छी तरह से पुनः स्थापित कैसे किया जा सकता है। लोकतंत्रीय समाज में, यह स्वाभाविक है कि ट्रेड यूनियन अपने संगठनों में श्रमिकों को लाने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें। परन्तु यह प्रणाली केवल तभी कार्य कर सकती है, यदि देश के नियमों और सभ्य आचरणों की परम्परा का उल्लंघन नहीं किया जाता है और अनुशासन-हीनता तथा हिंसा से बचा जाता है।

महत्त्वपूर्ण सेवाओं जैसे पत्तनों में क्रेन्स, रेलवे के लोकोमोटिव्स, वाटर-वर्क्स में पंपिंग स्टेशन और पावर प्रणाली में बिजली संयंत्रों पर कार्य कर रहे श्रमिकों की ओर से कार्य रोकने की प्रवृत्ति खेदजनक है, विशेषकर जब कि छोटे ग्रुप द्वारा केवल स्थिति की कोमलता का फायदा उठाकर हड़ताल की जाती है। कोई भी सरकार, विशेषकर इस वर्तमान आर्थिक स्थिति में, कुछ व्यक्तियों द्वारा गैर-जिम्मेदाराना ढंग के ऐसे समाज-विरोधी प्रदर्शनों के कारण कायर नहीं बन सकती है। मैं ट्रेड यूनियन के नेताओं से अपील करती हूं कि ऐसे समाज-विरोधी तत्त्वों द्वारा, जो ट्रेड यूनियनों में घुस आए हैं, अर्थव्यवस्था में किए गए व्यापक नुकसान पर शांति से दृष्टिपात करे। वास्तव में मुझे आशा है कि आप इसकी रोकथाम करने में हमारी सहायता करेंगे।

हमारे पूर्वी कोयला क्षेत्र में घटिया औद्योगिक सम्बन्ध स्थिति के प्रान्तीय स्वरूप पर धैर्य से विचार नहीं किया जा सकता है। जो इन स्थितियों को प्रेरित करते हैं, उन्हें यह महसूस होना चाहिये कि उनके लाभ अल्पकालिक हैं, यदि उनकी कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश को नुकसान होता है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यम ऐसे श्रमिकों का अजीब तमाशा प्रस्तुत करते हैं, जो अपने प्रतिबम्ब के लिये आपस में लड़ते हैं। ये उद्यम बिना किसी शोषित स्वामित्व के राष्ट्रीय सम्पत्तियां हैं। फिर भी इन उद्यमों में श्रमिक, जिनका शारीरिक और वित्तीय निष्पादन घटिया है, उत्पादिता के मानकों के बारे में बातचीत के अनुसार उत्सुकता दिखाये बिना उच्च लाभ पाने के लिए लड़ रहे हैं।

मैं रचनात्मक और दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर देते हुए कुछ समस्याओं का उल्लेख करती हूं। जहां कहीं नेताओं ने रचनात्मक भूमिका निभाई है, वहां अधिक उत्पादन

और निष्पादन न हुआ। ऐसे नेता प्रबंध तंत्र के साथ प्रभावी बातचीत द्वारा श्रमिकों की उचित शिकायतों को दूर करने और भाईचारे के साथ शांतिपूर्वक प्रदर्शनों, जब स्थिति ऐसा करने के लिये विवश करती है, के कार्य में व्यस्त रहते हैं। हमें ऐसे कट्टर और अकल्पित व्यक्तियों के बारे में जानकारी है, जो अक्सर बहुत से प्रबंधतंत्रों को तंग करते हैं। सौभाग्य से हमारे पास कानून की परिधि के भीतर और सामाजिक तथा राजनीतिक सम्बन्धों में अनेक उपाय उपलब्ध हैं। मैं इस मामले में कुछ प्रमुख उद्योगपतियों से भी बात करूंगी और उनके समक्ष आपके श्रम-प्रबंध सम्बन्धों के रचनात्मक सुझावों को रखूंगी।

औद्योगिक श्रमजीवियों ने हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। श्री वी० वी० गिरि जैसे श्रम-नेताओं ने हमारे राष्ट्रीय जीवन में माननीय प्रतिष्ठा प्राप्त की है। श्रमिकों का हमारे राष्ट्र के आर्थिक पुनर्निर्माण में विशाल और सक्रिय योगदान रहा है। मैं चाहती हूँ कि वे न केवल अपने अधिकारों के लिये लड़ें, परन्तु उनके लिए भी लड़ें जिनको कम लाभ प्राप्त हैं। श्रमजीवियों को ऐसे गैर-श्रमजीवियों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए, जो रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते, हालांकि इसमें उनका कोई दोष नहीं होता है। मुझे उत्सुकता है कि औद्योगिक श्रमिकों की उचित मौलिक आवश्यकताओं—उनके प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि की पूर्ति हो सके। हाल ही के बजट में उनको अनेक राहतें दी गई हैं। मैं इस मनोवृत्ति के विरुद्ध हूं जो किसानों को श्रमिकों के और शहरों को गांवों के मुकाबले में खड़ा कर देती हैं। मैं विश्वास दिलाती हूं कि औद्योगिक श्रमजीवियों के हित का मैं विशेष ध्यान रखूंगी।

औद्योगिक सम्बन्ध कानून, बोनस कानून और त्रिपक्षीय तन्त्र के विकास सम्बन्धी आपके विचारों पर सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। तथापि, मुझे आशा है कि इस बैठक में आप उत्पादिता और उत्पादन में वृद्धि करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि हम लाभकारी रोजगार में अधिक व्यक्ति लगा सकें। मैं चाहूँगी कि आप किसी अन्य मामले की तुलना में इस पहलू पर अपने विचार हमारे समक्ष रखें।

उत्पादिता और उत्पादन में वृद्धि में भेदभाव की कैसे दूर किया जा सकता है या कम से कम भेदभाव को कैसे दूर किया सकता है और शहरी तथा ग्रामीण रोजगार, अल्प रोजगार तथा गरीबी को कम करने में कैसे सहायता की जा सकती है। श्रम मंत्रालय और अन्य मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर आप द्वारा कही जाने वाली बातों को सतर्कता से नोट करेंगे। सरकार आपके सुझावों का सहानुभूतिपूर्वक अनुपालन करेगी।

श्रीनगर में रिंग रेलवे

5500. **डा० फारूक अब्दुल्ला :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर शहर में रिंग रेलवे आरम्भ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई योजना तैयार की गई है,

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब किये जाने की सम्भावना है,

(घ) इसमें कुल व्यय कितना आयेगा, और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) : काश्मीर राज्य के

श्रीनगर शहर में एक मनोरंजन यात्रा गाड़ी (छोटी लाइन) के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी सर्वेक्षण 1976 में जम्मू-काश्मीर की राज्य सरकार की लागत पर किया गया था, जिससे पता चला कि नेहरू पार्क से चश्मा शाही और निशातबाग के रास्ते शालीमार बाग तक डल लेक के किनारे-किनारे प्रस्तावित 2 फुट आमान के रेल सम्पर्क (10·657 कि० मी०) की लागत 1976-77 के मूल्यों पर 1·03 करोड़ रुपये (चल-स्टाक का मूल्य छोड़कर) होगी। वर्तमान निर्माण लागत और भी अधिक होगी। सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति जम्मू-काश्मीर की राज्य सरकार को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे इस परियोजना को अन्य महानगरों की लाइनों के समान शुरू करने के लिए अपनी सहमति भेजें। परन्तु, जम्मू-काश्मीर की राज्य सरकार ने जनवरी, 1979 में यह योजना समाप्त कर दी। तब से इस परियोजना के बारे में आगे कोई विचार नहीं किया गया।

पुरुलिया से हावड़ा तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाना

5501. **श्री वासुदेव आचार्य :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के अधीन पुरुलिया से हावड़ा तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फिलहाल नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हवड़ा और पुरुलिया के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना पुरुलिया तथा हवड़ा स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाओं की कमी और मार्गवर्ती खंडों पर संतृप्त लाइन-क्षमता के कारण फिलहाल परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

खान-पान के अनधिकृत स्टाल

5502. **श्री निहाल सिंह** : क्या **रेल मन्त्री** इन्दौर स्टेशन पर खान-पान के स्टाल के बारे में दिनांक 26 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8731 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दौर स्टेशन पर से अनधिकृत स्टालों को कब तक खाली कराया जाएगा,

(ख) क्या निरामिष कैन्टीन के ठेकेदार ने जो उच्च न्यायालय में मुकदमा हार गया था, रेल सम्पदा अधिकारी के पास बेदखली याचिका दायर की थी,

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 28 अप्रैल, 1979 को क्या निर्णय किया गया, और

(घ) पहले हुई हानि की राशि को ठेकेदार से वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इन्दौर स्टेशन के खान-पान ठेकेदारों के विरुद्ध मामले अभी न्यायालय में निर्णयाधीन हैं, इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि कब तक ठेकेदारों से बेदखली कराई जा सकेगी।

(ख) संपदा अधिकारी के समक्ष बेदखली याचिका रेल प्रशासन द्वारा दायर की गई है न कि ठेकेदार द्वारा।

(ग) 28-4-79 को बेदखली कार्यवाही पर कोई निर्णय नहीं हुआ था।

(घ) मामला निर्णयाधीन है और ठेकेदार से बेदखल कराने के लिए रेल प्रशासन द्वारा दिये गए आवेदन-पत्र में रेलवे की हुई क्षति की वसूली करने का प्रश्न भी एक मुद्दा है।

मैसर्स रेमिंगटन आफ इंडिया, कलकत्ता की ओर
कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा भविष्य निधि की बकाया राशियां

5503. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स रेमिंगटन आफ इंडिया कलकत्ता द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा कर्मचारी भविष्य निधि के खाते में गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि जमा कराई गई और शेष बकाया क्या है; और

(ख) बकाया की वसूली के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) : मैसर्स रेमिंगटन रेंड आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता से बकाया राशि की वसूली संबंधी स्थिति, जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सूचित किया गया है, इस प्रकार है :—

कर्मचारी राज्य बीमा को बकाया राशि

31,93,000 रुपये की राशि जमा करा दी गई है और कोई राशि बकाया नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

कम्पनी के मुख्यालय को छूट प्रदान की गई है। यह छूट कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा 17(1) के अधीन छूट के लिये उनके अनुरोध पर निर्णय लेने तक दी गई है, उनका कारखाना छूट प्राप्त कारखाना नहीं है। कम्पनी के मुख्यालय के संबंध में न्यासी बोर्ड, जो भविष्य निधि का संचालन करता है, को 77·61 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की है और कम्पनी ने अपने कारखाने के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को 57·14 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया है। 31 मार्च, 1980 को मुख्यालय या कारखाने के संबंध में कोई राशि बकाया नहीं थी।

बिहार में रेलवे लाइनें

5504. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तथा समूचे रूप से बिहार में प्रति 10·000 जनसंख्या के पीछे कितने किलोमीटर रेल लाइनें हैं,

(ख) उत्तर बिहार के प्रत्येक जिले में अर्थात् पूर्णिया, उत्तर मुंगेर, सारन, चम्पारन, दरभंगा, सहरसा और मुजफ्फरपुर में रेल लाइन की लम्बाई कितनी है तथा संपूर्ण रूप से उत्तर बिहार में प्रति 10,000 जन संख्या के पीछे स्थिति क्या है,

(ग) उत्तर बिहार के लोगों के लिए अखिल भारतीय स्तर तक रेलवे का विकास करने के लिये सरकार ने क्या विशेष कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है, और

(घ) यदि कोई विशेष कार्यवाही न करने का विचार है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेलों की किलोमीटर-दूरी प्रति दस हजार आबादी पर देश में 1·11 और बिहार में 0·94 है।

(ख) जिले-वार मार्ग किलोमीटर दूरी संकलित नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ग) और (घ) : 1972-73 से उत्तर बिहार में निम्नलिखित लाइनों के लिए सर्वेक्षण किये गये थे लेकिन ऊंची लागत, कम प्रतिफल और संसाधनों की तंगी के कारण इन पर कार्रवाई नहीं की गयी।

क्रम सं.	विवरण	कि०मी० में लम्बाई	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	प्रतिफल
1.	बिहारीगंज सिमरी बख्तियारपुर मी०ला०	54·50	6·44	0·75% डी सी एफ
2.	लौकहा बाजार से लौकाही तक विस्तार	13·69	2·08	0·99% डी सी एफ
3.	बठनाहा/ललितग्राम और भीमनगर	26·50	2·95	2·27% डी सी एफ
4.	निर्मली-सरायगढ़-भीमनगर स्वतंत्र रेल पुल सहित	58·33	34·89	1·15% डी सी एफ
5.	दौराम माधेपुरा-सिहेश्वर स्थान	9·50	0·78	2·8% डी सी एफ
6.	सहरसा-तारापीठ महिषी	14·73	0·76	कुछ नहीं
7.	दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच सीधी बड़ी लाइन	70·00	2·32	0·13%

तथापि, इस क्षेत्र में सकरी से हसनपुर तक 4·75 करोड़ रुपये की लागत से एक नयी मीटर लाइन बनाने का काम प्रारम्भ किया गया है। दौराम माधेपुरा-सिंघेश्वर स्थान नयी लाइन (9·5 कि० मी०) के निर्माण के लिए नये सिरे से सर्वेक्षण आरम्भ करने के प्रश्न पर रेल मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

कोडिनार-परांची रोड रेलगाड़ी सेवा

5505. **श्री नवीन रवाणी :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोडिनार-परांची रोड रेलगाड़ी सेवा-दिन में दो बार चलने के बदले कब से केवल एक बार चल रही है,

(ख) क्या सरकार को पता है कि इसके दिन में एक बार चलने से कोडिनार में अन्य वाहन न मिलने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और नदी के दूसरी ओर रहने वाले ग्रामीणों को इससे वंचित होना पड़ता है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस रेलगाड़ी-सेवा को प्रतिदिन दो बार चलाने का है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : 4-12-73 से पहले

कोडिनार-प्राची खण्ड पर दो जोड़ी गाड़ियां चलती थीं। इनमें से एक जोड़ी गाड़ियों को पहले अस्थायी तौर पर 4-12-73 से और बाद में 4-5-74 से रद्द कर दिया गया क्योंकि इन गाड़ियों का बहुत कम उपयोग हो रहा था। इस समय जो एक जोड़ी गाड़ियां चल रही हैं, उनका भी पूरी तरह उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए रद्द की गई गाड़ियों को फिर से चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा, इन दोनों स्थानों के बीच प्रतिदिन पर्याप्त बस सेवा उपलब्ध है और इस तरह वहां यात्रा के वैकल्पिक साधन की व्यवस्था भी मौजूद है।

विदेशों में भारतीय नागरिकों की संख्या

5506. **श्री के० ए० राजन :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977, 1978 और 1979 में देश से बाहर जाने के सभी स्थानों से सड़क मार्ग, समुद्री मार्ग और वायु- मार्ग से भारत से कितने भारतीय नागरिक विदेश गये तथा किन-किन देशों को गये ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : इस तरह की सूचना निकासी स्थलों पर संकलित नहीं की जाती है।

दिल्ली में जाली-पारपत्र व्यापार

5507. **श्री भीखा भाई :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के पटेल नगर और मोती नगर थानों के अधीन क्षेत्रों में जाली-पारपत्र का व्यापार बड़े जोरों पर चल रहा है;

(ख) इन क्षेत्रों में पुलिस द्वारा अब तक कितने मामले पकड़े गये हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क), (ख) और (ग) : दिल्ली के पटेल नगर और मोती नगर पुलिस थानों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों से जाली पासपोर्ट के कारोबार के किसी मामले की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस में नहीं की गई है।

दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गये जाली पासपोर्ट

5508. **श्री भीखा भाई :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस ने जाली पासपोर्ट के अब तक कितने मामले पकड़े हैं;

(ख) इन मामलों में कितने व्यक्ति शामिल हैं; और

(ग) दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि ऐसी चीजें दोबारा न हों ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जनवरी 1975 से 30 जून, 1980 के बीच दिल्ली पुलिस ने विदेशी/भारतीय जाली पासपोर्टों के इक्कीस मामलों का पता लगाया था।

(ख) इन मामलों से सम्बद्ध 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(ग) ऐसे जितने भी मामले सामने आए हैं उन सभी में कानूनी कार्यवाही की गई है। इस प्रकार के मामलों का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में एक विशेष सैल स्थापित किया गया है।

जाली पास पार्टों की धोखाधड़ी करने वाले दलों के बारे में गुप्त रूप से सूचना निरन्तर एकत्र की जाती है और जिन व्यक्तियों पर इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने का संदेह होता है उन पर निगाह रखी जाती है।

शायिका (बर्थ) आरक्षण

5509. **श्री बी० आर० नहाटा :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष के दौरान अजमेर-विजयनगर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, जौरा, मन्दसौर, रतलाम, इन्दौर, उज्जैन, खण्डवा से दिल्ली/बम्बई, भोपाल तथा जयपुर के लिये इन स्टेशनों से गुजरने वाली तथा अन्य बड़ी लाइन की गाड़ियों से जोड़ने वाली सभी गाड़ियों में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के शायिका सवारी डिब्बों (स्लीपर कोच) में कितनी शायिकाओं का आरक्षण किया गया है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बहादुरशाह जफर के अवशेषों को वर्मा से वापस लाना

5510. **श्री झारखण्डे राय :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम के मुख्य सेनापति बहादुरशाह जफर के अवशेषों को पूर्ण सम्मान सहित रंगून (वर्मा) से भारत वापस लाने के लिये क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) : बहादुरशाह जफर के अवशेषों को रंगून से वापस लाने के प्रश्न पर समय-समय पर विचार किया गया है लेकिन कई कारणों से अभी तक इसे सम्भव नहीं पाया गया है ।

घातक दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि

5511. **श्री भीकूराम जैन :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़कों पर होने वाली घातक दुर्घटनाओं की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हो रही है,

(ख) यदि हां, तो सड़कों पर भीड़भाड़ की संख्या को हल करने, वाहनों में गतिनियंत्रक यंत्र लगाने और वाहन-चालन का उचित प्रशिक्षण देने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है, और

(ग) तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा भेजे गए आंकड़ों के अनुसार, कुछ स्थानों में घातक सड़क-दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और कुछ स्थानों पर इनकी संख्या में कमी आई है ।

(ख) और (ग) : इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही नगर प्राधिकरणों या राज्य सरकारों को करनी होती है । मोटर व्हीकल्स एक्ट में ऐसे कई प्रावधान हैं जिनके अन्तर्गत भीड़-भाड़ वाले इलाकों में गाड़ियों का आना-जाना बन्द किया जा सकता है या हर समय या अत्यधिक यातायात के समय भारी गाड़ियों के चलाने की मनाही की जा सकती है । सड़कों को क्लीयर कराने में पुलिस प्राधिकारी भी सहयोग करते हैं क्योंकि कभी-कभी ये सड़कें भी यातायात में रुकावट पैदा करती हैं । कुछ राज्यों ने अपने-अपने राज्यों के मोटर गाड़ी नियमों में पहले ही संशोधन कर दिए हैं जिनके अनुसार यात्री परिवहन गाड़ियों में गति-नियंत्रक लगाना जरूरी कर दिया गया

है। कुछ राज्यों ने स्टाफ को राज्य द्वारा खोले गये स्कूलों में गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्यवाई शुरू कर दी है।

जगाधरी में रेलवे आउट एजेंसी

5512. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या रेल मंत्री जगाधरी में रेलवे आउट एजेंसी के बारे में दिनांक 26 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2000 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या 1973 और 1976 में यह ठेका वर्तमान आउट एजेंसी को दिया गया था, इस आउट एजेंसी के लिए और कोई भी आवेदन प्राप्त हुआ था और यदि हां, तो उनका विवरण क्या है और पहले वालों को किस आधार पर उनसे वरीयता दी गई थी,

(ख) 1976 में पिछला ठेका दिए जाने के समय 3 वर्ष की सामान्य अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष क्यों कर दिया गया था और क्या रेलवे प्रशासन द्वारा इस आउट एजेंसी के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए कोई सार्वजनिक अधिसूचना या नोटिस जारी किया गया था और यदि हां, तो किस समाचार-पत्र में और क्या उसमें 5 वर्ष की अवधि ही दी गई थी, और

(ग) वर्तमान आउट एजेंटों द्वारा किए गये गोलमाल के बारे में की गई सतर्कता जांच के क्या परिणाम रहे और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चूंकि वर्तमान ठेकेदार के ठेके का नवीकरण कर दिया गया था, अतः नये आवेदन-पत्र आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(ख) उत्तर रेलवे में वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार प्रारम्भ में आउट एजेंसियों का ठेका तीन वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है जिसमें रेल प्रशासन के विवेक पर उसे 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए समाप्त करने या उसका नवीकरण करने की व्यवस्था रहती है। पिछली ठेका अवधियों के दौरान ठेकेदार के संतोषजनक निष्पादन के कारण जगाधरी टाउन आउट एजेंसी का ठेका 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था।

(ग) सतर्कता संगठन ने आउट एजेंसी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई करने की सिफारिश नहीं की है।

"दादान" श्रम प्रणाली को बन्द किया जाना

5513. **श्री रासबिहारी बहेरा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "दादान" श्रमिकों को निम्नतम मजूरी तथा कानूनी सुरक्षा जैसी सुविधाएं दिलाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या सरकार "दादान" श्रम प्रणाली को बन्द करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) : दादान या प्रवासी श्रमिक अपर्याप्त रोजगार अवसरों के कारण बनते हैं और इसी कारण लोग नौकरी की तलाश में विभिन्न स्थानों में जाते हैं। इन अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकारों के रोजगार को नियमित करने

और उनकी सेवा-शर्तों तथा सम्बद्ध मामलों की व्यवस्था करने के लिए, संसद ने अ प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1979 लागू इस अधिनियम में मौलिक सुविधाओं, जिनमें न्यूनतम मजदूरी, कानूनी संरक्षण, सुविधायें और वस्त्र शामिल हैं, की व्यवस्था की गई है।

देश में आवारा कुत्तों की संख्या

5514. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश में और विशेष रूप से दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जैसे महानगरों में आवारा कुत्तों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई रोकथाम की जाती है;

(ग) क्या सरकार का अलर्क रोग (रेबीज़) की समस्या को सुलझाने हेतु की समस्या पर ध्यान देने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) देश में की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नगरपालिकाओं और निगमों तथा स्वास्थ्य निदेशालयों के विभागों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

(ग) सरकार को देश में अलर्क रोग की समस्या की जानकारी है। भारत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में में पशु विज्ञान संबंधी एक राष्ट्रीय समिति गठित की है। यह समिति अलर्क रोग संबंधी रोगों के विभिन्न पहलुओं के बारे में सलाह देती है। इस समिति ने सिफारिश मनुष्य में अलर्क रोग की रोकथाम करने के लिए एक कुकुर सम्बन्धी अलर्क रोग कार्यक्रम आरम्भ किया जाए और इसे कृषि विभाग द्वारा चलाया जाए।

नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती

5515. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करें

(क) क्या नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती के लिए वर्ष 1979-80 में किसी रेलवे बार नैमित्तिक श्रमिक परीक्षा का आयोजन किया गया था,

(ख) यदि हां, तो क्या कोई प्रतीक्षा-सूची बनाई गई थी और प्रतीक्षा डिवीजनवार व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी थी,

(ग) क्या इन प्रतीक्षा-सूचियों को तैयार करते समय अनुसूचित जातियों, जातियों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण सम्बन्धी निर्धारित नियमों का पालन किया गया

(घ) यदि हां, तो इन सूचियों में इन श्रेणियों से सम्बन्धित कितने व्यक्ति थे से अब तक कितने व्यक्तियों को नियुक्त कर लिया गया है तथा शेष व्यक्तियों करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की हैं और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नई बसों की खरीद के लिए ऋण का अनुरोध

5516. **श्री एम० एम० लारेंस :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सड़क परिवहन निगम ने वाहनों की वास्तविक आवश्यकता तथा उपलब्धता के बीच अन्तर को कम करने तथा पुरानी बसों के स्थान पर नई बसों की खरीद के लिए केन्द्र सरकार से 2 करोड़ रुपये का ऋण मांगा है,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस बारे में क्या कदम उठाये हैं, और

(ग) सरकार का इस मामले में और क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क), (ख) और (ग) : केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने जीवन बीमा निगम से 2 करोड़ रुपये के ऋण के लिए अनुरोध किया है। जीवन बीमा निगम ने धन देना मंजूर कर लिया है। इस बारे में केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को भी सूचित कर दिया गया है।

जन्म-दर नियन्त्रित करने के उपाय

5517. **श्री राम लाल राही** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनिवार्य नसबन्दी योजना लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार का अनिवार्य नसबन्दी योजना लागू करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मैंने फुलवारी शरीफ बिहार के अन्दर स्कूल में जो बम गिराया गया है, उसके बारे में एक स्थगन प्रस्ताव किया है···

अध्यक्ष महोदय : श्री मनीराम बागड़ी ने फूलवारी पटना में एक स्कूल भवन में बम फैंके जाने के मामले पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें 15 बच्चे जिनमें 8 बालिकाएं हैं आहत हुईं। प्रेस क्लिपिंग नहीं आई है।

बच्चे राष्ट्र की सम्पत्ति हैं अतएव ऐसे हमलों की निन्दा की जानी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि संबद्ध अधिकारी अविलम्ब कार्यवाही करेंगे। क्योंकि यह मामला राज्य से संबद्ध है, मैंने स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति रोक ली है।

श्री मनी राम बागड़ी : विश्व युद्ध के अन्दर भी स्कूलों, अनाथालयों आदि पर गोली और बम नहीं गिराए जाते हैं। अगर बच्चे ही मर जाएंगे तब सरकार कहां रह जाएगी ? यह राष्ट्रीय सवाल है, स्टेट का कहां सवाल है ?

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो मैंने यह कहा है।

श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि तात्कालिकता को देखकर ही किसी स्थगन प्रस्ताव को लिया जाना चाहिए। मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। वह किसानों के सम्बन्ध में है। पांच-पांच किसान फायरिंग जो पुलिस ने किया है उसके कारण मर गए हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री धनिकलाल मंडल : मेरी बात सुन लीजिए। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता, इसे रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

**(कार्यवाही को वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री, श्री राम विलास पासवान, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री हरिकेश बहादुर ने दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : एक और डकैती पड़ गई है। पुलिस एक घंटा देर में पहुंची।

अध्यक्ष महोदय : हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : वे लोग दे रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह दिल्ली का मामला है। आप नहीं कह सकते हैं कि यह स्टेट सबजैक्ट है।

अध्यक्ष महोदय : रोज़ नहीं चल सकता है। अभी कल-परसों ही तो उसको डिसकस किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : रोज़ डकैतियां पड़ेंगी तो हम क्या करेंगे? दिल्ली के पुलिस कमिश्नर मास्को की सैर कर रहे हैं। यह दिल्ली का मामला है। इस तरह से नहीं चल सकता है। दिल्ली का मामला कहां उठाया जाएगा, (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

प्रेस परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत प्रेस परिषद् का 1978 का वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण तथा आपूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 20 के अन्तर्गत, भारतीय प्रेस परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1979 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) परिषद् के प्रतिवेदन में की गई कतिपय टिप्पणियों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1148/80)

भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अधीन अधिसूचना

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी किए गये रेलवे रेड टैरिफ (संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 723 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूँ।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1149/80)

अध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा। (व्यवधान) मैं निर्णय दे चुका हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आज भी एप्राप्रिएशन बिल की डिसकशन में इस पर बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ग़लत तरीका है। इस तरह से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये रूल्ज़ मैंने नहीं बनाये है, आपने बनाये हैं। आप सब के सब इकट्ठे बोल रहे हैं और बिला-वजह बोल रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका मार्ग-दर्शन चाहता हूं। जब गृह मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही थी, तो आपने स्थगन-प्रस्ताव नहीं लिया। आपने कहा कि···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी को मैंने इजाजत दी है। दूसरे माननीय सदस्य क्यों बोल रहे हैं ?

हमने वह बहस पंद्रह घंटे चलाई। मैंने दिल्ली की डैकायटीज़ के बारे में कालिंग एटेन्शन नोटिस भी लिया। हम इस बारे में डिसकशन भी करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी, तो फिर करेंगे। लेकिन रोज़ाना यह नहीं चल सकता है। अब एप्राप्रिएशन बिल पर बहस होगी। उसके बाद फ़िनांस बिल पर भी पंद्रह घंटे तक बहस होगी। श्री वाजपेयी बहुत बुद्धिमान हैं। अगर वह ऐसा करेंगे, तो हाउस के काम में गड़बड़ होगी। हर एक समस्या को एक-एक करके लीजिए। मैं समझता हूं कि इस हाउस में हर एक काम डिसकशन से होगा, और डिसकशन एक बात का एक वक्त ही हो सकता है। रोज एक ही बात पर डिसकशन नहीं चल सकता है। अगर आप फ़ैसला कर लें कि लॉ एंड आर्डर के सिवाय और कुछ नहीं लेना है, तो मैं रोज सारा दिन लॉ एंड आर्डर पर डिसकशन कराने के लिए तैयार हूं। मैंने कोई विषय नहीं छोड़ा है, जिस पर बहस न की गई हो। बिल्कुल उचित रूप से और रूल्ज़ के मुताबिक रोज़ाना काम होता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जिस समय मैं बोल रहा हूं आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ? इसका अभिप्राय है आप नियमों एवं प्रक्रियाओं का सम्मान नहीं करते। यदि हम स्वयं नियमों का पालन नहीं करते तो दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं ? यह ग़लत है।

हर एक सबजेक्ट लिया जा सकता है। कुछ स्टेट सबजेक्ट्स हैं, उन पर डिसकशन नहीं किया जा सकता है। या तो आप रूल्ज़ और कानून बदल दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप रोज़ लॉ एंड आर्डर पर डिसकशन करना चाहें, तो रोज़ कर लेते हैं। आप आइये, कोई तरीका निकाल लेते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, जब पहले आपसे कहा गया था कि ऐडजर्नमेंट मोशन लें तो आपने कहा था कि बजट पर बहस हो रही है, गृह मंत्रालय की मांगें आने वाली हैं···

अध्यक्ष महोदय : अभी कल तो हुआ है, वाजपेयी जी, आप क्या कर रहे हैं ? कल तो बहस की है गृह मंत्रालय पर। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : डकैती हमने नहीं डाली है। डकैती के लिए ये जिम्मेदार हैं।

अध्यक्ष महोदय : तो आप आएं, हम बात कर लेते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो सुन रहा हूं। बड़े प्यार से सुनता हूं।

श्री धनिकलाल मंडल : व्यापकता और तात्कालिकता दोनों को देखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ जायें।

श्री धनिकलाल मंडल : इस देश में 80 प्रति सैकड़ा किसान हैं। किसानों पर गोली चल रही है। पांच-पांच आदमी मारे जा रहे हैं। लगातार गोलियां चल रही हैं। किसानों का सवाल है।...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : मैं तो स्वयं किसान हूं।...(**व्यवधान**)...मेरे कान तो बिलकुल ठीक हैं।

श्री धनिकलाल मंडल : व्यापकता को देखा जायगा या नहीं ? तात्कालिकता को देखा जायगा या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं हो सकता। मैं करूंगा बारी-बारी...(**व्यवधान**)...अगर दिल्ली पर बहस करनी पड़ेगी तो फिर दोबारा दिल्ली पर कर लूंगा। कोई बन्दिश नहीं है इस बात पर। आप बैठें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, कब करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर भोगेन्द्र झा, काल अटेंशन...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप मानते हैं कि दिल्ली की विशेष स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : रोज़ तो नहीं हो सकता। रोज़ तो नहीं करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर रोज़ ऐसी घटनाएं होंगी तो हम क्या करें ?

अध्यक्ष महोदय : तो रोज़कर लें। आप फैसला कर लें, रोज़ दिल्ली पर करेंगे। मुझे तो आपके बनाए हुए कानून को चलाना है। अपना तो मैं चलाना नहीं चाहता। मैं तो आपके बनाए हुए कानून से बंध कर काम करना चाहता हूं। पूरी सभा निर्णय ले। मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या शार्ट नोटिस क्वेश्चन मानने के लिए तैयार हैं ? कल के लिए आप स्वीकार कर लें। आज की डकैती के लिए कल शार्ट नोटिस क्वेश्चन आ सकता है।

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्टर साहब आपके सामने बैठे हैं। (**व्यवधान**)

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, मेरी इतनी प्रार्थना है कि पांच आदमियों को मारा गया है। लगातार चार-पांच जगहों पर कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। चार-पांच लोग मारे गए हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नाउ मिस्टर भोगेन्द्र झा...(**व्यवधान**)...वह सामने बैठे हैं होम मिनिस्टर साहब, उनसे पूछ लीजिए, शार्ट नोटिस क्वेश्चन चाहते हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री धनिक लाल मंडल : किसान सबसे कमजोर है। सब पर चर्चा होगी, किसान के सवाल पर चर्चा नहीं होगी ?

श्री मनी राम बागड़ी : प्याज के भाव के बारे में जब जनता सरकार की गोली चली तब इस सदन में...(**व्यवधान**)**

***(कार्यवाही को वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)*

अध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड नहीं किया जायेगा।**

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : श्री निरेन घोष ने केन्द्रीय गृह मंत्री श्री जैल सिंह के विरुद्ध जांच समिति द्वारा आरोप लगाये जाने पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

पंजाब सरकार ने 1978 में भूतपूर्व सरकार पर आरोपों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। समाचारपत्रों में छपा है कि राज्य सरकार ने इस मामले पर ध्यान देने के लिए अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की है। अधिकारियों की समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

मुख्य रूप से इस पर करना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है। इस समय इसे सभा में उठाना युक्त नहीं है। तदनुसार मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान)**

**(कार्यवाही को वृत्तान्त से सम्मिलित नहीं किया गया।)

अध्यक्ष महोदय : मण्डल जी, आप अकेले इस हाउस को नहीं चलने दे रहे हैं। आपने फैसला कर लिया है कि हाउस नहीं चलेगा ? (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हाउस की कार्यवाही चलने नहीं देनी है ? हाउस तो बैठा है, इसको चलाना सारे हाउस की रेस्पांसिबिलिटी है। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाना है, जो भी आप कहेंगे। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको शोभा देता है ऐसा करना ? कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगी। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं बहुत चिन्तित हूं इस बात से। (व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : काफी हो गया। जब हाउस में मैं खड़ा हूं तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए।

(कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

देखने की बात यह है और मैं शायद यह चाहता हूं कि बाहर के भी चुनने वाले लोग आपको देखें कि किस तरीके से आप लोग काम करते हैं। मुझे इस बात का अफसोस है। रूल्स एंड रैगुलेशन्स सारे आपके बनाए हुए हैं और उन्हीं के हिसाब से पार्लियामेंट चलेगी; लेकिन अगर आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है; आपका हाउस है, मेरे अकेले का तो नहीं है। जैसे आप चलाना चाहें, चलाइए। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए कि बाहर के बैठे हुए लोग हमको माफ नहीं करेंगे। सीधी-सी बात है। हम लोगों के ऊपर उन लोगों की जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहता हूं कि एक-एक चीज आराम से डिसकस कर सकते हैं, एकार्डिंग टु रूल कर सकते हैं। मैंने सब चीजों को एलाउ किया है ! बिल्कुल ब्लैकआउट करने की कोशिश नहीं की है, न मैं करूंगा। मैं सबके साथ बात करके चलना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप हाउस को चलाइए, काम करिए। इस तरह से काम करने से कोई ठोस काम नहीं होने वाला है। कृपा करके सारे मिलकर काम करिए।

श्री भोगेन्द्र झा। (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं आपका ध्यान नियम 197 की ओर आकृष्ट करता हूं जो कि ध्यानाकर्षण नोटिसों से सम्बन्धित है। आपने श्री भोगेन्द्र झा को उनके ध्यानाकर्षण के सम्बन्ध में बुलाया है। नोटिस देश के किसी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को किसी

भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के सरकार के प्रस्ताव का भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा निरनुमोदन किए जाने के समाचार की ओर विधि मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। यह सरकार के प्रस्ताव का भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा केवल कथित निरनुमोदन है। और यह सरकार का केवल एक प्रस्ताव है जो विधिज्ञ परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। विधिज्ञ परिषद को न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी तरह का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। कोई भी सरकार के प्रस्ताव को निरनुमोदित कर सकता है। इसलिए, यह विषय नियम 197 की सीमा के अन्तर्गत नहीं आता। यह अविलम्बनीय लोक महत्त्व का विषय नहीं है। विधिज्ञ परिषद ने शायद किसी प्रस्ताव विशेष का निरनुमोदन किया है? इसका कोई महत्त्व नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा प्रश्न है जो लोगों के मन को उद्वेलित कर रहा है। यह ऐसा प्रश्न है जो न्यायपालिका से सम्बन्धित है। इसी कारण से मैंने इसको प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दी है। यदि आप चाहें तो आकर मुझसे मिल सकते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मदखां (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 222 के अन्तर्गत कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमन्, यह संसदीय परम्परा की परिपाटी है कि अगर सदन में बैठे हुए सदस्यों के सामने सदन की अवमानना की जाए तो उसकी सूचना उसी वक्त जबानी दी जा सकती है। मैं नहीं जानता हूं कि माननीय सदस्य, जौनपुर, अखबार को दिखाकर क्या कहना चाहते थे। श्रीमन्, लेकिन उस समय जब सदन अपनी कार्यवाही कर रहा था, उस समय माननीय सदस्य ने बेंच पर खड़े होकर जिस प्रकार से अपशब्द कहे, वह इस सदन की निश्चित ही अवमानना है और उसकी सूचना मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

डा० वसन्तकुमार पण्डित (राजगढ़): जब आपके समक्ष अविलम्बनीय लोक महत्त्व के कई विषय होते हैं तो आपको उनमें से दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को नियम 197 के अन्तर्गत स्वीकार करने का अधिकार है। मैंने केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को भेजी गई 3 करोड़ रुपये मूल्य की चीनी के गायब हो जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण का नोटिस दिया है। वह चीनी विगत 80 दिनों में वहां नहीं पहुंची है। यह एक अविलम्बनीय लोक महत्त्व का विषय है।

अध्यक्ष महोदय : आप आकर मुझसे मिल सकते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में भारतीय विधिज्ञ परिषद के संकल्प का समाचार

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"देश के किसी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के सरकार के प्रस्ताव का भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा कथित निरनुमोदन।"

श्री पी० शिवशंकर (विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री) : सरकार ने अखबारों में छपी इस आशय की खबरें देखी हैं कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने किसी उच्च न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश को देश के किसी अन्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधिपति के रूप में नियुक्त करने के सरकार के प्रस्ताव का अननुमोदन किया है। यदि विधिज्ञ परिषद् ने ऐसा कोई संकल्प पारित किया है तो यह निराधार है।

तथापि सरकार को विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह आग्रह किया गया है कि नीति के विषय के रूप में किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति उस उच्च न्यायालय की अधिकारिता के बाहर से नियुक्त किया जाए। सरकार इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। सरकार ने इस विषय में अन्तिम रूप से कोई विचार नहीं बनाया है। फिर भी प्रथम दृष्ट्या सरकार का यह विचार है कि एक स्वस्थ न्यायिक प्रशासन और न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के हित में इस प्रस्ताव के पक्ष में विचार किया जाना उचित होगा।

श्री भोगेन्द्र झा : यह मामला संसद की परामर्शदात्री समिति की उस सिफारिश के परिणामस्वरूप सामने आया जिसमें वकीलों की फीस कम करके मुकदमेबाजी को सस्ता बनाने, गरीबों तथा जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने, तथा तीसरे उच्च न्यायालय के एक-तिहाई न्यायाधीशों तथा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राज्य से बाहर के वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से करने की सिफारिश की गई है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने इसके बारे में अपना रवैया स्पष्ट कर दिया है और मैं नहीं समझता हूं कि मेरे मित्र श्री अग्रवाल ने जो कुछ कहा है, वह ठीक है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् कोई निकाय नहीं है; हां, इसका अपना एक दर्जा अवश्य है। इसके विचार ठीक तथा लाभकारी हो सकते हैं। अतः हमारे देश को इसके अस्तित्व में स्वीकार करना होगा, चाहे हम इसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें, इसके साथ सहमत हों या असहमत हों।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

वकीलों की फीस कम करके मुकदमेबाजी को सस्ता करने के बारे में विधिज्ञ परिषद् द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है। इसी प्रकार अन्य सिफारिशों के बारे में भी विधिज्ञ परिषद् द्वारा कुछ नहीं कहा गया है, जैसे कि गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। मैं यह इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से लोकतन्त्र है, क्योंकि यहां वयस्क-मताधिकार है और गरीब तथा अमीर सभी को मताधिकार का अधिकार है परन्तु हमारी विधि-व्यवस्था पूंजीपतियों वाली, अर्थ-सामन्तवादी है तथा जनता द्वारा अर्जित सम्पूर्ण धन केवल कुछ ही लोगों के हाथों में एकत्रित हो जाता है और जहां तक न्याय का सम्बन्ध है,—मैं यहां कदाचार या भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं—परन्तु हमारी विधि-व्यवस्था के औपचारिक ढंग से कार्य करने के अनुसार यहां न्याय को खुले आम खरीदा जा सकता है। जब तक किसी के पास पर्याप्त धन न हो, तब तक वह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता। अतः मुकदमे को लड़ने और वहां से न्याय प्राप्त करने की बात को तो कुछ देर के लिये आप अलग ही रख दीजिये। अतः औपचारिक तथा कानूनी दृष्टि से हमारी विधि-व्यवस्था जो कि हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली है, के अनुसार तो न्याय खुले आम बेचा जाता है। कुछ सीमा तक अनमने मन से तथा हिचकिचाते हुए गरीबों को कानूनी सहायता देने के कुछ प्रयास किये गये हैं तथापि वे समुद्र में बूंद के समान हैं। अब परामर्श-दात्री समिति द्वारा यह सिफारिश की गई है। मुझे मालूम नहीं है कि सरकार किस सीमा तक इसे क्रियान्वित करेगी या नहीं

करेगी, क्योंकि इन्हें मानना सरकार के लिए आवश्यक नहीं है। परन्तु जब एकमत से कोई सिफारिश की जाती है तो सरकार यह सुनिश्चित करती है कि उसे क्रियान्वित किया जाये। यह चाहे कुछ भी हो परन्तु विधिज्ञ परिषद् द्वारा इसके बारे में पूर्ण चुप्पी साधे रहना निश्चय ही एक बहुत निराशाजनक बात है।

इसी प्रकार से सभी न्यायालयों की न्यायालय फीस तथा विशेष रूप से उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की फीस के बारे में भी मैं भारतीय विधिज्ञ परिषद् का रवैया जानना चाहता हूं क्योंकि उसे देश में वकीलों का अधिकृत निकाय माना जाता है। इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है।

इसके बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रश्न आता है। यहां आकर मामला गंभीर हो जाता है और विधिज्ञ परिषद् ने भी इस ओर सही ध्यान आकृष्ट किया है। उच्च न्यायालयों के अनेक मुख्य न्यायाधीशों के पद रिक्त पड़े हैं। अनेक स्थानों पर कई महीनों से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 65 पद रिक्त पड़े हैं। राज्य-सरकारों द्वारा भी केवल 31 नामों की सिफारिश की गई है और शेष 34 नामों के बारे में तो राज्य सरकारों द्वारा भी सिफारिश नहीं की गई है। अतः एक प्रकार से उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 15% पद रिक्त पड़े हैं। अतः उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मुकदमों की संख्या के बढ़ने का यह एक कारण है। 31 दिसम्बर, 1979 तक 6,17,232 मुकदमे देश के उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े थे। अतः इन परिस्थितियों में जब कि हमारे पास उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के 65 पद रिक्त पड़े हैं, सरकार अपने दायित्व से भला कैसे पीछे हट सकती है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसके कारणों के बारे में अपने उत्तर में बतायेंगे और साथ ही यह भी बतायेंगे कि स्थिति में कितनी जल्दी सुधार किया जा रहा है।

जनसाधारण के मन में जो एक अन्य आशंका है वह शासक दल द्वारा नियुक्तियों, तथा स्थानान्तरण के माध्यम से न्यायपालिका को प्रभावित करने के सम्बन्ध में है।

अध्यक्ष महोदय : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में यह प्रश्न कहां से आ जाता है ?

श्री भोगेन्द्र झा : यह वरिष्ठतम न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है, यह बहुत ही संगत बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय से अलग जा रहे हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : नहीं, श्रीमान जी, यह विषय से सम्बद्ध प्रश्न ही है। लोगों के मन में यह आशंका है। मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूं। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व उस समय विधिज्ञ परिषद् ने स्वतन्त्र न्यायपालिका के पक्ष में रवैया अपनाया था और फिर भी उसके बाद बिहार सरकार उस पर अड़ी रही और इसने मुख्य न्यायाधीश का स्थानान्तरण पटना से नागपुर करवा दिया। सत्तारूढ़ दल ने इसे करवा लिया। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि मुख्य-न्यायाधीश को स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं करने दिया जाता है। यह मामला बहुत पुराना है परन्तु उस समय सत्तारूढ़ दल, कांग्रेस दल ने उसका स्थानांतरण करवा दिया।

अभी हाल ही में हमने सुना है कि उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने हाल ही के चुनावों में प्रधान मंत्री को बधाई संदेश भेजा है। हम आशा करते हैं कि हमारी न्यायपालिका स्वतन्त्र है.....(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : प्रश्नकाल के दौरान तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, परन्तु ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान इसे उठाया जा सकता है। इसे उठाने के दो कारण हैं। पहले तो हम यहां उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्य से बाहर न्यायाधीशों को नियुक्त करने की प्रस्तावित नीति पर विचार कर रहे हैं···(**व्यवधान**) हम नहीं हैं···(**व्यवधान**)

मेरे व्यवस्था के प्रश्न के दो आधार हैं, पहला आधार यह है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक विशेष विषय तक ही सीमित है और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कोई पत्र लिखने का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है।

व्यवस्था के प्रश्न पर मेरा दूसरा निवेदन यह है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा लिखे गये पत्र का इस प्रकार से उल्लेख करना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है क्योंकि हम इस प्रकार किसी न्यायाधीश विशेष तथा उच्चतम न्यायलय पर आक्षेप कर रहे हैं और इसलिए इसका आपके द्वारा समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : चूंकि अब पत्र आ गया है मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह इसे सभा-पटल पर रखें।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरे माननीय मित्र को यह याद रखना चाहिए कि किसी दिन पार्टी की स्थिति बदल सकती है और तब·····

श्री पी० शिव शंकर : यह मामला एक नाजुक प्रश्न है और मेरा माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन है कि वे भाषा में तथा इस मामले में अपने रवैये में संयम बरतें, क्योंकि न्यायाधीश अपनी पैरवी नहीं कर सकते हैं। मैं सोच रहा था कि इस बात को आपके ध्यान में लाऊं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप विषय तक ही सीमित रहें तो बात पैदा ही नहीं होगी। यही मैंने कहा था।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : हर एक बात उठेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : हर एक बात तो उठेगी किन्तु यह विषय नाजुक है।

श्री सतीश अग्रवाल : यही कारण है कि मैंने आपत्ति उठाई है किन्तु वह सहमत नहीं हुए। वह चाहते थे यह मामला उठाया जाये।

श्री पी० शिव शंकर : श्री अग्रवाल आपको मालूम नहीं है कि मुझे स्वयं ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव के बारे में कल मध्याह्न पश्चात् सूचित किया गया कि यह गृहीत किया गया है। मुझे इसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि मुझे कभी भी पूछा नहीं गया। वास्तव में यदि मेरी सलाह ली जाती तो मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता।

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर) : नहीं, आप कुछ भी निवेदन नहीं कर सकते।

श्री पी० शिव शंकर : यह बिल्कुल सही है किन्तु जैसा आपका हक है, मेरा भी निवेदन करने का हक है।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं समझता हूं जब मेरे मित्र बारबार व्यवधान करते हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि यहां हमारे समान अधिकार और दायित्व हैं। अतः व्यक्तिगत सदस्यों और

पार्टी नेताओं को यह ध्यान में रखना चाहिए। जब बार-बार व्यवधान होता है तो मैं समझता हूं उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए।

मैं कह रहा था कि किसी भी न्यायाधीश के स्वतंत्र विचार तथा धारणा हो तो हमें उस पर आपत्ति नहीं है। किन्तु जब कोई बधाई का सन्देश खुले रूप में भेजा जाता है तो इससे हमारी न्यायपालिका पर केवल आक्षेप ही होता है।

कल ही समाचारपत्रों में यह समाचार छपा कि मुख्य न्यायाधीश के सुझाव पर.....

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा, नियम में कहा गया है :

"ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाए कोई वाद-विवाद नहीं होगा, किन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य-सूची में यह मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा।"

अब आप भाषण दे रहे हैं। कृपया भाषण न दें और विषय पर आइए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : भाषण देने के बारे में कोई भी पूर्व उदाहरण नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल प्रश्न पूछ सकते हैं। यह भाषण क्या है ? यह किसी भी विषय पर सामान्य चर्चा जैसी है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आप हमेशा भिन्न-भिन्न निर्णय देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया निश्चित विषय पर आइए क्योंकि समय कीमती है।

श्री भोगेन्द्र झा : मुझे बाधा पहुंचाई जा रही है। मैं समझता हूं आप मेरी रक्षा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं हर एक की रक्षा करूंगा।

श्री भोगेन्द्र झा : कल 'टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार था कि मुख्य न्यायाधीश के सुझाव पर प्रार्थी के वकील श्री आर० के० गर्ग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अवमान याचिका में प्रतिवादी के रूप में मुकदमा चलाने के लिए जोर न देने के लिए सहमत हुए। तथापि उसने निवेदन किया कि अवमान याचिका में लगाये गये सभी आरोपों पर वह निर्भर करेंगे।

मैं समझता हूं कि यह बड़ी गम्भीर बात है और मेरे विचार से न्यायपालिका को वास्तव में स्वतंत्र रखने के लिए तथा लोग इसे स्वतंत्र समझें जो कि हमारी वर्तमान व्यवस्था में काम करने के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

मैं फिर एक बात के बारे में बोल रहा हूं। उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश द्वारा संविधान में इस संसद द्वारा किये गये संशोधन कि हमारे संविधान का अध्याय 3—मूल अधिकार —निदेशक सिद्धान्तों—अध्याय 4—के अधीन होगा, रद्द किया।

अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया गया है : आदेश आ चुका है। क्या हो रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियमों के विरुद्ध कार्य कर रहे हो।

श्री बंसीलाल (भिवानी) : उनके भाषण को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाए। इसका कोई संबंध है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री झा, सही विषय पर बोलिए। आपका इस विषय पर क्या विचार है, इस विषय पर आपके दल का क्या विचार है ? आप उस विचार को खुले रूप में क्यों नहीं रख रहे हैं ? मैं केवल आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : संवैधानिक संशोधन अवैध था.....

श्री शिवराज वी० पाटिल (लातूर) : श्रीमान, व्यवस्था के प्रश्न पर। यह वह मंच नहीं है जहाँ हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर चर्चा कर सकते हैं। जब हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर इस ढंग से चर्चा कर रहे हैं तो हम अपनायी गयी प्रणाली के प्रति अन्याय कर रहे हैं। यह इस ढंग से इस सभा में जारी नहीं रह सकती है। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मूल अधिकारों तथा निदेशक सिद्धान्तों के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का क्या प्रभाव हुआ है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री झा, मैं इस विषय पर नियमों को पढ़कर सुना चुका हूं। उसके बावजूद यदि आप इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को इन बातों के लिये उपयोग करना चाहते हैं तो निश्चितरूप से इसका वहाँ विरोध होगा। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जो भी संगत नहीं है, जैसा अभी आपने कहा है; वह हमें कार्यवाही वृत्तान्त से निकालना पड़ेगा।

श्री निरेन घोष (दम, दम) : किस नियम के अन्तर्गत ?

उपाध्यक्ष महोदय : अवशिष्ट नियमों के अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है।

श्री निरेन घोष : नहीं, आप इसे नहीं कर सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : कृपया उनमें से कुछ का उल्लेख करो।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम जानना चाहते हो। मैं आपको नियम बता चुका हूं। श्री भोगेन्द्र झा, अब आप प्रश्न पूछिये। मैं आपको एक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। कोई भाषण नहीं दिया जाना चाहिए। यदि आप भाषण देने जा रहे हो तो मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)**

** (कार्यवाही 'वृत्तान्त' में सम्मिलित नहीं किया गया है।)

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी रामावतार शास्त्री कहते हैं वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री झा, क्या आप प्रश्न पूछने जा रहे हो या भाषण देने जा रहे हो ?

श्री निरेन घोष : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। कृपया इस सभा के अधिकारों को कम करने का प्रयास मत करो।

उपाध्यक्ष महोदय : उस बात में मैं आपका समर्थन करूंगा कि आपको इस सभा के किसी सदस्य के अधिकारों को कम नहीं करना चाहिए। परन्तु मेरी शक्तियां कम न करो। श्री झा, मैं आपको केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। यदि आप भाषण देने जा रहे हो तो मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : आज उपाध्यक्ष महोदय उस व्यक्ति के साथ बाधा उत्पन्न कर रहे हैं जो इस सभा में अत्यधिक सहयोगी रहे हैं। मैं समझता हूं कि कुछ सदस्य यह कर रहे हैं..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूँ कि आप केवल एक प्रश्न पूछें। यदि आप प्रश्न नहीं पूछने वाले हैं तो कृपया बैठ जाएं।

श्री भोगेन्द्र झा : आप मुझे एक या दो मिनट का समय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको भाषण देने के लिये अनुमति नहीं दूंगा। मैं आपसे नियम

मानने का अनुरोध करूंगा। नियमों के अनुसार, आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं। इसलिये प्रश्न पूछिये। यदि आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो मैं अब आपको बोलने के लिये अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं अब एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। उसके बाद मैं आपसे किसी और बात के लिये अनुरोध करूंगा। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नाराज न हों। अपना प्रश्न पूछिये।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरा प्रश्न है (क) क्या सरकार इस नीति का उपयोग करने जा रही है जिससे वह प्रथम दृष्टि में सहमत हो गये हैं कि सरकार का यह विचार है—एक राज्य से दूसरे राज्य को मुख्य न्यायाधीश के स्थानान्तरण करने या नियुक्त करने की नीति या सत्तारूढ़ दल के हित में इसे उपयोग करने के लिये राज्य के बाहर से एक-तिहाई न्यायाधीशों को लेना, क्योंकि उससे देश में चिन्ता हो रही है।

उस प्रश्न का भाग (ख)·····है **(व्यवधान)**

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया) : श्रीमान, उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।·····**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री आप अब खड़े हुए हैं और उसके बाद आप इस तथ्य का लाभ उठा रहे हैं कि आपका भाई पीठासीन है।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या, न्यायाधीशों तथा मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने में सरकार इस सुझाव पर विचार करने वाली है कि न्यायाधीशों का नियुक्त करते समय इस संसद की किसी उस समिति द्वारा कुछ जांच की जानी चाहिए जिसमें दोनों सभाओं के सदस्य हों—भूतपूर्व न्यायाधीशों जैसे कुछ अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं जो न्यायाधीशों की जांच करेंगे;

(ग) क्या वे धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद तथा लोकतंत्र के हमारे संवैधानिक सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और क्या वे हमारे निदेशक सिद्धान्तों से सहमत हैं या नहीं, क्योंकि सम्पूर्ण संविधान नहीं बदला जा सकता है·····**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं परन्तु आप बहुत प्रश्न पूछ रहे है (क), (ख), (ग), (घ) आदि।

श्री भोगेन्द्र झा : श्रीमान, मैं सीमा के भीतर हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको तो अन्य सदस्यों को सिखाना है परन्तु मेरे विचार में आपको सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं····· कृपया·····

श्री भोगेन्द्र झा : कृप्या मुझे 1, 2 या 3 मिनट दीजिए और मैं समाप्त कर देता हूं। आप कृपया मेरे भाषण के दौरान व्यवधान न उत्पन्न करने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको एक प्रश्न पूछने के लिये कहा है। आपने तीन प्रश्न पूछ लिये हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस मामले को हल करने के प्रयास के साथ-साथ सभी रिक्त पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति तत्काल कर देगी ? इस समय विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में तथा उनमें कई मुख्य न्यायाधीशों के 65 रिक्त स्थान हैं।

अन्त में (घ) क्या सरकार इस बात पर गम्भीरता से विचार करने जा रही है कि मुकदमे-

बाजी में निर्धन लोगों का, जो कि कारखानों में वास्तविक उत्पादक तथा मजदूर हैं, आर्थिक दृष्टि से शोषण तथा सामाजिक दृष्टि से दमन किया जा रहा है तथा क्या वे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय तक बिना वित्तीय साधनों के पहुँच सकते हैं और क्या इस बात की गारंटी दी जा रही है ?

मेरे प्रश्न ये हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : मेरा एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है।

श्री भोगेन्द्र झा ने भाषण देते समय मेरे प्रति कुछ कहा है। मैं नियम 197 के अधीन इस प्रस्ताव की स्वीकार्यता के बारे में आपत्ति करता हूं।

महोदय, मैं एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या दूसरे उच्च न्यायालय में इसके स्थानांतरण किए जाने के संरकार के विचार के विरुद्ध नहीं हूं। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। यदि 1/3 न्यायाधीश राज्य से बाहर के हों, तो भी हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। यह न्यायपालिका के लिए अच्छा है तथा इस सम्बन्ध में सरकार के प्रस्ताव का मैं पूरे हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री पी० शिव शंकर : यह एक ऐसा मामला है जिसमें मैं माननीय सदस्यों से विनम्र अनुरोध करता हू कि इस मामले को किसी दलगत दृष्टि से न देखा जाए।

मुझे विश्वास है कि हम सब न्यायपालिका की पूर्ण स्वतन्त्रता में रुचि रखते हैं और श्री झा द्वारा व्यक्त किए गए विभिन्न विचारों से मैं सहमत हूँ। परन्तु इन मामलों पर विस्तार में गये बिना मैं सीधा उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नों को लूंगा, ताकि मैं उनका उत्तर दे सकूं।

माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि क्या इस नीति के अनुसरण में सत्तारूढ़ दल द्वारा हस्तक्षेप किया जायेगा या ये स्थानांतरण सत्तारूढ़ दल के हितों की पूर्ति के लिये किये जायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केन्द्र में।

श्री पी० शिवशंकर : मैं इसे केन्द्र के सम्बन्ध में ही ले रहा हूं। मैं समझता हूं। मैं, विधिज्ञ परिषद् का पिछले लगभग 30 वर्षों से सदस्य होने के नाते माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि किसी भी प्रकार की नीति बनाते समय उच्चतम न्यायालय को पूर्ण विश्वास में लिया जायेगा तथा मैं उनको यह भी आश्वासन दे सकता हूं कि किसी भी प्रकार की प्रणाली बनाते समय उच्चतम न्यायालय के विचारों को सम्मिलित किया जायेगा।

अतः मैं प्रश्न के प्रथम भाग में माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किये गये भय को दूर करता हूं। प्रश्न का दूसरा भाग संसद की या भूतपूर्व न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा नियुक्तियों की जांच से सम्बंधित है। मैं यह कहना चाहता हूं तथा मुझे यह विश्वास है कि नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीशों की प्रतिबद्धता केवल संवैधानिक उद्देश्यों के प्रति है तथा इसके अतिरिक्त और कोई प्रतिबद्धता नहीं है। प्रो० दण्डवते का पूरा सम्मान करते हुए मैं यह कहता हूं कि न्यायाधीश केवल संविधान और विधि के नाम पर ही शपथ लेते हैं। मेरा यह दृढ़ विचार है कि उनकी प्रतिबद्धतायें केवल संवैधानिक तथा कानूनी उद्देश्यों तक ही सीमित हैं, और कहीं तक नहीं। यदि उनकी प्रतिबद्धता कहीं ओर है तो वे अस्वीकार किये जाने के काबिल हैं।

अतः मेरे लिये यह स्वीकार करना बहुत कठिन है कि संसद की एक समिति इन न्यायाधीशों की जांच करे। मैं जानता हूं कि वर्तमान प्रणाली में कुछ त्रुटियां हैं। इन गुटियों के सम्बन्ध में खुले आम कुछ कहना मेरे लिए सम्भव नहीं है। परन्तु मैं इतना आश्वासन दे सकता

हूं कि सरकार संवैधानिक प्रणाली तथा न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के अनुसार इन न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिये यथासम्भव सब कुछ करेगी। (व्यवधान)...

महोदय, उनके प्रश्न का तीसरा भाग 65 न्यायाधीशों से संबंधित है। हम इन पदों तथा मुख्य न्यायाधीशों के पदों को भरने के लिये यथासम्भव शीघ्र कदम उठा रहे हैं। मुझे इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना आश्वासन दे सकता हूं कि मुख्य न्यायाधीशों के कतिपय मामलों में राज्य प्राधिकरणों की सिफारिशें अभी तक नहीं आई हैं। यही कारण है कि उन्हें स्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे भी कुछ मामले हैं जिनमें वरिष्ठतम व्यक्ति का विरोध किया जा रहा है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनके संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जा रही है। इसका कारण यह है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी है।

मेरे विचार में मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिये, क्योंकि इसका उल्लेख 'बार कौंसिल' तथा माननीय सदस्य द्वारा भी किया गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री ए० एन० राय को वापस लाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री पी० शिव शंकर : मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके प्रस्ताव को भेजते हैं। (व्यवधान)

गरीबों के उच्चतम न्यायालय में जाने के अन्तिम प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता देने के बारे में बहुत प्रभावी कदम उठा रही है। जैसे ही समिति के गठन के बारे में अन्तिम निर्णय हो जायेगा, मैं नीति सम्बन्धी निर्णय आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा और मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि लोगों को केवल धन की कमी के कारण न्याय से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, भारतीय बार कौन्सिल के संकल्प के सम्बन्ध में उन्होंने जो यह मूल आशंका व्यक्त की है कि अन्य उच्च न्यायालयों के वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें देश के सभी उच्च न्यायालयों में एक ही उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। अतः मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें : किसी भी ऐसी पद्धति या सूत्र अथवा व्यवस्था में जिसे इस प्रयोजन के लिये बनाया जाना है, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि देश के सभी भागों की इस आशंका को दूर किया जायेगा कि देश के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध मेधावी व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है और सरकार केवल इस विचार से प्रेरित नहीं होगी कि किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अवश्य बाहर से होगा। दूसरे, मैं न्यायाधीशों के स्थानान्तरण का उल्लेख करना चाहूंगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के अन्तर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय ने भी 19 सितम्बर, 1977 के एक निर्णय में यही कहा है। उस समय हमारी सरकार सत्ता में नहीं थी। अब निर्णय यह है कि स्थानांतरण के लिये सम्बद्ध न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अतः उच्चतम न्यायालय की यह राय बहुत ठीक है, यह सरकार की मूल नीति के अनुरूप है। अतः क्या मैं इस दूसरी आशंका का उल्लेख कर सकता हूं, जिसका हवाला बार कौंसिल के संकल्प में दिया गया है कि बार के वरिष्ठ सदस्य न्यायालय पीठ में नियुक्ति को इस पद्धति के कारण, यदि उसे बनाया गया, तो स्वीकार नहीं करेंगे ? अतः क्या माननीय विधि और न्याय मंत्री इस आशंका को भी दूर करेंगे कि किसी

भी मेधावी व्यक्ति को न्यायालय की पीठ में नियुक्ति से निरुत्साहित नहीं किया जाएगा ? ये मेरे दो प्रश्न हैं ।

श्री पी० शिव शंकर : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के पहले प्रश्न के बारे में मैं सभा के ध्यान में यह बात स्पष्ट रूप से लाना चाहता हूं कि मेरे पूर्वाधिकारी श्री शांतिभूषण जी का भी यह विचार मालूम पड़ता है कि मुख्य न्यायाधीश को विभिन्न कारणों से बाहर से होना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य श्री अग्रवाल ने भी इस रवैया का समर्थन किया है। जैसा कि मैंने कहा है कि हमने कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है। अतः इस समय मेरे लिए यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या व्यवस्था अपनाई जाएगी । व्यवस्था का प्रश्न एक ऐसा मामला है जिसमें हमें उच्चतम न्यायालय का मार्गदर्शन अवश्य ही लेना है । और इस मामले में मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि जब भी हम किसी अन्तिम निर्णय पर पहुँचेंगे, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बद्ध व्यक्ति के प्रति कम से कम अन्याय हो । मुझे उच्चतम न्यायालय की किसी व्यवस्था के बारे में, जो वह महसूस करे कि वह स्वतंत्र न्यायपालिका के हित में होगी, सुझाव पूरी तरह से मान्य होगा·····

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप 'कम से कम अन्याय' क्यों कहते हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : इसे मुझे स्पष्ट करना चाहिए । मान लीजिए हम कोई निर्णय करते हैं और उच्चतम न्यायालय कहता है कि वे सभी व्यक्ति जिनकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई है और जो अपनी अदालतों में मुख्य न्यायाधीश बनने की आशा कर रहे हैं और यह मानते हुए कि यद्यपि वे कनिष्ठ हैं उनकी अखिल भारतीय आधार पर, जब भी स्थान रिक्त हों, नियुक्ति की जानी चाहिए, किन्तु यह सम्भव न हो कि उनकी उसी तारीख को नियुक्ति की जाये । यह सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसी व्यवस्था के लिए हिसाब लगाना पड़ेगा । माना कि किसी व्यक्ति का अपने ही उच्च न्यायालय में 1984 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जानी थी और यह सम्भव हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में कुछ पहले या बाद में विचार किया जाये । यह व्यवस्था का मामला है । अतः मैंने कहा था 'कम से कम अन्याय' । मैंने जानबूझकर इन शब्दों का प्रयोग किया था । मैं इस सारे रवैये के बारे में व्यवस्था तय करने के लिए उच्चतम न्यायालय पर पूरी तरह से निर्भर रहने के लिए तैयार हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को प्रश्न पूछने से पहले मैं केवल अध्यक्ष महोदय के निर्णय का आदर करता हूं कि उन्होंने इस ध्यानाकर्षण सूचना को गृहीत किया है क्योंकि यह इस सभा की परम्पराओं के अनुरूप है । मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि 5वीं लोकसभा में मैं इस सभा के उन दो सदस्यों में था जिन्होंने न्यायाधीशों के अधिलंघन के बारे में चर्चा आरम्भ की थी और हम सभी यह चाहते हैं कि न्यायपालिका के सदस्यों के प्रति आशंका व्यक्त न की जाये । इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी प्रक्रिया तथा चर्चा होनी चाहिए और मैं उस विशेष सिद्धान्त को ध्यान में रखूंगा तथा प्रश्न पूछूंगा ।

मंत्री महोदय द्वारा दिए गये वक्तव्य में पहले पैरा का अन्तिम वाक्य इस प्रकार है :

"यदि बार कौंसिल ने ऐसा संकल्प पास किया है तो उस संकल्प का कोई आधार नहीं है ।"

महोदय, मैं एक प्रश्न पूछूंगा किन्तु यह मिश्रित प्रश्न होगा ।

क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न मन्त्रालयों से सम्बद्ध संसद की अनेक सलाहकार समितियों की कार्यवाही को समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाता है और उन सलाहकार

समितियों की बैठकों में हुई बहसों और किये गये महत्त्वपूर्ण निर्णयों के आधार पर अनेक व्यक्ति और संस्थान बड़ी सावधानी से अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हैं ? क्या यह सत्य नहीं है कि शायद सलाहकार समिति की बैठक के आधार पर जो कि 7 जून, 1980 को विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय की ओर से हुई थी तथा एक दूसरी बैठक जो आज हुई है, के आधार पर कुछ विचार व्यक्त किये गये हैं, किन्तु जो आज बैठक हुई है उसके आधार पर बार-काउंसिल द्वारा कोई विचार व्यक्त नहीं किया जा सकता ? किन्तु उससे पहले भी बैठक हुई थी। जहां तक वक्तव्य का सम्बन्ध है, इसमें अनेक मामलों पर बार-काउंसिल की राय अभिव्यक्त की गई है। मैं सबसे पहले उन दो अथवा तीन मामलों को संक्षेप में बताऊँगा जिसका बार-काउंसिल ने अपने प्रस्ताव में उल्लेख किया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन विषयों पर माननीय मन्त्री की प्रतिक्रिया क्या है।

1. बार-काउंसिल ने यह मान लिया था कि सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि यदि किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी हो तो किसी भी उच्च न्यायालय में जो व्यक्ति वरिष्ठतम होगा वही उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जायेगा। अतः उन्होंने यह आशंका व्यक्त की कि किसी उच्च न्यायालय विशेष में विभिन्न उच्च न्यायालयों की तुलना में अनेक वरिष्ठ व्यक्ति हो सकते हैं, और किसी एक उच्च न्यायालय के न्यायिक सदस्य कई उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश के पदों पर एकाधिकार कर सकते हैं। उनका यह भय वास्तविक है जिसे उन्होंने अभिव्यक्त किया है।

2. उस प्रस्ताव का दूसरा पक्ष इस समाचार का उल्लेख करता है, जो समाचारपत्रों में सरकार के प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित हुआ है, कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक-तिहाई सदस्य मैं मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा हूं—उस राज्य से, जहां उच्च न्यायालय स्थित है, बाहर से आयेंगे। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह अपने अनुभव के आधार पर यह महसूस करते हैं कि क्या यह प्रस्ताव में व्यावहार्य है ? क्या इसे व्यावहार्य रूप दिया जा सकता है ? कुछ समय पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आज विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितने स्थान रिक्त हैं। मैं इसके लिये सरकार को दोष नहीं देता क्योंकि अनेक कारणों और कठिनाइयों से वह सभी रिक्त स्थान भर नहीं सकी हैं। जब इस प्रकार की स्थिति है तो यदि आपके पास एक यह भी अधिकार है कि यदि राज्य में सदस्य उपलब्ध न हों तो प्रत्येक उच्च-न्यायालय के एक-तिहाई सदस्य राज्य के बाहर से लिये जायेंगे; ऐसी स्थिति में सरकार की मंशा कुछ भी हो, इस उपबन्ध के दुरुपयोग की हर सम्भावना है। इस सन्दर्भ में मैं अपना अनुभव बताता हूं और इसी सन्दर्भ में मैं प्रश्न भी पूछना चाहता हूं कि मैं जब नजरबन्द था—क्योंकि इसका सम्बन्ध इस प्रश्न से है, इसलिये मैं इसे उसके साथ सम्बद्ध कर रहा हूं कि बंगलौर में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री श्यामनन्दन मिश्र तथा इस सदन तथा दूसरे सदन के अनेक अन्य माननीय सदस्यों के साथ हमने बंगलौर उच्च न्यायालय में बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी और हमारी इस याचिका पर पीठिका के स्थायी न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर, जो हमारे मामले की सुनवाई कर रहे थे द्वारा तीन अन्तरिम आदेश दिये गये थे और इसके पश्चात् कुछ दिनों के भीतर उस न्यायाधीश का बंगलौर से इलाहाबाद में तबादला कर दिया गया था और इसी प्रकार अनेक तबादले हुए हैं। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कल जनता सरकार अथवा साम्यवादी सरकार बन सकती है; किन्तु महोदय, हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि इसमें किसी अधिकार का दुरुपयोग न हो सके, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो। अतः यदि राज्य के बाहर से एक-तिहाई सदस्य उपलब्ध नहीं होंगे, तो उस दशा में अनेक उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को

राजनीतिक कारणों से तबादले हो सकते हैं और उनके निर्णय सरकार के पक्ष में न होने के कारण उन्हें इस प्रकार दण्डित भी किया जा सकता है। यदि ऐसा होगा तो क्या उससे कठिनाई नहीं पैदा हो जायेगी ?

विधि आयोग का प्रतिवेदन आ चुका है। सर्वश्री सीतलवाड तथा सीरवाई जैसे प्रसिद्ध न्यायशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। विधि आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर इस संसद में अनेक बार चर्चा हो चुकी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विधि आयोग के प्रतिवेदन और उसमें दी गई सिफारिशों में कुछ ऐसा है जो सबसे पहले यह दर्शाती है कि मुख्य न्यायाधीश राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिये; दूसरे, एक-तिहाई न्यायाधीश भी राज्य के बाहर से लिये जाने चाहिये, तथा तीसरे, किसी न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वरिष्ठता, किसी एक न्यायालय विशेष की वरिष्ठता को देखा जाना चाहिये। ये सभी बातें बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्तिम नीति बनाते समय क्या ये सभी बातें ध्यान में रखी गई हैं ?

मैं यह प्रश्न उठा रहा हूं, यह प्रश्न एक जटिल प्रश्न है, क्योंकि इस सम्बन्ध में भूतकाल में हमें अनेक अनुभव हुए हैं, चाहे यह इस अथवा उस सरकार के अनुभव ही क्यों न हों, इस प्रश्न के अनेक पहलू हैं। हम 1947 में स्वतन्त्र हुए थे और आज हम 1980 में रह रहे हैं। सरकार कोई भी हो, संसदीय लोकतन्त्र जारी रहेगा। ऐसी स्थिति में लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों की गरिमा बनाये रखने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये एक स्वतन्त्र न्यायपालिका हो और आपातकालीन स्थिति में न्यायाधीशों को उनके द्वारा दिये गये निर्णयों के लिये दण्डित न किया जाये, क्या आप एक निश्चित और सार्थक दृष्टिकोण अपनाएंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, श्री मधु दंडवते द्वारा उठाये गये प्रश्न के दो पहलू हैं। उन्होंने मेरे उत्तर के पहले पैरे के आखरी वाक्य का जिक्र किया है जिसमें मैंने कहा है कि यदि बार-काउंसिल ने कोई ऐसा प्रस्ताव पारित किया है तो उस प्रस्ताव का कोई आधार नहीं है।

प्रो० दंडवते ने प्रश्न किया है कि क्या बार-कौन्सिल का प्रस्ताव सम्भवतः विधि मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति की सिफारिशों पर आधारित नहीं था। मैं इसे इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। मंत्रालय से सम्बद्ध इस सलाहकार समिति में सभी दलों के सदस्य हैं, केवल कांग्रेस (आई) के ही नहीं हैं; उन सब ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की है कि मुख्य न्यायाधीश बाहर से होना चाहिये और एक-तिहाई न्यायाधीश भी बाहर से होने चाहिये। यथापि मैं सभा के सामने उस पर निर्भर नहीं करना चाहता, फिर भी मैं आपकी सूचना के लिये बताना चाहता हूं···(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप मान चुके हैं कि सलाहकार समिति में यह राय बनी कि एक तिहाई न्यायाधीश···(व्यवधान) अर्थात् इस आधार पर (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : मैं उसी पर आ रहा हूं। मुझे उस बात की जानकारी है। मैं अन्तर स्पष्ट कर रहा हूं। मैं इस सभा के ध्यान में यह बात भी लाता हूं कि संयोगवश आज सुबह सलाहकार समिति की बैठक हुई थी और विभिन्न दलों के सभी सदस्यों ने बार-कौंसिल आफ इण्डिया के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर अपने निर्णय पर बल दिया। मैं प्रो० दंडवते की सूचना में लाना चाहता हूं कि बार-कौंसिल आफ इण्डिया का प्रस्ताव प्रक्रिया से सम्बन्धित है, नीति से नहीं। बार-कौंसिल के प्रस्ताव में कल्पना की गई है कि सरकार ने

वरिष्ठतम न्यायाधीश को किसी अन्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का निर्णय लिया है। यह मामला प्रक्रिया का है। इसीलिये मैंने कहा कि यह निराधार है। इसे सभा के ध्यान में लाया हूं। प्रक्रिया का सुझाव देने के लिये मैं उच्चतम न्यायालय के हाथ में हूं। नीति एक भिन्न प्रश्न है कि क्या मुख्य न्यायाधीश बाहर से होना चाहिये। यही नीति है। इसे कैसे किया जाये, यही प्रक्रिया है। मैं इसी का सुझाव दे रहा हूं। मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिये और मैं प्रो० साहिब को आश्वासन देना चाहता हूं कि बात यदि मुझ पर छोड़ी जाये तो उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण का अनादर नहीं होगा। जो लोग अपने-अपने उच्चतम न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश बनने की आशा रखते हैं, उन्हें यदि अपने नहीं तो अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिये। हम इसके लिये समयावधि निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद हम कहेंगे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अखिल भारतीय वरिष्ठता के आधार पर की जायेगी। अब तक हम ऐसा दृष्टिकोण अपना सकते थे। मैं एक सुझाव दे रहा हूं। यदि उच्चतम न्यायालय किसी अच्छे दृष्टिकोण को अपनाता है तो मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूं। अब तक जिन लोगों को नियुक्त किया जा चुका है और उच्च न्यायाधीश बनने की आशा रखते हैं, नीति सम्बन्धी निर्णय के आधार पर उन्हें विभिन्न उच्च न्यायालयों के उच्च न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। और उसके बाद समयावधि निर्धारित करने पर हम कह सकते हैं कि अखिल भारतीय वरिष्ठता के आधार पर ही उन्हें विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्त किया जायेगा ताकि नियुक्ति के समय लोगों को उनकी वरिष्ठता का पता लग सके; क्या उन्हें बैंच में लेना चाहिये या नहीं, इन सब बातों पर उस समय विचार किया जा सकता है।

अतः जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मैं बार-कौंसिल का आदर करते हुए कहूंगा कि उनके द्वारा प्रस्ताव पास करने का कोई आधार नहीं था क्योंकि प्रक्रिया के प्रश्न के बारे में न तो सरकार ने कोई नीति सम्बन्धी निर्णय लिया और न ही सलाहकार समिति या किसी अन्य संस्था ने लिया है।

दूसरा प्रश्न जिसका उल्लेख बार-कौंसिल तथा प्रो० साहब ने किया है, एक-तिहाई न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य से बाहर से करने का है, मैं इस बारे में प्रो० साहब का ध्यान तत्कालीन भारत के महा अधिवक्ता श्री सीतलवाड की अध्यक्षता में गठित विधि आयोग के 14वें प्रतिवेदन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो आज से कई वर्ष पूर्व 1958 में प्रस्तुत किया गया था और श्री पालकीवाला भी उस आयोग के माननीय सदस्य थे। एक अन्य सदस्य श्री चागला थे। कुछ अन्य सदस्य भी थे। उन्होंने इस प्रश्न पर विचार किया और महसूस किया कि असंगत बातों पर विचार किया जा रहा है जिन्हें मुझे यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए वह सब कहना उचित न होगा। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि एक-तिहाई न्यायाधीश बाहर से होने चाहिए। यह सिफारिश कानून के व्यवसाय से जुड़े विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा 1958 में भी की गई थी। उन्होंने अनुभव किया है कि यह देश की एकता के हित में तथा न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के हित में होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : विधि आयोग के प्रतिवेदन में विमत टिप्पणी भी थी।

श्री पी० शिव शंकर : इन लोगों ने ऐसा कहा है; मैंने जानबूझ कर सीतलवाड और अन्य व्यक्तियों के नाम लिए हैं। वे इसके पक्ष में थे। इसी कारण मैं यह कह रहा था कि न्यायपालिका पर विचार करते समय हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए क्योंकि वे अपना बचाव नहीं कर सकते। मेरे पूर्वाधिकारी श्री शान्ति भूषण ने भी बड़ी गहराई से इस

प्रश्न पर विचार किया था तथा तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उनका भी यही मत था कि मुख्य न्यायाधीश सदैव बाहर का होना चाहिए। प्रक्रिया के मामले में निस्सन्देह, वे आगे आए जैसा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बार कौंसिल आफ इंडिया) आगे आई है; भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने तो प्रक्रिया को स्पष्ट भी कर दिया था। जैसा मैंने कहा है प्रक्रिया एक ऐसा मामला है जिसमें उच्चतम न्यायालय हमारी सहायता कर सकता था। इस उद्देश्य के लिए मैं सब कुछ उच्चतम न्यायालय पर छोड़ने को तैयार हूं। इस प्रश्न की गहराई में गये बिना, मैं सदस्यों को आश्वस्त कर सकता हूं कि जब भी नीति विषयक निर्णय लिया जायगा तो हम इस प्रकार कार्यवाही करेंगे जिससे न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। मैं प्रोफेसर साहब को भी यह आश्वासन दे सकता हूं कि स्थानान्तरण सम्बन्धी मामले ऐसे हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार है। मैं 1976 में किये गये स्थानांतरणों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। यदि हम अभी कुछ कहते हैं तो आप कहेंगे कि मैं इसे उचित सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि आधार चाहे कुछ भी रहा हो ये स्थानांतरण उच्चतम न्यायालय द्वारा किये गये थे। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। यह मेरे लिए अनुचित होगा। इसमें कई कारण दिये गये थे, काफी अभ्यावेदन दिये गये थे। इन सभी बातों को छोड़कर मैं अब यह कहना चाहता हूं कि मैं अपनी ओर से यह सुनिश्चित करने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा कि स्थानांतरणों के सम्बन्ध में हमारा कोई हाथ या हस्तक्षेप न हो और मुझे विश्वास है कि इससे आपका भय जाता रहेगा।

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणे) : मैं प्रो० दण्डवते का अनुसरण करूंगा और एक ही प्रश्न को दो भागों में पूछूंगा। मैं दो बातों के विषय में सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहता हूं। प्रथम प्रश्न वरिष्ठता का है। मेरे विचार में किसी भी लोकतान्त्रिक देश में न्यायिक नियुक्तियों के सम्बन्ध में वरिष्ठता को एक सिद्धान्त के रूप में नहीं लिया जाता है। इंगलैण्ड में वस्तुतः यह खुले तौर पर राजनीतिक मामला है। आपको यह जानने की दिलचस्पी हो सकती है। यही सब इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री ने नियुक्तियों के सम्बन्ध में लार्ड चांसलर को लिखा था। उन्होंने कहा था कि न्यायिक सलाद में कानूनी तेल और राजनीतिक सिरके दोनों की आवश्यकता होती है। नियुक्ति पूर्णतया राजनीतिक होती है।

अमरीका में भी ऐसा ही है। अमरीका के राष्ट्रपति से एक बार पूछा गया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन सी गलती की? उनका उत्तर था मेरी सबसे बड़ी गलती उच्चतम न्यायालय की पीठ में सम्मिलित होना था। अतः ये नियुक्तियां बिल्कुल राजनीतिक हैं।

विधि आयोग के प्रतिवेदन में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय जिन तीन बातों पर विचार करने की आवश्यकता बताई गई है, वे हैं—वरिष्ठता ही आवश्यक नहीं—उसकी कुशलता तथा लोगों और 'बार' का कितना विश्वास जीत सकता है और उच्च न्यायालय में काम कर सकने वाले दल में वह कितना सामंजस्य ला सकता है। क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि सरकार न केवल मुख्य न्यायाधीश के मामले में अपितु अन्य मामलों में भी विधि आयोग के प्रतिवेदन का अनुसरण करेगी तथा वरिष्ठता के सिद्धान्त का आवश्यक रूप से पालन नहीं करेगी। दूसरे, विधि आयोग ने यह भी कहा है कि बहुत सी नियुक्तियां समुदाय और धर्म के नाम पर भी की गई हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार जातिवाद से ग्रस्त है। अपने अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि एक जाति का कई राज्यों में प्रभुत्व न्यायपालिका सहित सरकार के सभी अंगों में दृष्टिगोचर होता है। यह जीवन की सच्चाई है। हम देख रहे हैं कि

हमारे उच्च न्यायालयों में क्या हो रहा है। इलाहाबाद-बार ने हड़ताल कर दी थी। उसका एक कारण जात-पात का भेद बताया जाता है। विधि आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि बहुत सी नियुक्तियां जाति के आधार पर भी की जाती हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आन्ध्र उच्च न्यायालय में भी।

श्री वी० एन० गाडगिल : अन्य उच्च न्यायालयों में भी।

श्री पी० शिव शंकर : मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। आशा है आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी।

श्री वी० एन० गाडगिल : जाति का प्रभुत्व एक प्रकार का सामाजिक साम्राज्यवाद है और कई राज्यों में न्यायिक क्षेत्र में भी विद्यमान है। श्री बसु ने कहा है अन्य उच्च न्यायालयों में भी। मैं अब आपको बता सकता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। जाति का प्रश्न लोगों का ध्यान वर्ग-संघर्ष की वास्तविक समस्या से हटाने के लिये उठाया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने किसी जाति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। उन्होंने इलाहाबाद पीठ का उल्लेख किया है। यह केवल आक्षेप नहीं है। यह एक झूठा आक्षेप है और यह पूंजीवादियों का हमें जाति और सम्प्रदाय के आधार पर विभाजित करने का ढंग है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं एक सीधा प्रश्न पूछता हूं। इस सभा में माननीय विधि मंत्री ने 1979 में जब वे एक साधारण सदस्य थे, एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया था—एक न्यायाधीश ने यह कहा है कि इस न्यायालय पर मेरे लोगों का दो पीढ़ियों तक शासन रहेगा। इस प्रकार की बात हो रही है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जाति-पात के भेदभाव को दूर करने के लिए विधि मंत्री का क्या कदम उठाने का विचार है?

श्री पी० शिव शंकर : श्री गाडगिल वरिष्ठता के सिद्धान्त से बच गए हैं। (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : जी हां, मैंने स्वीकार कर लिया है। क्या इसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता है? (व्यवधान)

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रश्न पर श्री गाडगिल ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि इस पर केवल वरिष्ठता के आधार पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। विधि-आयोग ने सिफारिशें की हैं जिसकी ओर उन्होंने संकेत किया है और विधि आयोग के प्रतिवेदन के उसी भाग पर सक्रिय विचार किया जा रहा है क्योंकि इसके लिए विधि, संविधान तथा प्रक्रिया में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। अतः मेरे लिए इस विषय पर श्री गाडगिल द्वारा दिये गए उस तर्क को तत्काल स्वीकार करना संभव नहीं है। नियुक्तियों में चल रहे जात-पात के आधार वाले दूसरे पहलू के बारे में मैं यह कहता हूं कि यह वास्तविकता है तथा मैं पूर्ण सम्मान के साथ इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। परन्तु हम इसे दूर करने के लिए रास्ता निकालने का प्रयत्न करेंगे। मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि मुख्य न्यायाधीश बाहर का व्यक्ति होना चाहिए तो उस स्थिति में, मुझे विश्वास है, वह योग्यता के अतिरिक्त किसी असंगत आधार पर किसी की सिफारिश करने में दिलचस्पी

नहीं लेगा। अतः यदि मैं यह कहूं कि श्री गाडगिल ने जो कुछ कहा, अप्रत्यक्ष रूप से उसी दृष्टिकोण का समर्थन करता है जिस पर विचार किया जा रहा है, तो गलत नहीं होगा। मैं इस सभा में 1979 में दिए गए अपने वक्तव्य के विस्तार में नहीं जाना चाहता। इस सबका रिकार्ड उपलब्ध है और मैं इस मामले में और कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : महोदय, यह नीति कि किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय विशेष से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए तथा किसी भी उच्च न्यायालय में एक-तिहाई न्यायाधीश बाहर के व्यक्ति होने चाहिए, कोई नई नीति नहीं है। इसका उल्लेख यहां भी किया गया है तथा विधि आयोग के 14वें प्रतिवेदन में भी किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के लिए यह विचार प्रस्तुत किया था। इस सभा में इसे बार-बार दोहराया गया है और मुझे खेद है कि इस सभा में यही वक्तव्य दिया जाता है कि मामला अभी भी विचाराधीन है। यह बिलकुल उचित समय है जब इस मामले को निपटाया जाना चाहिए तथा सरकार को इस संबंध में एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए। मैं यह क्यों कह रहा हूं कि इसे शीघ्र किया जाए, इसलिए कि इन नियुक्तियों को करने से पहले यह सिद्ध करने हेतु कि कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, नीति अवश्य ही बना लेनी चाहिए। पिछले वर्ष ही असम उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा कार्यवाहक न्यायाधीश श्री बहरुल इस्लाम की वरिष्ठता का उल्लंघन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से लाए गए एक बाहरी व्यक्ति न्यायाधीश लोढ़ा द्वारा किया गया। इस संबंध में याचिका दायर की गई और न्यायाधीश लोढ़ा को जाना पड़ा। उसे राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा श्री बहरुल इस्लाम को असम उच्च-न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यदि इस सम्बन्ध में कोई नीति नहीं होगी तो इन सारी घटनाओं से कड़ुवाहट पैदा होती रहेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आप चुन-चुनकर नियुक्तियां कर रहे हैं। कुछ मामलों में आप मुख्य न्यायाधीश बाहर से ला रहे हैं और कुछ अन्य मामलों में आप अपनी राजनीतिक सुविधाओं तथा राजनीतिक अभिरुचि के अनुसार उसी उच्च-न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को वहीं मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देते हैं। यदि आपकी नीति यह है कि किसी उच्च न्यायालय विशेष का वरिष्ठतम न्यायाधीश उसी न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तथा उसे सदैव ही बाहर ही भेजा जाएगा तो इससे आपकी निष्पक्षता सिद्ध होगी। इससे सिद्ध होगा कि आप पक्षपातपूर्ण नहीं हैं, निष्पक्ष हैं। अतः सरकार को शीघ्र ही इस सम्बन्ध में एक नीति संबंधी वक्तव्य देना चाहिए। विधिज्ञ परिषद् का इससे कोई सरोकार नहीं है। जब न्यायाधीश देसाई को गुजरात उच्च न्यायालय से लाकर उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था तब उच्चतम न्यायालय विधिज्ञ संघ ने बहुत आपत्ति की थी। परन्तु तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने कहा था विधिज्ञ संघ (बार एसोसिएशन) का इससे कोई सरोकार नहीं है और नियुक्ति सरकार द्वारा संविधान के अनुसार की जानी है। इसी नीति का पालन किया जाना चाहिए।

श्री गाडगिल द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में, प्रायः न्यायापालिका में अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों तथा अल्पसंख्यकों द्वारा अत्यधिक अविश्वास किया जाता है क्योंकि इस समय जो उनकी संख्या है, जो न्यायपालिकाओं का ढांचा है उसमें अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु ने आन्ध्र प्रदेश उच्च-न्यायालय का उल्लेख किया है। मेरे पास यहां सभी उच्च न्यायालयों की सूची है। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में···

श्री पी० शिव शंकर : मैं आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालयके बारे में अपेक्षाकृत अधिक जानता हूं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 17 न्यायाधीश हैं किन्तु एक न्यायाधीश भी अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से नहीं है। यही स्थिति अधिकांश अन्य उच्च न्यायालयों की है। सभी न्यायालयों को मिलाकर उनमें मुश्किल से अनुसूचित जातियों के पांच न्यायाधीश हैं और अल्पसंख्यकों के मुश्किल से एक दर्जन न्यायाधीश हैं। इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। क्या सरकार इस संबंध में नीति को तुरन्त प्रतिपादित करेगी ? दूसरी बात यह है कि क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत शक्तियों का लाभ उठाकर के उच्च न्यायालयों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करेगी ? अन्यथा यदि सरकार यह विशिष्ट आरक्षण नहीं करना चाहती, तो क्या यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यकों को इन उच्चतम न्यायिक निकायों, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए ? तीसरी बात यह है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में क्या स्थिति है ? यही प्रश्न हैं जो न्यायाधीशों की निष्पक्षता तथा राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करते हैं और यदि मैं भूल नहीं करता तो इन्हीं बातों के आधार पर तब अखिल भारतीय न्यायिक सेवा दूसरे संशोधन के द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। प्रस्ताव किया गया है कि यदि सरकार का राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत प्राप्त है तो वह इस संसद के समक्ष ला सकती है। उसे राज्यों को मनवाने में भी समर्थ होना चाहिए। ये शक्तियां अनुच्छेद 312 के अन्तर्गत दी गई हैं।

श्री पी० शिव शंकर : मेरे मित्र के प्रश्न का, पहले प्रश्न का सम्बन्ध नीति निर्णय से है। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या यह एक पूर्व नीति निर्णय होगा और उन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों के रूप में चुनने तथा नियुक्ति करने के विचार की निन्दा की है। मैं भी उनके साथ सहमत हूं कि यद्यपि एक मामला न्यायोचित हो सकता है, तो भी यदि आप एक मुख्य न्यायाधीश का स्थानान्तरण कर दें तथा बाहर से उसकी नियुक्ति कर दें तो इस तथ्य के बावजूद आपकी भेदभाव करने की आलोचना की जाएगी। यह इस मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के संबंध में बहुत ही न्यायोचित हो सकता है। मैं इस माननीय सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि शीघ्र से शीघ्र अवसर पर समुचित नीति निर्णय लिया जायेगा जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए समाज के हित में होगा।

मेरे सम्मानीय मित्र ने आन्ध्र प्रदेश का उल्लेख करते हुए कहा है कि वहां अनुसूचित जाति का एक भी न्यायाधीश नहीं है। किन्तु मैं माननीय सभा को सूचित करना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भी बहुत थोड़े उच्च न्यायालयों में से एक है जहां अनुसूचित जाति का एक सज्जन आज भी न्यायाधीश है। यदि आप उनका नाम भी जानना चाहते हैं, तो उस वर्तमान न्यायाधीश का नाम न्यायमूर्ति पुन्नय्या है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश जैसे बहुत थोड़े उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनमें एक-एक अनुसूचित जाति का न्यायाधीश है। श्री बसु, आपको आश्चर्य होगा कि तमिलनाडु में ऐसे दो न्यायाधीश हैं। किन्तु यह खेद की बात है कि हमारे यहां अनुसूचित जातियों से संबंधित केवल पांच न्यायाधीश हैं। मुझे इस बात का भी खेद है कि अल्पसंख्यकों तथा पिछड़ी जातियों से संबंधित पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश नहीं हैं।

मैं आरक्षण के उस विचार का समर्थन नहीं कर सकता जो कि मेरे मित्र श्री फैलीरो ने व्यक्त किया है। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि मैं विभिन्न उच्च न्यायालयों में इन सभी वर्गों को पर्याप्त और समुचित प्रतिनिधित्व देने के मामले पर विचार करूंगा और आपके कृपापूर्ण सहयोग से मैं आपको आशवस्त करूंगा कि मैं इन सभी मामलों के लिए उद्यमपूर्वक लडूंगा।

(व्यवधान)

महोदय, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। विभिन्न मामलों में राज्यों ने अपनी आपत्तियां उठाई हैं। हम विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ मिलकर मामलों को तय करने का प्रयास कर रहे हैं और जहां केन्द्रीय सरकार एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने के पक्ष में है वहां राज्य काफी सीमा तक इसके पक्ष में नहीं है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास करूंगा कि राज्यों को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए सहमत होने के लिए मनाया जाये।

प्रेस आयोग के पुनरीक्षित विचारार्थ विषयों के बारे में वक्तव्य

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे) : मैंने 20 जून, 1980 को सदन में बताया था कि मैं प्रेस आयोग के संशोधित विचारणीय विषयों को मंत्रिमण्डल द्वारा उनको स्वीकृत किए जाने के बाद सदन के सामने रखना चाहता हूं। तदनुसार मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत संशोधित विचारणीय विषय सदन की मेज पर रखे जा रहे हैं।

इस संशोधित विचारणीय विषयों के संबंध में, मामले पर काफी सोच विचार किया गया है। संबंधित प्रेस एसोसिएशनों और संगठनों से यह अनुरोध किया गया था कि वे विचारणीय विषयों को विस्तृत और अधिक व्यापक बनाने के लिए यदि कोई विशिष्ट सुझाव देना चाहें तो उनको भेज दें। प्रेस एसोसिएशन/संगठनों ने प्रस्ताव का सामान्यतया स्वागत किया और अनेक सुझाव भेजे जिन पर संशोधित विचारणीय विषयों को अन्तिम रूप देते समय विचार किया गया है।

संशोधित विचारणीय विषय पूछताछ का क्षेत्र बढ़ाते हैं, इनको अधिक विस्तृत रूप देते हैं, सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भ के तत्त्व को जोड़ते हैं और ये उस अधिक महत्व का संकेत करते हैं जो आयोग के कार्य को सरकार देती है।

भारतीय प्रेस का अतीत कीर्तिमान रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय नेताओं के हाथों में यह एक ऐसा हथियार था जिसने न केवल उनको ही जो समाचारपत्र पढ़ सकते थे अपितु उनके माध्यम से अन्य व्यक्तियों को भी जो उनको समाचारपत्र पढ़ कर सुनाते थे, सूचना राजनैतिक जागरुकता और सांस्कृतिक चेतना दी। हम महसूस करते हैं कि हमारे विकासशील और लोकतांत्रिक समाज में प्रेस को इसी प्रकार की किन्तु विशिष्ट भूमिका अदा करनी है। इस भूमिका की नकल विदेशों के आदर्शों का ऐतिहासिक विकास से नहीं की जा सकती।

व्यावसायिक और सक्षम ढंग से काम करने वाले स्वतंत्र प्रेस को हम समाज और सरकार के लिए भी आवश्यक समझते हैं। लोकतंत्र वाले विकासशील देश में, प्रेस की न केवल उद्योग के रूप में ही अपितु सामाजिक संस्थान के रूप में और सार्वजनिक मामलों की सूचनाप्रद चर्चाओं के लिए मंच के रूप में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्र-निर्माण के प्रयास योजनाबद्ध रूप से होते हैं और विकास-नीतियों के बारे में सूचना का संचार/प्रसार तथा उन पर बहस

इसके आवश्यक तत्त्व हैं। स्पष्टतया संचार तथा विकासात्मक नीतियों में प्रेस की महत्त्वपूर्ण और उत्तरदायी भूमिका है।

प्रेस एक उद्योग से बढ़कर है। यह व्यापक सामाजिक प्रभाव वाला संस्थान है। हम चाहेंगे कि यह सार्वजनिक मामलों की सूचनाप्रद चर्चा का मंच बने। ऐसा करने के लिए पत्रकारों को स्वयं अपने हितों, उत्तरदायित्वों और सामाजिक महत्त्व को समझना है। इसी पृष्ठभूमि में विचारणीय विषयों को प्रवर्धित किया है और इनको वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप बनाया गया है। अतः नागरिकों के गोप्यता के अधिकार का संरक्षण करने पर हमारा जोर है।

इसके साथ गहन रूप से संबंधित है समाचारपत्रों के वित्त पोषण में विज्ञापनों की भूमिका, चाहे वे सरकारी हों या गैर-सरकारी, शैक्षणिक हों, या वाणिज्यिक। पहले वाले विचारणीय विषयों में, विज्ञापन केवल दबाव के संभाव्य स्रोत के रूप में ही था।

विचारणीय विषयों को संशोधित करते समय, यह सुझाव देना सम्भव हो पाया है कि प्रेस आयोग, प्रेस एक उद्योग के रूप में, अन्य उद्योगों से इसके सम्बन्ध और शृंखला समाचार-पत्रों की विद्यमानता और प्रतियोगिता पर इसके प्रभाव का अध्ययन करे, क्योंकि समाचारपत्र सूचना और विचारों या दृष्टिकोणों को सूचित करने के लिए एजेंसियों के सिवाय और कुछ नहीं है।

पहले वाले विचारणीय विषयों में समाचारपत्रों के आवश्यक अंगों का विशिष्ट उल्लेख नहीं था। अब इनमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि अखबारी कागज तथा मुद्रण यंत्रों के निर्माण और सप्लाई के प्रश्न की भी जांच की जानी चाहिए। सरकार ने लघु तथा मझौले समाचारपत्रों के स्वस्थ विकास के महत्त्व पर बार-बार बल दिया है।

पिछले दशक में, सूचना के प्रवाह के बारे में बड़ी बहस रही है जो आंशिक रूप से एक देश और दूसरे देश के बीच समाचारों के संकलन और वितरण पर आधारित थी। देश के सभी भागों के हमारे समाचारपत्रों में समाचारों का कवर किया जाना सामान रूप से महत्त्वपूर्ण है।

नए विचारणीय विषयों में समाचारपत्रों के विकास के स्वरूप की जांच करने की बात है। नई अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था के लिए प्रस्ताव पर वर्तमान बहस को समुचित मान्यता दी गई है। आयोग से कहा गया है कि वह इस संदर्भ में बेहतर आपसी समझ-बूझ के साधन के रूप में पत्रकारिता की भूमिका पर विचार करे।

समाचारपत्र सौहार्द और मित्रता बनाने में मदद कर सकते हैं। नई दुनिया की हम कोई भी कल्पना करें, नई आर्थिक व्यवस्था और नई सूचना व्यवस्था की उपेक्षा नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय रूप से इस बड़े संदर्भ में ही हम चाहेंगे कि पत्रकारिता का अध्ययन हो और उसको व्यवहार में लाया जाए।

प्रेस आयोग के संशोधित विचारणीय विषय

प्रेस आयोग, प्रथम प्रेस आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद से अब तक की प्रेस की स्थिति और इसके संवर्धन की जांच करेगा और यह सुझाव देगा कि भविष्य में यह सर्वोत्तम रूप से किस तरह विकसित हो।

यह विशेष रूप से निम्नलिखित की जांच करेगा और सिफारिशें करेगा :—

1. विकासशील लोकतंत्रीय समाज में प्रेस की भूमिका।

2. वाक् स्वातंत्र्य के तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य संबंध में वर्तमान संवैधानिक गारंटी, क्या यह प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है; इस स्वतंत्रता को बनाए रखने वाली विधियों, नियमों और विनियमों की पर्याप्तता तथा प्रभावोत्पादकता।
3. नागरिकों के गोप्यता संबंधी अधिकार का संरक्षण करने के लिए संवैधानिक तथा कानूनी रक्षोपाय।
4. आर्थिक तथा राजनैतिक दबावों तथा मालिकों और प्रबन्धकों के दबावों से प्रेस की स्वतंत्रता का परिरक्षण करने के उपाय।
5. विकास संबंधी नीतियों में प्रेस की क्या भूमिका और क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए ?
6. उद्योग के रूप में, सामाजिक संस्थान के रूप में और सार्वजनिक मामलों की सूचनाप्रद चर्चा के लिए मंच के रूप में प्रेस।
7. प्रेस के स्वामित्व का स्वरूप, प्रबन्ध-प्रणाली और वित्तीय ढांचा, संवर्धन, सम्पादकीय स्वतंत्रता और व्यावसायिक ईमानदारी के साथ उसका संबंध।
8. शृंखला समाचारपत्र, उद्योग के साथ सम्बन्ध, प्रतियोगिता तथा वस्तुनिष्ठ समाचारों तथा स्वतंत्र टिप्पणियों संबंधी पाठकों के अधिकार पर इनका प्रभाव।
9. समाचारपत्र उद्योग की अर्थव्यवस्था, समाचारपत्रों के लिए अखबारी कागज, मुद्रण यंत्र तथा अन्य संबंधित सामग्री।
10. विज्ञापन-सरकारी और गैर सरकारी, शिक्षा संबंधी और वाणिज्यिक।
11. सरकार तथा प्रेस के बीच संबंध और सरकारी एजेंसियों की भूमिका।
12. प्रेस के विभिन्न तत्त्वों अर्थात् प्रकाशकों, प्रबन्धकों, सम्पादकों और व्यावसायिक पत्रकारों तथा अन्यों के बीच संबंधों का स्वरूप।
13. लघु तथा मझोले पत्रों तथा भाषायी पत्रों का संवर्धन।
14. नियतकालिक पत्रों और विशिष्ट पत्रिकाओं का विकास।
15. समाचारों का कवर किया जाना और समाचारिक महत्त्व, समाचार एजेंसियों तथा फीचर एजेंसियों का ढांचा और कार्यकरण, भारत में तथा भारत से समाचारों का प्रवाह।
16. व्यावसायिक व्यक्तियों का प्रशिक्षण, व्यावसायिक स्तरों और कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के उपाय, पत्रकारिता तथा जन-संचार में अनुसंधान।
17. नई अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था के प्रस्तावों के संदर्भ में बेहतर आपसी समझ-बूझ के साधन के रूप में पत्रकारिता।
18. समाचारपत्रों के विकास का स्वरूप।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री निरेन घोष (दम-दम) : उपाध्यक्ष महोदय, 8 जुलाई, 1980 को श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय ने आरोप लगाया था कि मैंने डा० सरदीश राय तथा श्री रामावतार शास्त्री को सभा से बाहर चले जाने की धमकी दी थी। यह सभा की कार्यवाही-वृत्तान्त में आ चुका है।

इस वक्तव्य में लेशमात्र भी सत्य नहीं है। इससे मेरे सम्मान तथा प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। मैं इस कथन का पूर्णतया खण्डन करता हूं।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्त,...

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय वह वक्तव्य नहीं दे सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में कोई विवाद नहीं होगा । कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा (व्यवधान) **

** (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।)

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(दो) लोक लेखा समिति

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : श्रीमानजी, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(तीन) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312(ख) के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331 (ख) के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331 (ख) के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होने वाले

कार्यकाल के लिये इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करके लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कर्नाटक में काली पनबिजली परियोजना और बेडथी परियोजना के बारे में

श्री टी०आर०शमन्ना : (बंगलौर दक्षिण) : कर्नाटक के मैसूर पावर कारपोरेशन ने लगभग 150 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक नई पनबिजली परियोजना अर्थात् बेडथी परियोजना को अपने हाथ में लिया है।

कर्नाटक के उत्तरी कनारा जिले की यह एक अतिरिक्त योजना है। काली परियोजना नामक एक अन्य परियोजना जो कि 4 वर्ष पहले आरम्भ की गई थी, उसका कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। यह खेद की बात है कि काली पनबिजली परियोजना की तकनीकी तथा आर्थिक त्रुटियों पर विचार किये बिना ही यह नई परियोजना आरम्भ की गई है। सामान्य ज्ञान वाला हर व्यक्ति इसको जानता है, काली परियोजना का कार्यकरण उतने अच्छे ढंग से नहीं चला है जिस तरह उसके बारे में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने परियोजना का शिलान्यास करते समय उल्लेख किया था। इस परियोजना के सम्पूर्ण कार्यकरण की पूर्ण रूपेण समीक्षा की जानी चाहिये।

प्रस्तावित बेडथी परियोजना का निर्माण कार्य बेडथी नदी पर मागोड पर 111 मीटर बांध बना कर किया जायेगा। बांध से लगभग 2 किलोमीटर दूर मागोड आपात आता है। परियोजना में अजावेल बिजलीघर तक भूमिगत कंडक्टर व्यवस्था के माध्यम से पानी पहुंचाने का डिजाइन तैयार किया गया है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 105 मैगावाट वाले जो दो जैनरेटर लगाये जायेंगे उनसे प्रतिवर्ष 10,000 एकक बिजली प्राप्त की जायेगी।

यह ठीक है कि देश के आर्थिक विकास के लिए हमें अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता बहुत अधिक है। परन्तु यह खेद की बात है कि बेडथी परियोजना को हाथ में लेने से पहले हमारे अभियन्ताओं ने मामले के हर पहलू की जांच नहीं की।

प्रारम्भ में उस क्षेत्र के लोगों ने कुछ उचित आधारों पर इस परियोजना को शुरू करने का कड़ा विरोध किया है।

विशेषज्ञों ने सावधानी से अध्ययन करने के बाद यह रिपोर्ट दी है कि निम्नलिखित कारणों से परियोजना को शुरू करना वांछनीय नहीं है :

जिस प्रकार 'साइलैंट वैली' केरल के लिए महत्त्वपूर्ण है वैसे ही बेडथी कर्नाटक के लिए है;

यदि इस परियोजना के कारण कृषि भूमि के बड़े क्षेत्र के अतिरिक्त 25,000 एकड़ के समृद्ध वन-क्षेत्र को नष्ट किया जाता है तो यह एक पूरी न हो सकने वाली क्षति होगी;

चूने के पत्थर और तांबे आदि के समृद्ध खनिज भण्डार पानी में मिल जायेंगे;

विशाल चारागाह और मूल्यावान औषध जड़ी-बूटियां समाप्त हो जायेंगी;

घाट और मैदानी क्षेत्रों में वनों के नष्ट होने का प्रभाव वर्षा पर पड़ेगा;

22 गाँव डूब जायेंगे; और,

दो जलाशयों (लगभग) में जल भण्डारण से भूस्पन्द का खतरा है।

सारांश में कहें तो इस परियोजना के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्षति, अतिरिक्त विद्युत के लाभ से कहीं अधिक होगी।

क्षेत्रीय जनता के कड़े विरोध प्रकट करने पर कर्नाटक के मुख्य मन्त्री महोदय ने अस्थायी स्थगनादेश दे दिया है।

मैं केन्द्रीय सरकार से जोरदार शब्दों में अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार को बेडथी परियोजना को तुरन्त छोड़ देने के आदेश दे। काली नदी परियोजना को पूरा करने के बाद और सावधानी से अध्ययन और जांच करने के बाद, क्षेत्रीय जनता को सन्तुष्ट करने के बाद ही परियोजना को शुरू किया जाए।

(दो) मछुओं के लिए कल्याण निधि

श्री वी० के० नायर (क्विलोन) : महोदय, आपकी अनुमति से, मैं नियम 377 के अधीन निम्नांकित महत्त्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूं :

चालू मास की 14 तारीख को मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 4043 के उत्तर में यह बड़ी ही सन्तोष-प्रद बात कही गई थी कि कृषि मन्त्रालय एक मछुआ कल्याण कोष आरंभ करने की सम्भावना का पता लगा रहा है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर सरकार के सर्वाधिक ईमानदारी और तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। यह मामला एक ऐसे समुदाय से सम्बद्ध है जिसमें न केवल प्रोटीन जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में हुई कमी को कुछ हद तक पूरा करके सदैव ही राष्ट्र की एक अत्यन्त ही मूल्यवान सेवा की, अपितु हमारे विदेशी मुद्रा स्रोतों में वृद्धि करके भी राष्ट्र सेवा की। मछली और मछली से बने पदार्थों के निर्यात से हमारी आय वर्ष-दर-वर्ष धीरे-धीरे बढ़ती रही है जो कि 1972-73 में केवल 54·5 करोड़ रुपये से बढ़कर 1978-79 में 228 करोड़ रुपये हो गई। दूसरी ओर, वे लाखों परिवार, मछली पकड़ना ही जिनकी आजीविका का मुख्य साधन है सर्वाधिक उपेक्षित और पिछड़े हुए रहे हैं। यहां तक कि उनकी मकान और पीने के पानी जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं को उपयुक्त ढंग से पूरा नहीं किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई का प्रबन्ध, शिक्षा और परिवहन सुविधाओं जैसे मामलों में भी औसत मानकों से उनका क्षेत्र कहीं बहुत पीछे है। उनकी आय तो मामूली है और उनके परिश्रम के फल का बहुत सा भाग तो सिद्धान्तहीन बिचौलिये, व्यापार और नावों तथा यन्त्रीकृत नावों के स्वामी झपट ले जाते हैं। अतः, मेरा निवेदन है कि अब जो कल्याण-कोष विचाराधीन है वह बेरोजगारी, अल्प-रोजगार, बाढ़ों, ज्वारभाटों तथा तूफानों जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण घरों और उपस्कर जैसी सम्पत्तियों की क्षति और व्यक्तिगत

क्षति/चोटों तथा समुद्र में होने वाली दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु के मामले के अतिरिक्त वृद्धावस्था पेंशन जैसी संभाव्यताओं के विरुद्ध पर्याप्त बीमा होना चाहिए।

मुझे सरकार से यह भी निवेदन करना है कि इस बीमे के अन्तर्गत न केवल देशी नावें बल्कि यन्त्रीकृत नावों और यन्त्रीकृत मछली पकड़ने वाले छोटे जहाजों में काम करने वालों को भी सम्मिलित किया जाए।

धन की तो कोई कमी नहीं रहेगी, चूंकि निर्यातों पर उपकर लगाकर, सम्बद्ध राज्य-सरकारों से और कर्मचारियों से अंशदान लेने के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा किये गये प्रावधान से पर्याप्त धनराशि एकत्र की जा सकती है।

(तीन) विभागीय कैंटीनों के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने की आवश्यकता

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार यह निर्णय पहले ही कर चुकी है कि भारत सरकार की विभागीय कैंटीनों के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के अधीन असैनिक पद वाला कर्मचारी समझा जायेगा। उसी अधिसूचना में यह भी बात कही गई थी कि उनकी सेवाओं को नियमित करने, स्थायी बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धानुसार शीघ्र ही सेवा-शर्तें तैयार की जायेंगी। फिर भी, इस सम्बन्ध में अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है तथा कैंटीन कर्मचारी निम्नांकित मांगों को लेकर हड़ताल करके आन्दोलन छेड़े हुए हैं : (1) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतनमान; (2) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान, अवकाश, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा/स्वास्थ्य सुविधाएं, पेन्शन, सी० इ० ए० आदि; (3) सरकारी कैंटीनों को विभागीय कैंटीनों में बदलना; (4) गृह-मन्त्रालय के अधीन कैंटीन विभाग स्थापित करना; (5) कैंटीनों के अन्दर निजी स्टालों को हटाया जाए; और (6) कैंटीन कर्मचारियों का शोषण बन्द होना चाहिए।

सरकार की निष्क्रियता के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण कैंटीन कर्मचारियों को हड़ताल करने को बाध्य होना पड़ा है। हड़ताल को रोकने के और अपनी समस्याओं का बात-चीत द्वारा हल निकालने के उनके प्रतिनिधियों के सभी प्रकार के प्रयत्नों का अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कैंटीन कर्मचारियों की उचित शिकायतों को, विशेषकर केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के सभी मामलों में बराबरी लाने की उनकी मांग को, दूर किया जाए।

(चार) विश्वविद्यालय और कालेज के पुस्तकालयों को पुस्तकें खरीदने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों के बारे में

डा० वसन्त कुमार पण्डित (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें खरीदने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्य केन्द्रीय धन प्रदाय-निकाय रहा है। समस्त बजट का 26-30 प्रतिशत भाग पुस्तकें खरीदने में व्यय किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1978-79 में पुस्तकें की खरीद के लिए 644 लाख रुपए बांटे। इसमें विश्वविद्यालयों को 242 लाख रुपए का दिया गया मुख्य अनुदान भी सम्मिलित है। शेष राशि पुस्तक-बैंक-योजना और मानविकी, समाज-विज्ञानों, इंजिनियरिंग आदि के विकास के लिए और अन्य योजनाओं के लिए दी गई थी।

पिछली सरकार ने वर्ष 1979-80 और छठी पंचवर्षीय योजना के लिए विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग को दी जाने वाली धनराशि में भारी कटौती की। नीति यह थी कि उच्च-शिक्षा के बजाय कृषि को अधिक धन की आवश्यकता है। इस कदम के फलस्वरूप, जुलाई-अगस्त, 1979 से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालयों में धन का अभाव हो गया और पुस्तकों का क्रय बन्द करना पड़ा। आज भी वही स्थिति है। 1979 की प्रथम छमाही में खरीदी गई पुस्तकों का भुगतान करने में पुस्तकालय असमर्थ हैं और न ही वे नई पुस्तकें खरीद पा रहे हैं। लगभग एक वर्ष से पुस्तकों की खरीददारी एकदम से बन्द हो गई है।

धनराशि में यह कटौती सारे देश में उच्च शिक्षा को प्रभावित करेगी। देश की प्रगति के लिए अनिवार्य, विषयों की नवीनतम पुस्तकें पुस्तकालय खरीद न सकेंगे। अधुसंधान के क्षेत्र में, सारे संसार में हुई नवीनतम प्रगति के अभाव में, अनुसंधान और विकास को धक्का पहुंचेगा। कुछ भी हो, हमारे विद्वानों और वैज्ञानिकों को अपने ज्ञान-वर्द्धन और व्यावसायिक प्रगति के लिए पुस्तकों पर ही निर्भर करना पड़ता है। अच्छी और अभिनव सन्दर्भ-सामग्री के अभाव में, छात्रों का नुकसान होगा। उच्च शिक्षा में किसी प्रकार की कटौती को देश वहन नहीं कर सकता है।

पुस्तकालय अनुदान में कटौती को तुरन्त वापिस लिया जाए और पुस्तक खरीद सम्बन्धी अनुदान में प्रतिवर्ष वृद्धि की जानी चाहिए। वृद्धि देश में व्याप्त मुद्रास्फीति की दर के अनुरूप होनी चाहिए। मुद्रास्फीति के कारण, पुस्तकों की कीमतें भी ऊँची होती जा रही हैं, चूंकि कागज जैसे कच्चे माल के दाम आकाश छू रहे हैं, अतः पुस्तकें खरीदने के लिए दिए जाने वाले अनुदानों में प्रतिवर्ष वृद्धि होनी चाहिए, जिससे अपने छात्रों, वैज्ञानिकों और अभियन्ताओं को शिक्षा देने में भारत पीछे न रहे।

अनुदानों को घटाने से पुस्तक उद्योग में प्रकाशकों में, आयातकों में, थोक विक्रेताओं में और छोटे पुस्तक विक्रेताओं में गहरी निराशा छाई हुई है। उद्योग ठप्प हो गया है और अधिकांश कम्पनियां अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं कर पा रही हैं। यदि ऐसी ही स्थिति रहती है तो अनेक प्रकाशन-इकाइयां बन्द होने को बाध्य हो जायेंगी और बहुत-सी में कर्मचारियों की भारी छँटनी के सिवाय और कोई चारा न रहेगा।

उनकी समस्याओं के शीघ्र हल का अनुरोध है और विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों को पहले से खरीदी गई पुस्तकों के ऋण को चुकाने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इन्हें तदर्थ आधार पर तुरन्त अनुदान देना चाहिए और चालू वर्ष के लिए भी पुस्तकें खरीदने के कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए।

(पांच) गोरखपुर के धानी ब्लाक में हैज़ा और आंत्रशोथ महामारी को रोकने के लिए कदम उठाना

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : मैं सदन का ध्यान गोरखपुर जिले के धानो ब्लाक में फैले हुए कालरा और गैस्ट्रो इन्टाइट्रिस के प्रकोप की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। धानी बाजार और उसके आसपास के गांवों में इस महामारी का प्रकोप लगभग पंद्रह दिन से है और मुकामी समाचारपत्रों के अनुसार 27 से अधिक लोगों के मरने की खबर है। आसपास के गांवों में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। सुनोरा गांव जिसकी आबादी दो हजार से भी अधिक है उसमें आम दिनों में गंदगी के कारण रास्ता चलना दूभर हो जाता है। बीमारी पर काबू पाने के लिए आवश्यक है कि आसपास के गांवों में सफाई की उचित व्यवस्था हो और डाक्टरों के एक दल की नियुक्ति उस समय तक के लिए की जाए जब तक बीमारी पर पूरे तौर

से काबू न पा लिया जाए । यह सभी गांव राप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं । दरिया में पानी तेजी से बढ़ रहा है और इस बात की आशंका है कि सैलाब की वजह से बीमारी और भयंकर रूप अख्तियार न कर ले । इस वास्ते इसकी कुछ रोकथाम होनी चाहिए ।

(छः) भुसावल से दिल्ली रेल द्वारा केलों की तुरन्त ढुलाई करने की आवश्यकता

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : भुसावल और जलगांव जिले के अन्य स्थानों से लाखों रुपये के केले गली-सड़ी हालत में दिल्ली लाये जाते हैं । इसका कारण यह है कि रेलवे आम उपभोग के फलों की ढुलाई में ढील करती है । यह समझौता है कि केले दिल्ली में 72 घंटे के अन्दर पहुँच जाने चाहियें, रेलवे 120 घंटे का समय लगाती है ।

(सात) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में तेल, हाटी और शगाड़ा नदियों में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने की आवश्यकता

श्री रासबिहारी बहेरा (कालाहांडी) : धरमगढ़ ब्लाक के कंकीरी, छिलपा, छेन्दीया, पालाश, ताम्बा-छद्दा और तारान गांव, जूनागढ़ ब्लाक के नंदोल, मकारशोला, कोटागांव, पुरनशोर, डासेगांव और अंबादोला ग्राम और केसिंगा ब्लाक के बेलखंडी ग्राम के लोग, कालसंडी जिले की तेल, हटी और शागादा नदियों की विनाशकारी बाढ़ के चपेट में हैं ।

इन नदियों में बाढ़ का यह तीसरा वर्ष है । इससे फसल, मवेशी और सम्पत्ति को भारी क्षति हुई है और जमीन खेती के योग्य नहीं रह गई है । पन्द्रह हजार एकड़ उपजाऊ जमीन रेतीली हो गई है । नदियों के किनारे बने सैंकड़ों घर गिर गए । हजारों लोग बेघर हो गये । उनको कई लाख रुपये मूल्य के पशुधन की हानि हुई है ।

ऐसी भयंकर क्षति को देखते हुए मैं सरकार से इन लोगों को किसी सुरक्षित जगह में बसाने की व्यवस्था करने की पुरजोर अपील करता हूं । एक केन्द्रीय टीम को बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों का दौरा कर क्षति का मूल्यांकन करना चाहिए और तुरन्त अग्रिम राहत सहायता मंजूर की जानी चाहिए ।

मैं यह मांग करता हूं कि सरकार को इस क्षेत्र में लगातार आने वाली बाढ़ को रोकने हेतु विशेष उपाय करने चाहिए । यह 50,000 से अधिक लोगों के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है । इन नदियों के दोनों किनारों पर बने बांधों को उठाने का कार्य युद्ध-स्तर पर किया जाना चाहिए ।

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1980

वित्तमंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि वित्तीय वर्ष 1980-81 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आज सरकार को बहुत बड़ी रकम कंसालिडेटिड फंड में से ही दी जा रही है । मैं एक बात कहना चाहता हूं । बजट का पहला असर तो यह हुआ है कि महंगाई आज काफी बढ़ गई है । हम लोगों ने यह सोचा था···

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, विनियोग विधेयक में सभी मंत्रालयों की अनुदान की पूरी मांगें सम्मिलित हैं । कृपया आप अपने दाहिने ओर देखिये । वित्तमंत्री के

सिवाय कोई नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। अध्यक्ष महोदय प्रश्नकाल के समय अनुपस्थित सदस्य पर उनके अन्य कार्यक्रमों की जानकारी के बिना टिप्पणी कर रहे थे। परन्तु मंत्रीगण जिनके मंत्रालयों की मांगें स्वीकृत हो चुकी हैं यहां उपस्थित नहीं हैं। यह बहुत अनुचित बात है।

सभापति महोदय : मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : आप सदन की कार्यवाही में इस तरह का व्यवधान नहीं डाल सकते हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : महोदय, सदन में यह परम्परा रही है कि जब कुछ मंत्रालयों की मांगें बिना चर्चा के पास होती हैं तो सम्बन्धित मंत्रालयों के बारे प्रश्न पूछे जाने की सम्भावना होती है इसलिए मंत्रालयों से सम्बन्धित मंत्री हमेशा उपस्थित रहते हैं। मंत्री-मंडल के सदस्य सदन के प्रति हमेशा यह सम्मान प्रदर्शित करते रहे हैं। खेद की बात है कि इस समय इस परम्परा का पालन नहीं किया गया है।

श्री आर० वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इन सब बातों की संक्षेप में जानकारी प्राप्त हो गई है और विभागों के अधिकारी यहां उपस्थित हैं। मंत्रीमंडल का संयुक्त उत्तर-दायित्व होता है और जब तक मैं प्रश्नों के जवाब देने में सक्षम हूं दूसरे पक्ष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचंद डागा।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री ने 1417 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया है। यह घाटे की अर्थ-व्यवस्था कहां तक जाएगी, इसका पता एक साल बीतने पर लगेगा। मैं समझता हूं कि इसके कारण महंगाई काफी बढ़ गई है और इससे हिन्दुस्तान के गरीब आदमी को बहुत कम राहत मिली है।

राजस्थान में आठ लाख लोग अकाल से पीड़ित हैं। वे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बराबर दो महीनों से अनाज का भुगतान नहीं हुआ। केन्द्रीय सरकार उन्हें अनाज देने में असमर्थता जाहिर कर चुकी है। इसलिए या तो राजस्थान को अनाज देना होगा या 15 करोड़ रुपये की धनराशि देनी होगी। राजस्थान की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वह 15 करोड़ रुपये की धनराशि दे सके।

हमारे बजट का उद्देश्य एक ही मालूम होता है कि हम आर्गनाइज्ड सैक्टर को ठीक रखना चाहते हैं। हमारा गैर-योजना खर्चा बढ़ता जा रहा है और उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। 1979-80 में हमारा वेज बिल था 11,396 करोड़ रुपये, और इस साल वह बढ़कर 13,310 करोड़ रुपये हो गया है, अर्थात् एक साल में वेज बिल 1,914 करोड़ रुपये के करीब बढ़ चुका है। इसी तरह ओवर-टाइम एलाउंस की रकम भी काफ़ी बढ़ चुकी है। करोड़ों रुपये ओवर-टाइम एलाउंस के रूप में दिये जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकारी कर्मचारियों में एफ़िशेंसी नहीं पाई जाती है और लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं होता है। हमारे प्रशासन के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ज्योंही महंगाई बढ़ती है, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ जाता है। लेकिन गांवों में 40 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मिनिमम वेजिज भी नहीं मिलती है। अखबारों में चर्चा होती है कि बीड़ी वर्कर्ज़ को तीन रुपये रोज भी नहीं मिल पाते हैं। आज आर्थिक विषमता, डिसपैरिटी, बढ़ रही है। क्या सरकार के पास ऐसा कोई तरीका है, जिससे यह विषमता कम हो सके ?

हिन्दुस्तान में बजट का केवल एक मतलब नहीं होना चाहिए कि हम बजट के द्वारा केवल सरकारी नौकरों की संख्या बढ़ा दें, उनकी तनख्वाहें ज्यादा बढ़ा दें, उनको बोनस ग्रेच्युटी सब कुछ दे दें लेकिन उनकी एफिशयेंसी बढ़ाने की तरफ, उनकी काम करने की योग्यता बढ़ाने की तरफ कोई ध्यान न दें। आज कौन इस तरफ ध्यान देता है ?

बोनस की बात की जाती है कि बोनस देना चाहिए ऑन दि बेसिस आफ प्रोडक्टिविटी। अभी तक मेरी समझ में नहीं आया कि प्रोडक्टिविटी का क्या आधार होगा। हम रेलवे कर्मचारियों को बोनस देना चाहते हैं लेकिन आज रेलवे की क्या हालत है ? इसी तरह पी० ऐंड टी० विभाग को और दूसरे विभागों को बोनस देने की बात की जाती है, लेकिन यह किसलिए ? आज आप हालत देखिए तो उन महकमों की। आज टेलीफोन की क्या हालत है ? तो क्या बोनस का यही मतलब है कि जो अपनी आवाज़ उठाए उसको खुश करने के लिए चूंकि वह आर्गेनाइज्ड लेबर हैं, या एलाइड सेक्टर के लोग हैं, वह खुश रहें इसके लिए बोनस दिया जाना चाहिए ? इस तरह से तो हमारे बजट का जो परपज़ है वह सकसेसफुल नहीं हो सकता। महात्मा गांधी ने सोचा था कि गरीबों को सारी राहत मिलेगी। उनके सपने का स्वराज्य वह था जिसमें गरीबों को वह सब चीजें मिलेंगी जो धनी व्यक्ति को मिलती हैं। लेकिन आज गरीबों को वे चीजें मिलना तो दूर रहा, उनकी हालत और गिर रही है।

एक शिक्षक के क्षेत्र को ही ले लीजिए। मैंने एक बात देखी कि आर्टिकिल 49 में कहा गया है कि प्राइमरी एजूकेसन कम्पल्सरी होनी चाहिए दस साल के पीरिअड के अन्दर। लेकिन आज कितने साल बीत गए, प्राइमरी एजूकेशन आज भी कम्पल्सरी नहीं हो सकी है। हम लोग अपनी धनराशि एडल्ट एजूकेशन में लगाना चाहते हैं। उससे क्या होगा कि जो हमारी औलाद पैदा हो रही है गांवों में वह अनएजूकेटिड रह जाएगी और फिर उसको आगे चल कर प्रौढ़ शिक्षा देंगे। उस आर्टिकल की जो धारणा थी कि हम लोगों को शिक्षा देंगे, उसके लिए आज 30 साल के बाद भी हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि हमने संविधान के उस आर्टिकल को लागू कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में जो आज हमारे स्कूलों की और विश्वविद्यालयों की दशा है, वह तो भगवान ही जानते हैं कि कैसी हालत हमारी हो रही है। जॉब-ओरिएंटेड एजूकेशन आज नहीं है। लाखों और करोड़ों की संख्या में बेकार लोग हैं।

इसके अलावा आप देखें कितनी घटनाएं आज दहेज की होती हैं, कितनी चोरी और डकैती होती है। इसका कारण क्या है ? आइडल माइंड इज़ डेविल्स वर्कशाप। आप करोड़ों की संख्या में लोग बेकार हो गए हैं। हमें उन्हें एम्पलायमेंट गारंटी देनी चाहिए या कोई बेरोजगारी का भत्ता देना चाहिए। लेकिन वह हम नहीं दे सके।

माननीय मंत्री के खुद के उत्तर से मालूम होता है कि कितनी रकम हमारी लोगों पर इनकमटैक्स की बकाया है। 5 लाख की धनराशि के केसेज़ इनकमटैक्स बकाया के 5250 हैं। पांच लाख से दस लाख तक के 892 हैं और ओवर दस लाख के केसेज़ 2149 हैं। आज 965 करोड़ रुपया तो इनकमटैक्स का बकाया है। यह मंत्री महोदय से उत्तर से मालूम होता है कि इनकमटैक्स की इतनी बड़ी रकम बकाया है और कोई कहने वाला या सोचने वाला नहीं है।

इसके अलावा बजट के अन्दर और जो योजनाओं में खर्चा बढ़ रहा है वह तो बढ़ ही रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं कि गवर्नमेंट किस प्रकार निर्णय लेती है। मैं जब पांचवीं लोकसभा में था तो मैंने एक छोटा सवाल पूछा था कि जो सैनिक आपके यहां पाकिस्तान से ऐज़ प्रिज़नर रह गए हैं उनका खर्चा कैसे लेंगे तो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि सारा खर्चा उनसे वसूल किया जाएगा। वह कुल खर्चा हुआ था 3 करोड़ 15 लाख 10 हजार

रुपया। वह कैसे वसूल किया जाएगा ? जब वे सैनिक यहां रह कर चले गए तो आप उत्तर दे रहे हैं कि अभी इस सवाल को हमने उस गवर्नमेंट से उठा रखा है। 38 करोड़ रुपया खर्च हुआ पाकिस्तान के सैनिकों के यहां रहने पर, जो यहां प्रिजनर की तरह रहे और उनको आपने लौटा दिया। उस समय आपने कहा था जो खर्चा हुआ है वह आप ले लेंगे। मैंने प्रश्न किया तो आपने कहा कि वह उनसे ले लिया जायगा। लेकिन आज दस साल के बाद हमें प्रश्न करना पड़ रहा है कि 38 करोड़ रुपये का क्या हुआ, वह लिया या नहीं लिया। आज तक वह क्यों नहीं लिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : डागाजी आप तीसरी मद पर बोल रहे हैं, आपको चौथी मद पर बोलना है। आपने योजना आयोग मद समाप्त कर लिया है। आपको अब विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय पर बोलना चाहिए। इसके साथ आपका समय समाप्त होगा।

श्री मूलचन्द डागा : न्यायालयों की बात ही ले ली जाए।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : वित्त विधेयक को पारित करने में जल्दी कहां है ? पुरःस्थापन की तारीख से दो माह के अंदर इसे पारित होना है। इसे 18 जून को पुरःस्थापित किया गया था। हम 18 अगस्त तक भी पारित कर सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आज देश में न्याय सस्ता और सुगम मिलता है या नहीं, इस पर जब आप विचार करेंगे तो देखेंगे कि लाखों की संख्या में हाईकोर्ट में केसेज़ पड़े हुए हैं। जजेज़ की 75 पोस्ट खाली हैं। फिर सस्ता और सुगम न्याय किस तरह से मिलेगा ? यहां पर ला मिनिस्टर साहब स्पीच देंगे तो कहेंगे कि मैं प्रोसीजर निकालूंगा जिससे सस्ता न्याय मिलेगा।

इसी तरह से आज डाक्टरों की हड़तालें हो रही हैं इसलिए न तो आप सस्ता इलाज दे सकते हैं और न सस्ता न्याय दे सकते हैं, न ही कुछ और कर सकते हैं।

एक बात और भी है। आपने बैंकों पर साढ़े सात परसेंट ब्याज और लगा दिया है। इसका नतीजा यह होगा कि बहुत कम संख्या में लोग ऋण लेंगे क्योंकि उनको भारी संख्या में ब्याज देना होगा। इसकी वजह से हमारी उत्पादन क्षमता भी घट जायेगी। आप इण्डस्ट्रीज बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए लोन भी देना चाहते हैं, लेकिन बैंकों पर साढ़े सात परसेंट ब्याज बढ़ा देने से क्या हालत होगी ? आप मेहरबानी करके इस पर सोचें। आपने खुद कहा था कि पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज़ पर ध्यान रखें। मैंने पढ़ा और देखा कि पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज़ पर कितनी धनराशि व्यय होती है। पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज़ में जो डायरेक्टर हैं उनकी आज क्या हालत है ? 1978-79 की पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज़ से संबंधित रिपोर्ट आपने देखी होगी कि कितना एक्स्ट्रावैगेन्ट खर्चा होता है। उस रिपोर्ट में बतलाया गया है कि 59 अण्डरटेकिंग्ज़ घाटे में चल रही हैं, करोड़ों का घाटा होता जा रहा है। वहां के जो डायरेक्टर्स हैं वे 10 परसेंट मीटिंग्ज़ भी अटेण्ड नहीं करते हैं। बहुत सोच-विचार के बाद यह बात कही गई थी कि किसी तरह से मेम्बर्स आफ पार्लमेन्ट को पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज़ में डायरेक्टर के रूप में मौका देना चाहिए। पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज़ कमेटी ने यह सजेस्चन दिया कि एम-पीज़ को मौका दिया जाए लेकिन आप अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा सके।

मैंने एक प्रश्न किया था कि पेट्रोल और डीज़ल का खर्चा कैसे कम किया जायेगा ? यहां पर मैं आपकी तारीफ करूं उससे कुछ नहीं होगा, हिन्दुस्तान के कोने-कोने में बैठे हुए गरीब लोग जब आपकी तारीफ करेंगे तभी तारीफ होगी। 40 करोड़ लोग जोकि गरीबी की

रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, उनको जब राहत मिलेगी तभी आपकी तारीफ होगी। हम लोग यहां पर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। गांवों में जो हालत है उसी को हम यहां पर कहना चाहते हैं। आपका जो बजट है वह आपने बड़ी खूबसूरती से बनाया है, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन वह तो बाद में मालूम होगा कि इसका क्या असर हुआ। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारी उम्मीद थी कि लोगों को सस्ता न्याय मिलेगा, इलाज सस्ता होगा और उचित शिक्षा मिलेगी, उसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि अगर कर्जा नहीं मिलेगा तो उत्पादन भी कम हो जायेगा। धन्यवाद।

श्री भीम सिंह (झुन्झुनू) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर बहस के दौरान कुछ ऐसे मुददे थे, जिनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान तीन-चार मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

आज अपने यहां से हजारों आदमी गल्फ कन्ट्रीज में काम करने के लिए गए हुए हैं। खास तौर से वे आपके अर्निंग मैम्बर्स हैं, जो आपको फारन-करेन्सी कमाकर भेजते हैं। मेरी कान्स्टीचूएंसी झुन्झुनू और सीकर, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में बड़ौदा बैंक के द्वारा करीब 10 लाख रुपया प्रतिदिन अपने मुल्क में आ रहा है। जब इन लोगों को वीज़ा के लिए रिक्रूट किया जाता है, तो ऐजेंट्स इनको मिस-गाइड करते हैं। मज़दूर आम तौर पर इल्लिट्रेट आदमी हैं, बगैर पढ़े-लिखे—कोई खाती है, कोई कारीगर है। अपने देश के अन्दर इन लोगों को वीज़ा देने के लिए एजेंट्स इनसे पांच हजार रुपया लेते हैं और आज यह राशि बढ़ कर नौ हजार रु० तक चली गई है, इन मजदूरों को कहा जाता है कि तुम्हें गल्फ-कन्ट्रीज में जाने के लिए वीज़ा दिया है, लेकिन लीबिया में पहुंचा दिया जाता है। पिछले वर्ष राजस्थान और गुजरात के 127 आदमियों को लीबिया पहुंचा दिया गया और ऐसी कम्पनी में जगह दे दी गई कि छः महीने तक सिवाय खाना-खाने के उनको कुछ नहीं दिया गया। उनकी हालत यह हो गई थी कि वे ट्यूनिस भी नहीं जा सकते एम्बेसी को पुकारने के लिए। जब हम लोगों को मालूम हुआ तो हमने यह मामला विदेश मंत्री को मूव किया, तब बड़ी मुश्किल से जाकर उनको रिस्कयू किया जा सका।

अभी हाल की एक बात मैं आपको बताता हूँ। जैसी कि रिपोर्ट है, नागौर जिले के एक आदमी को, जैसी कि वहां की कम्पनी कहती है, इंडिया जाने वाले अमुक जहाज के अन्दर बैठा दिया गया था और जब हमने बम्बई में मालूम किया तो उस लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम नहीं था। वह आदमी आज दो साल से गायब है। मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी तीन समस्यायें हैं, जिनकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली तो यह है कि इन मजदूरों को एजेंटों के एक्सप्लायटेशन से बचाने के लिए कोई मशीनरी सैटअप की जाए, जो उनको वाजिब खर्चे पर वीज़ा दिलाये और वे गल्फ-कन्ट्रीज में जाकर काम कर सकें। दूसरी समस्या यह है कि वहां की एम्बेसीज में एक सैल बनाया जाए, जो मजदूर यहां से गल्फ-कन्ट्रीज के अन्दर, सऊदी अरब के अन्दर या लीबिया के अन्दर चले गए हैं, उनके वैल-फेयर के लिए, उनको लुक-आफ्टर करने के लिए ध्यान दे। आम तौर पर ये मजदूर तीन साल के लिए जाते हैं और तीन साल में करीब 60 हजार रुपया कमा पाते हैं। इनको नार्मली 45 रु० से लेकर 60 रु० प्रति दिन मिलता है और करीब 200 रु० महीना ये अपने खाने पर खर्च करते हैं तथा एवरेज में 1000-1200 रु० हर महीने बड़ौदा बैंक के ड्राफ्ट भेजते हैं। इस तरह से जो मजदूर 60 हजार रु० तीन साल में कमा कर भेजता है और जब वह अपने देश लौटता है, तो अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें खरीदता है, जैसे कपड़े, ट्रांजीस्टर आदि, तो

एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट के लोग, इल्लिट्रेट होने की वजह से उनको एक्सप्लायट करते हैं। वहां के अधिकारी चार-चार, पांच-पांच, छः-छः हजार रु० तक उनसे कस्टम ड्यूटी का चार्ज कर लेते हैं। अभी पिछले दिनों एक मजदूर से 13 हजार रु० तक लिए गए हैं और इसके बावजूद उनका सामान सीज कर लेते हैं। इसलिए तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मजदूर आपको 60 हजार रु० फारन-करन्सी का कमा कर भेजता है, तो कम से कम उनको यह छूट होनी चाहिए कि जो सामान वे लेकर आते हैं, उसको लेकर वे आसानी से उतर सकें। इन तीन बातों की ओर मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय ध्यान दें।

दूसरा प्वाइंट सीलिंग आन एग्रीकल्चर होल्डिंग्स से संबंधित है, जो डिसकस नहीं हुआ था। आपको इस बात की जानकारी होगी कि 23 जुलाई, 1972 को, जब हमारे स्व० श्री फखरुद्दीनअली अहमद हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उन्होंने सारे स्टेटस के चीफ मिनिस्टर्स की एक कान्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें उन्होंने गाइडलाइन्स दी थी, सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग्स के ऊपर। जो सीलिंग के कानून जुदा-जुदा स्टेट के अन्दर पहले से लैजिस्लेट किए हुए थे, उनमें यूनीफार्मिटी नहीं थी, जिस तरह का आउट-लुक होना चाहिये, वह नहीं था। उस समय यह गाइड-लाइन्ज़ दी गई थीं, डायरेक्शन्ज़ दी गई थी कि सब स्टेट्स में यूनीफार्म टाइप का ला हो और गाइडलाइन्ज़ को स्ट्रिक्टली फोलो किया जाय। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सी स्टेट्स में गाइड-लाइन्ज़ को फोलो नहीं किया गया।

मैं राजस्थान के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, जो पुराना कानून था, जो 1960 में बना था, वह भी आज की तारीख में चालू है और 1972 में जो गाइड-लाइन्ज़ दी गई और उन के अन्तर्गत 1973 में जो सीलिंग का कानून बना, वह भी इन-फोर्स है। नतीजा यह हुआ है कि जो फैसले पुराने कानून के तहत 10-15 वर्ष पहले किये गये थे, आज 15 साल बाद उन को री-ओपन करने के नोटिसिज़ दिये जा रहे हैं। कई काश्तकार इस बीच में मर गये हैं, उन मरे हुए काश्तकारों के नाम नोटिसिज़ जा रहे हैं। बहुत से काश्तकारों ने, जिन्होंने बैंकों का लोन चुकाने के लिये यह मान कर कि ज़मीन का फैसला फाइनल हो चुका है, अपनी ज़मीन को बेच दिया था, वह ज़मीन आगे भी री-सेल हो चुकी है, अब पुराने काश्तकारों को नोटिस दे कर केस को फिर से री-ओपन किया जा रहा है। यहां यह भी बतलाना चाहता हूं—मान लीजिये उसने कुछ ज़मीन अपने पास रख ली थी और कुछ बेच दी थी, अब यह कहा जा रहा है कि जो ज़मीन तुमने बेच दी, वह तो तुम्हारी थी और जो अब तुम्हारे पास है उसको लिया जायगा। कानून की यह मंशा नहीं थी कि इस तरह से जो लैंड-होल्डर है, उस को लैंड-लैस बना दिया जाय।

मैं एक सवाल और उठाना चाहता हूं—मान लीजिये चार लड़के हैं, एक लड़का आर्मी में जाता है, दूसरा मैडिकल प्रोफेशन एडाप्ट करता है, तीसरा इन्जीनियर बनता है और चौथा सिविल सर्विस में जाता है—चारों को एवरेज में 2 हज़ार रुपये माहवार कमाने का मौका मिलता है। लेकिन जिस लड़के ने सिर्फ बी० एस-सी० (एग्रीकल्चर) किया है और वह सरकार पर बर्डन नहीं बना है, सरकार से कोई एम्पलायमेन्ट नहीं मांगी है, अपनी ज़मीन पर सैटिल हो कर, सेल्फ-एम्पलायड होकर मुल्क की मदद कर रहा है, उसको हम कमाने का मौका नहीं देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब दूसरों को 1500 रुपये या 2000 रुपये माहवार कमाने का मौका मिलता है, तो इसको भी वह अपार्चुनिटी मिलनी चाहिये। सरकार की यह मंशा कभी नहीं हो सकती है कि कोई एग्रीकल्चर में बी०एस-सी० पास करके टेटर्ड-क्लोद्स

में रहे । उसको भी पूरा मौका मिलना चाहिये कि एग्रीकल्चर में आज जितनी रिसर्च हो रही है, जितना खर्चा सरकार इन कामों पर कर रही है, वह उस ज्ञान को अपने काम में भी एप्लाई करे और देश को अच्छी प्रोडक्शन दे सके । लेकिन इस डिस्पैरिटी का नतीजा यह होगा कि कोई भी इन्टेलिजेन्ट आदमी एग्रीकल्चर के प्रोफेशन में नहीं जायगा और जो पुराने और अयोग्य लोग हैं या इल्लीट्रेट लोग हैं वे ही इस प्रोफेशन में रहेंगे । ऐसी हालत में आपकी फूड-प्रोडक्शन की जो स्कीमें हैं, वे कैसे कामयाब होंगी ? इसलिये मेरा निवेदन है कि श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब के वक्त में जो गाइड-लाइन्ज़ दी गई थी, उन पर अमल किया जाना चाहिये । मैं आपकी जानकारी के लिये उसके सब-क्लाज़ 9 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । उस कान्फरेन्स ने यह कहा था —

भूमि जोतों की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में 23 जूलाई 1972 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के निष्कर्षों के आधार पर मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किये गये थे । उसके लास्ट पैराग्राफ का हैडिंग था "इम्पलीमेन्टेशन" उसमें कहा गया है—क्रियान्वयन करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होगा । वे गैर सरकारी संगठनों का उचित स्तर और स्थान पर गठन करेंगे । अधिकतम भूमि सीमा कानून को कियान्वयन करने हेतु सक्षम अधिकारी एवं संगठन नियुक्त करेंगे । इसमें एक और मेन्डेटरी बात करते हैं—

विशेष दशाओं में किसी राज्य या संघ क्षेत्र की ओर से आकस्मिक रूप से मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन होने पर केन्द्र सरकार से इस सम्बन्ध में निर्णय प्राप्त किया जा सकता है ।

जब भी गाइड-लाइन्ज़ से डेविएट करेंगे तो उसमें सेन्टर का इन्टरवेन्शन होगा, सेन्टर से मन्जूरी लेनी होगी । लेकिन ऐसा नहीं किया गया । 1979 में जब राजस्थान हाई कोर्ट के सामने यह ईशू आया तो गवर्नमेन्ट से ऐफिडेविट लिया गया, जिसमें गवर्नमेन्ट ने कहा कि पुराने कानून के अन्तर्गत सिर्फ 166 केसेज़ बाकी हैं, इसलिये मन्जूरी दी जाय । लेकिन इस के अन्तर्गत 10-15 हज़ार नोटिसिज़ भेजे गये और पुराने केसेज को रीओपन किया गया । आम काश्तकार के ऊपर जब इस तरह से तलवार लटकती है तो स्वाभाविक है वह खेती के काम में पूरी तरह से नहीं लग सकेगा । मेरा निवेदन है कि यह बहुत उचित समय है जब कि सैन्टर को इस मामले में इन्टरवीन करना चाहिये; दो कानून नहीं चलने चाहिये, एक ही कानून चलाना चाहिये ।

तीसरी बात मैं सोल्जर्स के बारे में कहना चाहता हूं । आज स्थिति यह है कि हमारे मुल्क में करीब 1 लाख आर्म्ड फोर्सेज़ के जवान हर साल रिटायर किये जाते हैं । आम तौर पर रिटायरमेन्ट के समय 35-40 साल की उम्र होती है । 18 साल की उम्र में रेक्रूट होते हैं और 17 साल उनकी सर्विस का पीरियड होता है ।

नार्मली 35 और 40 साल की उम्र के बीच में उनको रिटायरमेन्ट मिल जाता है और उसके बाद उनको 100 रुपये से 150 रुपये पेंशन के मिलते हैं या दूसरे इन्मोलूमेंटस के नाम पर उनको इतना पैसा दिया जाता है । जे०सी०ओज़ और कमीशन्ड आफ़िसर्स जो हैं वे 50 साल के नीचे की उम्र में रिटायर होते हैं । ऐसी स्थिति में वे बच्चों का लालन-पालन कैसे कर सकते हैं ? इसका नतीजा यह होता है कि उनकी फैमिली में फ्रास्ट्रेशन पैदा हो जाता है । आप का जो यह जवान है, यह देश का क्रीम है और यह वह आदमी है जिसने अपनी जान देश की रक्षा के लिए झोंकने के लिए ओफर किया है । दूसरी तरफ़ हम यह देखते हैं कि जो सिविल

सर्विस वाले लोग हैं, वे 55 और 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। ब्रिगेडियर रैंक का जो आफ़िसर होता है, आई० ए० एस आफ़िसर होता है, वह 55 और 58 साल की उम्र में रिटायर होता है और सबसे खराब बात तो यह है कि जब यह जवान 35-40 साल की उम्र में रिटायर होता हैं, तो उसके जो बच्चे होते हैं वह इतने बड़े नहीं हो पाते हैं कि वे दूसरी जगह नौकरी करके कुछ कमा सकें जबकि दूसरी तरफ़ यह स्थिति है कि जो सिविल सर्विस का आदमी है या जो बैंक का चपरासी है, वह जब रिटायर होता है, तो उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी एजुकेशन खत्म करके सर्विस में लग जाते हैं और वह जो आदमी है **ही हैज़ समथिंग टू काऊन्ट अपोन**। जवानों के बच्चे इतने बड़े नहीं हो पाते हैं तो इससे बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन जवानों के अन्दर होता है।

एक दूसरी प्राब्लम जो इन लोगों के सामने आई हुई है वह **पेंशन लाज़** की है। जो आज से बहुत पहले रिटायर हुए थे और जिनकी सर्विस पुरानी है, उनको पेंशन कम मिलती है और उसके बाद लेटर इअर्स में जो आदमी रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन **फ्राम टाइम टू टाइम रिवाइज़** होती रही है लेकिन वह जो पेंशन रिवाइज़ हुई है, वह रिट्रोसपेक्टिव इफ़ेक्ट से रिवाइज़ नहीं हुई है।

मैं आपको एक कर्नल का उदाहरण देना चाहता हूं। एक कर्नल जो कुछ साल पहले रिटायर हुआ था, उसको 400 रुपये पेंशन के मिलते हैं, लेकिन एक कर्नल जो अब रिटायर हो रहा है, उसको 1000 रुपये पेंशन मिलेंगे। दोनों ही कर्नल हैं। एक ही केडर के हैं, और दोनों ने एक सी ही सर्विस की है अपने कन्ट्री के लिए, लेकिन यह डिस्पेरिटी है। इस लिए मेरा सुझाव है कि इस तरह की डिसपेरिटीज़ को दूर करने के लिए एक पेंशन कमीशन बैठाया जाना चाहिए।

इसके साथ ही साथ एक यह निवेदन करना है कि जो आर्मी वालों की विडोज़ हैं, 1-1-64 में एक यह कानून आया था कि जो आर्मी का जवान मर जाता है **इगिन नाट इन सर्विस**, तो उसकी **विडो** को फैमिली पेंशन लागू रहेगी लेकिन 1-1-64 से पहले की जो पेंशिनियर है, उनके लिए ऐसा कोई कानून नहीं है कि उनकी फैमिली की फैमिली को खत्म होने के बाद भी पैसा मिले। पेंशिनयर खत्म होने के बाद भी उनको पैसा नहीं मिलता है। तो **विडो इज़ विडो**। 1964 से पहले की जो **विडो** हैं, उनको 16 साल हो गये हैं और अब कितने दिनों की वे और मेहमान हैं। तो जब 1-1-64 के बाद वाले जवानों की **विडोज** को पेंशन मिलती है, तो पहले वालों को भी मिलनी चाहिए।

इसके अलावा अभी आपने पेंशन-स्केल बढ़ाए हैं, इन्डिपेंडेंस के फ्रीडम फाइटर्स के। तो यह जो जवान हैं, तो ये तो उस इन्डिपेंडेंस को कायम रखने वाले हैं। इनके पेंशन स्केल्स को भी बढ़ाया जाना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि रावतभाटा का एटोमिक पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में है और यह प्रोजेक्ट करोड़ों रुपये की लागत से बनाया गया है और आज से 15 साल पहले इसको कमीशन किया गया था, लेकिन हर तीन महीने के अन्दर यह फेल हो जाता है और नतीजा यह होता है कि इसका **पर डे** जो 40 लाख यूनिट का आउटपुट है और जो यह राजस्थान को देता है और जो राजस्थान की रिक्वायरमेंट्स का वन-थर्ड है, वह अबरप्टली बन्द हो जाता है, जिसके कारण एग्रीकल्चर के लिए कुओं को बिजली नहीं मिलती है और इंडस्ट्री के सामने भी प्राब्लम आती है और आप जानते हैं **हेयर इज़ पावर क्राइसिस इन**

राजस्थान। तो मेरा निवेदन यह है कि गवर्नमेंट इस काम को देखें कि यह 15 साल में जो हर तीन महीने में फेल हो जाता है, तो इसमें क्या टेक्नीकल फ्लां है। उस फ़ला को दूर किया जाए और राजस्थान को पावर क्राइसिस से बचाया जाए और जो करोड़ों रुपयों का नुक्सान होता है, उससे भी बचा जाए। बस इतना ही मुझे निवेदन करना था।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश किया था और उस भाषण में कुछ एक्साइज डयूटीज पर छूट दी थी और कुछ को विदड्रा किया था, तो बड़ी खुशी के साथ खास कर सत्तारूढ़ दल की ओर से बेंचों को बजाया गया था और आज जब इस एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस चल रही है, तो उसी सत्ताधारी दल की ओर से जो अभी माननीय सदस्य डागा जी बोले, यद्यपि जबान जितनी साफ होनी चाहिए थी, क्रिटिकल होनी चाहिए थी, उतनी नहीं थी फिर भी दबी जुबान से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि बजट भाषण के अन्दर वित्त मंत्री जी ने जो हमें सुविधाएं दी थीं विशेषकर के मूल्यों के स्थिरीकरण के बारे में, उनसे हमें निराशा हुई है। बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि जो कुछ वित मंत्री ने कहा था उससे कहां तक आगे वे जाएंगे; खास कर उन्होंने घाटे के बजट की बात चलायी थी। घाटे का बजट आपने 1470 करोड़ रुपये का बनाया है। यह कहां जाकर रुकेगा, कहां तक जाएगा, यह तो समय ही बताएगा।

यह इससे ही बात साफ हो जाती है कि आज एक महीने के अन्दर-अन्दर कांग्रेसजन निराशा अनुभव करने लगे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वाभाविक है कि कांग्रेस दल में, खास करके जो नया रक्त आया है, उस नये रक्त ने आशाएं दी हैं, देश की जनता को कहा है कि अब हम सत्ता में आये हैं, हमारी सरकार स्टेबल है, सब राज्यों में हमको स्टेब्लिटी मिल गयी है, अब हम अपने वायदे पूरे करेंगे। खास कर उन्होंने दो ही वायदे किये हैं—एक मूल्यों के स्थिरीकरण का कि जनसाधारण को जरूरत की चीजें स्थिर भावों पर मुहैया करायेंगे, सस्ते भावों पर दिलायेंगे और दूसरा वायदा उन्होंने किया था लॉ एंड आर्डर को बनाये रखने का। लॉ एंड आर्डर के बारे में तो मैं इस समय कुछ नहीं कहूंगा, मूल्यों के बारे मैं कहना चाहूंगा। क्या एक महीने के अन्दर ही देश की स्थिति इस प्रकार की नहीं बन गयी है ? जनवरी में आपने शासन संभाला, 18 जून को आपका बजट आया और आज जुलाई के तीसरे सप्ताह के अन्दर हम हैं। इन सारे सप्ताहों के अन्दर साधारण वस्तुओं की कीमतें कहां जाकर पहुँची हैं ?

आज आप अन्न को ले लीजिये। चाहे गेहूं के मूल्य हों, चाहे चावल के मूल्य हों, चाहे शक्कर के मूल्य हों, चाहे दालों के मूल्य हों। उपाध्यक्ष जी, अगर इन बढ़ते हुए मूल्यों का फायदा किसान की जेब में जाता है तो शायद किसी को आपत्ति नहीं है।

(श्री शिवराज पाटिल पीठासीन हुए)

आज दो सौ रुपये क्विन्टल गेहूं है। अगर इसका फायदा किसान को मिलता तो अगली फसल अच्छी हुई होती। आज आठ रुपये किलो शक्कर है। अगर यह बढ़ते हुए मूल्य शूगरकेन के मूल्य के रूप में किसान को मिल गये होते तो शूगरकेन की फसल अच्छी हुई होती। लेकिन आज आफ सीजन में किसान के पास न गेहूं है न और चीजें हैं। आज सब चीजें जा करके व्यापारियों के गोदामों में जमा हैं। इन वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य किसी पूंजीपति को या उच्च-मध्यम वर्ग को तंग करने वाले नहीं हैं। ये बढ़ते हुए मूल्य जनसाधारण को और लोअर-मिडिल क्लास के लोगों को जिनकी बंधी हुई आय है, फिक्स्ड इनकम है, उनको परेशान कर रहे हैं। वित्त-मंत्री जी, मैं किसी से तुलना करने में नहीं जाना चाहता, न आलोचना का ही मेरा दृष्टिकोण

रहा है। लेकिन आज आप अपने मन से सोचें कि जिस समय जनता पार्टी का रूल था उस समय प्राइस इन्डेक्स किस तरह से लगातार स्थिर रहा था। आप 1977-78 और 1978-79 का होलसेल प्राइस इन्डेक्स देखें जो कि लगभग बराबर बना रहा। चौधरी चरण सिंह जी के बजट आने के बाद से निश्चित रूप से उसमें बढ़ौतरी हुई। लेकिन आप स्वयं ही फैसला करें कि जनवरी के अन्दर जब से आपने शासन संभाला है तब से किस गति से होलसेल प्राइस इन्डेक्स बढ़ा है और खासकर के आपके बजट पेश करने के बाद से कितना बढ़ा है ?

आज मेरे पास जो होलसेल प्राइस इन्डेक्स के आंकड़े हैं वे 28 जून तक के हैं। सभापति जी, मुझे यह जानकारी मिली है कि सरकार ने यह बहाना लगा कर के कि हम प्राइस इन्डेक्सिज़ का एक नया फार्मुला बनाने वाले हैं, एक नये ढंग से इन्डेक्सिज़ तैयार करेंगे, इसको छापना और प्रकाशित करना बंद कर दिया है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी अपने उत्तर में बताएं कि मेरी सूचना ठीक है या नहीं कि इस प्रकार के इंडिसिस जो समय-समय पर इशू किये जाते थे, वीक्ली किये जाते थे उनको सरकार ने बन्द करवा दिया है।

1970-71 को बेस यीअर मानकर 28 जून को जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था वह 249·9 था जबकि जिस समय बजट पेश किया गया था वह 242·7 था। केवल दस दिन के अन्दर बजट पेश करने के बाद यह 7·2 बढ़ गया। वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए कहा था कि इससे इनफ़लेशन नहीं बढ़ेगा, प्राइसिस नहीं बढ़ेगी। जब उनको चैलेंज किया गया तब उन्होंने यहां तक कह दिया था कि या तो मैं सफल हूंगा या फिर कुर्सी से हट जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वह कुर्सी से हटें और न मैं ऐसा कहने का दुस्साहस कर सकता..... (व्यवधान) मैं यह मानता हूं कि वित्त मंत्री जी एक योग्य व्यक्ति हैं। उनकी मजबूरियां हो सकती हैं। वह स्वयं एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्री होने के नाते वह कैलकुलेट करें कि अगर दस दिन के अन्दर इतने प्वाइंट होलसेल इंडैक्स के अन्दर बढ़ जाते हैं, तो यह क्या दर्शाता है। अप्रैल 1977 में जब जनता का शासन आया उस समय यह इंडैक्स 184·1 था। जिस समय चौ० चरण सिंह ने बजट पेश किया दो साल के बाद मार्च 1979 में तो यह189·1 था। यानी लगातार दो साल के अन्दर इसमें केवल पांच प्वाइंट की वृद्धि हुई। लेकिन चौदह जून को यह 243·7 हो गया और 28 जून को यानी दस दिन के बाद इसमें 7 प्वाइंट्स की वृद्धि हो गई। उधर दो साल में केवल पांच प्वाइंट्स की वृद्धि हुई और इधर दस दिन के अन्दर-अन्दर ·7 प्वाइंट्स की वृद्धि हो गई। यह किस बात का द्योतक हैं ? गवर्नमेंट को इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए। जिस समय कांग्रेस शासन में आई जनवरी 1980 में उस समय यह इंडेक्स 226·2 था और आज यह 249·9 हो गया है, उसको क्रास कर चुका है। इसके लिए वित्त मंत्री जी कुछ भी कारण बताएं लेकिन इस बात को तो वह स्वीकार करेंगे कि यह जो मूल्यों में वृद्धि हो रही है यह खासकर उन वस्तुओं के मूल्यों में हो रही है जिनका सम्बन्ध साधारण जनता से है। यह एक चिन्ता का विषय है। सरकार की ओर से इस मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

आपने बजट के अन्दर अनेक प्रकार की छूटें देने की घोषणाएं की थीं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन वस्तुओं पर आपने एक्साइज़ ड्यूटीज़ में छूटें दी थीं या जिन वस्तुओं पर से आपने इनको विदड्रा किया था, क्या उसका लाभ उपभोक्ता तक पहुंचा है ? बढ़ी हुई कीमतों में इन छूटों की वजह से क्या कोई कमी आई है या इन कीमतों को नीचे लाने के लिए कोई कदम उठाए गये हैं ? क्या इन छूटों का लाभ उपभोक्ता को मिला है ? उपभोक्ता केवल वही मूल्य

नहीं दे रहे हैं जो पहले दे रहे थे बल्कि आपके द्वारा की गई इन छूटों की घोषणा के बाद वे और भी ज्यादा मूल्य उन्हीं वस्तुओं के दे रहे हैं।

आप दिल्ली के बाजारों में जाकर देख लें। सब्जियों का क्या हाल है? कोई सब्जी आपको पांच रुपये किलो से कम नहीं मिलेगी। कोई दाल ऐसी नहीं है जिसको कोई गरीब खाता हो और जो पांच और छः रुपये किलो से कम हो। मसाले, खाने के तेल, ईंधन, घर के अन्दर जो लकड़ी जलाने के काम आती है या कोयला—गैस की बात आप छोड़ दें—जितनी भी वस्तुएँ हैं जो दो जून रोटी खाकर जिन्दा रहने के लिए आवश्यक हैं, उन में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कांग्रेस के शासन में आने के बाद और खास तौर पर बजट पेश करने के बाद सस्ती हुई हो। इसके विपरीत उनकी कीमतों में बहुत तेज गति से वृद्धि ही हुई है।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री का ध्यान एक अखबार के उस समाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें वस्तुओं के भावों में बढ़ोत्तरी की ओर इशारा किया गया है: —

मूल्यों में निरन्तर वृद्धि

सभी आवश्यक वस्तुओं—चीनी, दालों, तेलों, साबुनों, सब्जियों के मूल्यों में और वृद्धि हुई है। चीनी का मूल्य बहुत अधिक ऊंचा हो गया है—8 रु० प्रति किलो—जो गरीब की पहुंच से बाहर हो रहा है। गुड़ का मूल्य भी पिछले एक महीने में लगभग दुगना हो गया है। खुले तेल की कीमत प्रति किलो एक रुपया अधिक है। ठीक बजट से पहले पोस्टमैन के चार किलो के डिब्बे का मूल्य 65·89 रु० था परन्तु अब 70·65 रु० में बेचा जा रहा है। कानोडिया के चार किलो का डिब्बा भी बजट से पहले की अपेक्षा 7 रु० अधिक महंगा है।

सभी दालों—अरहर, मूंग, चना, राजमा के मूल्यों में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अरहर दाल तथा गरीबों की दाल चना, बजट के बाद एक रुपया प्रति किलो और महंगी हो गई है।

साबुन की लोकप्रिय ब्रांड—लक्स, हमाम, रेक्सोना, लाइफबाय, रिन, सनलाइट 10 पैसे प्रति टिकिया महंगी हो गई हैं। एक किलो के डिब्बे का मूल्य लगभग एक रुपया अधिक करने के लिए धुलाई के पाउडरों की कीमतों में संशोधन कर दिया गया है। बजट के समय विम के ढाई किलो के डिब्बे का मूल्य 13·10 रु० था और अब 14·20 रु० है.

एक अन्य मद बाल-आहार है जिसके मूल्य प्रायः रोजाना बढ़ रहे हैं।

ये विचार प्रैस द्वारा व्यक्त किये गये हैं।

मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जो दिन-प्रति-दिन वस्तुएं अधिक महंगी होती जा रही हैं, उसकी रोक-थाम के लिए उन्होंने क्या कदम उठाये हैं? वह या सम्बन्धित विभाग यह कहकर नहीं बच सकते हैं कि हम तो होर्डर्ज, प्राफिटियर्ज और ब्लैक-मार्केटियर्ज को जेल में डालने के लिये कानून बना चुके हैं, अब यह राज्य सरकारों का काम है। एक या दो राज्य सरकारों को छोड़ दीजिए, अन्य राज्यों में, जहां वित्त मंत्री महोदय की पार्टी ने स्टैबिलिटी के नाम पर वोट मांगे थे, उनकी पार्टी का ही शासन है। उनके बारे में वित्त मंत्री का क्या कहना है? इस सम्बन्ध में उन्होंने आज तक क्या किया है?

मैं वित्त मंत्री से एक सवाल और पूछना चाहता हूं। यह ठीक है कि गई फसल में शूगर-केन का उत्पादन कम हुआ। लेकिन जितना शकर का उत्पादन कम हुआ, उसके मुकाबले में शकर की कीमत 8 और 9 रुपये के बीच में है, क्या सरकार उसको जस्टिफाई करती है? मैं यह जानना चाहता हूं कि आज तक सरकार ने लोक सभा या राज्य सभा में इस बात की स्पष्ट घोषणा क्यों

नहीं की कि चाहे कुछ भी कारण रहे हों, जब उसने ड्युअल प्राइस सिस्टम लागू किया है, उसके बाद वह फ्री-सेल शूगर के लिए रीजनेबल प्राइस क्या मानती है। शूगरकेन मंहगा रहा हो, शूगर का उत्पादन कम हुआ हो, लेकिन स्वयं केन्द्रीय सरकार फ्री-सेल शूगर की वाजिब प्राइस क्या मानती है, उसने आज तक यह घोषणा नहीं की है। न ही उसने यह घोषणा की है कि अगर मूल्य इससे अधिक बढ़े, तो सरकार कदम उठायेगी।

मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सम्बन्ध में।··· (व्यवधान)···मैं यह जानना चाहूंगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात जनता सरकार ने भी बहुत की और आप भी बहुत कर रहे हैं, मैं कैटेगोरिकली पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इसके लिए कोई फंड एलोकेट किया है ? आप एप्रोप्रिएशन के नाम से हमसे पैसा ले रहे हैं। आप जितना मांग रहे हैं उससे चार सौ करोड़ और अधिक हम देने के लिए तैयार हैं। क्या आप कह सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कोस्ट्रेन्थेन करने के लिए आपने कोई रकम इसमें प्रोवाइड की है ? कहीं रकम का हवाला नहीं है। सिविल सप्लाइज़ डिपार्टमेंट ने जो अपनी डिमांड पेश की है उसको देखकर आपको दुख होगा और मैं खासकर अपने कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहूंगा कि आज जिस बात को प्रशासन और सरकार बार-बार कह रही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हम मजबूत बनाएंगे उसके लिए कितना पैसा इसमें मांगा है ? आप ताज्जुब करेंगे कि इस बजट के अन्दर नाफेड को डेढ़ करोड़ देने का तय किया है। वह भी इस बात के लिए कि सोया-बीन जो खरीद लिया है उसके लॉस को पूरा करने के लिये डेढ़ करोड़ रुपया दिया जायगा। यानी नाफेड की हालत सुधारने के वास्ते यह नहीं है। इसी प्रकार से एन० सी० सी० एफ० को केवल 90 लाख रुपया दिया है। कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव को केवल साढ़े सात करोड़ रुपया दिया है। इस प्राविज़न को रखकर सरकार विश्वास दिलाना चाहती है देश की जनता को कि हम जो जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं उनको गरीब को मुहैया कराने के लिए अपने सिस्टम को मज-बूत बना रहे हैं ? कोई इसका आधार नहीं है। जिन वस्तुओं को अभी आपने शामिल किया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अन्दर उनको देखें। मैं एक जानकारी चाहूंगा, यद्यपि वह चीजें इम्मैटि-रियल हैं, जैसे माचिस है, मैच बाक्स की कितनी डिमांड है जो आप डिस्ट्रिब्यूट करने जा रहे हैं ? एक्सरसाइज़ बुक्स हैं, कितनी डिमांड आपके सामने आई है और कितनी डिमांड को आप मीट करने वाले हैं ? सोप है, सोप की कितनी डिमांड है जो आप देने वाले हैं ? ये सब वेग टर्म्स हैं और केवल कागज के ऊपर कार्यवाही है। सचमुच में स्थिति यह है कि कहीं पर भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यहां तक कि शक्कर भी आज डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों को नहीं पहुंच पा रही है। मैं तो एक जानकारी चाहूंगा कि क्या यह सरकार जो अपने-आप को समाजवाद का बड़ा भारी नेता कहती है, आज सीमेंट, केरोसिन, पेट्रोल, गैस ये जो प्राफिटेबल आइटम्स हैं, जिन पर काफी मुनाफा होता है, इन आइटम्स के लिए यह फैसला करने जा रही है कि इन सारी वस्तुओं को प्राइवेट एजेंसीज़ के हाथ से लेकर केवल कोआपरेटिव सैक्टर को देगें ? फिर आप आशा कर सकते हैं कोआपरेटिव सेक्टर से कि जिन वस्तुओं में उनको नुकसान होने वाला है उस नुकसान की पूर्ति वह इन प्राफिटेबल आइटम्स से कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। उपभोक्ता अपने रहम पर है। सरकार अपने-आपको निराश महसूस कर रही है। हाथ पर हाथ धरे चली जा रही है और सारी वस्तुओं के दाम बाजार के अन्दर मनमाने ढंग से बढ़ते चले जा रहे हैं। आप कोई सहारा नहीं दे सकते। जितनी अच्छी बरसात इस साल हिन्दुस्तान में हुई है जैसी कि रिपोर्ट आ रही है उससे नेचुरल कोर्स में बाजार गिर जाने चाहिए थे।

लेकिन दुख है कि आज वस्तुओं के भाव न गिर कर बढ़ते चले जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : श्रीमान, विनियोग (सं० 3) विधेयक, 1980 सभा के समक्ष है। मैं वित्तीय उपायों तथा आर्थिक नीति पर अपनी टिप्पणियाँ उस समय तक आस्थगित रखूंगा जब तक वित्तीय विधेयक पर विचार-विमर्श शुरू नहीं होता है। यहाँ पर मैं अपने को केवल कुछ मुद्दों तक सीमित रखूंगा। इस देश में डाक व तार विभाग के लगभग 2·48 लाख अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हैं। उनकी परिलब्धियाँ 85 रु० से 170 रु० प्रति माह के बीच हैं। तकनीकी रूप से बताया जा रहा है कि वे अंशकालिक कर्मचारी हैं और उनसे एक दिन में 5 घंटे से अधिक कार्य करने की आशा नहीं की जाती है। किन्तु सही स्थिति यह है कि उनसे उतना ही कार्य कराया जाता है जितना कि नियमित कर्मचारियों से कराया जाता है, परन्तु उन्हें कम परिलब्धियाँ मिलती हैं और इस आधार पर सेवा के किसी लाभ के हकदार नहीं हैं कि वे मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते है जहां डाकघर तथा तारघर लाभकर नहीं हैं। यह भेदभाव तथा शोषण है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारे देश के डाक व तार विभाग के सभी अतिरिक्त कर्मचारियों को नियमित करने के तुरन्त उपाय किये जाने चाहिए।

एक बार फिर अनेक राज्य बाढ़ से पीड़ित हो गये हैं। असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, प० बंगाल तथा दिल्ली राज्यों में बाढ़ आई है। जैसा कि सरकार ने माना है कि फसलों, मकानों तथा सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं की 45,17,47,000/- रु० की कुल हानि समेत 15,36,143 व्यक्ति बाढ़ग्रस्त हुए हैं। इन बाढ़ों से तबाही के दो कारण हैं अर्थात् भारी वर्षा के कारण नदियों का उमड़ आना तथा जलाशयों से अश्वयंभावी अधिक जल का निकास। परन्तु मैं निवेदन करता हूं कि इसके कई मानवीय कारण भी हैं। गलत-योजना या गलत ढंग से तैयार किये गये सुरक्षा-कार्यों बांधों, तटबंधों या नदियों में पानी के अधिक बहाव का ध्यान रखे बिना बनाये गये अन्य निर्माणों तथा भ्रष्टाचार के कारण घटिया माल तथा कमजोर निर्माण-कार्य जैसे मानवीय कारणों की ओर उचित ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। मुझे आशा है कि बाढ़ों को रोकने के सम्बन्ध में एक विस्तृत नीति बनाते समय इन बातों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

सभी बाढ़ग्रस्त राज्यों को तुरन्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की भी आवश्यकता है। गुजरात और केरल, दो राज्य इन बाढ़ों से बुरी तरह से ग्रस्त हैं। जैसा कि सरकार ने माना है उसके अनुसार गुजरात को 24,29,13,000 रु० से अधिक की हानि हुई है। केरल में हाल की अप्रत्याशित बाढ़ों में लगभग 42 जानें गई हैं और 14,236 मकान नष्ट हो गये हैं तथा 22,576 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। हानि का प्रारम्भिक अनुमान 20,56,00,000 रु० से अधिक या लगभग 21 करोड़ रुपये का है। केरल सरकार ने 15 करोड़ रुपये की तुरन्त गैर-योजना केन्द्रीय सहायता के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है। मुझे आशा है कि इस विशेष मामले पर सरकार तुरन्त तथा गंभीर रूप से विचार करेगी। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि वह सहायता गैर-योजना राहत अनुदान किस्म की है जो केरल ने मांगी है और वह केरल सरकार को दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं 1980-81 के लिए केरल की प्रारूप वार्षिक योजना का भी उल्लेख करना चाहता हूं। इसमें 265·40 करोड़ रु० के परिव्यय की परिकल्पना की गई है।

बाद में योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श के कारण योजना परिव्ययों में संशोधन किया गया और अब यह 290·41 करोड़ रु० की है। किन्तु 265·40 करोड़ रु० के मूल आकार की योजना को बनाये रखने के लिये भी केरल सरकार 22·50 करोड़ रु० की सीमा तक संसायन उपयोग करने के लिये वचनबद्ध है। इसलिये राज्य ने योजना आयोग से नई प्राथमिकता के अनुसार विशिष्ट योजनाओं के लिये 10 करोड़ रु० की निर्धारित सहायता के अतिरिक्त अपने विशेष समस्या कोष से 17·50 करोड़ रु० की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत करने का विशेष अनुरोध किया है। मैं योजना आयोग से निवेदन करता हूं कि विकासात्मक तथा वित्तीय समस्याओं और केरल सरकार की आवश्यकताओं पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए तथा, इसलिये अधिक केन्द्रीय सहायता तुरन्त दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, श्रीमान, गंगा का बहाव बढ़ाने का प्रश्न गंभीर ही नहीं है बल्कि इसके समाधान में अधिक विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये ब्रह्मपुत्र-गंगा सम्पर्क नहर का प्रस्तावित निर्माण अत्यन्त कठिन कार्य है। इसकी स्वेज नहर की लम्बाई से छः गुणा तथा चौड़ाई आधा मील होने की आशा है। मुझे इस बात की आवश्यकता पर ध्यान देने कि लिये सरकार पर अवश्य जोर देना चाहिए कि बंगलादेश के साथ हमारे मतभेद यथासंभव शीघ्र समाप्त हों क्योंकि गंगा का 75 प्रतिशत बहाव नेपाल से है तथा जैसा कि मैं समझता हूं भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की 17वीं बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि नेपाल से आवश्यक आंकड़े तथा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाए। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वृद्धि संबंधी अध्ययनों में नेपाल का सहयोग प्राप्त करने के प्रश्न को व्यावहारिक ढंग से सुलझाया जाए। सभी सख्त कार्रवाइयों से दूर रहना चाहिए तथा हमें पारस्परिक लाभों के लिये शीघ्र समाधान तलाश करने का प्रयास करना चाहिए। यह आवश्यक है कि सरकार को इस विशेष मामले में अनावश्यक अव्यावहारिक सख्तियाँ नहीं अपनानी चाहिए।

सभापति महोदय, श्रीमान, एक और बात है जो मुझे कहनी थी और वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने की प्रथा में परिवर्तन 'करने के बारे में है। किन्तु, आज हमने इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था और इस मामले को माननीय विधि मंत्री महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसलिये, मैं उस विशेष बात के बारे में नहीं कहूंगा।

श्रीमान, अन्तर-राज्य मजदूरी समता की समस्या ने विशेष रूप से केरल के लिए जो कि औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है, गंभीर रूप धारण कर लिया है। केरल में बीड़ी उद्योग में उच्च मजदूरी दर के फलस्वरूप केरल के बीड़ी निर्माता पड़ौसी राज्यों के निर्माताओं के साथ स्पर्धा करने कि स्थिति में नहीं हैं। इसके परिणाम-स्वरूप हमे मालूम हुआ है कि केरल से बीड़ी का उद्योग अन्य पड़ौसी राज्यों में जा रहा है।

उसी प्रकार, काजू उद्योग में न्यूनतम मजदूरी कानूनों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप काजू संसाधकों को पड़ौसी राज्यों में कच्ची गिरी को संसाधित कराना सस्ता पड़ता है। इससे केरल से कच्ची गिरी की तस्करी होती है तथा केरल में कई कारखाने बन्द होने की आशंका है। इसलिए यह एक गंभीर प्रश्न है।

इसके अतिरिक्त, हथकरघा क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी कानूनों के कार्यान्वयन के कारण केरल की हथकरघा की वस्तुयें भारत में कहीं भी किसी भी बाजार या यहां तक कि केरल में भी स्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : ऐसा क्यों है ?

श्री जी० एम० बनातवाला : जैसा कि मैंने कहा है इसका कारण यह है कि केरल में हथकरघा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कर दी गई है जो अन्य पड़ौसी राज्यों में नहीं की गई है। इससे अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में लागत अधिक बढ़ गई है। केरल को श्रम कानूनों के मामले में प्रगतिशील होने तथा इस बात को सुनिश्चित करने में कि मजदूरों को उनकी उचित मजदूरी मिलती है के कारण दंड नहीं दिया जाना चाहिए।

उसी प्रकार से, केरल में मछली छिलने, मछली को डिब्बे में बन्द करने, समुद्री खाद्य तथा जमे हुए पायों का निर्यात करने के काम के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। इस से उद्योग केरल से धीरे-धीरे हटकर दूसरी जगह जाने लगा है।

जैसा कि मैंने कहा है, केरल औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य है। इसलिए, मजदूरी में अन्तर-राज्य असमानताओं की यह समस्या केरल में बड़ी जटिल हो गई है। मैं सरकार से शीघ्र समाधान करने के लिए अपने प्रयासों को दुगने करने का अनुरोध करता हूं।

अन्त में मैं कुछ और शब्दों में कहूंगा। बड़े खेद की बात है कि भारत मास्को में 22वें ओलम्पिक्स में भाग लेते समय अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने में असमर्थ रहा। करीब 16 देश समारोह में भाग लेने आए तो अपने राष्ट्रीय झंडे के बदले ओलिंपिक झंडे लाए और इनमें से दस देशों ने उस कथित हस्तक्षेप के सांकेतिक विरोध में खाली झंडों से प्रतिनिधित्व किया। मुझे खेद है कि हम लोग अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप के विरुद्ध आक्रोश और विरोध व्यक्त नहीं कर सके जहां स्थिति ऐसी है कि सोवियत सैनिक काबुल की सड़कों पर स्कूली छात्राओं की सामूहिक हत्या करने में भी नही हिचकिचाते। जब ऐसी स्थिति थी तो हम अपनी गुटनिरपेक्ष की नीति के अनुसार मास्को में 22वें ओलिंपिक के समय अपने आक्रोश को सांकेतिक रूप में भी अभिव्यक्त करने में असफल रहे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह एक अद्वितीय वर्ष है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सचिवालय की मांगों समेत 25 से अधिक मांगों को बिना चर्चा किए पास कर दिया गया। साल में एक बार सदन को किसी मंत्रालय पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। इस वर्ष यह इस ढंग से किया गया है कि सत्ताधारी वर्ग अपनी गल्तियों एवं गतिविधियों की न्यूनतम आलोचना भी सुन नहीं सकता है और उन्होंने इन मंत्रालयों की मांगों को चर्चा किए बिना पारित करवा लिया है।

मैं अभी चुनाव-घोषणापत्र के बारे में बोलने नहीं जा रहा हूं। श्री वेंकटरामन राजनीति के खेल को जानते हैं। वह जानते हैं कि शासन कैसे किया जाता है और कैसे सत्ता में रहा जाता है। आज चीनी की कीमत 9 रुपए प्रति किलो है, कल इसकी कीमत 10 रुपए हो जाएगी और परसों 11 रुपये हो जायेगी। वह कहते हैं कि हम इसके बारे में ध्यान देंगे। खाने के तेल का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि हम यहां एक क्विंटल के लिए 1500 रुपए देते हैं। परिवहन की बढ़ी हुई कीमत के कारण उन्होंने ईंधन पर 2100 करोड़ रुपए और उर्वरक पर 600 करोड़ रुपए का कर लगाया है। श्री वेंकटरामन, आप कितने भी होशियार और चतुर क्यों न हों इसका प्रभाव अन्ततः साधारण व्यक्ति पर पड़ेगा और हम यह देखेंगे कि अगले चुनावों में आप मतदाताओं का सामना कैसे करते हैं। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ही 6,500 करोड़ रुपये है·····(व्यवधान)·····

सभापति महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जब श्री बसु बोल रहे हों तो वे हस्तक्षेप न करें। श्री बसु, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : उनको भी प्रक्रिया नियमों का पालन करना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं यही कर रहा हूं।

श्री बसु, मैं जो प्रक्रिया नियम से पढ़ रहा हूं उसे आप कृपा सुनिये।

"विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद लोकमहत्त्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों के अन्तर्निहित प्रशासकीय नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहेगा जो पहले ही उस समय न उठाए जा चुके हों जब कि संगत अनुदानों की मांगें विचाराधीन थीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बिलकुल ठीक। मैंने यह किया है। कृपया मेरे भाषण में अनावश्यक ढंग से बाधा न डालिये। श्री वेंकटरामन, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 6500 करोड़ रुपए होते हैं और आपके संस्थान और प्रशासनिक ढांचे में प्रत्यक्ष कर संगठन की तुलना में बहुत ही कम कर्मचारी हैं। आपने 35 करोड़ रुपए की राहत दी हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने जो 20% की राहत कैंपाकोला को दी है क्या उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया गया है ?

सभापति महोदय : श्री बसु.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप व्यवधान न डालते रहिये।

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ से ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये। मैं नियमों की चर्चा कर रहा हूं और आपको नियमों का पालन करना होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं नियमों के अन्तर्गत ही बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया नियमों का पालन कीजिए।

श्री ज्यतिर्मय बसु : 'कांग्रेसमैन इन दि चेयर'।

सभापति महोदय : आपके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार पीठाध्यक्ष को है। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं बता रहा हूं आप लीजिए। **(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : वह कुछ उत्पादन शुल्कों का हवाला देते रहे हैं।

सभापति महोदय : उन्हें इतना कहने दीजिये। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु यदि वह अध्यक्षपीठ पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह अच्छी बात नहीं है, यह सदस्यों के हित में नहीं है।

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : मेरा कहना यह है कि माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि "कांग्रेसमैन इन दि चेयर" उन्हें इसे वापस लेना चाहिये। उनका यह कहने का क्या प्रयोजन है कि पीठासीन कौन हैं ?

ज्योतिर्मय बसु : मैं वापस नहीं लूंगा **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वह वास्तविक कथन था.....

सभापति महोदय : मैं यह अपेक्षा करता हूं कि वरिष्ठ सदस्य सदन की गरिमा एवं मर्यादा को बनाये रखने में सहायता करेंगे। अन्यथा यह सम्बद्ध सदस्यों के हित में नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभापति महोदय, मैं आपका आदर करूंगा परन्तु इसकी योग्यता भी तो आपमें होनी चाहिये।

सभापति महोदय : आप जो आदर कर रहे हैं वह किसी व्यक्ति को नहीं है, आप कुर्सी (या पद) का आदर कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वित्त मंत्री महोदय, कृपया हमें यह बताइये कि कुछ पेय जैसे कैम्पा-कोला को 20% की राहत दी गई है उसे उपभोक्ताओं तक पहुँचाया गया है या विशेष वर्गों के द्वारा उसे निगला जा रहा है ? कैम्पाकोला के लोगों को कितनी राशि लौटाई गई है ? क्या यह राशि डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ? क्या वह अपने उत्तर में इसके बारे में भी बतायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : वह वाद-विवाद के क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : सभापति को इस बात में रुचि है कि सभी सदस्यों को अपनी बातें सदन में कहने का अवसर मिले। परन्तु, साथ ही कभी-कभी जब वही बातें सदन में बार-बार उठाई जाती हैं तो सभा उत्तेजित हो जाती है। मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य से उन बातों को विस्तार से न दुहराने का अनुरोध करूंगा। अगर आप कुछ बातों का उल्लेख करते हैं तो सभापति को निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु यदि आप उनको दुहराते चले जाते हैं तो यह ठीक नहीं है। मैं वरिष्ठ सदस्यों से सभापति के साथ सदन, एवं यहां प्रत्येक व्यक्ति के साथ सहयोग करने के लिए अनुरोध करता हूं ताकि हमारे पास जो समय उपलब्ध है उसका सही उपयोग किया जा सके और नई बातों पर चर्चा की जा सके।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं आपकी इस टिप्पणी के बारे में आपसे सहमत हूं। परन्तु मैं खुद की जानकारी के लिए आपसे जानना चाहता हूं कि किसने सदन में यह उल्लेख किया कि कैंपाकोला के लोगों को 1.60 करोड़ रुपये की राशि लौटाई गई। कैसी यह पुनरावृत्ति है ? इसका जवाब सरकार को देना है।

सभापति महोदय : श्री अग्रवाल, आप मुझसे सहमत होंगे कि ऐसी बात नहीं कि प्रत्येक नये मामले को सदन में उठाया जाना आवश्यक है या नहीं। अब अगर सभी बातों पर चर्चा करने के लिये मांग की जाती है जिस पर चर्चा की जा सकती है या जिनकी चर्चा नहीं की गई है—अगर आप इस तरह मांग करते हैं.....

श्री जी० एम० बनातवाला : सभी बातें "जिनकी चर्चा हो चुकी है" नहीं "जिन पर चर्चा हो सकती थी।" कृपया आप अपने आपको सुधारिये।

सभापति महोदय : फिर हमारे पास जितना भी समय है वह प्रर्याप्त नहीं होगा। आप समय का उपयोग बातों की चर्चा करने के लिए करिये, सभापति के खिलाफ कोई दोषारोपण करने के लिए नहीं। सभापति महोदय से झगड़ना अच्छी बात नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं पर्यटन एवं नागर विमानन विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 86 और 88 के बारे में कहूंगा। एक के मामले में संसद द्वारा पारित राशि 61·67 लाख रुपये है एवं दूसरे मामले में 33,92,85,000 रुपये (राजस्व) एवं 59,52,50,000 रुपये (पूंजी) है। इस विषय के बारे में चर्चा हमें पहले करनी चाहिये। यह मामला विभाग की मांगों से सम्बन्धित है जिन्हें वाद-विवाद के बिना पारित कर दिया गया। माननीय मंत्री श्री ए० पी० शर्मा अभी लन्दन से आये हैं। उनकी सभी स्मृतियां तरोताजा होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो बातें पूछना चाहता हूं उनका वह सही जवाब देंगे।

एयर इंडिया सबसे बड़ा, और सबसे ज्यादा, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। अगर आप सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट पढ़ें तो एयर इंडिया के बारे में आपको

पता चलेगा। जनरल सेल्स एजेन्ट श्री जोगिन्दर सागर को 13 प्रतिशत की कटौती मिल रही है, उन्हें सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है (व्यवधान)

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): महोदय, नियम 353 के अधीन, श्री ज्योतिर्मय बसु ने कुछ मामले उठाने की सूचना दी है। वह नागर विमानन मंत्रालय की मांग का जिन्हें बिना वाद-विवाद के पारित किया गया है, उल्लेख कर रहे हैं। मैं उनके पत्र की तीसरी पंक्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है "मेरे ध्यान में जो आरोप लगाया गया है उसे मैं लाऊंगा।" श्री बसु स्वतः आरोप नहीं लगा रहे हैं। वह उनके ध्यान में लाये गये कुछ आरोपों को लगा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसका क्या मतलब होता है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : निःसंदेह, वह जो भी आरोप लगाना चाहते हैं वह लगाने में स्वतंत्र हैं।

श्री के० लकप्पा : जी नहीं, वह जो कुछ भी लाना चाहते हैं नहीं ला सकते।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं मानता हूं कि श्री बसु, इस सदन के माननीय सदस्य पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के विरुद्ध कोई भी आरोप लगाने में स्वतंत्र हैं और तभी पूर्णतया अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर रहेंगे। परन्तु उन्हें आरोप लगाना चाहिये, यह नहीं कहना चाहिये मेरे ध्यान में जो आरोप लगाया गया है उसे मैंल गाऊंगा। उन्हें आरोप लगाना है उसके परिणामों को भी स्वीकार करना होगा।

श्री मगनभाई बारोत : वह आरोप लगाने वाला नहीं हो सकता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : हम मान लेते हैं कि माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है उसके लिए वह पूरी जिम्मेदारी लेते हैं।

सभापति महोदय : मैं अन्तिम भाग को सुन नहीं सका। क्या आप इसे दोहरायेंगे ? मुख्य भाग क्या है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : श्री बसु कहते हैं कि वह एक आरोप लगा रहे हैं जो उसके ध्यान में लाया गया है। मैं कह रहा हूं कि वह यह नहीं कह सकते हैं : अगर वह आरोप लगाने जा रहे हैं तो उन्हें आरोप के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए।

सभापति महोदय : नियम 353 में एक प्रक्रिया दी गई है, और इसमें यह अपेक्षित है कि उन्हें अध्यक्ष महोदय को सूचना देनी चाहिये और उन्हें माननीय मंत्री को भी यह सूचित करना चाहिए कि वह मंत्रालय में किसी के विरुद्ध या सदस्य के विरुद्ध या मंत्री के विरुद्ध सदन में आरोप लगाते हुए कुछ अपमानजनक मामले उठाने जा रहे हैं और अनुमति प्राप्त करने के बाद वह ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने माननीय अध्यक्ष को एक पत्र दिया है और अध्यक्ष महोदय का आदेश इस प्रकार है : श्री ज्योतिर्मय बसु ने एक नोटिस दिया है कि वह कुछ आरोप लगायेंगे और वह अपने भाषण के दौरान विनियोग (सं० 3) विधेयक 1980 के बारे में कुछ दस्तावेज सभापटल पर रखेंगे। सुस्थापित परम्परा के अनुसार सदस्य को उनके द्वारा लगाये जाने वाले आरोपों का उत्तरदायित्व लेना चाहिये।

जहां तक सभापटल पर रखे गये पत्रों का सम्बन्ध है, इनकी जांच की जायेगी और उसके बाद मैं यह निर्णय दूंगा कि क्या उन्हें सभापटल पर रखा गया माना जाये। (व्यवधान)

श्री बसु द्वारा दिये गये दस्तावेजों की प्रतियां पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्री को भेज दी गई हैं।

श्री मगनभाई बारोत : महोदय, मेरे विचार से मुझे अनुमति दी जायेगी..... (**व्यवधान**) मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हस्तक्षेप कर रहा हूं। (**व्यवधान**) आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, और बहुत बार हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

नियम 353 के अनुसार "किसी भी सदस्य द्वारा अपमानजनक या अभिशंसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जायेगा" प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से सुनने या किसी की सूचना उसके द्वारा आगे दिये जाने का यहां कोई उल्लेख नहीं है।

यह एक आरोप है। आरोप स्वयं माननीय सदस्य द्वारा लगाया जाना चाहिए। यह सारांश में माननीय नागर विमानन मंत्री ने कहा है। (**व्यवधान**)

उन्हें आरोप लगाने दें।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, व्यवस्था के इस प्रश्न को आपने पहले ही निपटा दिया है।

श्री मगनभाई बारोत : नहीं, आप आरोप स्वयं लगायें। एक पोस्टमैन की तरह किसी के आरोप को पहुंचाने का काम न करें।

सभापति महोदय : मैं मानता हूं कि श्री बसु इस आरोप को जिम्मेदारी से लगा रहे हैं।

श्री बसु, आप 'हां' कहिए ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : हां, मैं इसे लिखित रूप में दे सकता हूं।

श्री के० लक्कप्पा : नियम 353 में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई आरोप नहीं होना चाहिए, चाहे कोई आरोप लगाया गया हो या...(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यदि आप इस मामले को शीघ्र निपटाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वह बने रहें तो मुझे उन्हें सुनने दीजिए और तब मुझे जो कुछ कहना है कहूंगा।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं अपनी बात कह रहा था...(**व्यवधान**) आपके हंसने से मेरी बात को नजरअंदाज नहीं किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कुछ लोग हंस रहे हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : आप भी उनमें से एक हैं। मैं यह कह रहा था कि अपने पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि...(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे यह निश्चय करना पड़ेगा। यदि मुझे आपकी मदद की आवश्यकता हुई तो मैं आपसे पूछूंगा। यदि मुझे जरूरत हुई तो मैं निश्चित रूप से आपसे पूछूंगा।

श्री अनन्द प्रसाद शर्मा : अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि वह एक आरोप लायेंगे जो उनके ध्यान में लाया गया है। उन्होंने कहा,"...वह उनके ध्यान में लाया गया है...।" मैं कह रहा हूं कि वह, जैसा कि मेरे मित्र ने अभी कहा है, किसी के आरोप को पहुंचा नहीं सकते। श्री ज्योतिर्मय बसु को आरोप अपने आप लाना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

सभापति महोदय : मुझे इस बात पर कहना चाहिए, अर्थात् किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लाना अथवा किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाना या किसी व्यक्ति पर कुछ आरोप

लगाना या किसी व्यक्ति पर आरोपण करना, इसमें भाषा या शब्दों के प्रयोग करने में अन्तर हो सकता है किन्तु अर्थतः एक ही बात है। साथ ही माननीय सदस्य से पूछा गया था कि क्या वह पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं और वह कहते हैं कि वह पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। अन्य सभी औपचारिकताएं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए था, मैं समझता हूं, वे सभी पूरी की जा चुकी हैं और अध्यक्ष महोदय ने उन्हें यह उठाने की अनुमति दी है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : आरोप लगाने की जिम्मेदारी का अर्थ है, श्री वसु आरोप लगा रहे हैं। वह किसी अन्य के आरोप नहीं पहुंचा रहे हैं।

सभापति महोदय : यदि श्री बसु को कतिपय बातों के बारे में सूचित किया गया है और उस सूचना के आधार पर वह कुछ कह रहे हैं तो नियमों के अनुसार यह आवश्यक है कि उन्हें इस मामले की जांच करनी चाहिए थी और उन्हें एक विशेष निष्कर्ष पर आना चाहिए था और इस निर्णय पर पहुंचने के बाद उन्हें यह सभा में कहना चाहिए कि वह सभा में जो कहने जा रहे हैं वह सही है। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं और शान्ति से उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा कि वह.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने यह कहा है और मैं इस पर दृढ़ हूं।

सभापति महोदय :...और बाद में उन्होंने कहा कि वह जिम्मेदारी लेते हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं यह सम्भव नहीं होगा कि...(व्यवधान)

श्री मगन भाई बारोत : महोदय, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं। यदि श्री ज्योतिर्मय बसु कहते हैं कि उन्होंने किसी को यह कहते हुए सुना अथवा किसी ने उन्हें यह कहा (व्यवधान) प्रश्न यह है कि आरोप लगाने वाला कौन है ? यदि श्री वसु कहते हैं, 'मैं आरोप लगाता हूं' तो आरोप लगाने वाले वह हैं। आरोपों को पहुंचाने का मामला और है। उस मामले में वह कहेंगे, मुझे जो मालूम हुआ मैंने उसे प्रतिवेदित किया।" मैंने सभा को वह आरोप बताया जो कहीं लगाया गया है।" यहां नियमों के अनुसार यह आवश्यक है कि आरोप उनके होने चाहिए। वह आरोप लगाएं। फिर हम उनका सामना करेंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई-उत्तर) : यह प्रक्रिया की बात है। यह एक ऐसी बात है जिसका इस सभा में प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। इसे पूर्व-निर्णयों के अनुसार लिया जाना है। नियम मंत्री महोदय द्वारा पढ़ा जा चुका है जिन्होंने एक से अधिक बार व्यवस्था का प्रश्न उठाया। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है :

> "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मान-हानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व-सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सकें।"

इस मामले में माननीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय को नियमानुसार जैसा आवश्यक है लिखा है और उन्होंने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया है कि उनका आरोप लगाने का प्रस्ताव है। जब वह अध्यक्ष महोदय को लिखते हैं...(व्यवधान)

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : वह कहें कि वह आरोप लगा रहे हैं (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह एक गम्भीर मामला है जिससे सभा के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। इसका समाधान चिल्लाने से नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय : श्री रवीन्द्र वर्मा, मैं आपकी बात समझ गया हूं···

श्री रवीन्द्र वर्मा : मंत्री महोदय अपने तर्क को दोहरा सकते हैं किन्तु आप मुझे एक बार भी सुन नहीं सकते। : मैं बैठ जाऊंगा यदि आप मुझे बैठने के लिए कहते हैं। मैं आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : यदि आपको कुछ और कहना है तो मुझे उसे सुनने में प्रसन्नता होगी। मैंने सिर्फ यह कहा है कि मैं समझ गया हूं जो आप कहना चाहते हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं कह रहा था कि जैसा नियमों में व्यवस्था है माननीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय को अपने अभिप्राय की सूचना दी है तथा ऐसी सामग्री देने के लिए कहा है जो अध्यक्ष महोदय को यह निर्णय करने के लिए आवश्यक है कि क्या इसकी अनुमति दी जानी चाहिऐ या नहीं और अध्यक्ष ने इसकी जांच करने के बाद उन्हें लिखे गये पत्र के आधार पर इसका उल्लेख करने की अनुमति दी है।

जैसा कि आप देखेंगे नियम में दो उपबन्ध हैं जिनके अन्तर्गत अध्यक्ष ऐसा उल्लेख करने के लिए अनुमति न देने के सक्षम हैं। एक यह है कि यदि अध्यक्ष के विचार से ऐसा आरोप सभा की गरिमा के लिए अपमानजनक है···(व्यवधान)। मुझे बोलने का अधिकार है—अथवा ऐसे आरोप लगाने से कोई जनहित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय ने, मैं समझता हूं और जैसा आप जानते हैं, इसकी जांच की है और तब अनुमति दी है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नियम में जो शर्तें दी हुई हैं उनको माननीय सदस्य ने पूरा किया है और अध्यक्ष महोदय ने उस पर अपना निर्णय दिया है।

श्री के० लकप्पा : उन्होंने मंत्री महोदय को सम्बोधित किया है। मैं ऐसे आरोप प्रस्तुत करूंगा जो मेरे ध्यान में किसी के द्वारा लाये गये हैं···। महोदय, यह सब सुनी-सुनाई बात है। यह काल्पपिक है और यह प्रत्यक्ष नहीं है। अतः नियम 353 की धारणा के अनुरूप नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई भी सदस्य न केवल इस सभा में चतुरता से अर्थ लगा सकता है तथा धोखाधड़ी कर सकता है किन्तु अध्यक्ष-पीठ के साथ भी किसी बात का एक भिन्न तरीके से अर्थ लगाकर धोका कर सकता है और इस प्रकार जिम्मेदारी से बच सकता है। वह एक जिम्मेदार सदस्य हैं। मुझे आशा है कि वह एक जिम्मेदारी के साथ इसे वापस लेंगे और वह इस प्रकार के आरोप किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध बदले अथवा किसी अन्य भावना से नहीं लगायेंगे। अतः वह नियम 353 के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आयेंगे और उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यदि कोई ऐसी चीज लाई जाती है तो हम उसका विरोध करेंगे और इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के कुछ भी कहने पर कोई आरोप रिकार्ड नहीं किये जाने चाहिए।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं श्री रवीन्द्र वर्मा से सहमत नहीं हूं कि अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। दूसरा भाग केवल निषेधात्मक है और पहला भाग अनुज्ञात्मक है। इसमें कहा गया है 'अध्यक्ष को सूचित करें तथा मंत्री को एक उसकी एक प्रति दें जिससे वह उस मामले में उत्तर देने के लिए उसकी जांच कर सकें।'···

श्री के० लकप्पा : उन्होंने क्या सूचना दी है ? कि उन्हें किसी से जानकारी मिली है। उन्हें उसका कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें आरोपों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं श्री बसु अथवा श्री लकप्पा की जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं। मैं

यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। पैरा (1) में केवल यह कहा गया है कि अध्यक्ष को सूचना दी जाये तथा मंत्री को एक प्रति दी जाये ताकि वह उत्तर दे सकें। पैरा (2) में कहा गया है कि अध्यक्ष किसी भी समय वाद-विवाद के दौरान पहले तथा बाद में भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा। अध्यक्ष को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति प्राप्त है माना वह प्रतिषिद्ध नहीं करते तथा जो प्रतिषिद्ध नहीं है उसकी अनुमति है। अतः अध्यक्ष की अनुमति बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। नियमों के अन्तर्गत केवल सूचना काफी है।

श्री के०लकप्पा : सभा में ऐसे अपमानजनक आरोप लगाना निषिद्ध है।

सभापति महोदय : सदस्यों ने जो तर्क दिये हैं मैं उन्हें समझ गया हूं।

मैं इस विषय पर अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए विनिर्णय के अनुसार अपना अन्तिम निर्णय दे रहा हूँ। इसके बाद मैं इस सम्बन्ध में कोई तर्क नहीं सुनूंगा।

श्री बसु इस सभा के समक्ष जिस आक्षेप को उठाना चाहते हैं उसकी वह जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। उन्होंने यह बात विशिष्ट रूप से इस सभा में कही है। किसी भी सदस्य से उन सभी स्थानों पर उपस्थित रहने की अपेक्षा नहीं की जा सकती जहाँ आपत्तिजनक बातें होती हैं। अतः उनके पास प्रथम जानकारी नहीं हो सकती।

उन्हें जानकारी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाती है और उसके आधार पर वे इस सभा में बोलते हैं। पर साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि सदस्य किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप लगाना चाहता है तो उसे उस आरोप की जांच करनी चाहिए और तभी वह इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि क्या जो कुछ वह यहां कहना चाहता है वह सही है। इसके लिए उसे जिम्मेदारी भी लेनी होगी। तभी वह यहाँ ऐसे आरोप लगा सकते हैं। सर्वप्रथम विषय अध्यक्ष महोदय के पास आना चाहिए। तब अध्यक्ष उस सारे विषय की जांच करेंगे जिसके बारे में सदस्य बोलना चाहता है। अध्यक्ष महोदय को दिए गए रिकार्ड की उसके द्वारा जांच किए जाने और सदस्य की बात सुनने के बाद ही अध्यक्ष यह फैसला करते हैं कि क्या विषय सभा में उठाया जा सकता है या नहीं। सामान्यतः अनुमति दे दी जाती है। पर जब अध्यक्ष के विचार में उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होने की सम्भावना नहीं होती और अगर ऐसे आरोप से सभा की गरिमा पर आंच आती है तो वह अनुमति देने से इनकार कर सकता है। जहाँ तक दूसरे भाग का प्रश्न है, जो कुछ श्री अग्रवाल ने कहा वह सही है। इस मामले में विषय अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाया गया जिन्होंने शायद दस्तावेज की व्यक्तिगत रूप से जांच की है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : कृपया उसे पढ़कर सुनाएं।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने कहा है "मैं इस आपत्ति को उठाने की अनुमति देता हूं। पर मैं दस्तावेज को रिकार्ड का अंग बनने की अनुमति नहीं देता। मैं दस्तावेज की जांच करूंगा और अपना निष्कर्ष निकालूंगा।" उन्होंने इस पर विचार किया है और मामले को केवल यहां उठाने के विषय में ठीक पाया है। इसे प्रथम दृष्टा एक मामला नहीं माना है। अतः विषय प्रथम दृष्टा मामले को उठाने का है। इसीलिए मैं श्री बसु को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। मैं यह भी कहूंगा कि जब कभी कोई आरोप लगाया जाए तो उसे इस प्रकार पेश किया जाए जैसे हम किसी गलत काम को सुधारने का प्रयास कर रहे हों, न कि इस आशय से कि हम किसी के विरुद्ध कोई आरोप लगा रहे हैं। ऐसा करने के लिए सभा में एक प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। सामान्यतः हम किसी अधिकारी का नाम नहीं लेते। जब नीति की आलोचना होती है तो यह मंत्री की जिम्मेदारी होती हैं। अगर किसी अधिकारी की आलोचना की जाती

है तो हम उसका नाम नहीं लेते; उसकी पद-संज्ञा बताते हैं ताकि अनावश्यक प्रचार न हो। सभा में जो कुछ कहा जाता है उसके सही होने पर काफी प्रचार किया जा सकता है। अब सदस्य ऐसा मामला उठाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे।

श्री मगनभाई बारोत : मैं इसे समझना चाहता हूं। कई सदस्य महसूस करते हैं कि मैंने इस सभा में यही कहा है और कह रहा हूं।

सभापति महोदय : वह जिम्मेदारी ले रहे हैं।

श्री मगनभाई बारोत : पर यदि जानकारी सही है या अन्यथा है तो जिम्मेदारी मेरी है। मैं तो केवल प्रवक्ता हूं।

सभापति महोदय : सदस्य की बात को सही करने की और भी विधियां हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ये सब बातें सुन कर मेरा मनोरंजन ही हुआ है। ऐसा कई बार हो चुका है। मुझे यह पता चलना चाहिए कि वे इस मामले में इतने भावुक क्यों हैं। मैं एक गम्भीर आरोप सामने ला रहा हूं।

सभापति महोदय : हम यहां मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं, काम करने आए हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपसे सहमत हूं। अब मैं एयर इन्डिया पर आता हूं। इस पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने गहराई से विचार किया था। मैंने देश के हित में कई बातों का रहस्योद्घाटन नहीं किया। जो कुछ भी साक्ष्य में रिकार्ड किया गया मैं उसे नहीं बताऊँगा। पर यह कुछ ही दिन पहले समाचारपत्रों में छपा है। अतः कुछ स्पष्टीकरण जरूरी है। मैंने कुछ नई जानकारी इकट्ठी की है। हो क्या रहा है ? एयर इन्डिया में जनरल सेल्स ऐजेंसी ही सोने की खान है। वह व्यक्ति अपने को जोगिन्दर सागर कहता है और यू० के०, दिल्ली, पंजाब में अलग-अलग नामों से काम करता है।

सभापति महोदय : आप केवल पदनाम का उल्लेख करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं वह बता चुका हूं। मुझे पता चला है कि वह राजस्थान, उत्तर और दक्षिण भारत में भी ऐजेंसियां लेने की कोशिश में है। इस बात का शक है कि यह व्यक्ति एयर इन्डिया में प्रति टिकट 13 प्रतिशत कमीशन ले रहा है। एयर इन्डिया के पास अभी पिछले तीन मास का माल ढोने के लिए रुका पड़ा है। उसे यह नहीं ढो पा रही है। यह अन्य कम्पनियों से भाड़े पर जहाज ले रही है। उसे अपना कारबार बढ़ाने के लिए जनरल सेल्स एजेंट नियुक्त करने पड़ते हैं। उन्हें यह 13 प्रतिशत और कमीशन देती है। यह किस लिए दिया जाता है ? इसका जवाब मंत्री जी सभा को दें। अभी-अभी उस व्यक्ति को माल के लिए भी जनरल सेलिंग ऐजेंट नियुक्त किया गया है। किस उद्देश्य से ? मैं मंत्री जी से इसका सभा के समक्ष स्पष्टीकरण करने का अनुरोध करूंगा। इस व्यक्ति का एक बहुत बड़ा संरक्षक है जिसका नाम आई० डी० सेठी है और ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैं एक सरकारी दस्तावेज़ से उद्धरित कर रहा हूं। यह सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की 53वीं रिपोर्ट है। मैं यह पृष्ठ 48 से पढ़ रहा हूं। श्री लकप्पा इसके सदस्य थे। उनके इस पर हस्ताक्षर हैं। (व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : आप सभापति थे। मैं उसका एक सदस्य था। मुझे याद नहीं है···

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब मुझे जो कहना है, वह यह है···

श्री सतीश अग्रवाल : इस तरह की बातों का रहस्योदघाटन करने के लिए आपको अपने पर गर्व होना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह व्यक्ति कितना भ्रष्ट है। उसे कोई छू भी नहीं रहा। वह रुपया बना रहा है। मैं चाहता हूं कि मंत्री इस बारे में हां या ना कहें।

सभापति महोदय : तथ्य पेश करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उस पर आ रहा हूं। कृपया मुझे न टोकें। पृष्ठ 48 में यह कहा गया है। इसमें 'अधिकार का दुरुपयोग' कहा गया है। इसमें कहा गया है :

"एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भारत और विदेशों में एयर इन्डिया से व्यापार सम्बन्ध रखने वाली पार्टियों से बहुत अधिक आतिथ्य स्वीकार करने के दृष्टान्त पर, जो समिति के ध्यान में आया, नीचे विचार किया जाता है :

(i) 1975 में श्री सेठी अपने परिवार को लंदन ले गए"—एक मुफ्त पास पर—

इसमें आगे कहा गया है :—

"....जिस मकान में वह ठहरे, वह श्री इक़बाल घई का है। श्री घई का लंदन में गेलॉर्ड रेस्तरां में एयर इन्डिया के साथ ट्रेवल सर्विस कन्ट्राक्ट है जहां एयर इन्डिया के यात्रियों/ग्राहकों का मनोविनोद किया जाता हैं।

(ii) 1976 में श्री सेठी अपनी पत्नी को स्पेन ले गए और स्पेन के एक 'विला' में ठहरे जिसका मालिक श्री फ्रेंक कोजारेक है।"—

मैं आपको बताता हूं कि यह फ्रेंक कोजारेक कौन है :—

"....जिसके पास अभी निम्नलिखित पद हैं :—

(क) निदेशक, इन्डमेर कम्पनी प्रा० लि०, बम्बई।

(ख) अफगान इन्डस्ट्रीज इन्कार्पोरेटेड, काबुल के निदेशक

(ग) संचालन निदेशक....."

इसमें फिर यह कहा गया है :

> "श्री कोजारेक के पास इसके अलावा अमरीकी वायुसेना के पश्चिम जर्मनी में जेट फाइटर अड्डे के रखरखाव का ठेका भी है।"

उसका किसी दूसरी कम्पनी से भी सम्बन्ध है। यह कोजारेक अब एक सेवा निवृत्त कर्नल है और इसे सी० आई० ए० से वेतन मिलता है। यह एयर इन्डिया के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में उस समय हस्तक्षेप करता रहा जब युद्ध के समय एयर इण्डिया बाहर से सामग्री ला रही थी। मेरे पास विवरण है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता।

श्री के० लकप्पा : आप यह कहें कि आप उसके सभापति नहीं थे। आप लोगों को बहका नहीं सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसमें आगे कहा गया है :

"1977 में श्री सेठी अपने परिवार को अमरिका ले गए और न्यूयार्क तथा आरलैंडो में ठहरे। न्यूयार्क में ये पियरे होटल के अतिथि थे जिसके एयर इण्डिया के साथ व्यापार-सम्बन्ध हैं।

एक बार श्री सेठी मौर्य होटल में ठहरे। वह आई० टी० सी० अर्थात् इण्डिया तम्बाकू कम्पनी के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री प्रेम कपूर के निजी अतिथि के रूप में वहां रहे—"उन्हें पांच दिन के लिए एक 'सूट' दिया गया जिसका दैनिक किराया 100 रु० है। श्री सेठी ने इस यात्रा के लिए पूरा स्टेशन-वाह्य भत्ता लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने एयर इण्डिया से और अधिक बिजनेस लेने के लिए श्री सेठी को इस होटल में ठहराया।...."

श्री सेठी ने स्पष्टीकरण दिया है कि अधिकारियों के सम्बन्ध में यह प्रथा रही है—आदि आदि.....फिर एक उदाहरण है। समिति ने इस मामले की पूरी जांच की सिफारिश की। अब मेरी मांग है कि उसकी जांच केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की जाए क्योंकि उसने सी० बी० आई० के साथ सांठगांठ कर ली है।

संगर्स ने जो गम्भीर भ्रष्ट काम किए अब मैं उनका जिक्र करता हूँ। मेरी इच्छा थी कि इस समय विदेश मन्त्री यहाँ उपस्थित होते। अफ्रीकी देश टिकटों के माध्यम से उनके धन का दुरुपयोग किए जाने के मामले से काफी उत्तेजित हैं। संगर्स अफ्रीकी देशों में डालर और पाउंड स्टरलिंग से भुगतान करता है और विमान के टिकट खरीदता है और विविध मालवहन आदेश उनकी मुद्रा में खरीदता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत यह निषिद्ध है। कोई भी उस देश के बाहर अप्रयुक्त टिकटों का पैसा वापस वहीं ले सकता है जहां टिकट खरीदे गए हों। संगर्स ब्रिटेन, अमरीका आदि देशों से टिकट लाते हैं और एयर इण्डिया से पाउंड और डालर में भुगतान लेता है। कभी-कभी इन टिकटों को भी बदल दिया जाता है। यह सब कुछ श्री आई० डी०-सेठी की सहमति से होता है। फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। छूट की राशि 40 प्रतिशत तक होती है। एक वरिष्ठ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शर्मा ने जब आपत्ति की तो उसे नहीं माना गया। जिन अफ्रीकी देशों में एयर इण्डिया के माध्यम से संगर्स भ्रष्ट कार्य कर रहे हैं उनके नाम हैं कीनिया, तन्जानिया, जाम्बिया, जेरे, नाइजीरिया, ईरान और सूडान। एयर इण्डिया, जो कि राष्ट्रीय ध्वजवाहक है, को गन्दे कामों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। एयर इन्डिया को 13 प्रतिशत की हानि के साथ-साथ उन टिकटों पर विदेशी मुद्रा की भी हानि हो रही है। मैं माननीय मन्त्री से इसकी जांच करने के लिए कहता हूं और वह हमें बतायें कि क्या सेंगर के कार्यालयों में प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा अथवा सरकार की किसी अन्य एजेन्सी द्वारा छापे मारे गए थे और क्या फर्जी एयरलाइन्स के कोरे टिकट तथा विदेशी मुद्रा बरामद की गई थी अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त क्या प्रबन्धक, जो कि उनके भतीजे हैं, को गिरफ्तार किया गया था और क्या उन्हें 10,000 रुपए जुर्माना किया गया था? मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सेंगर और सेठी ने एक भूतपूर्व संसद सदस्य की सास और साली के लिए मानार्थ टिकटों का तथा यूरोप और लन्दन में रहने के तथा अन्य व्यय का प्रबन्ध किया था?

इस मामले में इन्टरपोल के द्वारा जांच की जानी चाहिए, उससे कम काम नहीं चलेगा क्योंकि इस अन्तर्राष्ट्रीय घपले के कारण इस देश का नाम बदनाम हो रहा है क्योंकि एयर-इण्डिया इस देश का राष्ट्रीय ध्वजवाहक है। हमें इन्टरपोल से जांच करने का अनुरोध करना चाहिए और सेठी को शीघ्र ही निलम्बित किया जाना चाहिए और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच की जानी चाहिए।

महोदय, मैं फ्रैंक कोजरेक के भाई, जो कोजरेक के बारे में और ब्यौरा देना चाहता हूं। इनके नाम का उल्लेख एक अन्य प्रसिद्ध कम्पनी के सिलसिले में भी हुआ है।

इस सम्बन्ध में सभी कागजात अब मेरे पास हैं।

सभापति महोदय : यह जांच न्यायालय नहीं है। आपने मामले का उल्लेख कर दिया है, इन सभी बातों को जानना सभा के लिए आवश्यक नहीं है···

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्यों नहीं···(व्यवधान)

मैं पूर्ण विनम्रता के साथ कहूँगा कि आपको इस बारे में गलती लगी है···

सभापति महोदय : आप इस प्रकार का वक्तव्य देकर मुझे दबा नहीं सकते। इस समय हम प्रशासनिक नीति अथवा लोक महत्त्व के विषय पर विचार करते हैं। हम व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा नहीं करते हैं। आप सभी प्रकार का ब्यौरे कैसे देते जायेंगे ?···

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह मांग करता हूँ कि इन्टरपोल से इस घपले में जाँच करने के लिए अनुरोध किया जाये।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : नियम 218 के साथ पठित नियम 353 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आप धारा (4) पढ़िये।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : धारा (4) में यह व्यवस्था है, "विनियोग विधेयक पर चर्चा लोक महत्त्व के मामलों अथवा प्रशासनिक नीति पर सीमित रहेगी। (व्यवधान) कृपया मुझे इसे पूरा करने दीजिए।

पीठ से इसके लिए रनिंग कमेंटरी नहीं होनी चाहिए; इस तरह के व्यवहार की प्रथा नहीं है। मैं इसे पुनः पढ़ रहा हूँ। इसमें कहा गया है, "विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद लोक महत्त्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों में अन्तर्निहित प्रशासनीय नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहेगा जो पहले ही उस समय न उठाये जा चुके हों जबकि संगत अनुदानों की मांगें विचाराधीन थीं।" अब श्री ज्योतिर्मय बसु, प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकताओं के बाद हमारे पास आये हैं पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय की उन अनुदान मांगों के सम्बन्ध में जो एक साथ पारित कर दी गई थीं।

वह यह कहना चाहते थे कि जैसा कि मैंने समझा है, यह प्रशासनिक महत्त्व का विषय है। (व्यवधान) एयर इण्डिया एक सार्वजनिक निगम है। (व्यवधान) जब एयर इन्डिया में लूट मच रही हो तो उससे सार्वजनिक राजस्व और विदेशी मुद्रा की हानि होगी, अतः यह लोक महत्त्व का विषय है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध न लगायें, क्योंकि यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है। कानून के उल्लंघन करने से विदेशी मुद्रा की हानि होती है और इसे सदन के ध्यान में लाया गया है। यदि वह इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहते हैं, तो सदन के नियमों के अन्तर्गत उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। हम भी इसमें रूचि रखते हैं। आप इस सम्बन्ध में पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते···(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरे विचार से यह प्रशासनिक नीति का मामला नहीं है। यह लोक-महत्त्व का विषय हो सकता है। मैं उन्हें संक्षेप में तथ्य बताने की अनुमति दे रहा हूँ। किन्तु यदि आप सभी ब्यौरा देने लगेंगे तो यह जांच न्यायालय नहीं है। आप इसे जाँच न्यायालय बना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मगनभाई बारोत : चूंकि माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु अपनी बात कह रहे हैं, मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ । (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : किस नियम के अन्तर्गत वह अपनी बात कहना चाहते हैं ?

श्री मगनभाई बारोत : हमें यह जानने का अधिकार है कि क्या माननीय सदस्य इन सब बातों को अपने भाषण का अंग तो नहीं बना रहे हैं, किन्तु जिस समिति की उन्होंने अध्यक्षता की थी, उसके सभापति के रूप में वह उसका प्रतिवेदन पढ़ रहे हैं । (**व्यवधान**) वह उस समिति के सभापति थे जिस प्रतिवेदन से वह उल्लेख कर रहे हैं । मैं इस प्रतिवेदन के विरोध में एक बात कहना चाहता हूँ । (**व्यवधान**) मुझे अपनी बात कहने दीजिये । श्री उन्नीकृष्णन ने अपनी बात कह दी है । मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूँ···(**व्यवधान**) जब समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित किया जा रहा था तो एयर इन्डिया के अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से विरोध किया था···(**व्यवधान**) मैं यह तथ्य जानना चाहता हूँ । मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ—एक सीधी-सी बात···(**व्यवधान**) मैं बैठना नहीं चाहता, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस प्रतिवेदन का उल्लेख किया जा रहा है, वह उसके लेखक हैं, वह उस समिति के अध्यक्ष हैं, और जब एयर इन्डिया के अध्यक्ष ने उसका विरोध करते हुए एक लेख···(**व्यवधान**) कोई कार्यवाही नहीं की गई है । (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूँ । नियम 218 की धारा (4) वही धारा है जिसका आपने उल्लेख किया है । उसमें दो तत्त्व हैं; क्या वह लोक-महत्त्व का विषय है अथवा प्रशासनिक नीति का विषय है । मेरा विचार है कि यह लोक महत्त्व का विषय है । (**व्यवधान**) जिस तरह की बातें हो रही हैं, वे बहुत महत्त्व की हैं अतः इसलिये वह नियम 218 की धारा के अन्तर्गत आती हैं । (**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : एक मिनट, महोदय, (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यह आवश्यक नहीं है । (**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : उनकी सूचना के अनुसार उन्होंने एक आरोप लगाना है (**व्यवधान**)··· यदि वह समिति के अध्यक्ष के रूप में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन से पढ़ रहे हैं तो मैं यह कहूंगा कि उस प्रतिवेदन में आरोप लगाये गये हैं और उन्हें अस्वीकार भी किया गया है और टाटा वालों ने उसका उत्तर भी दे दिया था और जनता इसे देख चुकी है । यदि वह पुनः आरोप लगाना चाहते हैं तो उन्हें उसकी सूचना अध्यक्ष महोदय को देनी होगी; मन्त्री महोदय को सूचना देनी होगी और मन्त्री महोदय को उसकी जानकारी प्राप्त करनी होगी । उन्हें प्रतिवेदन से पढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : क्या आप टाटा वालों के प्रवक्ता हैं ?

श्री के० लकप्पा : हम यह बात इसलिये कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया को अपनाया नहीं है । पहले उन्हें लिखने दो और अनुमति प्राप्त करने दो तब उन्हें आरोप लगाने दो···(**व्यवधान**).

सभापति महोदय : मैं उन्हें इस मामले को उठाने की अनुमति से इन्कार नहीं कर रहा हूं । मेरा कहना यह है कि यदि आप इस मामले पर इस प्रकार बोलेंगे—उसका पूरा ब्यौरा देना चाहेंगे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जांच न्यायालय नहीं है । आपने कुछ बातों का

उल्लेख किया है। आप सभी सम्बद्ध बातों का उल्लेख कर सकते हैं किन्तु यदि आप सदन का समस्त समय इसी में बिता देना चाहते हैं तो आपको इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती और आप ही एक अकेले सदस्य नहीं हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री के० लकप्पा : विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में गुंजाइश कम होती है। सभी प्रकार की बातों की अनुमति नहीं दे सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय से मत पूछिये। आप अध्यक्ष-पीठ को सम्बोधित करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय : इस समय प्रश्न-काल नहीं चल रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि सेंगर की दिल्ली-यात्रा के दौरान कौन व्यक्ति सत्ता में थे जिन्हें वह मिले थे ? माननीय मन्त्री श्री ए० पी० शर्मा ने लंदन की यात्रा भी की थी। वहां उन्होंने कितने व्यक्तियों के साथ कारोबार सम्बन्धी चर्चाएं कीं ? इस सम्बन्ध में प्रकाश डाला जाये।

मैं यह बात पूछना चाहता हूं कि संसद के दोनों सदनों की समिति, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा गम्भीर आरोप लगाये जाने के बावजूद भी इस व्यक्ति, श्री आई०पी०मेठी का बाल बांका नहीं हुआ है ? क्या यह इसलिये हुआ क्योंकि वह सत्ता में लोगों के लिये काम के व्यक्ति हैं ?

मैं श्री वेंकटरामन से एक बात पूछना चाहता हूं। आप आयातित वायुयानों पर सीमा शुल्क की छूट की अनुमति कैसे दे रहे हैं ? जब्त किया गया वायुयान जो कि थामस मौजाई एण्ड कम्पनी का था, को देश में लाया जा रहा है। मैं आपको इस सम्बन्ध में थोड़े ही समय में पूरा ब्यौरा दूंगा।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन से उद्धरण दिया है। वह इसी समिति के अध्यक्ष थे। उस समय की सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई थी···(**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने अध्यक्ष महोदय को लिखा है; मैं आपके निर्देश के अनुसार इसे सभा-पटल पर जांच के लिये रख रहा हूं।

सभापति महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जायेगा; जब माननीय अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में एक निर्णय लेंगे तो उसे रिकार्ड में सम्मिलित किया जायेगा; वह इस बात का निर्णय करेंगे कि क्या उसे इसमें सम्मिलित किया जायेगा अथवा नहीं।

अब श्री रामावतार शास्त्री, आपकी सूचना बड़े विलम्ब से प्राप्त हुई थी। आपको कुछ रियायत दी गई थी; आपको उसे ध्यान में रखना चाहिये और अपनी बात संक्षेप में कहनी चाहिए।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, मैं तीन सवाल उठाना चाहता हूं। एक सवाल है गन्दी बस्तियों के सिलसिले में और उससे उत्पन्न स्थिति। दूसरा सवाल है—पांडे जी, आपके मंत्रालय से सम्बन्धित सवाल है—बाढ़ से कटाव पीड़ितों को बचाने का सवाल क्योंकि इसके बारे में आपके मंत्रालय में अभी विचार नहीं हुआ है। तीसरा सवाल मैं उठाना चाहता

हूं, हिन्दुस्तान में जो नारा दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और सरकार की तरफ से और अभी श्रम मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था वहां भी यही नारा दिया गया था कि सरकार कम से कम एक व्यक्ति को एक परिवार में से नौकरी देना चाहती है, उसका।

जहां तक गन्दी बस्तियों का सवाल है यह बहुत बड़ा सवाल है। इससे जो सम्बन्धित मंत्रालय है उस पर बहस नहीं हुई है। इन तीनों सवालों से सम्बन्धित मंत्रालयों पर बहस नहीं हुई है। स्लम्ज का बहुत बड़ा सवाल है। बड़े से लेकर छोटे शहर तक सभी जगह गन्दी बस्तियां हैं। वहां की स्थिति बड़ी ही नारकीय है। ऐसी बात नहीं है कि केवल बड़े-बड़े शहर ही इससे पीड़ित हैं जैसे दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। इनके अलावा जितनी भी हमारे देश की राजधानियां हैं या दूसरे शहर हैं और नीचे के स्तर पर चले जाएं, वहां भी इन गन्दी बस्तियों का सवाल है। पहले जो चार मैट्रोपोलिटन सिटीज थीं उनकी ही जवाबदेही केन्द्रीय सरकार की थी। लेकिन अब राज्यों की सरकारों के जिम्मे यह सारा काम सुपुर्द कर दिया गया है कि वे गन्दी बस्तियों का इंतज़ाम करें। पहले यह भी व्यवस्था थी कि गन्दी बस्तियों की सफाई के नाम पर सरकार अलग से वित्त की व्यवस्था कर देती थी। अब राज्य-सरकारों को ब्लाक ग्रान्ट के नाम पर पैसा दे दिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि राज्य सरकारें इस महत्त्वपूर्ण काम को तो भूल जाती हैं, इसको तो नज़रअंदाज़ कर देती हैं और उस तमाम पैसे को कुछ और कामों में खर्च कर देती हैं। यह स्थिति हमारे देश में अभी तक चल रही है। आप पटना शहर को ही लें जो बिहार की राजधानी है। वहां अंडरग्राउंड नाला बनाने में गन्दी बस्तियों की सफाई के नाम पर नौ करोड़ खर्च किए गये हैं। आप चल कर देखिये, अभी मेरे साथ कल चलिये, उस नाले से पानी नहीं निकल सकता है और वहां इतनी गन्दगी है कि नाक खुली रख कर आप चल नहीं सकते हैं। गलियों में, सड़कों पर सारे शहर में गन्दगी पड़ी रहती है, कूड़ा पड़ा रहता है और उसको उठवाने के लिए वहां कारपोरेशन के पास पैसा नहीं है। कारपोरेशन करे भी तो क्या ? वहां निर्वाचित नगर निगम है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। राज्य सरकार पैसा देती नहीं है। करों का सब पैसा अपने पास रख लेती हैं। इस प्रकार से नौ करोड़ खर्च हो जाए और समस्या के फिंज को भी टच न किया जा सके तो यही कहा जाएगा कि भ्रष्टाचार का वहां आलम है। यह केवल पटना शहर की बात नहीं है। पूरे भारत में यह हो रहा है। लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहां की भी यही हालत है। सरकार ने कहा है कि नौ लाख से ज्यादा जिन शहरों की आबादी होगी, उन पर सरकार तवज्जह देगी। लेकिन नौ लाख से कम आबादी वाले जो शहर हैं उन्होंने क्या पाप किया है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं ? उन शहरों के विकास का, उनकी गन्दी बस्तियों की सफाई का क्या प्रबन्ध होगा ?

सरकार को इस बात पर भी विचार करना होगा। तभी हमारे देश का सम्यक् विकास होगा।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री रामावतार शास्त्री : सभापति महोदय, अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार होगा, तो मैं नहीं बैठूंगा। आप बताएं कि मुझ से पहले जो माननीय सदस्य बोले हैं, उन्हें कितना समय दिया गया है ? हाउस में दो तरह का स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है। मैं भी एक रेसपांसिबल पार्टी को बिलांग करता हूं।

सभापति महोदय : आप एक रेसपांसिबल और अनुभवी सदस्य हैं। आप थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ अच्छे ढंग से कह सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : अगर ये लोग छेड़खानी करेंगे, तो···

सभापति महोदय : आप चेयर को संबोधित कीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : तमाम शहरों में सम्यक् विकास का इंतजाम करना चाहिए, नहीं तो शहरों में बड़े पैमाने पर हैजा फैल जाता है। अभी पटना में तीस-चालीस आदमी मर गये। कई मुहल्लों में हैजे का प्रकोप शुरू हो गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि गन्दी बस्ती सफ़ाई योजना को ठीक तरह से लागू किया जाना चाहिए और इस योजना को बिना किसी भेदभाव के तमाम शहरों में लागू किया जाना चाहिए।

कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने के लिए हुडको बनाया गया है। लेकिन आप मेरे साथ पटना चलिये और देखिये कि किनके लिए मकान बनाये गये हैं और किनको दिये गये हैं। हुडको का उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, उसका फ़ायदा निहित स्वार्थ वाले लोग उठा रहे हैं। जिनके पास पहले से मकानात हैं, ज्यादातर वही लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। दबे तबके को, दबे-कुचले लोगों को, मकान, नहीं मिल रहे हैं। सरकार को इस तरफ़ देना चाहिए कि उस पैसे का इस्तेमाल ठीक तरह से हो और देश के तमाम शहरों का विकास हो।

आज ग्यारह सूबे बाढ़ से पीड़ित हैं। हमारे सूबे में भी बाढ़ आती है। सब जगह कटाव, इरोजन की समस्या है। नदियों से गांव कट जाते हैं। हमारे जिले के दर्जनों गांव सालों से गंगा नदी द्वारा कट चुके हैं। मनेर प्रखंड में जीवराखन टोला एक बहुत बड़ी बस्ती है, वहां बिजली लगी हुई है। उसका थोड़ा सा भाग बचा हुआ है, बाकी कट कर गंगा में चला गया है। दानापुर और मुकामा में भी यही स्थिति है। खगरिया में बहुत से गांव कट चुके हैं। मानसी उत्तर-पूर्वी रेलवे का एक महत्त्वपूर्ण स्टेशन है। कई सालों से उसको भी कटाव का ख़तरा है। कटाव का खतरा सारे देश में है। मैं इन जगहों का नाम इसलिए ले रहा हूं, क्योंकि मैं वहां गया हूं और मेरे सूबे में है।

कटाव की रोक-थाम के लिए विशेष रूप से धन दिया जाना चाहिए। अगर ब्लाक ग्रान्ट के रूप में दिया जायेगा, तो उन बस्तियों का पुनर्वास नहीं होगा, जो कटाव से पीड़ित हैं या पीड़ित होने वाली हैं। हज़ारों-हज़ार लोग कटाव के शिकार हो गये हैं, जिनमें मनेर के लोग भी हैं, मगर अभी तक उनका पुनर्वास नहीं हो सका है।

मेरा आख़िरी मुद्दा है एक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को काम देने का। उद्देश्य तो बड़ा महान् है और सब लोग इसका समर्थन करते हैं। हमारे देश में लगभग डेढ़ करोड़ ऐसे बेकार हैं, जिनके नाम नियोजनालयों में, एम्पलायमेंट एक्सचेंजों में दर्ज हैं। बिहार में 12 लाख पढ़े-लिखे लोग बेकार हैं। जिनमें प्रशिक्षित शिक्षक भी शामिल हैं। इसी तरह तमाम देश के विभिन्न इलाकों में बेकार लोगों को काम देने का सवाल है। यद्यपि श्री मुरारजी देसाई ने दावा किया था कि वह दस सालों में बेकारी को समाप्त कर देंगे, लेकिन जनता पार्टी के शासन में भी करीब 45, 45 या 47 लाख बेकारों की वृद्धि हो गई। तो डेढ़ लाख बेकारों को काम देने का उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है। लेकिन कैसे देंगे ? आपने कोई योजना इसके लिए देश के

सामने नहीं रखी। विचार तो आपने किया, लेकिन कैसे करेंगे ? रोज़गार आप तब तक उनको नहीं दे सकते हैं जब तक कि आप देश का बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण नहीं करेंगे। बड़े पैमाने पर कल-कारखाने स्थापित कीजिए और लघु उद्योगों को भी दूर तक देहातों में ले जाइए ···(व्यवधान)···चरण सिंह का जवाब मैं नहीं दे रहा हूं। मैं आपका जवाब दे रहा हूं क्योंकि आप शासन में हैं। जब चरण सिंह आयेंगे तो उनको भी जवाब दे लूंगा।

तो बड़े-बड़े उद्योग खोले जायें, लघु उद्योगों का जाल बिछाया जाए पूरे देश में और भूमि सुधार कानून लागू किया जाय। भूमि सुधार कानून सब जगह बने हुए हैं लेकिन लागू कितने हुए हैं ? जमीन जो अर्जित की गई उसका भी बंटवारा नहीं किया गया। यह मैं इस सन्दर्भ में कह रहा हूं कि बेकारी कैसे मिट सकती है ? इन कदमों को अगर आप नहीं उठएंगे, लैंड-रिफार्म नहीं करेंगे, जमीन का बंटवारा गरीबों में नहीं करेंगे जो कि आपका बहुत पुराना नारा है, 1938 में त्रिपुरा कांग्रेस में आपने यह नारा दिया था कि जमीन जोतने वालों को देंगे, लेकिन कितनी जमीन दी ?·····(व्यवधान)·····मेरे कहने का मतलब यह है कि आप तभी यह बेकारी की समस्या हल कर पायेंगे और प्रत्येक परिवार के कम से कम एक आदमी को काम दे सकेंगे जब इस तरह के बुनियादी सवालों के हल की तरफ जाएंगे जिनके लिए मैंने ज़िक्र किया—औद्योगीकरण, छोटे उद्योगों का बढ़ाना और जमीन का बंटवारा जोतने वालों के बीच में और खेत-मजदूरों के बीच में। 42 प्रतिशत खेत-मजदूरों के पास कोई जमीन नहीं है। और अब तो उनकी तादाद और बढ़ गई है। जो गरीबी रेखा के नीचे हैं 60 प्रतिशत देहातों में, उनको जमीन नहीं देंगे तो बेकारी की समस्या हल कैसे होगी ? इसलिए अगर सचमुच में आप चाहते हैं कि प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को काम दिया जाए तो देश के सामने योजना रखिए। अगर इस तरह की योजना आपने रखी या और कोई जनता के पसंद की योजना रखी, जनता पर चोट करने वाली योजना नहीं, बल्कि जनता की मदद करने वाली योजना, तो निश्चय ही इस तरह की योजना को समर्थन मिलेगा। मैं चाहूंगा कि इन बातों की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान और सरकार का ध्यान जाय, नहीं तो कुछ होगा नहीं। महंगाई बढ़ती रहेगी, हम-आप कराहते रहेंगे, चीनी नहीं मिलेगी, शिकायत करते रहेंगे। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, मुझे वित्त मंत्री के ध्यान में एक ऐसा पहलू लाने की अनुमति दी जाए जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है।

सर्वप्रथम, मुझे इस बात का खेद है कि यद्यपि वित्त मंत्री ने बहुत सी मदों के लिए धन उपलब्ध कराया है परन्तु उन्होंने गन्दी बस्तियों की सफाई हेतु पर्याप्त धन नहीं दिया है। गन्दी बस्तियों की सफाई कराना सरकार का एक अनिवार्य कर्तव्य है। मैंने जब इस संबंध में प्रश्न पूछा तो उत्तर दिया गया कि यह राज्य की समस्या है और राज्यों को ही इसका समाधान करना होगा। कल्याणकारी राज्य कहलाने वाले प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराए। गन्दी बस्तियों में रहने वाले हरिजनों और पिछड़े हुए लोगों के लिए यह संभव नहीं है कि वे अपना मकान बनाएं।

मकान उपलब्ध कराने के मानवीय दृष्टिकोण के इलावा इससे अच्छे प्रशासन का भी पता चलता है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शहर की सुन्दरता खराब न हो। इसके साथ-साथ गन्दी बस्तियां स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं।

सभापति महोदय : इस मुद्दे को पहले ही लिया जा चुका है।

श्री टी० आर० शमन्ना : सरकार को गन्दी बस्तियों की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कठिनाई तो यह है कि यदि गन्दी बस्तियों की सफाई की समस्या का समाधान अकेले राज्य को करना है तो किसी भी राज्य के लिए अकेले गन्दी बस्तियों की सफाई कराना असंभव है।

अत: केन्द्र द्वारा आगे बढ़कर राज्य सरकार को आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए। राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा स्थानीय निकायों को मिलकर इन दुर्भाग्यशाली लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। मैं बड़े शहरों के विषय में अधिक नहीं जानता हूं परन्तु जहां तक बंगलौर शहर का संबंध है, मुझे कहते हुए खेद है कि लगभग 10 वर्ष पहले 100 गन्दी बस्तियां भी नहीं थीं। अब 10 वर्ष पश्चात् हम देखते हैं कि बंगलौर शहर में लगभग 400 गन्दी बस्तियां हो गई हैं।

सभापति महोदय : आप यह बात पहले कह चुके हैं।

श्री टी० आर० शमन्ना : गन्दी बस्तियों में लगभग 1000 परिवार रहते हैं तथा वहां की जनसंख्या 3 लाख से कम नहीं है। यदि इन परिवारों को उचित मकान दिये जाते हैं तो हमें एक करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और हमें इतनी बड़ी धन-राशि यह सुनिश्चित करने के लिए भी चाहिए कि बम्बई और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों से गन्दी बस्तियों की सफाई ही जाए। अत: मैं वित्त मंत्री से इस बात का ध्यान रखने का अनुरोध करता हूं कि इस समस्या का समाधान कितनी जल्दी हो सकता है। यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या है और इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरा मुद्दा, जो मैं इस संबंध में उठाना चाहता हूं, विजयनगर इस्पात परियोजना के बारे में है। जैसा कि आपको ज्ञात है सेलम, विशाखापटनम तथा हास्पेट ऐसे तीन क्षेत्र हैं जिन्हें इस्पात परियोजनाओं के लिए चुना गया था। कर्नाटक में हास्पेट के इर्दगिर्द बहुत ही बढ़िया किस्म का लौह अयस्क उपलब्ध है तथा यह देश में उपलब्ध सर्वोत्तम अयस्कों में से एक है। इस सम्बन्ध में विशाखापटनम तथा सेलम में कुछ कार्य किया गया है। यद्यपि तमिलनाडु में कुछ कार्य किया गया है, परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कर्नाटक राज्य को एक बड़ी इस्पात परियोजना के लिए मंजूरी नहीं मिली है। अत: मैं वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि बिना किसी विलम्ब के विजयनगर इस्पात संयन्त्र को आरम्भ किया जाए तथा कम से कम नाममात्र का अनुदान ही दे दिया जाए ताकि कुछ वर्षों के दौरान हम इतना संतोष तो कर सकें कि चलो हमारे राज्य के लिए कुछ तो अच्छा कार्य किया गया है। अत: मैं वित्त मंत्री से एक बार फिर अनुरोध करता हूं, कि वह सुनिश्चित करें कि विजयनगर इस्पात संयन्त्र का कार्य इस वर्ष आरम्भ हो जाएगा। हमारे पास अत्यधिक विद्युत है तथा काफी मात्रा में लौह अयस्क है और इसके साथ-साथ श्रम की भी कमी नहीं है। अत: यह एक अत्यन्त सफल परियोजना रहेगी और इसलिए इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना होगा।

तीसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह शहरों में जल पूर्ति के सम्बन्ध में है। इस समय सरकार हजारों ग्रामीण लोगों के पीने के पानी की समस्या को हल करने में काफी रुचि ले रही है। इसके साथ ही, यह आवश्यक है कि शहरों में पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

जहां तक बंगलौर का सम्बन्ध है, कावेरी योजना का प्रथम चरण पूरा कर लिया गया है परन्तु जनसंख्या शीघ्रता से बढ़ रही है और पानी की किल्लत पहले से ही है। यदि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के पास धन के लिए आवेदन करती है तो उसे ब्याज-मुक्त ऋण में या अनुदान के रूप में सहायता करनी होगी।

बंगलौर में सैनिक प्रतिष्ठान और केन्द्रीय कार्यशालाएं हैं। अतः केन्द्रीय सरकार के लिए सहायता देना आवश्यक है। अतः इस बात को प्राथमिकता तो दी जानी चाहिए कि शहर की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता अर्थात् पानी की आवश्यकता पूरी हो जाए। राज्य सरकार पूरा भार वहन करने में सक्षम नहीं होगी और ब्याज-मुक्त ऋण या अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में कर्नाटक राज्य को आवश्यक सहायता दी जाए।

चौथा मुद्दा, यह है कि वित्त मंत्री नशाबन्दी की समस्या से भलीभांति भिज्ञ हैं। उन्हें ज्ञात है कि श्री राजागोपालाचारी ने किस प्रकार नशाबन्दी लागू की थी। उन्होंने राजस्व के घाटे को पूरा करने के लिए उत्पाद शुल्क के माध्यम से वैकल्पिक उपाय किया। परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यद्यपि बिक्री-कर के रूप में हमें राजस्व की एक बड़ी राशि प्राप्त हो रही है, परन्तु हम न केवल बिक्री-कर प्राप्त कर रहे हैं बल्कि उत्पादन-शुल्क भी प्राप्त कर कर रहे हैं। अतः केन्द्र सरकार को निर्णय लेना है कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार हो सकता है। केन्द्र सरकार को इसे नीति सम्बन्धी निर्णय के रूप में लेना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि इस समस्या का समाधान बिना किसी और विलम्ब के हो जाए।

कर्नाटक में मेडिकल कालेज तथा सांध्य महाविद्यालय अत्यधिक शुल्क तथा दान ले रहे हैं। केन्द्रीय सरकार को इस बुराई को समाप्त करना चाहिए। मेडिकल कालेज में एक सीट 2 लाख रुपये में बिकती है तथा इंजीनियरिंग कालेज में एक सीट 10,000 से 50,000 रुपये तक में। चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान दे रहा है, अतः केन्द्रीय सरकार को यह पूर्ण अधिकार है कि वह राज्य सरकार को इस बुराई को तुरन्त समाप्त करने का निदेश दे।

कर्नाटक में अनेक निर्धन लोगों, यहां तक कि भूतपूर्व सैनिकों की भूमि, बहुमूल्य सम्पत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया है। धान की अच्छी फसल देने वाली एक एकड़ भूमि से 30,000 रुपये प्राप्त हो जाते हैं परन्तु उन्हें कठिनाई से 1,000 से 1,700 रुपये मुआवजे के रूप में दिए गए हैं। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार के परामर्श से, उन लोगों को, जिनकी भूमि छीन ली गई है, जो कि उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति थी, अपेक्षाकृत अच्छा मुआवजा देकर राहत देने के लिए कुछ किया जाए।

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा :) श्री ज्योतिर्मय बसु न केवल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं बल्कि बहुत चतुर भी हैं। जब कभी वे किसी विषय पर बोलना चाहते हैं, वे बड़ी बुद्धिमता और चतुराई से बोलते हैं और जब कभी वे किन्हीं चीजों को गलत ढंग से पेश करना चाहते हैं, तब वे हमेशा ऐसा करने का प्रयत्न करते रहते हैं। इस बात से संभवतः हम सब अवगत हैं।

मैंने सोचा था वह नियम 353 के अधीन लिखे अपने इस पत्र के माध्यम से, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष से अनुमति मांगी थी, कोई नई बात उठाना चाहते हैं। मैं सम्मानित सभा का

ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि श्री बसु वही व्यक्ति हैं जो सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति थे। इस सभा में उन्होंने जो कुछ कहा है, वह कोई नया नहीं है सिवाय अफ्रीकी देशों में टिकटों की बिक्री के संबंध में। इसमें भी उन्होंने बड़ी चतुराई से उस बात का उल्लेख कर दिया है जोकि पहले ही उनके पत्र में थी। मुझे विश्वास है कि हम इसकी जांच करेंगे।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने एयर इंडिया के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं। श्री बसु जानते हैं कि एयर इंडिया की सेवा और प्रतिष्ठा की प्रशंसा न केवल हमारे अपने लोगों द्वारा की जाती है, बल्कि विदेशों द्वारा भी। एयर इंडिया से यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसका गवाह हो सकता है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि वह जो आरोप लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह कोई नया नहीं है बल्कि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित शब्दों की पुनरावृत्ति मात्र है।

मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि वह प्रतिवेदन श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा···

प्रो० मधु दण्डवते : आपको ऐसा कहते हुए खेद क्यों हो रहा है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि यह प्रतिवेदन उस समय प्रस्तुत किया गया था जबकि आपकी सरकार थी और मुझे इस सम्बन्ध में यही कहना है कि यह प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है और सरकार का निर्णय···

श्री ज्योतिर्मय बसु : कब से ? आपको सत्ता में आए 6 महीने हो गये हैं···(**व्यवधान**)

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : श्री बसु, आपके समय में जो कुछ हुआ है, आप उस पर पर्दा डालने की कोशिश न कीजिये। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति होने के नाते आपने लोगों को जिस प्रकार से सताया है उसे सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रम जानते हैं। मैं नहीं कहना चाहता कि···

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है। ऐसा कह कर आप समिति पर दोषारोपण कर रहे हैं। समितियों का गठन संसद के दोनों सदनों अर्थात् राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से किया जाता है। समिति के प्रतिवेदन पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। मुझे यह देख कर आश्चर्य हो रहा है कि श्री शर्मा जी जैसा व्यक्ति जो कि पिछले दशकों से संसद का सदस्य चला आ रहा है, वह इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। वह ऐसे कह रहे हैं जैसे कि समिति किसी एक व्यक्ति विशेष की हो।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : नहीं, मैंने केवल वही कुछ कहा है जो कुछ आप समिति के सभापति होने के नाते समिति से बाहर रहकर कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : समिति से बाहर।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : आप लोग आतंकित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने जो कुछ भी करने का प्रयास किया···

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह रिश्वतखोरी का स्मारक।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जब आप बोल रहे थे तो क्या उस समय मैंने आपको टोका था ? आपके इस व्यवहार से स्पष्ट पता चलता है कि आपके तर्क कितने खोखले हैं और उनमें सचाई का कितना अभाव है।

मैं केवल एक ही सम्बद्ध बात का उल्लेख करना चाहता हूं। इन्होंने किसी पर आरोप लगाया और फिर कह दिया 'यद्यपि वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच से बच गए हैं···' इन महाशय की नजरों में तो कोई भी ईमानदार नहीं। प्रत्येक व्यक्ति···

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 376 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)···केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच बहुत असावधानी से की गई है। यह समिति का प्रतिवेदन है। यहां मैं यह नहीं कहना चाहता कि साक्ष्य के दौरान क्या कहा गया था।

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मंत्री महोदय, आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं संसद तथा समिति दोनों की स्थिति, यदि अधिक नहीं तो कम से कम उतनी तो अवश्य जानता हूं जितनी कि श्री बसु जानते हैं। इसलिए उन्हें मुझ से यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं संसद या समिति के विरुद्ध कुछ कहूंगा। मैंने जो कुछ भी कहा है वह केवल उनकी व्यक्तिगत आदतों के बारे में ही कहा था। मैंने सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति के प्रतिवेदन से ही कुछ पढ़ा है और वह प्रतिवेदन पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। अतः मैं समझता हूं कि यह कोई आरोप नहीं है। (व्यवधान) इन्होंने एक बहुत ही रोचक बात कही है, मैं केवल उसी को उद्धृत करना चाहूंगा। अपने पत्र में उन्होंने फिर कहा है कि यह बताया गया है···(व्यवधान)···

सभापति महोदय : श्री बसु, ऐसा करना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि श्री बसु उचित रूख ही अपनायेंगे।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : एक व्यक्ति द्वारा कहा गया है—मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं—ऐसी प्रथा रही हैं कि एयर इण्डिया के कार्यकारी अधिकारी अपना आतिथ्य तो होटलों से करवाते रहे हैं और अन्य स्थान का पूरा भत्ता भी लेते रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : आपको संयम रखना चाहिए। आप और क्या चाहते हैं ? इसका स्पष्टीकरण दे दिया गया है और क्या यह स्पष्टीरण गलत है या ठीक है, इसका निश्चय करना विभाग तथा सरकार का काम है। इसमें आरोप क्या है ? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं और और साथ ही श्री ज्योतिर्मय बसु से निवेदन करना चाहता हूं कि वह सेवा के हित को दृष्टिगत रखते हुए तथा भारत के गौरवशाली नाम को दृष्टिगत रखते हुए एयर इण्डिया के कर्मचारियों तथा व्यक्तियों के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगा कर इस राष्ट्रीय विमान सेवा द्वारा सम्पूर्ण विश्व में जो प्रतिष्ठा अर्जित की गई है, उस पर बट्टा न लगाए···(व्यवधान)···

श्री भगवान देव (अजमेर) : सभापति महोदय, बिना आपकी आज्ञा के इस तरह से ये खड़े हो जाते हैं और संसद का टाइम खराब करते हैं और नियमों का पालन नहीं करते हैं। आप इन पर नियंत्रण रखिए और इनके बोलने पर लगाम लगाइए।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं फिर यही निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने कोई नई बात नहीं कही है। इसलिए मैं श्री ज्योतिर्मय बसु से यही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वह कोई गलत बात कहना ही चाहते हैं तो कृपया उसे सदन में न कहें, वह उस बात को सदन के बाहर कहें, ताकि उस ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हो सके तथा वह चौकस रहें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि मैं इस बात पर कायम रहूंगा।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : सभापति महोदय, यदि सदन वास्तव में मेरे द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले तर्कों को शांतिपूर्वक ढंग से सुनने का इच्छुक हो, तो मैं समझता हूं यह चर्चा कुछ हद तक सफल रही है और इसके दौरान कुछ रचनात्मक सुझाव सामने आए हैं। इस लिए मैं सबसे पहले उन्हीं मुद्दों को लूंगा। और फिर उसके बाद मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से उठाए हैं।

अधिकांश सदस्यों द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं उनमें से एक गंदी बस्तियों की सफाई के बारे में भी था। इसके सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकतीं। सरकार गंदी बस्तियों की सफाई के कार्य को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करना चाहती है और उसके लिए पर्याप्त प्रावधान कर रही है। परन्तु इसके साथ ही मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह समस्या इतनी बड़ी है कि इसका समाधान एक योजना के कार्यकाल में नहीं किया जा सकता। गंदी बस्तियों की सफाई की समस्या का समाधान करने में तो अनेक योजनायें बनानी पड़ेंगी। परन्तु मैं आपको इस समय कुछ आंकड़े देकर यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि हम इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं।

पहले की योजना में गंदी बस्तियों को साफ करने के कार्य के लिए 1978–83 की कालावधि के लिए 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और हमने इस प्रावधान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त हमने 1980–85 की कालावधि के लिए योजना को पुनः तैयार करना आरम्भ कर दिया है और सरकार का यह उद्देश्य रहा है कि इसके लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाये। इस समय मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर सकूं क्योंकि वह अन्तिम नहीं हैं। परन्तु मैं गंदी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी समस्या को भली-भांति समझता हूं।

समस्या कुछ इस प्रकार है। जिस नगर की जनसंख्या लगभग 10 लाख है वहीं गंदी बस्तियां बनी हुई हैं और देश में लगभग 1 करोड़ लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं। उनकी संख्या अलग-अलग नगरों में अलग-अलग है। मेरे माननीय मित्र श्री शमन्ना ने कहा था कि बंगलौर में गंदी बस्तियां बहुत अधिक हैं। इसके विपरीत स्थिति यह है कि बंगलौर की केवल 10 प्रतिशत जनसंख्या ही गंदी बस्तियों में रहती है, जब कि कानपुर में 37 प्रतिशत लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं। अतः इस समस्या का निवारण हमें राष्ट्रीय स्तर पर करना पड़ेगा। मैं सदन को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इस कार्य को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

एक अन्य समस्या, जिसका उल्लेख अनेक माननीय सदस्यों द्वारा किया गया है, मूल्य-वृद्धि के बारे में है। यदि मैं यह प्रदर्शित करने का प्रयास करूं कि मूल्य वृद्धि नहीं हो रही है तो ठीक नहीं होगा। वास्तव में यह हमारे लिए चिंता का विषय है। परन्तु माननीय सदस्य यह तो जानते ही हैं कि मूल्य-वृद्धि कोई ऐसी वृद्धि नहीं है जो केवल पिछले ही सप्ताह में किसी ने कर दी हो। वास्तव में आर्थिक कार्यों सम्बन्धी परिणामों के प्रकाश में आने में एक या दो वर्ष का समय तो लगता ही है। भूतपूर्व सरकार की नीतियों के फलस्वरूप मूल्यों पर काफी दबाव बना हुआ है। इसी सन्दर्भ में मैं यह बता देना चाहता हूं कि 1975-76 के दौरान मूल्यों में जो स्थिरता आई थी, उसी के परिणामस्वरूप 1977-78 के दौरान मूल्यों की स्थिरता को बनाए रखा जा सका। वास्तव में भूतपूर्व सरकार द्वारा जो घाटे

की अर्थव्यवस्था अपनाई गई, उसी के परिणामस्वरूप ही मूल्यों पर बहुत प्रभाव पड़ा है और वह प्रभाव अब भी बना हुआ है। अतः केवल यह कहना कि मूल्य वृद्धि केवल पिछले ही सप्ताह हुई है और हम उसके लिए उत्तरदायी हैं, केवल बुनियादी अर्थशास्त्र के बारे में अपनी अनभिज्ञता को प्रदर्शित करना ही है।

अब मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि हम इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं, देश में उत्पादन-वृद्धि के लिए हमने अनेक प्रोत्साहन किये हैं। जैसे कि मैंने वादविवाद के दौरान कहा, मुद्रास्फीति को दो प्रकार से रोका जा सकता है; एक तो मुद्रासप्लाई तथा धन-प्रसार पर नियंत्रण करके तथा दूसरे, वस्तुओं तथा दूसरी सेवाओं की सप्लाई में वृद्धि करके। हमने दूसरे विकल्प को अपनाया है और हम वस्तुओं की सप्लाई में वृद्धि कर रहे हैं और हमने इसके लिए अनेक प्रोत्साहन दिये हैं। इन प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप उत्पादन में जो वृद्धि होगी, उसमें कुछ समय का लगना तो स्वाभाविक ही है।

माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि सरकार द्वारा उत्पादन शुल्क में जो रियायतें दी गई थी, उनका खुदरा मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यह मैं मानता हूं। तथ्य तो यह है कि इस समय हमारा मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमें यह आशा थी कि हमने उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी जो रियायतें दी थीं उनका लाभ किसी न किसी रूप में उपभोक्ता तक पहुँचेगा और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कोई कमी दृष्टिगोचर होगी। यद्यपि कुछ गैर-आवश्यक वस्तुओं जैसे कि टेलीविजन के मूल्यों में 200 रुपये की कमी हुई है तथा इंजीनियरी के सामान में भी कुछ कमी हुई है, परन्तु आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है। अतः उपभोक्ता को उसका कोई लाभ नहीं हुआ है। इसके लिए नरमी तथा सख्ती का तरीका अपनाया जा सकता है। हम कुछ समय तक नरमी का तरीका अपनाते रहे हैं। मुझे आशंका है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हमें सख्ती का रवैया अपनाना पड़ेगा।

मेरा विचार, अपने सहयोगी नागरिक पूर्ति मंत्री के साथ विचार-विमर्श करके पहले यह कदम उठाने का भी है कि परचून दुकानदारों को अपने स्टाक तथा खुदरा मूल्यों की सूची प्रदर्शित करने के लिए कहा जाए। इससे लोगों को यह मालूम होगा कि परचून की दूकानों में कितना स्टाक है और क्या मूल्य लिया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को तुलना करने का अवसर मिल जाएगा और यदि इससे अपेक्षित परिणाम सामने न आए, तो फिर इसके बाद हम मूल्यों को नियंत्रण में लाने के लिए अन्य सभी प्रकार के उपाय भी करेंगे। मैं समझता हूं कि व्यापारी लोग इस बात को समझ गए होंगे कि सरकार यह सब कुछ इसी प्रकार नहीं चलने देगी और यदि वे अपने व्यवहार से हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं कि हम कुछ विनियामक उपाय करें, तो फिर हम जो कुछ करेंगे, उसका दायित्व उन्हीं पर ही होगा।

अब इसमें उठाये गये दो मुख्य विषयों पर बोलने के बाद मैं प्रत्येक सदस्य द्वारा उठाये गये मुद्दों के बारे में कहूंगा।

श्री डागा ने अनेक बातों की बड़ी आलोचना की। वास्तव में, वादविवाद का प्रारम्भ विपक्ष द्वारा करने की परम्परा रही है और चूंकि विपक्ष का कोई सदस्य उपस्थित नहीं था तो श्री डागा ने यह कर्तव्य निभाया।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने वह भूमिका निभाई।

श्री आर० वेंकटरामन : और उन्होंने आपकी भी शुभकामनाएं प्राप्त कीं।

देश की अर्थव्यवस्था से सम्बद्ध मामलों में, व्यक्तिगत रूप से मैं यह नहीं समझता कि सरकार और विपक्ष के बीच कोई विभाजन है, क्योंकि मेरे विचार से, दोनों की ही इस बात में रुचि है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो और देश में बेहतर स्थिति हो। अतः आलोचना चाहे मेरी ओर से की जाए, या आपकी ओर से, मैं उसका हार्दिक स्वागत करने को तैयार हूं और इस बात पर ध्यान देने के लिए तत्पर हूं कि किसी भी पक्ष द्वारा उठाए गये अच्छे मुद्दों पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाए।

उनके द्वारा उठाया गया एक मुद्दा यह भी है कि गैर-योजना खर्च बढ़ता रहा है। स्पष्ट रूप से उनकी यह धारणा है कि सभी गैर-योजना व्यय प्रशासनिक व्यय होता है। बात ऐसी नहीं है। पिछली योजना में जो कुछ योजना-व्यय रहा होगा, वह चालू योजना में गैर-योजना खर्च हो जाता है। उदाहरणस्वरूप, यदि हम पिछली योजना में शिक्षा पर योजना-खर्च के अन्तर्गत धन-राशि खर्च करते हैं तो, चालू योजना में यह गैर-योजना खर्च बन जाता है और इस योजना में शिक्षा के लिए हम योजना-खर्च के रूप में अतिरिक्त राशि देते हैं। अतः यह सोचना कि सभी प्रकार का गैर-योजना खर्च प्रशासनिक खर्च होता है और यह कहना कि इसलिये प्रशासनिक व्यय काफी बढ़ गया है तो यह तो सरकार की सही स्थिति की उपेक्षा करना होगा।

उन्होंने दूसरी बात यह कही है कि आयकर की बकाया राशि बहुत पड़ी है। इस समस्या से हम भली भांति परिचित हैं। वास्तव में हम अपीलीय सहायक आयुक्तों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि समस्या से निपट सकेंगे। बहुत से मामले अपीलीय सहायक आयुक्तों के साथ ही साथ न्यायाधिकरणों और न्यायालयों, उच्च-न्यायालयों और उच्चतम-न्यायालय को जाते हैं। और वास्तव में उनके शीघ्र निपटान में जो समस्या आड़े आती है वह है विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी किये स्थगनादेश। एक बार जब स्थगनादेश जारी कर दिया जाता है तो हम मामले में आगे नहीं बढ़ पाते और न्यायालय इन सुनवाइयों को वर्षों तक रोके रखते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि बकाया मामलों की संख्या बढ़ती जाती है। किसी भी स्थिति में, जैसा कि मैंने बताया है, हम अधिक अपीलीय सहायक आयुक्तों की नियुक्ति करके, स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। हम इस मामले पर बड़ी ही ईमानदारी से ध्यान दे रहे हैं।

श्री डागा ने राजस्थान में सूखे की स्थिति का भी जिक्र किया और यह बताया कि इसके लिए कुछ नहीं किया गया है। वह राजस्थान से आए हैं। उन्हें यह बात तो भली-भांति पता होनी चाहिये कि चूंकि इसी वर्ष 1980-81 में हमने राजस्थान को सूखा-राहत सहायता के रूप में 20 करोड़ रुपये दिये हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि सरकार राजस्थान की सहायता के लिए आगे नहीं आई। सूखा-राहत सहायता को हमने किसी भी प्रकार कम नहीं किया है, क्योंकि जहां कहीं भी सूखा पड़ा है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम को गति प्रदान करने की नीति को जारी रखा गया है और मैंने स्वयं अपने बजट-भाषण में बताया है कि कुछ मामलों में, हम इसे न केवल सितम्बर तक जारी रखेंगे, अपितु इस सहायता को कुछ मामलों में तो उससे भी अधिक लम्बी अवधि तक जारी रखेंगे। अतः मैं उन्हे याद दिला देना चाहता हूं कि आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल : दो कारणों से आपको राजस्थान पर विशेष ध्यान देना चाहिये :

आपके मन्त्रालय के भूतपूर्व राज्यमन्त्री राजस्थान के ही रहने वाले हैं, और श्री जगन्नाथ पहाड़िया भी जो कि आपके मन्त्रालय में उप-मन्त्री थे, राजस्थान के रहने वाले हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : वह उस पर पहले भी बोल चुके हैं। मैं अपने माननीय मित्र श्री सतीश अग्रवाल को बता देना चाहता हूं कि वह उस पर पहले भी बोल चुके हैं और उन्हें शीघ्र पता चलेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : टोंक तो वह स्थान है जहां पर ठगों का मुखिया अभी भी रहता है। टोंक अभी भी वहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : मेरे मित्र वसु ऐसी भाषा बोलते हैं जो कि मेरी समझ से बाहर है।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर) : साधारण भाषा में बोलिये।

श्री आर० वेंकटरामन : श्री भीमसिंह जी ने भी कई मुद्दे उठाये हैं। एक तो यह है कि बहुत से लोग जो विदेश जाकर विदेशी मुद्रा कमाते हैं और जब वापिस आते हैं तो उन्हें काफी तंग किया जाता है तथा विभिन्न पत्तनों पर सीमा शुल्क अधिकारी उन्हे बहुत तंग करते हैं। यह शिकायत हम पहले भी सुन चुके हैं। एक कठिनाई तो यह है कि विदेशों से आने वाले ऐसे लोगों के पास बहुत सामान होता है। वास्तव में, इन सब छोटी-मोटी चीजों को प्राप्त करने की हमारे देश में आम परिपाटी नहीं है। वे सब कुछ लेकर आते हैं और इतनी चीजें उनके पास होती हैं कि उन्हें निपटाना कठिन हो जाता है। यदि वे आने से पूर्व उस क्षेत्र के दूतावासों और मिशनों से, जिसमें वे कार्य करते हैं कुछ सलाह ले लें तो बेकार की बहुत सी वस्तुओं को लाने से बच जाएं.....

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : अपने सम्बन्धियों को यहां बांटने के लिये लाते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : दूसरा जो मुद्दा उठाया गया था वह यह था कि कुछ मामलों में उन पर बहुत भारी कर लगाये गये हैं और यह कि 10,000 रुपये तक की सीमा शुल्क अधिकारियों ने वसूल किये हैं। इसीलिए तो वर्तमान बजट में मैंने कानून परिवर्तन कर दिया है। अब तक यदि कोई व्क्ति 1,000 रुपये तक की चीजें लाता था तो उन पर शुल्क नहीं लगता था। यदि वह 2000 रुपये की वस्तुयें लाता था उसे उनपर 12% सीमा शुल्क देना पड़ता था और यदि वह उससे भी अधिक लाता था तो उस पर जुर्माना लगाया जाता था और फिर उस पर अभियोग चलता था आदि आदि। अब हमने इस बजट में कानून में परिवर्तन कर दिया है और यदि वह 3000 रुपये से भी अधिक की वस्तुयें लाता है तो उस पर 32% की ऊंची दर पर सीमा शुल्क तो लगाया जायेगा परन्तु उसे अभियोग, जुर्माने आदि के रूप में तंग नहीं किया जायेगा। यह परिवर्तन तो हमने किया है और मुझे आशा है कि तंग करने की कोई शिकायत नहीं रहेगी।

उनका यह भी कहना था कि कृषि-भूमि पर अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधान कारगर साबित नहीं हुआ है अथवा उसे विभिन्न राज्यों में सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। यह एक ऐसी इस बात से कोई भी असहमत नहीं हो सकता। हर कोई यह जानता है कि भूमि पर अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून को हर राज्य में भिन्न-भिन्न रूप से कार्यान्वित किया

गया है और कुछ राज्यों में तो इस विधान को मन से लागू नहीं किया गया और इसलिए यह कार्यान्वियन के विभिन्न स्तरों पर है। जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, तो हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं और राज्यों में भूमि पर अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधान के बारे में हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से शक्तियां नहीं हैं।

माननीय सदस्य ने सेवाओं से मुक्त किये गये लोगों के सम्बन्ध में बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, विशेषकर उन जे० सी० ओ० और जवानों के बारे में जो बहुत ही कम उम्र में और युवावस्था में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हम इस समस्या को जानते हैं और वास्तव में इन लोगों के पुनर्वास के लिए बहुत सी नौकरियां आरक्षित रखी गई हैं—उदाहरणस्वरूप, सरकारी क्षेत्र में जे० सी० ओ० के लिए 17% और जवानों के लिए 27½% नौकरियां आरक्षित रखी गई हैं। सरकारी नौकरियों में भी कुछ उनके लिए आरक्षित हैं। उनको सेवामुक्त करने से पूर्व भी हम उन्हें विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देते हैं। बैंकों से भी नए उद्यमियों को सुविधायें देने के लिए कहा गया है, जिससे वे स्वयं कोई उद्योग शुरू कर सकें। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि समस्या हल की जा चुकी है परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि यह काफी हद तक हल हो गई है।

श्री गोयल ने फिर और भी बहुत से महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं। मैं केवल एक या दो मुद्दों पर बोलूंगा। उन्होंने चीनी के ऊंचे दामों का जिक्र किया और यह बताया कि इससे उत्पादकों को कोई लाभ नहीं मिलता।

महोदय, चीनी की कीमतों के बारे में मुझे भी शिकायत है। कुल चीनी उत्पादन का 65% भाग तो उचित दर की दुकानों के माध्यम से उस भाव पर बेचा जाता है जो कि संसार में न्यूनतम है। जो 65% हम उन्हें देते हैं वह आपको 2·85 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलती है जो कि इस भाव पर आपको विश्व में कहीं भी नहीं मिल सकती। बाकी 35% चीनी आपको 7 रुपये प्रति किलो के आसपास ही मिलती है। हो सकता है हम सबको 10 रुपये प्रति किलो मिलती हो तो उस भाव पर भी बहुत से लोग खरीदते तो हैं। केवल उस भाव पर, हर समय चीनी उन्हीं लोगों को दी जाती है जो मिठाई बेचते हैं या उनको जो धनी हैं और चीनी पर अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं। हम उसे उनको दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप देखेंगे कि लोग आपके बारे में फैसला देंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : हमने जनता से वायदा किया है। उनके लिए हम चार किलो शहरों में और एक किलो ग्रामीण क्षेत्रों में देते हैं। (व्यवधान)

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में आपका क्या विचार है ? (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : मैं अपनी देखभाल स्वयं कर सकता हूं। मुझे किसी से भी किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहिये। महोदय, मैं अपनी बात दोहराता हूं। मेरे दल ने जनता को वचन दिया है और उन्हें हम नियन्त्रित और कम दामों पर चीनी सप्लाई करने को सहमत हो चुके हैं। वही आज हम कर रहे हैं। 65% चीनी हम 2·85 रुपए की दर से जनता को दे रहे हैं (व्यवधान)

संचारमन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : आपके राज्य को जो चीनी दी जा रही है आप उसे अपने राज्य में वितरित कर सकते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : सभापति महोदय, इसके लिए मुझे और समय चाहिये, क्योंकि जो लोग गरीबों के हिमायती बनते थे वे ही अब धनी और उच्च वर्गों की वकालत कर रहे हैं।

श्री निरेन घोष (बमदम) : यह भी तो देखिए कि आप कितनी चीनी का निर्यात करते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, जो लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं उन्हें लगभग 4 किलो चीनी मिलती है और यह चीनी प्रति व्यक्ति 2·85 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलती है।

श्री रामावतार शास्त्री : प्रति व्यक्ति के हिसाब से नहीं। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री वेंकटरामन, आप इसके बारे में नहीं जानते। (व्यवधान) मैं श्री अग्रवाल की दलील को स्वीकार करता हूं। यदि यह केवल 400 ग्राम भी है तो, आप जो भाव प्रति किलो दे रहे हैं, वह भी तो 2·85 रुपये है। (व्यवधान) हमने यह कहा है कि 35% चीनी ऊंचे दामों पर बेची जाए जिससे कि उस न्यूनतम कीमत को बनाये रखा जाये जिस पर हम खरीद कर लोगों को चीनी दे रहे हैं। इस दोहरी मूल्य-नीति का अर्थ है कि समाज के कमजोर वर्ग के लिए चीनी या कोई भी वस्तु कम कीमत पर प्रदान की जायेगी और जो आदमी उसका उत्पादन करता है उसको उसे ऊंचे दामों पर बेचकर इस अन्तर को पूरा करने की अनुमति दी जायेगी। (व्यवधान) आपकी आलोचना का यह अर्थ है कि आप रियायती कीमत पर चीनी सप्लाई करो और हमें मुफ्त दो तो फिर 'आप आगे कहेंगे आप रियायती कीमत पर पेट्रोल सप्लाई करो।' परन्तु आप यह नहीं समझते कि जब आप ऐसी मांग करते हैं तब आप न केवल उस व्यक्ति पर इसका भार डाल रहे होते हैं जो कि इसका उपभोग करता है परन्तु उनपर भी डालते हैं जो कि इसका उपभोग नहीं करते। अतः सारे समाज से उस वस्तु की कीमत चुकाने के लिए नहीं कहा जा सकता जोकि एक आदमी उपभोग करता हो।

इसलिए इसे हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी होटल में जाता है और कुछ खाता है तो फिर उसके लिये उसे मूल्य चुकाना चाहिए; अगर वह कपड़ा खरीदता है तो उसके लिये उसे मूल्य चुकाना चाहिए; अगर वह यात्रा करता है तो इसके लिये मूल्य अदा करना चाहिए; यदि वह चीनी खाता है तो इसके लिये मूल्य चुकाना होगा। परन्तु सामान्य समुदाय को किसी व्यक्ति के यात्रा के लिए मूल्य अदा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा अधिक चीनी उपभोग करने पर मूल्य अदा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। 60 लाख टन चीनी में से 40 लाख टन चीनी का वितरण 2·85 रुपये के दर से किया जा रहा है। दूसरी चीनी मात्र 20 लाख टन बचती है। आप कैसे कह सकते हैं कि चीनी की औसत कीमत 12 रुपये और 8 रुपये है? सभी समाचारपत्र तोड़-मरोड़ कर खबरें देते हैं। खबर दी जाती है कि चीनी 8 रुपये और 10 रुपये बेची जा रही है। इससे अधिक और क्या है कि वे 2·85 रुपये में खरीद रहे हैं और लिख रहे हैं कि 10 रुपये में बेची जा रही है। वे केवल 2·85 रुपये में खरीद रहे हैं और यह अफवाह उड़ा रहे हैं कि 10 रुपये में बेची जा रही हैं। यही होता है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक-एक करके बोलिये। एक समय में एक सदस्य बोलेंगे। वह जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : आखिर कुछ तो ढंग होना चाहिए। क्या इस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए ? क्या वार्तालाप होने वाला है ? वह बोल रहे हैं। क्या वार्तालाप होने वाला है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब शांत रहिए। आप अपनी बात कह चुके हैं। मंत्री महोदय भाषण दे रहे हैं। आपको उनकी बात सुननी चाहिये। उन्हें जवाब देने दीजिए। आप पहले से ही अपना विचार रख चुके हैं। अब क्या सरकार को अपने विचार रखने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए ?

श्री आर० वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आनन्द आ रहा है क्योंकि इससे चोट पहुंचती है और सचाई से चोट लगती है। मुझे प्रसन्नता है कि मैंने अपनी बात उन्हें कह दी है और इसलिए वे विरोध कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यह चीनी के सम्बन्ध में शिकायत है इसलिए आपको इसका जवाब देना चाहिए।

श्री आर० वेंकटरामन : उन्हें डाक्टर के पास जाना चाहिए, उन्हें मेरे पास नहीं आना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया आप ऐसा न करिये; इससे आप और भी अप्रिय हो जायेंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : इस हालत में तो आपको खुश होना चाहिए फिर आप नाराज क्यों हैं ? अगर यह सच है तो आपको खुश होना चाहिए, परन्तु अभी आप बहुत नाराज हैं।

श्री बनातवाला : केरल के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कहना चाहते थे। पहली बात यह है कि अन्तर्राज्यीय मजदूरी में अन्तर होने से केरल के उद्योगों को नुकसान हो रहा है। मेरा जवाब यह है। केरल राज्य को पड़ोसी राज्यों से वार्तालाप कर इस समस्या को समाधान करने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि भारत सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है। मैं स्वत: तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमण्डल में एक सदस्य था और मैंने ही बीड़ी श्रम-विधेयक को पुनःस्थापित कर पारित करवाया था। उस समय केरल में तेल नहीं था और वह तमिलनाडु से लाया गया था। मुझे केरल जाना पड़ा था और तब उनसे मजदूरी व्यवस्था पर विचार-विमर्श किया था और उन्हें कुछ मामलों में तमिलनाडु का अनुसरण करने कहा था। उसी तरह, मैं हथकरघा व बीड़ी के सम्बन्ध में कहूँगा कि श्री बनातवाला के लिए सम्बद्ध राज्य को राज्य सरकार के साथ वार्तालाप करने के लिये कहना उचित होगा।

दूसरी बात जो उन्होंने कही वह केरल में बाढ़ के सम्बन्ध में है। वास्तव में श्री बनातवाला केरल के अन्य सदस्यों के साथ आये और मुझ से मिले भी थे। श्री बनातवाला को यह मालूम होना चाहिए कि इसके लिए प्रक्रिया है। जब कभी बाढ़ या सूखे की स्थिति आती है राज्य सरकार क्षति की मात्रा की रिपोर्ट केन्द्र को भेजती है। केन्द्रीय टीम जाती है एवं क्षति का मूल्यांकन करती है। वे आंतरिक रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें वे क्षति की संभावित मात्रा को बताते हैं, तत्पश्चात् वे अन्तिम रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। वित्त आयोग की सिपारिशों के अनुसार अग्रिम राशियां दी जाती हैं और ये अग्रिम धनराशियां अग्रिम योजना-आबंटन की

तरह दी जाती हैं। इस तरह की स्थितियों के सामना करने के उद्देश्य से जिन प्रक्रियाओं का निर्माण पहले से किया जा चुका है उनका हम केवल अनुसरण कर रहे हैं।

उन्होंने अतिरिक्त विभागीय स्टाफ के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया है जिसमें उपभोक्ताओं तथा मेरी दोषों की ही दिलचस्पी है। श्री बनातवाला को यह याद दिलाना चाहूँगा कि मैं एक समय अतिरिक्त-विभागीय संघ का अध्यक्ष था। पूर्णकालिक मजदूरों की तुलना में उन्हें इस सिद्धान्त पर कम मजदूरी दी जाती है कि वे अंशकालिक मजदूर हैं और कुछ दूसरे काम भी करते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वे निःसंदेह अशंकालिक मजदूर हैं परन्तु पूरे समय काम कर रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : यह मांग है किन्तु यह स्थिति नहीं है। स्थिति यह है कि उनके पास कुछ दूसरे काम हैं और डाक का काम करने में उन्हें 93 रुपये से 192 रुपये, जैसी भी स्थिति हो, भत्ता दिया जाता है। इसलिये यदि श्री बनातवाला कहते हैं कि यह शोषण है तो मेरा उनसे अनुरोध है कि इस तरह से अप्रिय भाषा का प्रयोग न करें। इस प्रकार की भाषा वह अधिक महत्त्वपूर्ण विषयों के लिये सुरक्षित रखें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप कह रहे हैं कि यह महत्त्वपूर्ण विषय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह ऐसा कह सकते हैं क्योंकि मंत्री कभी कार्मिक संघ के नेता रह चुके हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह कारण पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है तथापि इससे भी, महत्त्वपूर्ण कारण हो सकते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने 'अधिक महत्त्वपूर्ण' शब्द का प्रयोग किया था।

अब, श्री ज्योतिर्मय बसु बिना उत्तेजना पैदा किये बोल नहीं सकते हैं। अगर उन्हें बोलना होगा तो उसमें कुछ ऐसी चीज होगी जो पूरी यमुना में आग लगायेगी। जहां तक एयर इण्डिया की बात का सम्बन्ध है, सरकारी उपक्रम समिति की एक रिपोर्ट है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि कई रिपोर्ट हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : उस समय एयर इण्डिया के ही चैयरमैन ने कुछ प्रतिवाद खड़े किये थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे उस समय एयर इण्डिया के चैयरमैन थे ही नहीं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रतिवेदन में दी गई सम्बद्ध अवधि का उल्लेख कर रहा हूं। जब वे सम्बद्ध ही नहीं हैं तो वे किसी बात से मना कैसे कर सकते हैं? वे उस समय चैयरमैन थे और चैयरमैन होने के नाते उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन उन्होंने उससे साफ मना कर दिया है। अतः सदन के सामने जो बात कही गई है वह एक आरोप है और प्रतिवाद है। अब कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि आरोप सिद्ध हो गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जहां तक वित्त समिति के प्रतिवेदनों की बात है, कोई ऐसा नियम नहीं है, परिपाटी नहीं है, परम्परा नहीं है, जिससे कि पोस्ट-मार्टम की टिप्पणियों को, जो कुछ मन्त्री महोदय अपनी बुद्धि से कहते हैं, उन

टिप्पणियों से दबा दिया जाए। अतः उनके शब्दों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। उन्हें वह सब करने का अधिकार नहीं है। वित्त समिति के प्रतिवेदनों की इस सदन में मन्त्री महोदय या कोई अकेला सदस्य इस प्रकार आलोचना नहीं कर सकता। यह एक ऐसा प्रतिवेदन है जिस पर सरकारी उपक्रम समिति के 22 सदस्यों की सलाह और स्वीकृति की मोहर लगी हुई है, जिनमें सात राज्यसभा के और पन्द्रह इस सभा के सदस्य हैं।

अतः श्री जे० आर० डी० टाटा ने उसी बात के लिए प्रेस में वक्तव्य दिया है जिसके लिए उन्हें विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित होना पड़ा था। और वे समिति के प्रतिवेदन के साथ, श्री जे० आर० डी० टाटा के वक्तव्य को उद्धृत कर रहे हैं। वेंकटरामन महोदय, यह आपके लिए बड़े ही खेद की और गैर-जिम्मेदाराना बात है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं आपकी प्रशंसा के लिए तो धन्यवाद देता हूं परन्तु मेरा विनम्र निवेदन है···(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदय, मैं भी लोक लेखा समिति का चैयरमैन रहा हूं। आम परम्परा यह रही है कि सरकार प्रायः इन समितियों के प्रतिवेदनों को स्वीकार कर लेती है और उनकी अधिकांश सिफारिशों को क्रियान्वित कर लेती है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है—उसको कभी इस प्रकार से नहीं समझा जाता - कि उस समिति द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को सरकार स्वीकार कर ही ले।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही अपना प्रश्न रख चुके हैं। मन्त्री महोदय को अपने प्रथम मुद्दे का उत्तर देने दीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मन्त्री महोदय द्विविधा में पड़ गये हैं। मैं श्री वेंकटरामन को बताना चाहता हूँ कि ये कोई आरोप नहीं हैं, ये तो मौखिक और लिखित साक्ष्यों पर आधारित जो बातें प्रतिवेदन में रिकार्ड की गई हैं, वे ही हैं। समिति की सिफारिशें उन्हीं पर आधारित हैं। वे सिफारिशों को स्वीकार भी कर सकते हैं और उन्हें कतई अस्वीकार भी कर सकते हैं। प्रतिवेदन का विवरणात्मक भाग साक्ष्यों पर आधारित है और प्रतिवेदन के विवरणात्मक भाग किसी प्रकार का आक्षेप लगाने का श्री वेंकटरामन को कोई हक नहीं है। मुझे तो थोड़ा-सा आश्चर्य हुआ। मुझे उनसे इसकी कतई आशा नहीं थी।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने कोई आक्षेप नहीं लगाया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम श्री वेंकटरामन का आदर करते हैं। मुझे उनसे इसकी आशा नहीं थी।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं अंग्रेजी बोलता हूं और आशा करता हूं कि वे इसे समझते होंगे। मैंने यह कहा था कि प्रतिवेदन में कुछ ऐसे अंश हैं, जिन्हें दूसरे लोगों ने अस्वीकार किया है। अतः इसके दो रूप हैं; सरकार इन पर अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है। श्री बसु तो मेरे बोलने से पूर्व ही अर्थ लगा लेते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसका विवरण प्रतिवेदन में दिया गया है, वह ऐसा नहीं कह सकते। मुझे इस पर आश्चर्य हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने तो केवल इतना कहा था कि इसके दो रूप हैं। केवल कुछ ही बातें बताई गई हैं·····(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप प्रतिवेदन की सिफारिशों को स्वीकार करें या न करें।

श्री आर० वेंकटरामन : उसमें जिन तथ्यों से इन्कार किया गया है, वह किसी राह चलते ने नहीं कहा है, अपितु तत्कालीन एयर इंडिया के चेयरमैन ने कहा है। अतः मैंने कह दिया कि इसके अब दो रूप हो गये हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनकी आलोचना नहीं की गई है·····(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह एक असाधारण बात है कि मन्त्री महोदय समिति के प्रतिवेदन की, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया, श्री जे० आर० डी० टाटा के वक्तव्य से समानता कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने अंग्रेजी में कहा है, हम उसे समझ नहीं सके थे।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, जब उस प्रकार के कुछ आरोप या आक्षेप लगाये जाते हैं और वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं उनसे मुकरता है तो जब तक सरकार निर्णय पर पहुँचती है·····(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जहां तक मुझे ज्ञात है, मुझे याद पड़ता है कि श्री टाटा के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया, परन्तु आरोप तो एयर-इण्डिया के और कुछ अधिकारियों के विरुद्ध लगाया गया था। वेंकटरामन जी, इस पर मुझे आश्चर्य हुआ। वे उन तथ्यों पर आक्षेप कर रहे हैं जिन्हें मौखिक और लिखित साक्ष्यों के आधार पर समिति के समक्ष सिद्ध किया जा चुका है। सरकार सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है और नहीं भी।

परन्तु मंत्री महोदय को निन्दा करने का कोई अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने यह कहा था कि उन्होंने किसी का भी समर्थन नहीं किया था। मेरी समझ से यही उनका आशय था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपको मेरी रद्दी भारतीय अंग्रेजी समझनी पड़ेगी।

श्री आर० वेंकटरामन : शायद आप इंग्लैंड में पढ़े हों। मैं वह व्यक्ति हूं जिसने प्रारम्भिक शिक्षा भारत में पाई थी। वास्तव में प्रश्न यह है कि सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं किया है और इसलिये किसी को इसे ऐसा निष्कर्ष नहीं मान लेना चाहिए जो सरकार के लिए बाध्य हो। यही सब बातें मुझे कहनी हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह विवरणात्मक भाग पर लागू नहीं हो सकता है; विवरणात्मक भाग साक्ष्य पर आधारित है; सिफारिश भिन्न है·····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर कोई चर्चा नहीं होगी। आप अगला प्रश्न शुरू करें।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : यह मामला श्री ज्योतिर्मय बसु और श्री वेंकटरामन के बीच में नहीं है; यह सारी सभा की प्रतिष्ठा का सवाल है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : साक्ष्य भाग, विवरणात्मक भाग, वे इसके बारे में उस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। क्या वे श्री जे० आर० डी० टाटा का पक्ष ले रहे हैं? उनकी विशेषाधिकार समिति के समक्ष खिंचाई की जानी चाहिये।

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे मेरे माननीय मित्र द्वारा गुस्सा दिखाये जाने पर वास्तव में मुझे आश्चर्य हुआ है।

श्री हरिनाथ मिश्र (दरभंगा) : चूंकि मामला विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है जिसका अध्यक्ष मैं हूं, अतः मैं नम्र निवेदन करूंगा कि श्री ज्योतिर्मय बसु या अन्य किसी को भी उस मामले के लिए उस बात का उल्लेख करने का अधिकार नहीं है जो विशेषाधिकार समिति के समक्ष चल रहा है.....(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने विशेषाधिकार समिति की कोई निन्दा नहीं की है..... (व्यवधान)। मैंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है जो विशेषाधिकार समिति के अन्दर आप कर रहे हो।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं एक मिनट में समाप्त करूंगा। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जब तक मामला समिति के पास है--समिति निश्चित ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी—समिति के बारे में किसी को कुछ कहने का हक नहीं है। इसके क्या निष्कर्ष होंगे, किसकी ताड़ना की जाए और किसकी नहीं, इसका उल्लेख बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिये।

श्री आर० वेंकटरामन : श्री बसु ने कुछ राशि की वापसी का उल्लेख किया। ऐसा कोई आदेश दिये जाने के बारे में मुझे याद नहीं है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे प्रश्न पूछें क्योंकि सरकार में आदेश विभिन्न स्तरों पर दिये जाते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करोगे ?

श्री आर० वेंकटरामन : नहीं, मैं व्यस्त हूं.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस सभा में प्रश्न के लिये कोई समय नहीं बचा है।

श्री आर० वेंकटरामन : हम 15 अगस्त तक बैठ रहे हैं और आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे इस पर आश्चर्य है ; यह सब चालाकियां हैं। (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : यह नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होता है।' मौन का अर्थ स्वीकृति वाला सिद्धांत मुझे याद है क्योंकि मैं बहुत बातों का उत्तर नहीं देता हूं जी कहीं जा रही हैं।

दूसरी बात जो उन्होंने कही वह एक विमान के बारे में थी। उसके बारे में भी यदि वे प्रश्न पूछते हैं तो मैं सारी जानकारी एकत्र करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एस० ए० II विमान। आपने कितना सीमा शुल्क वसूल किया था ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं एक बहुत अच्छी पेशकश कर रहा हूं। कृप्या प्रश्न पूछिये, मैं सारी जानकारी एकत्र करूंगा। एक बात के लिये मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं— मैं किसी भी जानकारी को अपने पास नहीं रखूंगा। मैं सारी जानकारी को निश्चित रूप से प्रस्तुत करूंगा। यदि मैं गलती पर हूं तो मैं यह मानने के लिये पहला आदमी हूंगा कि मैं गलती पर हूं। इसलिए आप प्रश्न पूछिये।

अब मैं अन्तिम बात पर आता हूं। श्री शमन्ना ने विजयनगर स्टील के बारे में एक प्रश्न उठाया था। उन्होंने कहा कि कोई प्रावधान नहीं किया गया है। असल में हमने इस 1980-81 के बजट में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और विस्तृत परियोजना प्रति-

वेदन तैयार किया गया है। अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारतीय इस्पात प्राधिकरण मंडल के समक्ष है। उसके बाद उन्होंने मध-निषेध के बारे में भी जिक्र किया। (व्यवधान)

जहां तक मध-निषेध का सम्बन्ध है, मुझे यह बात अवश्य स्पष्ट कर देनी चाहिए क्योंकि इसको यहां तथा बाहर भी बहुत से लोगों ने उठाया है। सरकार कह चुकी है कि वह उस घाटे के 50% को पूरा करेगी जो राज्यों द्वारा मधनिषेध कार्यक्रम के चलाते हुआ है। मैं अब राज्यों से उनके अपने वित्तीय साधनों पर पूर्ण ध्यान देने के लिये अनुरोध करूंगा और उसके बाद निर्णय लीजिए क्योंकि अब अधिकांश राज्यों के पास विस्तृत विकास कार्यक्रम के लिये पर्याप्त संसाधन नहीं हैं हम आगामी योजना में विकास कार्यक्रम को पूरा कर देना चाहते हैं अतः यह राज्य सरकारों के ऊपर है। हम उन्हें पक्ष या विपक्ष में सलाह नहीं देना चाहते हैं। परन्तु हम चाहते हैं कि वे अपने संसाधनों के दृष्टिकोण से समस्या पर ध्यान दें और निर्णय करें। यह मेरा उनसे अनुरोध है।

मैं सभा को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं.....

श्री रामवतार शास्त्री : मुझे एक प्रश्न पूछना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति प्रदान नहीं कर रहा हूं। अब मैं प्रस्ताव को विचारार्थ प्रस्तुत करूंगा। मैं किसी बात की भी अनुमति नहीं प्रदान कर रहा हूं। अब मैं प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत करूंगा। मैं आपको अनुमति प्रदान नहीं कर रहा हूं। अब मैं विचार किये जाने के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जो सदस्य पक्ष में हों वे 'हां' कहें...

बहुत से माननीय सदस्य : जी, हां।

जो सदस्य विपक्ष में हों वे 'ना' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से निर्णय हां वालों के पक्ष में है, और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : मतदान 'ना' वालों के पक्ष में है। ना वालों के पक्ष में है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मत-विभाजन चाहते हैं? क्या आप मत-विभाजन के लिये जोर दे रहे हैं? अब मैं फिर सभा के मतदान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और आप मत-विभाजन के लिए आग्रह करें।

श्री सतीश अग्रवाल : यह रिकार्ड में है। आपने घोषणा की है कि 'ना' वालों के पक्ष में है, ना वालों के पक्ष में है। मुझे बस इतना कहना है। हम मत-विभाजन नहीं चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, मैंने कहा है कि 'हां' वालों के पक्ष में है, हां वालों के पक्ष में है। कृपया कार्यवाही वृत्तांत को देखिये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में है। भ्रम उत्पन्न करना बड़ा सरल है। हमें कार्यवाही-वृत्तान्त देखना चाहिए। मैंने कहा है 'हां' वालों के पक्ष में है, हां वालों के पक्ष में हैं। यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपने यह भी कहा था : 'ना' वालों के पक्ष में है, हम कहते हैं हां वालों के पक्ष में है और हमें मत-विभाजन करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, क्या आप मत-विभाजन चाहते हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घायें खाली कर दी जाएं।

मैं प्रत्येक सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि वे अपने निर्धारित स्थान पर बैठे रहें। प्रत्येक सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना मत सही रूप से 'हां' या 'ना' या 'तटस्थ' यथास्थिति रिकार्ड कराने में विशेष सावधानी बरतें ताकि शुद्धि करने का कोई अवसर न रहे।

मैं संक्षिप्त रूप में याद दिलाता हूं कि जैसे ही स्वचालित मतदान रिकार्ड करने वाला यंत्र सभापति द्वारा "अब मत-विभाजन" की घोषणा पर काम करने लगे, यानि उसकी घंटी की आवाज होगी, जो सदस्यों के लिए मतदान करने का संकेत होगा। प्रत्येक सदस्य को दाब-स्विच को दबाना है। उसके बाद तीन दाब-बटनों अर्थात् 'हां', 'ना' या 'तत्स्थ' में से एक अपनी इच्छा अनुसार दबाना है। दाब-स्विच और दाब-बटन को उस समय तक एक साथ दबाये रखना चाहिए जब तक कि 10 सैकेंड के बाद दूसरी बार घंटी की आवाजें नहीं होती हैं।

माननीय सदस्यों के सहज सहयोग के लिए अनुरोध किया जाता है।

प्रश्न यह है।

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोकसभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में 17.28 **बजे**

मत विभाजन संख्या—6

आनन्द सिंह श्री
अंकिनीडू श्री एम०
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अरुणाचलम, श्री एम०
बेरवा, श्री बनवारी लाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बनातवाला, श्री जी० एम०
बन्सी लाल, श्री
बारोत, श्री मगनभाई
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, श्री रघुनन्दल लाल
भीखा भाई, श्री
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
बीरबल, श्री
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चव्हाण, श्री एस० बी०
डेनिस, श्री एन०
देसाई, श्री बी० वी०
दंडपाणि, श्री सी० टी०

फैलीरो, श्री एडुआर्डो
गायकवाड़, श्री आर० पी०
गांधी, श्रीमती इंदिरा
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए० सेनापति
गुलशेर अहमद, श्री
हेमब्रम, श्री सेत
जैन, श्री भीकू राम
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
कमल नाथ, श्री
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण दत्त, श्री
कृष्णन्, श्री जी० वाई०
कुचन, श्री गंगाधर एस०
लास्कर, श्री निहार रंजन
महाबीर प्रसाद, श्री
महाजन, श्री वाई० एस०
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री हरिनाथ
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोतीलाल सिंह, श्री
नेहरू, श्री अरुण कुमार
नेताम, श्री अरविन्द
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
पटेल, श्री सी० डी०
पटेल, श्री उत्तमभाई एच०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री शिवराज वी०
फुलवारिया, श्री विरदा राम
प्रधानी, श्री के०
पुलय्या, श्री दारुर
काजी सलीम, श्री
कादरी, श्री एस० टी०
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति, श्री के०
रणवीर सिंह, श्री
रंगा, प्रो० एन० जी०
राव, श्री एम० सत्यनारायण
रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी, श्री जी० एस०
रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर
समीनुद्दीन, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई
सेठी, श्री अर्जुन
शंकरानन्द, श्री बी०
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शिव शंकर, श्री पी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनाल, श्री एस० बी०
सोलंकी, श्री बाबू लाल
स्पैरो, श्री आर० एस०
स्टीफन, श्री सी० एम०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
तारिक अनवर, श्री
वैयब हुसैन, श्री
थोरट, श्री भाऊ साहिब
थुंगोन, श्री पी० के०
वर्मा, श्री जयराम
वीरभद्र सिंह
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
वर्मा, श्रीमती ऊषा
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप

जैनुल बशर, श्री

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भीम सिंह, श्री
दंडवते, प्रो० मधु
घोष, श्री निरेन
गोयल, श्री कृष्ण कुमार
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरिकेश बहादुर, श्री
कश्यप, श्री जयपाल सिंह
मंडल, श्री धनिक लाल
मंडल, श्री सनत कुमार
मेहता, प्रो० अजीत कुमार
महालगी, श्री आर० के०
मुखर्जी, श्री समर
मुजफ्फर हुसैन, सैयद
राय, श्री ए० के०
राय प्रधान, श्री अमर
सैनी, श्री मनोहर लाल
शास्त्री, श्री रामावतार
तिरकी, श्री पीयूष
त्रिलोक चन्द्र, श्री
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
वर्मा, श्री रवीन्द्र

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है।

पक्ष में	:	101
विपक्ष में	:	25

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार प्रारम्भ करेंगे। खण्ड 2 से 4 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 4 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* निम्नलिखित माननीय सदस्यों के मत भी पक्ष में रिकार्ड किये : श्री वी० एन० गाडकिल, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति, श्री दिग्विजय सिंह, श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री मालदेव जी एम० ओ० डेदरा, श्री हीरालाल, आर० परमार, श्री रामेश्वर निखरा, श्री विरधी चन्द्र जैन, और श्री सुभाष चन्द्र यादव।

वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1980

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वित्त (संख्या 2) विधेयक को विचार तथा पास करने के लिए लेते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

विधेयक में दिये गये प्रस्ताओं की मुख्य बातों का उल्लेख मेरे बजट-भाषण में किया गया था। इन प्रस्ताओं का विस्तृत विवरण माननीय सदस्यों को परिचालित बजट-पत्रों के साथ व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है। अतः मैं सारी बातों को फिर से लेने में सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं।

यह विधेयक माननीय सदस्यों के समक्ष लगभग पांच सप्ताह से है। बजट पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान माननीय सदस्यों ने विधेयक में दिये गये उपबन्धों के बारे में अनेक सुझाव दिये हैं। मुझे भी जनता के प्रतिनिधियों, चेम्बर आफ कामर्स तथा अन्य व्यापार और व्यावसायिक संघों एवं अर्थशास्त्रियों से विधेयक में दिये गये प्रस्तावों के बारे में कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। मैं माननीय सदस्यों का तथा उन सभी का आभारी हूं जिन्होंने प्रस्तावों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और रचनात्मक सुझाव दिये हैं। मैंने इन सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और उन्हें उचित महत्त्व देते हुए मैंने अपने कुछ मूल प्रस्तावों में संशोधन करने का निश्चय किया है। सभा की अनुमति से मैं अब विधेयक के उपबन्धों में जिन मुख्य परिवर्तनों का प्रस्ताव कर रहा हूं, उन्हें सारांश में बताऊंगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है विधेयक में 1985 तक नये औद्योगिक उपक्रमों, स्वीकृत होटलों और जहाजों को एक परिवर्तित रूप में कर से मुक्ति देने की व्यवस्था है। इन बहुत से प्रतिवेदनों में जो मुझे प्राप्त हुए हैं यह अनुरोध किया गया है कि नयी कर मुक्ति के उपबन्धों से कर रियायत, विशेषरूप से उन उद्योगों के मामलों में जिनके पनपने की लम्बी अवधि है, सीमित हो जायेगी। मेरे विचार से राजकोषीय पद्धति के परिणामस्वरूप हमारे औद्योगिक विकास में पूंजी-प्रधान तकनीकों के प्रयोग के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए। अतः मैं कर-मुक्ति की वर्तमान योजना में रूपभेद करने के निर्णय से हटाना चाहता हूं और इसके लाभ को किसी एकक में निवेश की गई पूंजी से सम्बद्ध करने की बजाय उसमें कमाये गये लाभ से सम्बद्ध करना नहीं चाहता हूं। तथापि, मैं नयी कर मुक्ति के उपबन्धों को दो दृष्टि से उदार बनाना चाहता हूं। पहले, कर मुक्ति की रियायत सहकारी समितियों को छोड़ कर करदाताओं के मामले में सात से आठ वर्ष और बढ़ाई जाएगी। तथापि सहकारी समितियों के मामले में कर मुक्ति की अवधि जैसी कि विधेयक में व्यवस्था है इस वर्ष बनी रहेगी। दूसरे में विधेयक के अन्तर्गत किसी औद्योगिक उपक्रम को कर रियायत केवल इस आधार पर नहीं दी जाएगी कि इसका निर्माण पहले प्रयोग की गई मशीनों या संयंत्रों को नये कारोबार में स्थानांतरित कर किया गया है। अब मेरा प्रस्ताव है कि यदि इस प्रकार स्थानांतरित मशीनें और संयंत्र उस कारोबार में प्रयोग किये जाने वाली मशीनों या संयन्त्रों के कुल मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं तो कर रियायत दी जायेगी।

विधेयक के अन्तर्गत नई मशीनों या संयन्त्रों के कारोबार या व्यवसाय के लिए लगाये

जाने के वर्ष अतिरिक्त मूल्य ह्रास सामान्य मूल्य ह्रास के 50 प्रतिशत के बराबर की राशि का दिया जायेगा। कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि मशीनें और संयन्त्र किसी वर्ष लगाये जायें किन्तु उनका वास्तविक प्रयोग अगले वर्ष हो। चूंकि उपबन्ध की भाषा के अन्तर्गत मूल्य-ह्रास केवल वहीं उपलब्ध है जहां मशीनों या संयन्त्रों का प्रयोग कारोबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पिछले वर्ष किया गया है, ऐसे मामलों में अतिरिक्त मूल्य ह्रास मशीनों को लगाने के वर्ष नहीं मिलेगा किन्तु उस वर्ष मिलेगा जब इनका वास्तविक प्रयोग किया गया है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए मैं चाहता हूं कि अतिरिक्त मूल्य ह्रास या तो उस वर्ष मिले जब मशीनें या संयन्त्र लगाये गये हैं या उस वर्ष से पिछले वर्ष जब मशीनों या संयन्त्रों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया।

कर-मुक्ति के उपबन्ध परिवहन उपक्रमों के मामले में लागू नहीं होते। ऐसे उपक्रमों को 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1985 के दौरान लगायी गई मशीनों या संयन्त्रों के सम्बन्ध में अतिरिक्त मूल्य ह्रास नहीं मिलेगा। परिवहन उपक्रम देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवहन उद्योग को कुछ प्रोत्साहन देने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि उन मोटर बसों, मोटर लारियों और मोटर टैक्सियों पर, जिनको किसी कारोबार में 30 से 40 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से किराये पर चलाया जाता है, उनके मूल्य ह्रास की दर में वृद्धि की जाये। आय कर नियमों में इस निर्णय को लागू करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।

इस विधेयक में पशुपालन अथवा मुर्गीपालन या डेरी विकास की आय के सम्बन्ध में छूट को इन स्रोतों से होने वाली कुल आय के एक-तिहाई या 15,000 रुपये जो भी कम हो, तक सीमित करने का प्रस्ताव है। मुर्गी-पालन तथा पशुपालन में लगे लोगों से प्राप्त अनेक प्रतिवेदनों में यह अनुरोध किया गया है कि प्रस्तावित परिवर्तन से कई मामलों में कठिनाई होगी। अतः मैं विधेयक के उपबन्धों में रूपभेद करना चाहता हूं जिससे यह सुनिश्चित हो जाये कि पशुपालन या मुर्गीपालन या डेरी विकास से 15,000 रुपये तक होने वाली आय के सभी मामलों में आय-कर से छूट दी जाये। साथ ही जब ऐसे लाभ की कुल राशि 15,000 रुपये से अधिक होती है तो ऐसे लाभ की कुल राशि या 15,000 रुपये जो भी अधिक हो, के पांचवें भाग के सम्बन्ध में कटौती मिलेगी बशर्ते कि मुर्गीपागन से होने वाले लाभ के सम्बन्ध में कटौती किसी भी स्थिति में 15,000 रुपये से अधिक न हो। मैं समझता हूं कि इन संशोधित उपबन्धों से अधिकांश मुर्गीपालकों तथा पशुपालकों और दूसरों के हितों की रक्षा होगी। मुझे आय कर अधिनियम की धारा 80 ञ में 1 अप्रैल, 1972 से प्रस्तावित संशोधन के बारे में कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। इस धारा के अन्तर्गत नये औद्योगिक उपक्रमों को कम्पनियों के मामले में निवेश की गई पूंजी का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत तथा करदाताओं के अन्य मामलों में 6 प्रतिशत कर मुक्ति उपलब्ध है। इस प्रयोजन के लिए लगाई गई पूंजी का हिसाब आय-कर नियमों के उपबन्धों अनुसार लगाया जाता है और इसमें कर्ज पर ली गई पूंजी शामिल नहीं है। कुछ उच्च न्यायालयों का मत है कि नियमों में जो व्यवस्था है वह धारा 80 ञ के विपरीत है और कर मुक्ति लाभ की संगणना के प्रयोजन लिए कर्ज ली गई पूंजी को भी पूंजी में लिया जाना चाहिऐ। इस विधेयक में आयकर नियम के उपबन्धों को 1 अप्रैल, 1972 की पूर्व तिथि से धारा 80 ञ में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। कई प्रतिवेदनों में यह अनुरोध किया गया है कि प्रस्तावित परिवर्तन पूर्व तारीख से होनी चाहिए। बजट पर सामान्य वाद-विवाद के उत्तर में मैंने यह विस्तार से बताया है कि इस विधेयक में जो व्यवस्था की गई है वह केवल संसद में जो विचार व्यक्त

किए गए हैं उन्हें ही कार्यान्वित करने के लिए है। मैंने फिर से इस प्रश्न पर बारीकी से विचार किया और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि कानून और समता दोनों की वृद्धि से विधेयक के उपबन्धों में परिवर्तन करने का कोई मामला नहीं बनता है। धारा 80 ञ में विशेषरूप से यह उपबन्ध है कि लगी पूंजी की कर मुक्ति निश्चित करने के प्रयोजन के लिए नियमों के अनुसार संगणना की जायेगी और नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस प्रयोजन के लिए कर्ज ली गई पूंजी को पूंजी-आधार में शामिल नहीं किया जायेगा। कर मुक्ति सम्बन्धी उपवन्ध नियम पुस्तिका में किसी न किसी रूप में 1949 से रहे हैं। 1968 तक किसी औद्योगिक उपक्रम में लगी पूंजी के हिसाब का आधार नियमों में दिया गया है जिसमें इस प्रयोजन के लिए कर्ज ली गई पूंजी को शामिल करने की व्यवस्था नहीं है और इस स्थिति पर कभी भी संदेह नहीं किया गया। यद्यपि 1968 में कतिपय लम्बी अवधि के कर्जों को पूंजी आधार में शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया किन्तु 1 अप्रैल, 1972 से पुनः पूर्व स्थिति स्थापित की गयी। जैसा कि मैंने पहले ही सभा में कहा है कि तत्कालीन वित्त मंत्री श्री यशवंत राव-चौह्वान ने 1971-72 के अपने बजट-भाषण में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वह कर्ज ली हुई पूंजी को कर मुक्ति सम्बन्धी लाभ के प्रयोजन के लिए पूंजी-आधार में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि धारणा हमेशा यह रही कि कर-मुक्तिलाभ निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए कर्ज ली हुई पूंजी को पूंजी का भाग नहीं माना जाना चाहिए। अतः मैं संतुष्ट हूं कि इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

वित्त विधेयक में आयकर अधिनियम में एक नई धारा 80 क क जोड़ने का भी प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि अध्याय 6-क के भाग-ग के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत मिलने वाली छूट विशिष्ट स्रोतों से होने वाली शुद्ध आय के सन्दर्भ में ऐसी आय को कमाने में हुए खर्च को निकाल कर उपलब्ध होगी, न कि ऐसे स्रोतों से होने वाली आय की कुल राशि के सन्दर्भ में उपलब्ध होगी। यह उपबन्ध उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय के कारण होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह प्रतिवेदित किया गया है कि इस उपबन्ध के पूर्व तिथि से लागू होने से कई मामलों में कठिनाई होगी। मैंने इस मामले की ध्यानपूर्वक जांच की है। मैं संतुष्ट हूं कि संसद की हमेशा यही धारणा रही है कि छूट केवल आय की निवल राशि के सम्बन्ध में ही दी जाये और नई धारा 80 क क का पिछली तारीख से लागू होना पूरी तरह से न्यायोचित है। तथापि इस उपबन्ध के पिछली तारीख से लागू होने से उन लोगों के मामलों में कठिनाई हो सकती है जिन्होंने वैज्ञानिक दक्षता और प्रौद्योगिकी का विकास किया है तथा अन्य देशों एवं भारत में हमारी प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने में सहायता की है। अध्याय 6क के कुछ अन्य उपबन्धों से कोई महत्त्वपूर्ण राजस्व सम्बन्धी कठिनाई नहीं है। इन बातों पर विचार कर, धारा 80 ठ के अन्तर्गत छूट के लिए केवल अन्तर-नियमित लाभांश के सम्बन्ध में इस उपबन्ध को पूर्व तिथि से लागू करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। जहां तक अध्याय 6क के भाग ग में उल्लिखित आय के अन्य स्रोतों का सम्बन्ध है, वित्त-विधेयक से सम्बद्ध उपवन्ध आगे की तारीख से अर्थात् 1-4-1981 से लागू होंगे।

विधेयक में 30 जून, 1980 के बाद अनुसूचित बैंकों को मिलने वाले ब्याज के सम्बन्ध में ब्याज-कर की फिर से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त-संस्थानों अर्थात् आई० डी० बी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई०, आई० एफ० सी०-आई० और आई० आर० सी० आई० द्वारा प्राप्त ब्याज को आय-कर अधिनियम की परिधि में

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट देश की अर्थ-व्यवस्था का आर्थिक और राजनीतिक स्रोत का प्रतिबिम्ब है, इसके साथ ही सत्तारूढ़ दल के आर्थिक चिन्तन को अमल में लाने का तीखा अस्त्र भी है। यह बजट सही मायने में सत्तारूढ़ दल के आर्थिक चिन्तन का प्रतिबिम्ब और प्रतीक मालूम होता है।

किन्तु हमारे वित्त मंत्री जी बड़े चतुर व्यक्ति हैं, इन्होंने बजट के वास्तविक घाटे को कम करके देखने का प्रयास किया है। वास्तव में 50 हजार करोड़ के घाटे को केवल 1417 करोड़ के रूप में···

एक माननीय सदस्य : 50 हज़ार करोड़ कैसे ?

श्री अजित कुमार मेहता : मैं गलत कह गया हूं, 5 हज़ार करोड़ है जिसमें 2100 करोड़ रुपया पैट्रोलियम से, जिसके लिये आपने पहले ही दाम बढ़ा कर 2100 करोड़ रुपया वसूल लिया है। उसके बाद 665 करोड़ रुपया खाद की मद में, 540 करोड़ रुपया आई०एम०-एफ० की मद में और 1470 करोड़ रुपया आपने स्वयं बजट में दिखाया है। इसके अलावा रेलवे में 250 करोड़ रुपया है—यह सब भी घाटे में ही आता है। लेकिन इस घाटे को आपने शब्द-जाल में छिपा कर 1417 करोड़ रुपये का दिखाया है।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से देश के सामने जो असली बात थी, उसको छिपा कर एक भ्रम-सा, एक मृगतृष्णा का सा दृश्य प्रस्तुत किया गया है और लोक कल्याणकारी नीतियों को लागू करने में अपनी मजबूरी को, चाहे जिस कारण से हो, उसका जिम्मा पिछले 30 महीने की दो अल्पकालीन सरकारों पर, जनता और लोकदल की सरकारों के ऊपर बड़ी चतुराई से उन्होंने डालने का प्रयास किया है। उन्होंने यह प्रयास तो किया, लेकिन हम यह कहेंगे कि यह असफल प्रयास ही है। आप इस तरह से सोचिये, 30 सालों तक कांग्रेस-शासन इस देश में था और उन 30 सालों का जितना भी काम था, वह एक झटके में, केवल 30 महीने के शासन में समाप्त हो गया, हमारी अर्थ-व्यवस्था लड़खड़ा गई, तो इसका मतलब है कि उन 30 सालों में जो नींव डाली गई, उस काल में जो कुछ किया गया, वह मज़बूत नींव पर नहीं खड़ा था। इसका तो यही मतलब होता है। हम यह भी कहेंगे कि इन दो अल्पकालीन सरकारों में चाहे जो भी खामियां रही हों, लेकिन इतना तो मानना ही होगा कि उन्होंने अर्थ-रचना की बुनियाद में किसी असन्तुलन या विकृति को जन्म नहीं दिया है।

वित्त मंत्री जी स्वयं एक उच्च कोटि के अर्थशास्त्री हैं। इस साल के बजट में उन्होंने एक नया मोड़ दिया है। यह बजट पहले के बजटों की तुलना में थोड़ा भिन्न है। यद्यपि उन्होंने इसको आम आदमी का बजट कहा है, किन्तु आप बजट के प्रावीज़न्ज़ को देखिये और थोड़ा विचार कीजिये कि क्या यह आम आदमी का बजट है अथवा उद्योगपतियों और बड़े-बड़े पूंजीपतियों को इस बजट में अधिक संरक्षण प्रदान किया गया है ?

जरा ध्यान देने की बात—आयकर की छूट की सीमा 10 हज़ार रुपये से 12 हज़ार रुपये की गई थी और अब 15 हज़ार की गई है। इसके साथ ही अधिकतम सीमा 72 प्रतिशत से घटा कर 62 प्रतिशत कर दी गई है। सम्पत्ति कर के मूल्य की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ा कर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है। शायद वित्त मंत्री जी के अनुसार आम आदमी वह है जिसकी सालाना आमदनी 15 हज़ार रुपये है, यानी मासिक आमदनी 1250 रुपये है और शायद वह आम आदमी इतनी सम्पत्ति रखता है कि सम्पत्ति कर की सीमा 1 लाख रुपये से डेढ़ लाख

रुपये कर देने उसको फायदा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री जी की नजर में या उनकी परिभाषा के अनुसार शायद आम आदमी वही है।

इसके अलावा प्रचार और विज्ञापन आदि उपकर संवर्द्धन के उपायों पर से कर हटा दिया गया है। सवाल उठता है कि इससे फ़ायदा किसको होने जा रहा है, आम आदमी को अथवा उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को ? इस बजट के अनुसार 300 करोड़ रुपये आम आदमी से लेकर निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उद्योगपतियों को छूट दी गई है। यह इस आधार पर छूट या प्रोत्साहन दिया गया है ताकि विदेशों में उद्योगपतियों के उत्पादन प्रतिस्पर्द्धा में अच्छे और सफल हो सकें। मैं पूछता हूं कि गरीब आदमियों से 300 करोड़ रुपये लेकर जो प्रतिस्पर्द्धा में सफल होने के लिए दिये गये हैं, उससे क्या हमारे यहां के आम आदमी को लाभ होने वाला है ? देश में जब भी छोटे उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाने की बात आती है, तो ये बड़े उद्योगपति इस बात की वकालत करते हैं कि चीजों के मूल्य तभी कम हो सकते हैं जब प्रतिस्पर्द्धा हो लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में तो ये छोटे उद्योगों से प्रतिस्पर्द्धा करना चाहते हैं लेकिन जब विदेशों की बात आती है तो उस समय छोटे उद्योगों के लिए, लघु उद्योगों के लिए कोई सहानुभूति उनके मन में नहीं रहती है और वे सरकार से छूट या राहत चाहते हैं ताकि विदेशों में उनके द्वारा उत्पादित चीजें प्रतिस्पर्द्धा में ठहर सकें। हम यह कहना चाहते हैं कि विदेशों में जहां कि मुद्रास्फीति हमारे यहां की तुलना में अधिक है, यह छूट देना हम आवश्यक नहीं समझते हैं।

इस तरह से हम यह देखते हैं कि इस प्रकार सारी सहूलियतें यानी अधिकतर सहूलियतें जो दी गई हैं, वे उद्योगपतियों को दी गई हैं और कहा गया है कि यह बजट आम आदमी का बजट है और आम आदमी को राहत मिल रही है।

एक और बात ध्यान देने की है। विकास कार्यों में लगभग उतनी ही राशि रखी गई है जितनी पिछले वर्ष रखी गई थी; लेकिन आप सब जानते हैं कि रुपये का देश में ही अवमूल्यन हो गया है यानी सब चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं और जब सब चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो पिछले साल के समान उतनी ही राशि इस साल भी रखते, तो वास्तव में वह राशि कम होती क्योंकि जितनी राशि है, उसका वास्तविक मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अब तक 12 मिनट ले लिए हैं।

श्री धनिक लाल मण्डल (झंझारपुर) : महोदय, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री सतीश अग्रवाल : उन्हें बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ उनसे उनके मार्गदर्शन के लिए कह रहा हूं। उनकी पार्टी से पांच नाम हैं। मैं उन्हें इसलिए कह रहा हूं ताकि उनकी पार्टी के सदस्य मुझे गलत न समझें।

प्रो० अजितकुमार मेहता : पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष दाम 20 से 25 प्रतिशत अधिक हैं। इस 20 से 25 प्रतिशत वस्तुओं की मूल्य वृद्धि से वास्तव में हमें यह कहना चाहिए कि विकास कार्यों के लिए इस वर्ष जितनी राशि का प्रावधान बजट में किया गया है वह इस मूल्य वृद्धि के कारण 20-25 प्रतिशत कम बैठती है।

श्रीमन् लगभग दस सालों से देखा जा रहा था कि बजट के बाद मूल्य स्थिर हो जाते थे किन्तु इस साल की हालत अजीब है। अभी तक हम नहीं जानते कि किसी वस्तु का मूल्य बाजार में स्थिर हो पाया है। यह शायद इस बजट का प्रभाव है। मूल्यों में स्थिरता लाने में

लाने का भी प्रस्ताव है। मेरे ध्यान में यह लाया गया है कि वित्तीय संस्थानों तथा अनुसूचित बैंकों के लिए यह हमेशा सम्भव नहीं होगा कि वे बजट के दिन से पहले उनसे स्वीकृत मियादी ऋणों के सम्बन्ध में ब्याज कर के प्रभाव को स्थानांतरित करें। अतः मेरा प्रस्ताव है कि वित्तीय संस्थानां और अनूसूचित बैंकों द्वारा 18 जून, 1980 से पहले स्वीकृत मियादी ऋणों पर ऐसे मामलों में छूट दी जाए जिनमें करारों में, जिनके अन्तर्गत ऐसे ऋण दिए गये हैं, उसकी वापसी की कम से कम 3 महीने की अवधि के दौरान करने की व्यवस्था है। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42 के अधीन संगणना की गई जमा राशि पर प्राप्त ब्याज पर छूट दी जाये। इन रूपभेदों के साथ यह आशा है कि 1980-81 में ब्याज-कर से 108·50 करोड़ रुपये की बजाय जिसका उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूं लगभग 80 करोड़ रुपये की आय होगी।

प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी उपबन्धों में प्रस्तावित संशोधनों का मुख्य अभिप्राय प्रारूप संबंधी कुछ गलतियों को ठीक करना अथवा विधेयक में उपबन्धों की अन्तर्निहित धारणा को अधिक स्पष्ट रूप से बताना है।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है, इस वर्ष मेरा प्रयत्न धीमा तथा शालीन रहा है। अतः मैंने इसे आवश्यक नहीं समझा है कि वित्त विधेयक में दिये गये अप्रत्यक्ष करों के संबंध में कोई परिवर्तन किये जायें।

माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वित्त विधेयक को अब प्रस्तावित संशोधनों सहित समर्थन दें।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया किया गया :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाये।"

वित्त (संख्या 2) विधेयक की सभी तीन अवस्थाओं के लिए 15 घंटे आबंटित किये गये हैं। यदि सभा सहमत होती है तो हम 10 घंटे सामान्य चर्चा के लिए, 4 घंटे खण्डवार विचार के लिए और 1 घंटा तीसरे वाचन के लिए निश्चित कर सकते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, सामान्य तथा सामान्य चर्चा के लिए 11 घंटे, खण्डवार विचार के लिए 3 घंटे और तीसरे वाचन के लिए 1 घंटा आबंटित किये जाते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ है। यदि इस समय कोई विशेष मामला हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : 15 घंटों के वितरण में विपक्ष के किसी सुझाव से मैं सहमत हूं। यदि वे 11 घंटे सामान्य चर्चा के लिए चाहते हैं तो वे ले सकते हैं। यह पूरी तरह से उन पर निर्भर है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं सभा की सहमति इस प्रकार है : सामान्य चर्चा के लिए 11 घंटे, 3 घंटे खंडवार विचार के लिए और एक घंटा तीसरे वाचन के लिए।

माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अजित कुमार मेहता, आपकी पार्टी को 37 मिनट आबंटित किये गये हैं और आपकी पार्टी से आप सहित पांच माननीय सदस्य बोलेंगे।

शायद यह बजट बाधक है या अन्य कोई चीज़, कौन जाने ? इसे तो वित्त मंत्री जी ही बता सकेंगे।

चीनी के बारे में बहुत बातें कही गयीं। अभी थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री ने बताया कि वास्तव में उनका उद्देश्य कम मूल्य में जनता को चीनी उपलब्ध कराना है और लग्ज़री के लिए जो चीनी खरीदते हैं उसकी कीमत आठ या दस रुपये भी होती है तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह आरगुमेंट बहुत घातक है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हम तो कहेंगे कि अगर इसी आरगुमेंट को लेकर चलना है तो इसको एक्सटेंड करके और वस्तुओं पर भी लागू किया जा सकता है। जो सामान ब्लेक मार्केट में मिलता है और फेअर प्राइस पर मिलता है वह भी इस कसौटी पर खरा उतर सकता है।

पिछले महीने गुड़ के भाव दुगने हो गये। खुले हुए तेल के भाव प्रति किलो एक रुपया अधिक हो गये। पोस्टमैन तेल की कीमत बजट के समय 65·89 रुपये थी लेकिन बजट के बाद 70·65 रुपया है। चार किलो कनौडिया तेल के भाव बजट के समय से 7 रुपये अधिक हैं। दालों की कीमतों में दस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रचलित ब्रांड के साबुन में दस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। डिटरजैंट पाउडर के एक किलो के भाव में 1 रुपया 20 पैसे की वृद्धि हुई है।

इस आधार पर हम देखते हैं कि सभी चीजों के कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं।

मान्यवर, अब जरा हम बेरोजगारी की ओर ध्यान दें। आजकल डेढ़ करोड़ लोग बेरोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं। देश में हर साल लगभग 50 लाख नौजवान 16 वर्ष के होकर रोजगार की तलाश कर रहे हैं। इस तरह से बेरोजगारों की फौज हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं बजाय उनको उत्पादन बढ़ाने वाले श्रमबल में शामिल करते। इस मद में 340 करोड़ रुपये रखे गये हैं और कहा गया है या दावा किया गया है कि 9 सौ मिलियन कार्य-दिवस पैदा किये जा सकेंगे। प्रथम तो मुझे यह कहना है कि सरकार के पास ऐसी कोई ठोस योजना ही नहीं है जिसमें कि सभी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

दूसरी बात यह है कि यह रांशि भी समुचित नहीं है। मुझे सन्देह है कि ठोस योजना के अभाव में इसका दुरुपयोग ही होगा। सम्भावना यह है कि यह राशि अधिकारियों का वेतन भुगतान करने पर और भ्रस्टाचार बढ़ाने में ही खर्च हो जाएगी। अंतः इसके लिए आवश्यक है कि ब्यूरोक्रेसी जो कार्यान्वियन के लिए जिम्मेदार है उसमें परिवर्तन लाया जाए। समाज के हर वर्ग को सरकार में भागीदारी का अनुभव हो इसके लिए ब्यूरोक्रेसी में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिये जो अभी नहीं है। यह पिछड़े, अल्पसंख्यक, हरिजन और दूसरी जातियों के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर ही किया जा सकता है। अन्यथा वही होगा जिस के विरोध में हम आवाज़ उठाते रहते हैं। आपने देखा कि पिछले चुनावों में किस प्रकार सरकारी अफसर निष्पक्ष नहीं रहे। विधि मंत्री ने विगत दिनों इसी सदन में यह स्वीकार भी किया है। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि सब प्रकार के कदाचार के उदाहरण हैं। हमारे क्षेत्र के कल्याणपुर में तो ऐसा हुआ कि अन्तिम क्षण में भी चुनाव सम्पन्न कराने वाले पदाधिकारियों की सूची में परिवर्तन किया गया। उसके बाद भी वहां पुलिस ने आतंक का वातावरण बनाए रखा। विधान सभा के चुनाव के बाद वहां हमारे यहां पूसा रोड में हमारे एक कार्यकर्ता श्री अरुण कुमार चौधरी की हत्या विरोधियों ने कर दी किन्तु पुलिस ने कथित हत्यारे को गिरफ्तार कर छानबीन करने के बदले मृत व्यक्ति के चाचा को ही गिरफ्तार कर लिया। हमारे दल के दूसरे कार्यकर्ता की हत्या मुक्तापुर में उस समय हुई जब उस इलाके में पुलिस दारोगा मौजूद थे

किन्तु उसकी उचित छानबीन आज तक नहीं हुई। वहां समस्तीपुर में एक ऐसे एस० पी० को पद-स्थापित किया गया है जिसका घर केवल कुछ किलोमीटर दूर है तथा ससुराल और जमीन समस्तीपुर में है। श्रीमान, ऐसे अधिकारी से निष्पक्षता और न्याय की आशा कैसे की जा सकती है ?

प्रधान मंत्री बंधुआ मजदूर की प्रथा समाप्त करने की घोषणा करती हैं किन्तु हरिजन चाहे जहां भी हो बंधुआ मजदूर की स्थिति से बेहतर नहीं हैं भले ही आप इन्हें बंधुआ मजदूर न कहें। गृह मंत्री की घोषणा के बावजूद भी हरिजनों और महिलाओं पर अत्याचारों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रधान मंत्री ने इसी सदन में कहा था कि इस प्रकार की घटनाएं बिना जन-आन्दोलन के नहीं रोकी जा सकती हैं। किन्तु जब हम जन आन्दोलन की ओर प्रवृत्त होते हैं तो गृह मंत्री उसे राजनैतिक लाभ के लिए उकसाया हुआ आन्दोलन बताते हैं।

अन्त में अपने इलाके की बात पर आता हूं। हमारा इलाका कृषिप्रधान है। इसलिए कृषि का विकास वहां पर बहुत आवश्यक है। तभी वहां खुशहाली आ सकती है। मैं समझता हूं कि कृषि विकास के लिए सिंचाई साधनों का वहां विस्तार किया जाना चाहिये, उर्वरकों की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि जमीन के लोगों को मालिकाना अधिकार दिए जाएं। भूमि सुधारों को तब तक लागू नहीं किया जा सकता है सही रूप से जब तक कि इस विषय को संविधान की नवीं सूची में शामिल नहीं कर लिया जाता है। इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

6·05 बजे म० प०

तत्पश्चात लोक सभा, शुक्रवार, 25 जुलाई 1980/3 श्रावण, 1902 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : श्री दुर्गा प्रिंटिंग प्रेस, 1867 नई सड़क, दिल्ली-6